अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Monday, 8th May, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 60
Date 5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 8 मई, 1989/18 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
34	5	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंतः स्थापित करिये।
41	नीचे से 14	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंतः स्थापित करिये।
81	नीचे से 6	"कम्भोदी" के स्थान पर "कम्मोदी" पढ़िये।
87, 88, 89	—	प्रश्न संख्या "8446, 8447, 8448 और 8449" से पहले लगा "x" चिन्ह निकाल दीजिये।
119	16	"गैन" के स्थान पर "जैन" पढ़िये।
121	नीचे से 3	"पर्यतन" के स्थान पर "पर्यटन" पढ़िये।
125	नीचे से 4	"[illegible]ांतिलाल" के स्थान पर "शांतिलाल" पढ़िये।
128	16	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंतः स्थापित करिये।
129	नीचे से 16	"श्री जयन्ती पटनायक" के स्थान पर "श्रीमती जयन्ती पटनायक" पढ़िये।
157	14	"(क) से (ख)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये।
169	नीचे से 6	"वैज्ञानकि" के स्थान पर "वैज्ञानिक" पढ़िये।
170	13	"(क) और (ग)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये।
188	15	"चन्द्र शेखर पिाठी" के स्थान पर "चन्द्र शेखर त्रिपाठी" पढ़िये।
197	नीचे से 14	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) और (ख)" अंतः स्थापित करिये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
205	5	"वासुदेव" के स्थान पर "बसुदेव" पढ़िये ।
208	नीचे से 4	"आवत" के स्थान पर "आवर्त" पढ़िये ।
208	नीचे से 6	"द्वार" के स्थान पर "द्वारा" तथा "पाण्डुलिपियों" के स्थान पर "पाण्डुलिपियां" पढ़िये ।
210	1	"को" के स्थान पर "की" पढ़िये ।
234	11, 24, 29	सदस्य का नाम "श्री के० रामचन्द्र रेड्डी" पढ़िये ।
244	नीचे से 8	"उपाव्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 50, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 44, सोमवार, 8 मई, 1989/18 वैशाख, 1911 (शक)

विषय		**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	886, 887, 889, 893, 895, 898, 900 और 902	**1—17**
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	882 से 885, 888, 890 से 892, 894, 896, 897, 899, 901 और 903	**18—19**
अतरांकित प्रश्न संख्या :	8373 से 8422, 8424 से 8438, 8440 से 8458, 8460 से 8547, 8549 से 8592 और 8592 क	
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		**198**
सभा पटल पर रखे गए पत्र		**202—205**
नियम 377 के अधीन मामले		**206**
(एक) ढ़हे हुए मांडवी पुल का पुनर्निर्माण शीघ्रता से किए जाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर पर जुआरी पुल की तकनीकी सम्भाव्यता की जांच की जाने की मांग		**206**
श्री शांताराम नायक		
(दो) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में सूखे की गंभीरता का अध्ययन किए जाने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की मांग		**208**
श्री राम प्यारे पनिका		
(तीन) प्रस्तावित काजू बोर्ड का मुख्यालय केरल के कन्नानोर जिले में स्थापित किए जाने की मांग		**208**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन		
(चार) उड़ीसा राज्य के संग्रहालय द्वारा संकलित दुर्लभ भोजपत्र पांडुलिपिया प्रकाशित किए जाने हेतु राज्य सरकार को प्रति वर्ष 25 लाख रुपए का आवर्ती अनुदान स्वीकृत किए जाने की मांग		**208**
श्री चिन्तामणि जेना		

*किसी सदस्य के नाम पर अन्कित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

(पांच) सोहना, नूह और फिरोजपुर झिरका होते हुए गुड़गांव और अलवर के बीच एक रेल लाइन बिछाई जाने की मांग 209
चौधरी खुर्शीद अहमद

(छः) तमिलनाडु के पेरियार जिले में भवानी ने "कुदुथुरई" को राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र घोषित किए जाने तथा राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में उसका विकास किए जाने की मांग 209
श्री पी० कुलनदईवेलू

(सात) बिहार में बाढ़ और भूकंप से टूटे तटबन्धों की मरम्मत किए जाने तथा कच्ची सड़कों के स्थान पर पक्की सड़कें बनाये जाने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की मांग 210
डा० गौरीशंकर राजहंस

(आठ) उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई सिंचाई परियोजनाओं को जो लम्बित पड़ी हुई हैं, शीघ्र मंजूरी दिए जाने की मांग 211
श्री नित्यानन्द मिश्र

नियम 193 के अधीन चर्चायें

(एक) देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश 211
सरदार बूटा सिंह 213

(दो) जवाहर रोजगार योजना के बारे में प्रधान मन्त्री का वक्तव्य 257
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव 257
श्री भजनलाल 264
कुमारी ममता बनर्जी 265
श्री बसुदेव आचार्य 268
डा० गौरीशंकर राजहंस 276
श्री सोमनाथ रथ 280

पंजाब में लागू राष्ट्रपति शासन जारी रखे जाने के बारे में सांविधिक संकल्प 228
सरदार बूटा सिंह 228
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 234
श्री शांताराम नायक 240
श्री सैफुद्दीन चौधरी 249
श्री हरीश रावत 253

लोक सभा

सोमवार, 8 मई, 1989/18 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नए टेलीफोन उद्योग

[अनुवाद]

*886. **श्री टी० बशीर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने टेलीफोन उद्योग चल रहे हैं, वे कहां-कहां स्थित हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) टेलीफोनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान नए टेलीफोन उद्योग कहां-कहां स्थापित किए जाएगे;

(ग) क्या केरल में टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर नारायणन) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1984 से पहले, केवल मैसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० और मैसर्स गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रानिकी लि० ही टेलीफोन उपकरणों का विनिर्माण करते थे। मार्च, 1984 में नीति की उदारीकरण संबंधी घोषणा के पश्चात् टेलीफोन जैसे अन्त्य उपयोगकर्ता टर्मिनलों का विनिर्माण निजी क्षेत्र में करने की अनुमति दी गई और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कई इकाइयों को आशय-पत्र/अनुमोदन प्रदान किए गए। कुल मिलाकर 15 इकाइयों ने टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है। इन 15 इकाइयों के स्थापना स्थल तथा उत्पादन-क्षमता अनुबन्ध—1 में दिए गए हैं।

(ख) टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए टेलीफोन उपकरणों की वर्तमान लाइसेंस-शुदा उत्पादन-क्षमता पर्याप्त है। ऊपर उल्लिखित 15 इकाइयों के अलावा, 20 अतिरिक्त इकाइयों को विनिर्माण के लिए आशय-पत्र/अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। उनके स्थापना-स्थल तथा उत्पादन क्षमता अनुबन्ध—2 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जिन 15 इकाइयों ने पहले ही उत्पादन करना शुरू कर दिया है, उनमें से 2 इकाइयां केरल में स्थित हैं। केरल में टेलीफोन के विनिर्माण की इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध—1

क्र.सं.	पार्टी का नाम	वार्षिक लाइसेंसशुदा उत्पादन क्षमता (संख्याओं में)	स्थापना-स्थल
1.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि.	4,50,000	नैनी (उ०प्र०)
		4,00,000	बंगलौर (कर्नाटक)
		2,00,000	श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर)
2.	गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रांनिकी लि०	5,00,000	गांधी नगर (गुजरात)
3.	टेलीमैटिक्स सिस्टम्स लि०	5,00,000	नन्दमबक्कम, तालुक-सैदापेट (तमिलनाडु)
4.	वेबेल कम्युनिकेशन इन्डस्ट्रीस लि०	5,00,000	साल्टलेक इलेक्ट्रांनिक्स कॉम्प्लेक्स (पश्चिम बंगाल)
5.	स्वीड (इन्डिया) टेलीट्रांनिक्स लि०	5,00,000	हूडी, जिला बंगलौर (कर्नाटक)
6.	केल्ट्रांन टेलीफोन इन्सट्रूमेंट्स लि०	5,00,000	पालघाट (केरल)
7.	राजस्थान टेलीफोन उद्योग लि०	5,00,000	भिवाड़ी (राजस्थान)
8.	क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड	2,00,000	पीतमपुर (मध्य प्रदेश)
9.	सेट टेलीकॉम प्रा०लि०	2,00,000	नासिक (महाराष्ट्र)
10.	भारती टेलीकॉम लि०	2,00,000	लुधियाना (पंजाब)
11.	यूनीटेल कम्युनिकेशन्स लि०	2,00,000	भुवनेश्वर (उड़ीसा)
12.	पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लि०	2,00,000	मोहाली (पंजाब)
13.	प्रियराजा इन्टरप्राइज	10,000	बंगलौर (कर्नाटक)
14.	लावेनीर टेलीकॉम लिमिटेड	3,00,000	जिला-मेडक (आंध्र प्रदेश)
15.	बी पी एल सिस्टम्स एण्ड प्रोजक्ट्स लिमिटेड	5,00,000	पालघाट (केरल)

अनुबन्ध—2

क्र०सं०	पार्टी का नाम	वार्षिक लाइसेंसशुदा उत्पादन क्षमता (संख्याओं में)	स्थापना—स्थल
1.	टेक्सटन टेलीकॉम लिमिटेड	2,00,000	नोएडा (उ०प्र०)
2.	पल्सर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,00,000	श्री पेरमपुडूर तालुक (तमिलनाडु)
3.	सुनील कम्युनिकेशन्स लि०	2,00,000	श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर)
4.	यूनाइटेड टेलीकॉम प्रा०लि०	2,00,000	बंगलौर (कर्नाटक)
5.	रेमिंगटन रैंड आॅफ इण्डिया लि०	2,00.000	मैसूर (कर्नाटक)
6.	आई टी ए सी इण्डिया मैन्यु. कं०लि०	2,00,000	देहरादून (उ०प्र०)
7.	श्री गोपाल के० केजरीवाल	2,00,000	नोएडा (उ०प्र०)
8.	हरियाणा टेलीकॉम लि०	2,00,000	हरियाणा में अनुमेय स्थापना-स्थल
9.	हिमाचल टेली. इन्डस्ट्रीस लि०	2,00,000	सोलन (हिमाचल प्रदेश)
10.	जयसल इलेक. इन्डस्ट्रीस लि०	2,00,000	भीलवाड़ा (राजस्थान)
11.	डिजिकॉम सिस्टम्स प्रा० लि०	2,00,000	राजस्थान में अनुमेय क्षेत्र
12.	बीनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०	2,00,000	गाजियाबाद (उ०प्र०)
13.	आई टी पी टेलीकॉम्स प्रा० लि०	2,00,000	हिमाचल प्रदेश में अनुमेय क्षेत्र
14.	असम इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड	1,50,000 1,50,000	जिला—कामरूप, असम जिला—सिलचर
15.	फ्यूजबेस इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	1,00,000	जिला—गाजियाबाद (उ०प्र०)
16.	देबीके इन्फोर्मेशन टेक. लि०	1,00,000	जिला—गाजियाबाद (उ०प्र०)
17.	यूनीरेक्स मौल्ड्स प्रा. लि.	1,00,000	बुलन्दशहर (उ.प्र.)
18.	श्री के. के. जोशी	75,000	हरियाणा में अनुमेय स्थापना—स्थल
19.	श्री सुनील खाड़िया	10,000	अमरावती (महाराष्ट्र)
20.	चिप सिस्टम्स प्रा. लि.	10,000	रंगारेड्डी जिला (आंध्र प्रदेश)

श्री टी० बशीर : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या यह सच है कि 1984 में स्थापित सैन्टर फार डिवेलपमेंट आफ टैलिमैटिक्स (सी-डाट) ने भारतीय दूरसंचार प्रणाली के लिए देश में ही प्रौद्योगिकी विकसित की है और यदि हाँ तो, दूरसंचार उद्योग में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर होने के लिए 'सी-डाट' तथा हाल ही में स्थापित दूरसंचार आयोग द्वारा कौनसी नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं ?

श्री के०-आर० नारायणन : महोदय, सी-डाट की स्थापना स्वदेशी स्वचालित स्विचिंग प्रणालियां विकसित करने के लिए की गई है। इसने पूर्णतया स्वदेशी प्रणाली विकसित की है जिसमें आर.ए. एक्स ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज होता है और ई. पी. ए. बी. एक्स अर्थात इलेक्ट्रानिक प्राइवेट स्वचालित स्विचिंग प्रणाली होती है। इसके अतिरिक्त 512 पोर्ट सिस्टम और 16,000 लाइन प्रणाली भी होती है। आर.ए.एक्स. विकसित किया जा चुका है और विभिन्न गावों में इसे लगाया जा रहा है। सरकारी और गैर-सरकारी पार्टियों को लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। ई.पी.ए.बी.एक्स. का भी विकास किया जा चुका है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। 512 पोर्ट सिस्टम का भी विकास किया जा चुका है और दिल्ली छावनी में इसका परीक्षण चल रहा है। बड़ी 16,000 लाइनों वाली प्रणाली भी विकसित की जा चुकी है और इसी महीने में किसी समय इसका क्षेत्रीय परीक्षण किया जाएगा।

श्री टी० बशीर : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न आई.टी.आई., पालघाट के विषय में है। मुझे पता चला है कि पालघाट में आई.टी.आई. की यूनिट के विकास की परियोजना है। लोक निवेश बोर्ड 69 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना को पहले ही मन्जूर कर चुका है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि यह परियोजना सरकार के पास लम्बित पड़ी है और यदि हां तो, इस परियोजना को मन्जूरी प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री के० आर० नारायणन : पालघाट के लिए एक विस्तार परियोजना का प्रस्ताव है। इसका नाम डिजिटल ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज है। इस प्रस्ताव के अनुमान संशोधित किए जा चुके हैं और इसे मंत्रिमण्डल के पास अनुमोदनार्थ भेजा जाने वाला है।

अस्पृश्यता सम्बन्धी मामले

*887. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश के कुछ भागों में अस्पृश्यता सम्बन्धी मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

अस्पृश्यता के सम्बन्ध में व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतों का स्वरूप एक-दूसरे मामले से अलग-अलग होता है। इनमें मन्दिरों में प्रवेश पर प्रतिवन्ध सम्वन्धी आरोप, पेयजल साधनों, चाय की दुकानों, सार्वजनिक श्मसान/कब्रिस्तान पर जाने की मनाही और नाइयों और धोबियों की सेवाओं आदि की मनाही भी शामिल है।

इन शिकायतों को सम्बन्धित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के साथ आवश्यक उपचारी कार्यवाही के लिए भेजा जाता है।

इस प्रकार एसी घटनाओं पर नियन्त्रण लगाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये हैं कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबन्धों का कारगर ढंग से कार्यान्वियन करें। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल है :—

—अधिनियम के उपबन्धों का उलंघन करने के लिए मुकद्मा चलाने या निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति।

—अस्पृश्यता अपराधों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना।

—अधिनियम की कार्यान्विति की समीक्षा समय-समय पर करने के लिए उपयुक्त स्तरों पर राज्य सरकारों द्वारा समितियों का गठन।

—अस्पृश्यता के पीड़ितों को कानूनी सहायता देने की व्यवस्था।

—फिल्मों/वृत्त चित्रों, सेमिनारों के द्वारा जन संचार माध्यमों की गहन गतिशीलता।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्विति के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : माननीय मन्त्री जी ने, मेरे प्रश्न के भाग 'ग' के उत्तर में बताया है :

"ऐसी घटनाओं पर नियन्त्रण लगाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबन्धों का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करें।

एक उपाय है :

"अस्पृश्यता अपराधों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना;"

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश भर में और विशेषतः उड़ीसा में कितने विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं और कितने मामले दर्ज किए गए हैं। कितने मामलों में दोष सिद्द हुए हैं और दोषी व्यक्तियों को कितनी सजा दी गई है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सभी राज्यों में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ब्यौरा इस प्रकार है : आंध्र प्रदेश 11; बिहार 4; कर्नाटक 3; राजस्थान 8; मध्य प्रदेश 9; तमिल नाडु 4। कुल संख्या = 38, वर्ष 1885 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन 3329 मामले दर्ज किए गए और 2391 मामले न्यायालयों में भेजे गए जिनमें से केवल 265 व्यक्तियों पर दोष सिद्द हुए। वर्ष 1986 में 3709 मामले दर्ज किए गए, 2329 मामले न्यायालय में भेजे गये तथा 457 व्यक्तियों पर दोष सिद्द हुए। सरकार इस मद पर प्रत्येक योजना अवधि में खर्च कर रही है। इस वर्ष हम एक करोड़ रुपये प्रदान कर रहे हैं हम राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं ताकि इस अधिनियम को शीघ्रता से लागू किया जा सके।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : मेरे प्रश्न का भाग (क) यह था;

"क्या केन्द्रीय सरकार को देश के कुछ भागों में अस्पृश्यता सम्बन्धी मामलों की जानकारी मिली हैं?

उत्तर है :

"अस्पृश्यता के सम्बन्ध में व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त होती हैं……"

मैं नहीं जानता कि क्या किसी संगठन ने कोई शिकायत भेजी है या नहीं। परन्तु अस्पृश्यता के विषय में संसद में काफी चर्चा हो रही है।

आपको मालूम है कि पुरी के शंकराचार्य जैसे व्यक्ति ने मन्दिरों में हरिजनों के प्रवेश पर बहुत गलत टिप्पणी की है। आपको यह भी मालूम है कि देश भर में इसकी प्रतिक्रिया हुई थी। मैं नहीं जानता कि क्या बाद में प्रेस के सामने उन्होंने ऐसी टिप्पणी के लिए मना किया था। परन्तु जब प्रेस में यह बात आ रही है तो देश भर के हरिजनों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने वही टिप्पणी की थी जो प्रेस में छपी है और क्या ऐसे लेख प्रकाशित किये जाने पर रोक लगाई जा सकती है बशर्ते वे सच्चे न हों, क्योंकि इसका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

कल एक खबर छपी है कि उड़ीसा में कुछ लोग जाति के आधार पर चुनाव लड़ने के लिये खानदायत क्षेत्रीय पार्टी बना रहे हैं। उड़ीसा में पहले ऐसा नहीं होता था। परन्तु अचानक ही मैंने समाचारपत्रों में देखा कि उड़ीसा के लोग वहां एक नई पार्टी बना रहे हैं और वे जातिगत आधार पर चुनाव लड़ेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या वह ऐसी पार्टी पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी क्योंकि इसका देश भर में बुरा प्रभाव पड़ेगा।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जहां तक श्री शंकराचार्य के कथन का सम्बन्ध है, जैसा कि सभा को मालूम है, जब उन्होंने कुछ कहा था तो सभा में उसे गम्भीरता से लिया और सभी संगठनों ने निन्दा भी की। समाचारपत्रों में यह खबर छपी कि बाद में वह अपने कथन से मुकर गये। उसके बाद मैंने श्री शंकराचार्य का कोई वक्तव्य नहीं देखा। एक ही बार पढ़ा था। उनके विरुद्ध दो मामले लम्बित हैं और जांच चल रही है। अब वह कहते हैं कि उन्होंने उस तरह नहीं कहा था। परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा, हम और समूचा राष्ट्र उनसे सहमत नहीं है। नागरिक

अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा संविधान भी बिल्कुल स्पष्ट है। मैं पहले ही कह चुकी हूं और मैं इस बात को दोहराती हूं कि इस देश का संचालन श्री शंकराचार्य अथवा किसी अन्य गुरु के आदेशों से नहीं बल्कि संविधान के अनुसार होता है और हमारा संविधान सर्वोच्च है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में किसी भी जाति को इस प्रकार पार्टी बनाकर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। निर्वाचन सम्बन्धी कानून यह सुनिश्चित करेगा।

श्री अनंत प्रसाद सेठी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा में जाति के आधार पर गठित पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : यह मामला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन आता है और निर्वाचन सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत भी इस विषय में कार्यवाही की जायगी।

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें निर्वाचन कानून कहां से मार्ग में आयेगा क्योंकि श्री शंकराचार्य तो कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : ये दो अलग मुद्दे हैं। वह उड़ीसा में गठित किसी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। समाचार पत्रों में इस बारे में छपा है और मैंने भी पढ़ा है। निर्वाचन आयोग द्वारा और देश के अन्य कानूनों के तहत इस मामले में कार्यवाही की जायेगी।

श्री शांताराम नायक : सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद, अस्पृश्यता की घटनाएं कुछ स्थानों पर हो रही हैं। अब हम देश भर में पंचायत प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसाकि मुझे मालूम है, कि अधिकांश राज्यों के कानूनों मंडलों या ग्राम पंचायतों में, जहां सदस्य की अर्हताएं या निरर्हता के कारण निर्धारित हैं, उनमें इस आशय का कोई उपबन्ध नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता अधिनियम के अधीन दोषी पाया जाता है तो उसे सदस्यता से निरंह कर दिया जाएगा। पंचायतों पर लागू होने वाले अधिकांश विधान में ऐसा उपबन्ध नहीं है। अतः मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों और स्थानीय स्वतशासी निकायों को अस्पृश्यया निवारण हेतु, अपने-अपने विधान में ऐसा उपबन्ध करने का सुझाव देने का है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और हम राज्य सरकारों को इसकी सिफारिश करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इनके कथन के विपरीत, हमारे देश में जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। कुछ समय पूर्व, मैंने सभा में एक ज्वलंत घटना का जिक्र किया था। आपने भी उससे सहानुभूति व्यक्त की थी। यह मामला बोट क्लब पर चल रहे एक व्यक्ति के संघर्ष से सम्बन्धित है। श्री खिलानन्द झा बिहार सरकार का एक कर्मचारी था। वह एक ब्राह्मण है। उसने अनुसूचित जाति की एक लड़की से विवाह किया जिसके कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एक वर्ष से अधिक समय से वह बोट क्लब पर धरना दे रहा है। इसी दौरान पुलिस दो बार उसके साथ मारपीट कर चुकी है। खिलानन्द झा बोट क्लब पर धरना दे रहा है। मैंने दो बार प्रधानमंत्री को भी लिखा है। मैं इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत की है कि क्या वे उसे नौकरी दे सकते है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे नौकरी दे सकते हैं। मैं उसे पश्चिम बंगाल नहीं भेजना चाहता। मैं

पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमन्त्री अब एक ऐसे व्यक्ति के दुख को समझेंगे, जो अकेला एक विशेष संघर्ष कर रहा है, और उसे सरकारी नौकरी दिलाने तथा उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ करेंगे ? मैं दो बार प्रधान मन्त्री जी को लिख चुका हूँ। उसे अपनी नौकरी से इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसने अनुसूचित जाति की एक लड़की से विवाह किया था। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते है परन्तु मुझे वर्तमान स्थिति से बहुत दुख है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : उनका कहना सही नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या सही नहीं है ? हमने प्रधान मन्त्री जी को पत्र लिखे है। क्या सही नहीं है ? एक वर्ष से अधिक समय से यह चल रहा है। **(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : माननीय सदस्य महोदय ने यह मामला सभा में उठाया था। आपके निदेशानुसार, हमने रिपोर्ट मंगाई है, क्योंकि कहानी यह है कि उन्हें भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से निकाला गया था, न कि इसलिए कि वह ·· **(व्यवधान)** हमें इस मामले की तह तक जाना चाहिए। यदि कोई अन्याय किया जाता है तो निश्चित रूप से न्याय किया जाएगा **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बिहार में मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि उन्हें वापिस बिहार बुला लिया जाएगा। वह काम नहीं दिया गया। **(व्यवधान)**

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : इस समय मेरे पास विशिष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मैं निश्चित रूप से इस मामले की जांच करूंगा। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यदि वह सत्य है तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : जब भी हम प्रधानमन्त्री जी को कोई पत्र लिखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि उस पर क्या एक्शन हुआ। कम से कम एम. पीज. को तो मालूम होना चाहिये कि उनके मामले में क्या कार्यवाही की गयी। आप की रसीद हमें केवल मिलती है, एकनौलेजमैंट कार्ड मिलता है और कुछ नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। डा० जी० विजय रामा राव······ उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप जंग मत करिए, अपना प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : क्या मैं पिछले प्रश्न के एक भाग का उत्तर दे सकता हूँ ? मुझे अभी अभी एक नोट दिया गया है, जिसकी पुष्टि की जानी है कि, अधिकारी को राहत दी गई थी। उन्हें बिहार में काम दिया गया था, पर वे बिहार में काम नहीं चाहते; वे केन्द्र में काम चाहते हैं। हम इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बिहार के तत्कालीन मुख्यमन्त्री द्वारा आश्वासन दिया गया था। वे वापिस बिहार गए। किन्तु उन्हें काम नहीं दिया गया; इसके बजाए उन्हें परेशान किया गया। (**व्यवधान**) उनकी पत्नी को जला दिया गया। कुछ अन्य मामले मैं उठाना नहीं चाहता। वे जब नौकरी के लिए गए तो उनकी पत्नी को जला दिया गया। यह एक मानवीय प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वे इसकी जांच करेंगे।

वारंगल में प्रोपेलेंट फैक्टरी

*889. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वारंगल, आंध्र प्रदेश में प्रोपेलेंट फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लम्बित पड़ा है और इसे स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) देश में प्रणोदी (प्रोपलेंट) निर्माणी की स्थापना के लिए प्रस्ताव के सम्बन्ध में मार्च, 1986 में गठित "स्थान चयन समिति" ने आंध्र प्रदेश में वारंगल सहित विभिन्न स्थानों का मूल्यांकन किया है। नई प्रणोदी (प्रोपलेंट) निर्माणी की स्थापना के लिए सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) अन्तिम निर्णय तब तक लिया जाएगा, तह बताना कठिन है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जान सकता हूं कि हमारे यहां कोच फैक्टरी के लिये उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी लगाई· उसका क्या हुआ, पता नहीं - इसके लिये आप ने साइट सलैक्शन कमेटी कांस्टीट्यूट की तो मैं यह जानना चाहता हूं कि साइट सलैक्शन कमेटी किस किस जगह गई और किनकिन का उसने इंस्पैक्शन किया और वारंगल के बारे में क्या कहा। स्टेट गवर्नमैंट को, राज्य सरकार से आपने इलैक्ट्रसिटी, जमीन और पानी मुफ्त मांगने के लिये कहा, तो हमारी स्टेट गवर्नमैंट की और से आप को आश्वासन भी दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि साईट सलैक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन्न क्या हैं और किस जगह आप करने वाले हैं।

दूसरे आप बता रहे हैं

[अनुवाद]

"हम निश्चित समय नहीं बता सकते। क्यों ? आप चुनाव से पहले इसकी घोषणा करेंगे अथवा नहीं।"

[हिन्दी]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमने आन्सर में साफ-साफ बताया है।

[अनुवाद]

अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा, यह बताना कठिन है क्योंकि यह 'विचाराधीन' है।

[हिन्दी]

यह विचाराधीन है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : साइट सलेक्शन कमेटी की क्या रिकमेंडेशन्स हैं ?

[अनुवाद]

प्राथमिकता का क्रम क्या है ?

[हिन्दी]

आपकी साईट सलेक्शन कमेटी ने दौरा किया है पूरे देश में। उसमें वारंगल की क्या पाजीशनहै। वह नम्बर 1 पर है, दो पर है, तीन पर है या लास्ट में है।

श्री चितामणि पाणिग्रही : यह 1, 2, 3 सीरियल का प्रश्न नहीं है। साईट सलेक्शन कमेटी आपके वारंगल भी गई और तीन स्टेट्स में भी गई और उसने सब साईट्स को देखा है। वह कमेटी बैठी है और यह मामला उसके विचाराधीन है।

आठवीं योजना में विलासिता की वस्तुओं का उपयोग कम करना

[अनुवाद]

*893. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विलासिता की वस्तुओं का उपयोग कम करने हेतु आठवीं योजना अवधि में कार्यान्वियन हेतु किन्हीं योजनाओं को तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है और विलासिता की वस्तुओं का उपयोग कम करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख) सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि उपभोग, विशेषकर विलासिता की वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि को नियन्त्रित करके राष्ट्रीय बचत दर में वृद्धि की जाय। आठवीं योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : क्या मैं जान सकता हूं कि व्यर्थ उपभोग एवं विलासिता की वस्तुओं के उपभोग पर रोक लगाने के लिए कोई स्थायी निर्देश दिए गए हैं ताकि बचत दर में वृद्धि की जा सके ?

श्री बीरेन सिंह एंगती : पहली योजना में भी यह नीति अपनाई गई थी। हमने कहा है कि विलासिता की वस्तुओं के उपभोग पर रोक लगाने की सरकार की नीति है। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री ने पहले ही उन विलासिता की वस्तुओं की सूची तैयार कर ली है जिन पर रोक

लगाई जानी हैं। विलासिता की वस्तुओं के उपभोग पर रोक लगाने के सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किंतु जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, मैंने निवेदन किया कि यह विचाराधीन है। यह स्थति है।

श्री उत्तम राठौड़ : क्या मैं जान सकता हूं कि बचत की वर्तमान दर क्या है और अगली योजना के लिए आप कितनी दर की परिकल्पना करते हैं ?

श्री बीरेन सिंह एंगती : बचत की वर्तमान दर 21.6 प्रतिशत है और हम इसे 24.6 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का बन्द होना

+

*895. **श्री चिंतामणि जेना :**
श्री मोहन भाई पटेल : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना सम्बन्धी अपने नीति-पत्र में लगातार घाटे पर चल रहे केन्द्रीय सरकार के लगभग 40 उपक्रमों को आठवीं योजना अवधि के दौरान बन्द करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त एककों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के नीति-पत्र को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चिंतामणि जेना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह था कि क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना के लिए अपने नीति-पत्र में लगातार घाटे पर चल रहे केन्द्रीय सरकार के लगभग 40 उपक्रमों को बन्द करने की सिफारिश की है, और उत्तर है कि नीति-पत्र को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग ने ऐसी सिफारिश की है अथवा नहीं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन उपक्रमों को बन्द किए जाने के बारे में सरकार की क्या राय है ?

श्री बीरेन सिंह एंगती : जैसा कि मैंने कहा, इन रुग्ण एककों को बन्द करने के लिए योजना आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या हमने इन उपक्रमों को बन्द करने के लिए सिफारिश की है और मैंने कहा है कि नीति पत्र को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। योजना आयोग ने कर्णधार दल, कार्यकारी दल तथा उप दल नियुक्त किए हैं। इन दलों द्वारा अभी अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जाना है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात इस पर पूरे योजना आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। तत्पश्चात राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जैसा कि मैंने कहा इस समय योजना आयोग द्वारा रुग्ण एककों को बंद करने के बारे में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया गया है।

श्री चिंतामणि जेना : क्या मैं मन्त्रीजी से जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय एकक भारी घाटे में चल रहे हैं ? यदि हां, तो उपचारात्मक उपाय करने अर्थात उनके आधुनिकीकरण अथवा अन्य उपायों के बारे में योजना मन्त्रालय का क्या विचार है ?

श्री बीरेन सिंह एंगती : जैसाकि मैंने कहा है, हम जानते हैं कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो घाटे में चल रहे हैं । किन्तु जहां तक उन्हें बन्द करने का सम्बन्ध है, ये अभी योजना आयोग के विचाराधीन हैं और उन पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया । किन्तु साथ ही साथ सरकार ने रुग्ण एककों कीं स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं जैसेकि उनके प्रबन्धन को मजबूत करना, संगठात्मक पुनर्गठन, वित्तीय पुनर्गठन, संयन्त्र एवं उपस्करों का आधुनिकीकरण, 'प्रोसेस' प्रोद्योगिकी, विस्तार एवं विवधीकरण, अतिरिक्त श्रमिकों की स्वैच्छिक सेवानिवृति आदि । रुग्ण एककों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार के कुछ उपाय किए गए हैं ।

संवर्ग में परिवर्तन के लिए अनुरोध

*898. **श्री दौलतसिंह जी जदेजा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्ग में परिवर्तन करने के लिए महिला अधिकारियों से प्राप्त अनुरोधों को स्वीकार करती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) संवर्ग परिवर्तन की अनुमति तब दी जाती है जब **अखिल** भारतीय सेवा के भिन्न संवर्गों के दो सदस्य आपस में विवाह कर लेते हैं ।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : महोदय, मेरे विचार में हमारी नीति ऐसी रही है कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अधिक महिलाओं को अवसर मिले । आई. ए. एस. अथवा केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत कुछ महिलाओं ने राज्य सरकारों के माध्यम से संवर्ग बदलने के लिए अनुरोध किया है परन्तु राज्य सरकारो ने इन अनुरोधों को भेजने से इन्कार कर दिया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सही है, और यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों को ऐसे अधिकारियों द्वारा किए गए अनुरोध भेजने के लिए कहेगी ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें एक महिला आई. ए. एस. अधिकारी द्वारा अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी के साथ विवाह के आधार पर संवर्ग में परिवर्तन के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को राज्य सरकार ने आगे भेजा हो । किन्तु यदि इस नीति के बाहर संवर्ग में परिवर्तन के लिए आवेदन किया गया हो तो राज्य सरकार उस आवेदन को न भेजने के मामले में बिल्कुल सही है क्योंकि यदि हम उसे प्राप्त भी करते हैं तो हम भी उसे अस्वीकार ही करेंगे , विवाह के आधार पर राज्य सरकार आवेदन भेजती है और हम उस पर विचार करते हैं ।

श्री दौलतसिंह जदेजा : महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि एक आई. ए. एस. अधिकारी केवल दूसरे आई.ए.एस. अधिकारी से ही विवाह करे। क्या इसका मतलब यह है कि हम देश में एक और जाति प्रथा का सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं ? हम महिला आई. ए. एस. अधिकारियों पर उन व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रतिबन्ध क्यों लगा रहे हैं जो आई. ए. एस. अधिकारी नहीं हैं ? क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे यह उतना स्पष्ट नहीं जितना कि श्री जदेजा को। हमारा निश्चित रूप से किसी महिला को यह बताने का कोई इरादा नहीं कि वह किससे विवाह करे और किससे न करे। बात यह है कि हमारी संवर्ग आवंटन की एक नीति है। यह एक अखिल भारतीय सेवा है और मेरे पास इन्दिराजी का लिखा हुआ एक कार्यवाही सारांश है कि "हम सेवा का प्रान्तीयकरण नहीं कर सकते हम इसे राज्य सेवा नहीं बना सकते।" किसी महिला अथवा पुरुष को जब एक संवर्ग दिया जाता है तो उन्हें भारत में कहीं भी सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत में प्रत्येक राज्य बराबर है और सभी राज्यों को इन अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है।

प्रो० मधु दण्डवते : गृह कार्यों सहित।

श्री पी० चिदम्बरम : प्रत्येक स्थान पर। जब किसी महिला अथवा पुरुष को एक संवर्ग दिया जाता है तो उन्हें उस संवर्ग में काम करना चाहिए। वहरहाल, जब अखिल भारतीय सेवा की एक महिला और एक पुरुष आपस में विवाह कर लेते हैं तो हम सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें एक संवर्ग में रखा जाए ताकि वे अधिकांश समय एक ही स्थान पर काम कर सकें। हम निश्चित रूप से एक आई. ए. एस. अधिकारी को केवल आई. ए. एस. अधिकारी से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते किन्तु मैं स्वीकार करता हूँ कि मसूरी में बहुत प्रणय निवेदन होते हैं।

श्रीमती गीता मुकर्जी : इस प्रश्न के दो पहलु हैं। एक महिलाओं के हितों से सम्बन्धित है तथा दूसरा अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित है। मैं पहली बात ले रही हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या मन्त्रालय कभी यह जांच करता है कि विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न शाखाओं को जारी किए जाने वाले विभिन्न परिपत्रों पर किस प्रकार अमल किया जाता है। मेरा अनुभव यह है कि इनमें से अधिकांश पर बिल्कुल ध्यान नही दिया जाता। अतः यह केवल आई. ए. एस. अधिकारियों का प्रश्न नहीं बल्कि यह विभिन्न परिपत्रों से भी सम्बन्धित है। मैं जानना चाहतीं हूँ कि क्या मन्त्री महोदय इस पर निगरानी रखेंगे और हमें बतायेंगे कि इन परिपत्रों का कहां तक पालन किया जाता है, विशेषकर उस परिपत्र का जो पति-पत्नी को एक ही संवर्ग देने के बारे में है।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, मैं माननीय सदस्या के साथ इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। हमारा भी वही अनुभव है जो उनका बंगाल के साथ है।

श्रीमती गीता मुकर्जी : महोदय, मेरा अनुभव तो केवल बंगाल का है, परन्तु क्योंकि प्रधान मन्त्री यहां उपस्थित हैं और वह सम्पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, में आशा करती हूं कि वह वही करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, हमारी सरकार द्वारा उठाये गये बड़े कदमों में से एक, जिस पर हमारी सरकार को गर्व है, वह परिपत्र है जो 1986 में जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया है कि जहां तक संभव हो पति और पत्नी की नियुक्ति एक ही स्थान पर होनी चाहिए मुझे ऐसे सैंकड़ों मामलों की जानकारी है जिसमें पति और पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्त किया गया है। मेरे पास फाइलें हैं और मैं वह श्रीमती मुखर्जी को दिखा सकता हूं। यदि उनके पास कोई ऐसा मामला है जिसमें सरकार या विभाग ने कार्यवाही नहीं की है तो वह मुझे बतायें। बहुत से माननीय सदस्य मेरी जानकारी में कुछ मामले लाये हैं और मैंने उन्हें हल किया है। सैंकड़ों पति-पत्नियों को एक ही स्थान पर नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : और सदस्यगण भी खुश हैं।

पंजाब में जन-सम्पर्क कार्यक्रम

*900 **श्री शरद दिघे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सुरक्षा बलों पे ग्रामीण जनता की भावनाओं को जो ठेंस पहुँची थी उसके लिए उन्हें सांत्वना देने हेतु जन-सम्पर्क कार्यक्रम प्रारम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) (क) और (ख) : पंजाब में सुरक्षा बलों ने अमृतसर, संगरूर और फरीदकोट जिले की ग्रामीण जनता को चिकित्सा सहायता प्रदान की जो अन्यथा राज्य में पी. सी. एम. एस. श्रेणी-II के डाक्टरों की हड़ताल के कारण उन्हें उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने अमृतसर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्कलों के लिए खेल का सामान भी उपलब्ध कराया।

सुरक्षा बलों के इस कार्य का राज्य के लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा।

श्री शरद दिघे : महोदय, मैं पंजाब में सुरक्षा बलों द्वारा उठाए गए कदमों,अर्थात, ग्रामीण जनता की आदत भावनाओं को सान्वना देने के लिए जन-संपर्क कार्यक्रम आरम्भ किये जाने का स्वागत करता हूं।

इसलिए, मन्त्री महोदय यदि दे सकें, तो मैं उनसे यह जाना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांवों को चिकित्सा सहायता दी गई, कितने गांवों को खेलों का सामान दिया गया और अब तक इस कार्यक्रम पर कितनी राशि व्यय की गई।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे इतनी सारी जानकारी देने में कुछ कठिनाई है क्योंकि यह सुविधायें कुछ क्षेत्रों में छान बीन अभियान के पश्चात दी गई। यह अभियान मार्च और अप्रैल के महीनों में एक नियन्त्रण अभियान के रूप में किया गया। हमने पंजाब के कुछ क्षेत्रों में 439 गांवों को इसके अन्तर्गत लिया। इस अभियान के पश्चात अर्द्ध-सेना बलों के चिकित्सकों ने गावों के लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी और जिन स्कूलों के पास खेलों का सामान नहीं था उन्हें खेलों का सामान दिया गया।

मैं माननीय महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे सहयोग दें और छान-बीन अभियानों के बारे में अधिक ब्यौरा न मांगें क्योंकि यदि मैं गावों का ब्यौरा देता हूँ तो मुझे छान-बीन अभियान के बारे में भी ब्यौरा देना पड़ेगा।

श्री शरद दिघे : क्या मैं आपसे यह जान सकता हूं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा ? आपने कहा है कि सुरक्षा बलों के इस कार्य का राज्य के लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा।

मैं इस प्रभाव के बारे में कुछ ब्यौरा जानना चाहता हूँ और क्या सरकार इस योजना को जारी रखेगी।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, इसका दो तरह से अच्छा प्रभाव पड़ा है। पहले तो यह कि मार्च और अप्रैल के महीनों में किये गये इन नियन्त्रित छान-बीन अभियानों, जो भविष्य में फिर भी किये जा सकते हैं, के लिये गाँव वालों का बहुत सहयोग मिला। पूलिस को फार्म हाउसों और संदिग्ध स्थानों की तलाश के लिए बहुत सहयोग मिला।

इसका एक और अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि इन छानबीन अभियानों में पुलिस भी ज्यादती की एक भी शिकायत नही मिली क्योंकि हमने इन अभियानों में लोगों को भी शामिल किया है।

मैं कहूँगा कि इन अभियानों के यह दो अच्छे परिणाम हैं।

मास रेप आफ ट्राइबल विमैन इन जहानाबाद शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[हिन्दी]

*902. **श्री दिनेश गोस्वामी :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1989 के इण्डियन एक्सप्रेस में "मास रेप आफ ट्राइबल विमैन इन जहानाबाद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा इन मामलों में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार को समाचार की जानकारी है।

(ख) अपराध को दर्ज करना, जांच-पड़ताल करना, पता लगाना तथा उसकी रोकथाम करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने एक मामला दर्ज किया और जांच-पड़ताल आरम्भ करदी है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, जनजातीय लोगों के *शोषण और आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के समाचार अखबारों में नियमित रूप से छपते रहते हैं।*

मेरे विचार से यह बात स्वीकार करनी होगी कि बहुत से मामलें, बहुत से कारणों से समाचार पत्रों में नहीं छप पाते। वास्तव में एक समाचार जो **इण्डियन एक्सप्रेस** में प्रकाशित हुआ उसमें जनजातीय महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के तीन मामलों का जिक्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन ने यह बात स्वीकार की है क्योंकि इन महिलाओं को 2000 रुपए और कुछ साड़ियां दी गई :

अब मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि एक मामला दर्ज किया गया है किन्तु समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यदि किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है तो यह अर्थहीन है क्योंकि आखिरकार अन्तिम रिपोर्ट दी जाएगी।

समाचार पत्र में यह भी बताया गया है कि "राज्य के उप महानिरीक्षक से इन छापों पर निगरानी रखने और इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया था ताकि सी० आई० डी० के एक दल द्वारा जांच की जा सके।"

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई जानकारी है या उप महानिरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दे दी है या राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सी० आई० डी० की सहायता मांगी है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह प्रश्न गृह मंत्रालय को 4 मई को अन्तरित किया गया था और हमने राज्य सरकार को अधिक जानकारी भिजवाने के लिए तुरन्त एक तार भेजा। किन्तु मेरे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 और 376 के अन्तर्गत पी० एस० मामला संख्या 97 के द्वारा 1 अप्रैल, 1989 को एक मामला दर्ज किया गया है।

फागू गोप और बंसी यादव नामक दो अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस हिरासत में रखे गए हैं। जिन महिलाओं के साथ कथित बलात्कार किया गया उन्हें डाक्टरी जांच के लिए सब-डिविजनल अस्पताल भेजा गया। उन में से प्रत्येक को 2000 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। मुझे अपने बेतार सन्देश का उत्तर प्राप्त होने की आशा है। यह मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ज्यों ही मुझे अधिक जानकारी प्राप्त होती है, मैं इसे श्री गोस्वामी को भेज दूंगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या यह बात सही है कि जाँच या रिपोर्ट दर्ज करने या गिरफ्तार करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार को है; किन्तु एक ऐसे मामले में जहाँ जनजातीय महिलाओं का शोषण और बलात्कार हुआ हो, भारत सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है क्योंकि जनजातीय महिलाओं की रक्षा की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ यह मामला उठाया है। किन्तु इस तथ्य के अलावा कि आम जांच की जाती है, इस प्रकार की घटनाओं को दबाने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है; और भारत सरकार इस मामले में कितनी तेजी से काम कर रही है ?

श्री पी० चिदम्बरम : हमारी नीति स्पष्ट है। हमने यह बात बिल्कुल स्पष्ट की हुई है कि राज्य सरकारों को इस प्रकार के अपराधी पकड़ने, उन्हें सजा देने, जनजातीय तथा अन्य निराश्रय लोगों को संरक्षण प्रदान करने में जरा भी ढील नहीं करनी चाहिए। मेरे पास जितनी जानकारी थी वह मैंने दे दी है। मैंने राज्य सरकार को एक टेलेक्स भेजा है। मुझे आशा है कि पिछले तीन सप्ताह में कुछ प्रगति हुई होगी। यदि इस मामले की जाँच में कोई प्रगति हुई होगी तो मैं आपको बताउँगा। यदि कोई प्रगति नहीं होगी तो मैं निसन्देह राज्य सरकार के साथ बात चीत करूँगा कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए तथा जनजातीय महिलाओं और निराश्रय लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामूवालिया उपस्थित नहीं हैं। अब श्री भद्रेश्वर तांती बोलेंगे।

श्री भद्रेश्वर तांती : जहाँ तक महिलाओं पर अत्याचारों का सम्बन्ध है बहुत सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। बहुत से मामलों में गरीब और निर्दोष युवा महिलाएँ, तथा वृद्ध पुरुष और महिलाएँ अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों के हाथों शिकार होती हैं। ऐसी घटनाएँ केवल जहांनाबाद में ही नहीं वरन देश के अन्य भागों में भी होती हैं। हाल ही में बिहार में एक ईंटों के भट्टे में, अपराधियों द्वारा छः आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया।

यदि आप अखबार देखें तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार घटनाएं हर रोज हो रही है किन्तु इसका कोई उपचार नहीं है। वेशक कानून है आपराधिक मामलों के लिए अदालतें भी हैं। किन्तु यह कानून और कुछ नहीं केवल कागज के टुकड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास इस प्रकार के कानूनों-विशेषकर जो महिलाओं पर बलात्कार से संबंधित है—को लागू करने के कोई विशेष प्रस्ताव है ताकि देश में पीड़ित लोगों तथा विशेषकर महिलाओं की रक्षा की जा सके।

श्री पी० चिदम्बरम : इसके लिए कानून हैं। यह राज्य का विषय है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि हमें इसे केन्द्रीय विषय में शामिल करना चाहिए। यह राज्य का विषय है। राज्य सरकारों को यह कानून लागू करने हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 903 : श्री महन्ती यहाँ उपस्थित नहीं है। प्रश्न सूची समाप्त हो गई है। मैं यह फिर से दोहराता हूँ।

श्री मुहीराम सैकिया; श्री जगन्नाथ पटनायक और श्री भारद्वाज; श्रीकृष्णा अय्यर; श्री अनूपचन्द शाह और; श्री मण्डल; श्री अनन्त प्रसाद सेठी; डा० विजय रामाराव; श्री वृद्धिचन्द्र जैन; डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी और डा० प्रभात कुमार मिश्र; श्री आनन्द सिंह; डा० दत्ता सामन्त; श्री गुरडड्डी और श्री सिदनाल; और श्री विजय एम० पाटिल; श्रीमती जयन्ती पटनायक; श्री कमलाप्रसाद सिंह; यह सभी सदस्य उपस्थित नहीं है।

अब प्रश्न संख्या 903 :

श्री बृजमोहन महन्ती भी यहाँ उपस्थित नहीं है।

प्रश्न सूची समाप्त हुई

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त सलाहकार तंत्र) में कर्मचारी पक्ष की सीटों का विभिन्न एसोसिएशनों को आबंटन

[अनुवाद]

*882. **श्री मुहीराम सैकिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त सलाहकार तंत्र) में प्रतिनिधित्व के लिए मान्यता प्राप्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न एसोसियेशनों को कर्मचारी पक्ष की सीटों के आबंटन का मानदण्ड क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त सलाहकार तंत्र) के वर्तमान सदस्यों का अद्यतन व्यौरा क्या है।

कार्मिक. लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय परिषद् में कर्मचारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 60 होती है जिन्हें विभिन्न भागों के मान्यता प्राप्त संघों/यूनियनों द्वारा नामित किया जाता है। 1966 में जब संयुक्त परामर्शदाता तंत्र (जे. सी. एम.) की योजना को लागू किया गया था तो मोटे तौर पर उस समय पात्र कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये स्थानों के वितरण के बारे में सभी भाग लेने वाले संघों/यूनियनों/एसोसिएशनों ने सहमति व्यक्त की थी तथा उसे अपनाया गया था।

(ख) इस समय सरकारी पक्ष में विभिन्न विभागों/मन्त्रालयों के 25 वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी पक्ष में कर्मचारियों के 49 प्रतिनिधि हैं। मन्त्रिमण्डल के सचिव राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं।

पर्यटकों द्वारा जम्मू तथा कश्मीर का भ्रमण

*883. **श्री जगन्नाथ पटनायक** :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि कश्मीर घाटी में हाल की अशांत स्थिति के कारण इस गर्मी के मौसम के दौरान इस घाटी में पर्यटकों की संख्या में कोई कमी न आये;

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विदेशों में कोई प्रचार अभियान आरम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस मौसम के दौरान पर्यटकों को कोई विवेष सुविधायें देने अथवा टैरिफ में रियायतें देने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भावी पर्यटकों को आश्वासन देने के दृष्टिकोण से कि कश्मीर घाटी शांतिपूर्ण है, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने जम्मू कश्मीर सरकार और एयरइण्डिया के सहयोग से बहुत से उपाय किये हैं। इन उपायों में स्वदेशी मार्किटों में लगातार पुनर्आश्वासन अभियान, विदेशी मार्किटों में प्रमुख अभियान, विशेष संवर्धनात्मक सेमिनार, यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा प्रचालकों तथा मीडिया की कश्मीर में प्रयोजित यात्रा, आदि शामिल है।

(घ) जी, हां।

मैसूर में रोबोट संबंधी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना

*884. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर विकास प्राधिकरण ने मैसूर में रोबोट सम्बन्धी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना हेतु भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के जिए कुल कितनी भूमि मांगी गई थी और कितनी भूमि वास्तव में आबंटित की गई;

(ग) उक्त प्रयोगशाला कब स्थापित की जायेगी; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण आर्टीफीशियल इंटेलीजेन्स और रोबोटिक्स केन्द्र के लिये भूमि आबंटित करने के लिये सहमत हो गया है बशर्ते राज्य सरकार इसे मंजूर कर दे।

(ख) रक्षा मन्त्रालय ने लगभग 10.0 एकड़ भूमि आबंटित करने के लिये अनुरोध किया था किन्तु मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण अब केवल 75 एकड़ भूमि आबंटित करने के लिये सहमत हुआ है।

(ग) इस केन्द्र का मुख्यभाग बंगलौर स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के परिसर में अस्थाई आवास में महले से ही कार्य कर रहा है।

(घ) भूमि के अधिग्रहण और निर्माण-कार्यो के लिये 1989-90 के चालू वित्त वर्ष में लगभग 100 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के खातों को सीलबन्द करना

*885. **श्री अनूपचन्द शाह** :
श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित दिल्ली के तीन होटलों द्वारा दिल्ली नगर निगम को जारी किये गये चैकों का भुगतान न होने के कारण उनके खाते सीलबन्द कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक होटल की ओर सम्पत्ति कर के रूप में कितनी धन राशि बकाया है तथा यह किस अवधि के लिए देय है;

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा ऐसे चैक जारी करने के क्या कारण है; और

(घ) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) भारत पर्यटन विकास निगम अथवा इसके किसी होटल द्वारा जारी किए गए किसी भी चैक को भुगतान किये बिना लौटाया नहीं गया है। अतः इस कारण से भारत पर्यटन विकास निगम और इसके होटलों के खाते सीलबन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मार्च 1989 में दिल्ली नगर निगम ने भारत पर्यटन विकास निगम के निम्नलिखित तीन होटलों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिये दिनांक 13-3-1989 के बिल भिजवाए थे, जिनकी राशि उनके नाम के सामने दी गई है, तथा यह अपेक्षा की गई थी, कि अधिकतम 28-3-1989 तक उनका भुगतान कर दिया जाए/उनकी मांग/निर्धारण के बारे में आपत्ति दायर कर दी जाए :—

होटल का नाम	मांगी गई राशि
1. लोधी होटल	11.52 लाख रुपये
2. रणजीत होटल	9·34 लाख रुपये
3. कुतब होटल	29·31 लाख रुपये
जोड़	50·17 लाख रुपये

भारत पर्यटन विकास निगम ने दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई मांग/निर्धारण पर अपनी आपत्ति निर्धारित तारीख अर्थात् 28-3-1989 तक दायर कर दी थी। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने भारत पर्यटन विकास निगम के तीन होटलों के बैंक खाते फ्रीज़ करने के लिये जब्ती वारंट जारी कर दिये जो 3-4-1989 को मिले थे। इस मामले को सुलझाने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक के लिए सेवा प्रभार के रूप में दिल्ली नगर निगम को 7.80 लाख रुपये का भुगतान किया है जबकि उन्होंने सम्पत्ति कर के रूप में 50.17 लाख रु० की मांग की थी। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी जब्ती वारन्ट 12-4-1989 को वापिस ले लिया गया है।

करों और अन्य बिलों का बैंकों के माध्यम से भुगतान

***888 डा० जी० विजय रामाराव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागरिकों से सभी प्रकार के करों और अन्य बिलों तथा पानी और बिजली के प्रभार, गृह कर, सड़क कर, और बीमा प्रीमियम आदि की वसूली के लिए समूचे देश में संयुक्त एकीकृत और कम्प्यूटरीकृत वसूली केन्द्र खोलने का विचार है ताकि उक्त करों की वसूली सुगम हो सके और जनता को परेशानियों से बचाया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अपने राजस्व में वृद्धि करने और जनता की सहायता के लिए देश में सभी बैंकों में इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस प्रकार की व्यवस्था को कार्यान्वित करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं ।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्व-रोजगार में वृद्धि

890. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वियन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन से स्वरोजगार क्षेत्र में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो बीस सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किये जाने के बाद से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो कि बींस सूत्री कार्यक्रम का अंग है; का उद्देश्य स्वरोजगार मुहैय्या कराना है । वर्ष 1982-83 से 1988-89 तक के लिये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र नीचे दिया गया है :—

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या)
(इकाई हजार संख्या में)

वर्ष	गुजरात		उत्तर प्रदेश		राजस्थान	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1982-83	130	174	526	555	139	183
1983-84	130	184	532	643	142	165
1984-85	130	172	532	695	142	159
1985-86	94	101	543	581	83	141
1986-87	123	148	632	666	156	164
1987-88	150	154	766	794	198	214
1988-89	114	131	611	688	150	191

एयर इण्डिया के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*891 **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**

डा० प्रभात कुमार मिश्र : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर काम करने वाले एयर इण्डिया के कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें उन पर यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने, सामान की ढुलाई में कदाचार करने और ऐसा आचरण करने का आरोप लगाया गया है जिसकी एक राष्ट्रीय विमान कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों से अपेक्षा नहीं की जा सकती; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) गत छः महीनों के दौरान इन्दिरा गाँधी अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली, पर काम करने वाले एयर इण्डिया के कर्मचारियों के विरुद्ध 17 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें दुर्व्यवहार, सामान की ढुलाई में कदाचार आदि के आरोप लगाये गये थे। प्राप्त की गई शिकायतों की एक सूची को दर्शाने वाला विवरण और उन पर की गई कार्रवाई संलग्न है।

विवरण

यात्री का नाम	शिकायत की किस्म	की गई कार्रवाई
1. श्री विश्वनाथन	बोर्डिंग कार्ड को पुनः प्राप्ति	स्पष्टीकरण मांगा गया है।
2. श्री ए० जोगी	टेलीफोन उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी हालांकि एयर इण्डिया का कर्मचारी उपस्थित था।	उपस्थित कर्मचारी को उचित रूप से चेतावनी दे दी गई है।
3. श्री गुलाटी	कर्मचारी का अभद्र व्यवहार।	संबंधित कर्मचारी को उचित रूप से चेतावनी दे दी गई है।
4. सुश्री स्विटर और सुश्री ग्रीन्स	कथित दुर्व्यवहार	संबंधित कर्मचारी को उचित रूप से चेतावनी दे दी गई है।
5. डा चन्द्रशेखर त्रिपाठी, संसद सदस्य और प्रभात कुमार मिश्र, संसद सदस्य	सामान की ढुलाई के बारे में कथित दुर्व्यवहार	शिकायत की जांच की जा रही है।

1	2	3
6. श्री और श्रीमती रिचर्ड गोरेल	आगे की यात्रा की बुकिंग के लिए अपेक्षित सहायता नहीं दी गई।	संबंधित कर्मचारी को उचित रूप से चेतावनी दे दी गई है।
7. कुमारी सुरैय्या	उनके द्वारा मांगी गई सीट नहीं दी गई।	संबंधित कर्मचारी को उचित रूप से चेतावनी दे दी गई है।
8. डा० राधाकृष्ण	पैक्स सेवा आर्डर जारी करने के लिए आगमन क्षेत्र में कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं था।	कर्मचारियों के नोटिस में शिकायत लाने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी ड्यूटी प्रबन्धकों को पत्र जारी कर दिया गया है।
9. श्रीमती गुप्ता	आगे का विमान सम्पर्क नहीं मिल सका क्योंकि दिल्ली यातायात कर्मचारी द्वारा कोई संदेश नहीं भेजा गया।	संबंधित कर्मचारियों के उचित रूप से चेतावनी दे दी गई है/भर्त्सना की गई है।
10. श्री जैकब और परिवार	एक्सिक्यूटिव श्रेणी के यात्री के और विशेष हैंडलिंग नहीं दिया गया।	संबंधित कर्मचारी की उचित रूप से भर्त्संना की गयी है।
11. श्री हेजेल्डेन	अन्य उड़ान से सम्पर्क करने के लिए उचित और समय से सहायता को व्यवस्था नहीं की गई।	संबंधित कर्मचारी की उचित रूप से भर्त्संना की गयीं है।
12. श्रीमती एलेक्जेण्डर	आगमन के समय एयर इण्डिया ने पारगमन बीसा की व्यवस्था नहीं की थी।	संबंधित कर्मचारी को उचित रूप से भर्त्संना की गयी है।
13. श्री महेश्वरी	गलती से गलत उड़ान सूचना देने के फलस्वरूप उन्हें उड़ान न मिलना।	संबंधित कर्मचारी की उचित रूप से भर्त्संना की गयी है।

1	2	3
14. श्री आर०पी० रस्तोगी	बीसा के गलत पढ़े जाने के कारण उन्हें उड़ान न मिलना।	संबंधित कर्मचारी की भर्त्सना की गयी है।
15. श्री बी०एल० रस्तोगी	उड़ान रद्द कर दी गई थी लेकिन यात्री को उपयुक्त रूप से सलाह नहीं दी गयी थी।	संबंधित कर्मचारी की भर्त्सना की गयी है।
16. श्री अग्रवाल	उन्हें और उनके सह-यात्रियों को विमान में अधिक समय तक रखा गया बजाए इसके कि उन्हें उतारने की अनुमति दी जाती और मार्गस्थ लॉज पर आराम करने दिया जाता।	ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सभी कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से बता दिया गया है।
17. डा० बंसल (यू०एन०एम० मास्टर बंसल के पिता)	उनके पुत्र को सहायता नहीं दी गई थी जबकि ऐसे यात्रियों को सामान्यतः सहायता दी जाती है।	संबंधित कर्मचारी की भर्त्सना की गयी है।

मुरादनगर आयुध कारखाने में उत्पादित माल

*892. **श्री आनन्द सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में मुरादनगर आयुध कारखाने के कर्मचारियों पर वेतन और भत्ते के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में कितने मूल्य के प्रयोग किए जाने योग्य सामान का उत्पादन किया गया; और

(ग) क्रियादेश देने वालों द्वारा अस्वीकार किए गए सामान का मूल्य कितना है तथा वह कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुरादनगर स्थित आयुध निर्माणी में वेतन और भत्तों, उत्पादित और अस्वीकृत सामान के मूल्य पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपयों में)

	1986–87	1987–88	1988–89
मुरादनगर स्थित आयुध निर्माणी के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	9.78	10.84	12.64 (2/89 तक)
उत्पादन मूल्य	21.46	23.35	27.62 (अनंतिम 3/89 तक)
परेषितियों द्वारा अस्वीकृत सामान का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य

महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों का गठन

*894. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को विदर्भ, मराठवाड़ा, और कोंकण क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों के गठन के संबंध में पुनः प्रस्तुत प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और

(ख) केन्द्रीय सरकार का इन बोर्डों के गठन के प्रस्ताव को कब तक अन्तिम मंजूरी देने का विचार है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए योजना का एक मसौदा प्रस्तुत किया है। मसौदा योजना में उक्त उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाने वाला मसौदा आदेश तथा राष्ट्रपति के आदेश के बाद राज्यपाल द्वारा जारी किया जाने वाले आदेश का मसौदा है।

(ख) इस समय मामले में उपर्युक्त निर्णय लेने में लगने वाले निश्चित समय को बताना संभव नहीं है।

इलैक्ट्रोनिकी सामान के निर्यात के बारे में आठवीं योजना में अपनाई गई नीति

*896 **श्री एस० एम० गुरड्डी** :

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना के दौरान तीस प्रतिशत इलैक्ट्रोनिकी उत्पादों का निर्यात करने का सुझाव दिया है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई नीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) आठवीं योजना अभी तक तैयार नहीं की गयी है।

अन्य देशों के साथ संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ाने

*897. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार भारत–सोवियत संघ की 1984 की संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान की तरह अन्य देशों के साथ भविष्य में संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ाने आयोजित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान के प्रस्तावों की पेशकश की हैं और इन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में सयुक्त अन्तरिक्ष उड़ानों हेतु भेजे जाने वाले व्यक्तियों की प्रशिक्षण के दोरान कार्यकुशलता की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रशिक्षण का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में आवासीय विद्यालय

*899 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में सातवीं योजना के दौरान अब तक कितने आवासीय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) उक्त राज्यों में ये विद्यालय किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान इन राज्यों में कुछ और आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तीन विवरणों में अन्तर्विष्ट राज्य वार सूचना सभा पटल पर रखी गई है ।

विवरण-1	उड़ीसा
विवरण-2	बिहार
विवरण-3	मध्य प्रदेश

विवरण-1

(1) सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों/कन्या आश्रमों को आवासीय हाई स्कूलों में उन्नत किया गया।

क्रम सं.	जिले का नाम	स्कूलों की संख्या
1.	मयूरभंज	1
2.	क्योंझर	3
3.	सुन्दरगढ़	6
4.	गंजम	4
5.	कोरापुट	8
6.	फूलवनी	2
	कुल	24

(2) सातवीं योजना अवधि के दौरान आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आवासीय सेवाश्रमों/सेवाश्रमों को आश्रम स्कूलों में उन्नत किया गया तथा नए कन्या आश्रम खोले गए।

क्रम सं.	जिले का नाम	स्कूलों की संख्या
1.	कालाहांडी	4
2.	सुन्दरगढ़	7
3.	क्योंझर	3
4.	संबलपुर	1
5.	फूलबनी	4
6.	कोरापुट	11
7.	मयूरभंज	3
8.	गंजम	1
	कुल	34

(3) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में सेवाश्रमों को आवासीय सेवाश्रम में परिवर्तित किया गया।

क्रम सं.	जिले का नाम	स्कूलों की संख्या
1.	क्योंझर	1
2.	मयूरभंज	3
3.	सुन्दरगढ़	2
4.	गंजम	1
5.	कोरापुट	3
6.	फूलबनी	2
	योग	11

(4) 1989-90 के लिये उड़ीसा के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव हैं :–

(1) 8 आश्रम स्कूल/कन्या आश्रमों को आवासीय हाई स्कूल में परिवर्तन।

(2) 10 आश्रम स्कूल/कन्या आश्रमों को खोलना (सेवाश्रम/आवसीय सेवाश्रम को आश्रम स्कूल/कन्या आश्रम में उन्नत करना भी शामिल है)

(3) आवासीय सेवा आश्रम खोलना (सेवा आश्रमों को आवासीय सेवाश्रमों में परिवर्तित करना भी सम्मिलित है।

विवरण-2

(1) बिहार में 80 आदिवासी आवासीय स्कूल हैं जिनके स्थान पर नीचे दिये गये हैं :–

क्रम सं.	जिले का नाम	विद्यालयों की सं.
1.	रोहतास	10
2.	पूर्व चम्पारन	1
3.	पूर्णिया	2
4.	कटिहार	1
5.	मुंगेर	1
6.	डुम्का	14
7.	गोइंडा	4
8.	साहेबगंज	10
9.	हजारीबाग	2
10.	गिरिडीह	1
11.	रांची	8
12.	गुमला	8
13.	लोहरडागा	3
14.	सिंहभूमि	8
15.	पालामऊ	7
	योग	80

इनमें से 24 सातवीं योजना अवधि के दौरान खोले गये हैं।

(2) राज्य में 1989-90 में और अधिक आदिवासी आवासीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा अभी उनकी संख्या तथा स्थान निश्चित नहीं किये गये हैं।

विवरण-3

(1) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में सातवीं योजना अवधि के दौरान अब तक 109 आश्रमस्कूल खोले गये हैं।

क्रम सं.	जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या
1.	इन्दौर	1
2.	धार	5
3.	झाबुआ	7
4.	खारगोन	5
5.	खण्डवा	2
6.	रतलाम	2
7.	शाजापुर	2
8.	ग्वालियर	2
9.	मौरेना	1
10.	गुना	1
11.	रींवा	2
12.	शिवपुरी	4
13.	शहडोल	3
14.	सीधी	4
15.	पन्ना	1
16.	सिहोर	1
17.	रायसेन	2
18.	बेतूल	3
19.	राजगढ़	1
20.	होशंगाबाद	2
21.	जबलपुर	2
22.	नरसिंहपुर	1
23.	छिंदवारा	4
24.	सिओनी	3
25.	माण्डला	3
26.	बिलासपुर	10
27.	रायगढ़	11
28.	सरगुजा	9
29.	रायपुर	3
30.	राजनांदगांव	3
31.	बस्तर	9
	योग	109

(2) 1988-89 में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किये गये आश्रम स्कूल जिन्हें प्रारम्भ किया जा रहा है।

(1) प्रत्येक आश्रम स्कूल में 100 स्थान :-

क्रम सं.	जिले का नाम	विद्यालयों की सं.
1.	धार	4
2.	झाबुआ	3
3.	खारगोन	1
4.	ग्वालियर	1
5.	बेतूल	1
6.	माण्डला	3
7.	शहडोल	1
8.	जबलपुर	2
9.	छिंदवारा	1
10.	बालाघाट	1
11.	बिलासपुर	4
12.	रायगढ़	1
13.	रायपुर	1
14.	दुर्ग	1
15.	राजनांदगांव	2
16.	बस्तर	3
17.	सिओनी	1
	कुल	31

(2) आश्रम स्कूल प्रत्येक में 30 स्थान :-

1.	खण्डवा	1
2.	रींवा	2
3.	सतना	1
4.	सागर	1
5.	होशंगाबाद	1
6.	नरसिंहपुर	1
7.	रायगढ़	1
8.	दुर्ग	1
9.	सीधी	2
	कुल	11

(3) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आवासीय स्कूल मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खोले गये है :–

1. मॉडल हायर सैकेण्डरी स्कूब, पवननगर, जिला–होशंगाबाद ।
2. गर्ल्स एजूकेशन काम्प्लेक्स, जगदलपुर, जिला–बस्तर ।
3. गर्ल्स एजूकेशन काम्प्लेक्स, पुष्पराजगढ़, जिला–शहडोल ।

(4) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में 1989-90 में 100 स्थान वाले 31 आश्रम स्कूल तथा 20 स्थान वाले 11 आश्रम स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है ।

रेडियो लेबल्ड केमिकल्स की सप्लाई

*901. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रेडियो लेबल्ड कैमिकल्स" की सप्लाई सुनिश्चित करने और कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास के लिये प्रतिबन्धित एन्जाइमों के स्वदेशी उत्पादन के लिये कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह आम जनता के लिये किस प्रकार उपयोगी होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) कृषि, पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्रों में जीवन से संबन्धित विज्ञान की शाखाओं में किए जाने वाले मूलभूत और अनुपयुक्त अनुसंधानों में उपयोग के लिए 250 से अधिक रेडियो-चिन्हित योगिकों का उत्पादन और उनकी सप्लाई नेमी रूप से किए जाते हैं ।

(ख) रेडियो-चिन्हित जैव-अणुओं का उत्पादन करने के लिए नवम्बर,1987 में हैदराबाद में एक प्रयोगशाला में काम शुरू किया गया था तथा वहां कुछ महत्वपूर्ण फास्फोरस-32 चिन्हित जैव अणुओं का उत्पादन और उनकी सप्लाई नेमी रूप से किए जा रहे हैं । वाशी में एक नई प्रयोगशाला में अनुसंधान शुरू करने का काम चल रहा है । इस प्रयोगशाला में कार्बन-14, ट्रिशियम, सल्फर-35 और फासफोरेस-32 चिन्हित यौगिकों का उत्पादन करने का विचार है । जब यह प्रयोगशाला पूरी तरह से कार करने लगेगी तब देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये रेडियो-चिन्हित यौगिकों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता काफी हद तक हासिल कर ली जाएगी ।

(ग) विज्ञान की जीवन -संबंधी शाखाओं में किए जाने वाले मूलभूत और अनुप्रयुक्त दोनों ही प्रकार के अनुसंधानों के लिए रेडियो-चिन्हित यौगिक एक अनिवार्य साधन हैं । ये यौगिक नई औषधियां तैयार करने, विकिरण की सहायता से की जाने वाली प्रतिरक्षा का पता लगाने जैसी नैदानिक विधियों, अणुवांशिक अपसमान्यताओं के निदान के लिये रेडियो यौगिक डी.एन.ए. प्रोबो का विकास करने, जीवाणुओं, फफूंदी और वायरस से प्रभावित जन-संख्या का पता लगाने के लिए उपयोगी हैं । कृषि के क्षेत्र में, रेडियो-चिन्हित यौगिकों को काम में लाकर किए गए अध्ययन पौधों

की ऐसी कौशिकाएं बनाने में सहायता देते हैं जिनसे पौधों में पौष्टिक तत्वों, दाब को सहने की क्षमता, जैसे अपेक्षित गुणधर्म पैदा हो जाएं। उन अध्ययनों से पौधों के विकास हेतु उनमें पाले, शाक-नाशियों, नाशीकीटों, आदि का प्रतिरोध करने में भी सहायता मिलती है। नाइट्रोजन के जैव स्थिरीकरण में भी सहायता मिलती है।

चिन्हित यौगिक कीटनाशियों के नियन्त्रित उपयोग में भी सहायक रहे हैं। ये यौगिक एन्टी-बायोटिक, इन्टर-फैरोनों, वैक्सीनों, अमोनियो-एसिडों, ऐल्कोहोलों, वर्धक-हॉर्मोनों, आदि का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर करने में सहायक सूक्ष्म जैविक प्रणालियों को विकसित करने में भी लाभदायक हैं।

उड़ीसा में पर्यटन सुविधाओं का विकास

[अनुवाद]

*903. **श्री बृज मोहन महंती :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनायें शुरू की गई हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना दौरान अभी तक, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उड़ीसा में पर्यटन आधार संरचना का विकास करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं :–

1. चिल्का झील के लिए मोटर याट की खरीद
2. सिमलीपाल के लिए मिनी बसों और हाथियों की खरीद
3. नन्दन कानन चिड़िया घर के लिए नौकाओं की खरीद
4. सतपदा में यात्री निवासी
5. भुवनेश्वर में शौचालय और पेयजल की सुविधायें
6. कोणार्क में शौचालय और पेयजल की सुविधाएं
7. कोणार्क में यात्री निवास
8. कोणार्क में ओपेन एयर थियेटर
9. सूनाबेड़ा में मार्गस्थ सुविधाएं
10. तप्तपानी में मार्गस्थ सुविधाएं
11. अंगुल में मार्गस्थ सुविधाएं

12. रामेश्वर में मार्गस्थ सुविधाएं

13. भितारकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए नौकाएं

14. चिल्का झील में जल क्रीड़ाएं

15. भद्रक में मार्गस्थ सुविधाएं

(ख) यह विभाग परियोजनाओं को पूरा करने के सम्बन्ध में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं करता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

व्हेन क्राइम हैज आफिसियल बैंकिंग शीर्षक से समाचार

8373. **श्री रेणु पद दास :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 1989 के "मिड डे" में "व्हेन क्राइम हैज आफिसियल बैंकिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) इस मामले का ब्यौरा क्या है तथा जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एयर इण्डिया के कार्मिक अधिकारी सर्वश्री वी. ए. फरेरा और पी. एम. जार्ज के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था। रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इन अधिकारियों के खिलाफ अल्प सजा के लिये नियमित विभागीय कारंवाई करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट को देखने के बाद दोनों अधिकारियों की जांच के दौरान दिए गए वक्तव्यों को देखते हुए एयर इण्डिया ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपनी सिफारिश को संशोधित करने के लिए कहा। मामले के तथ्यों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के ध्यान में भी लाया गया जिसने कि विचार व्यक्त किया कि जहां तक सर्वश्री फरेरा और जार्ज का सम्बन्ध है उनके खिलाफ न तो कोई नियमित विभागीय कार्यवाई आवश्यक समझी जाती है और न ही सम्भव है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिशों को संशोधन करने के लिये एयर इण्डिया के विचार का समर्थन किया। आयोग ने एयर इण्डिया और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को यह निश्चय करने को भी सलाह दी कि दोनों अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की जाए। आयोग की सलाह को देखते हुये मामला बन्द कर दिया गया। चूंकि दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं था। इसलिये उन्हें उप कार्मिक प्रबन्धक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था।

दिल्ली पुलिस दहेज निषेध कक्ष

8374. **श्री डाल चन्द्र जैन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस के दहेज निषेध कक्ष के कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार इस कक्ष के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये इसका पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) कक्ष के कार्यकरण में उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिये जहां खामियां हैं तथा उन्हें दूर करने के उपाय सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया जा रहा है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों का साक्षात्कार

8375. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार का क्या उद्देश्य है ;

(ख) पदोन्नति के मामले में उपयुक्तता का आधार क्या है और सीधी भर्ती में प्रति-नियुक्ति अथवा खुली भर्ती के पद पर सीधी भर्ती के उपयुक्तता का आधार क्या होता है ;

(ग) क्या खुली भर्ती से भरे जाने वाले पद और प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद के लिए सीधी चयन प्रक्रिया में केवल साक्षात्कार ही एक मानदंड है अथवा शैक्षिक योग्यता और अनुभव को भी महत्व दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो अनुभव, शैक्षिक योग्यता और साक्षात्कार को कितना-कितना महत्व दिया जाता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग खुली प्रतियोगी परीक्षा तथा खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र मंगवाकर सीधे चयन द्वारा दोनों ही तरीकों से सीधी भर्ती करता है। ऐसी परीक्षाओं के संबंध में जिनमें परीक्षा की योजना में लिखित परीक्षा के पश्चात् साक्षात्कार परीक्षा की व्यवस्था होती है वहां उन उम्मीदवारों को जो लिखित परीक्षा में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार तथा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा। इन नियमों में यह भी व्यवस्था है कि आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में शिथिल मानक लागू करके व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार पर बुलाया जाए बशर्ते कि आयोग का यह मत हो कि सामान्य मानक लागू किए जाने पर इन समुदायों के उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार पर बुलाए जाने की संभावना नहीं है।

चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए पदों को भर्ती नियमों में उल्लिखित अर्हताओं तथा अनुभव के संदर्भ में विज्ञापित किया जाता है। यदि न्यूनतम अर्हता तथा अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो आयोग उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अर्हता तथा अनुभव के आधार पर अथवा इस प्रयोजन के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करके साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को एक समुचित सीमा के भीतर रखता है।

मोटे तौर पर साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार की मानसिक प्रतिभा जैसे कि मानसिक जागरूकता, लद्गीकरण की सूक्ष्म शक्ति, स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन, निर्णय सन्तुलन, बौद्धिक तथा नैतिक सत्यनिष्ठा आदि का मूल्यांकन करना होता है।

जहां तक पदोन्नति का संबंध है, जहां पदोन्नति गैर-चयनात्मक विधि द्वारा की जाती हो, वहां पदोन्नति की योग्यता का मूल्यांकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उम्मीदवारों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में यथा निर्दिष्ट उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर किया जाता है और जिन्हें पदोन्नति के योग्य पाया जाता है उन्हें रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति कर दिया जाता है। चयन विधि के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए योग्य ठहराए जाने के अध्यधीन तुलनात्मक योग्यता अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के मुल्यांकन के आधार पर निर्धा-रित बेंचमार्क की पूर्ति के आधार पर पदोन्नति की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण के लिए चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पात्र अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों तथा जीवनवृत्त के आधार पर किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, आयोग चयन को अन्तिम रूप देने से पहले पात्र उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी कर सकता है। यह तरीका साधारणतया उन मामलो में अपनाया जाता है जहां विचाराधीन पात्र उम्मीदवार विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े होते हैं तथा जिनमें पद तकनीकी/वैज्ञानिक प्रकृति का तथा अपेक्षाकृत वरिष्ठ स्तर का होता है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन के कर्मचारियों की वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण करना

8376. **डा. सुधीर राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को 22 जुलाई, 1972 को कर्मचारियों की उन सभी श्रेणियों की वरिष्ठता पुनः निर्धारित करने के निर्देश जारी किये थे, जो 22 दिसम्बर, 1959 से पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त किये गये थे और जिनकी वरिष्ठता उच्चतम न्ययालय के 4 जनवरी. 1972, के विनिर्णय के आधार पर 22 जून, 1949 के गृह मंत्रालय के ओ. एम. संख्या 30/44/48–एपाइन्टस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों/विभागों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन आदेशों को लागू नहीं किया और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रभावित कर्मचारियों ने एसे कर्मचारियों के मामले में उपर्युक्त आदेश लागू करने के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन को अभ्यावेदन भेजा था, जिनकी वरिष्ठता आदेशों के गलत ढंग से कार्यान्वित करने के कारण गलत निर्धारित की गयी थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आदेशों के अनुसार वरिष्ठता पुनः निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे अनुदेशों का कार्यान्वयन केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं किया जाय।

(ग) से (घ) : अंडमान व निकोबार प्रशासन ने यह सूचना दी है कि उन्होंने उपयुंक्त अनुदेशों को कार्यान्वित कर दिया है। प्रशासन को इस संबंध में केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। जिस पर उसके द्वारा विचार किया गया और उसे इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि उपयुंक्त अनुदेश उस मामले में लागू नहीं होते।

सेना में भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता

8377. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या रक्षा मंत्री जैसलमेर और बाड़मेर जिले से सेना में युवकों की भर्ती के बारे में 27 मार्च, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 353 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित किए जाने के लिए देश के विभिन्न भागों में तुलनात्मक शैक्षिक पिछड़ेपन के बारे में कोई सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया गया है;

(ख) राजस्थान राज्य और देश की दो सीमावर्ती तहसीलों की प्रति यूनिट जनसंख्या के अनुसार दसवीं ओर आठवीं कक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियों की औसत संख्या कितनी है ओर उक्त राज्य के तथा समूचे देश के दो जिलों से संबंधित उक्त आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसी अन्य तहसीलों और जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं जो प्रति यूनिट जनसंख्या के हिसाब से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में शैक्षिक रूप से एक समान अथवा इससे अधिक पिछड़े हुए है;

(घ) क्या उक्त तहसीलों/जिलों से भर्ती के लिए आने वाले युवक यदि अन्य योग्यताएं पूरी करें तो वे सम्प्रन रियायत के हकदार होंगे; और

(ङ) गत तीन वर्षो के दोरान सेना में वर्षवार और राज्यवार कुल कितने प्रतिशत युवक भर्ती किए गए ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) इस सूचना को प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

सोमनाथ ट्रस्ट के लिए ट्रस्टियों का नामांकन

8378. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को 21 जनवरी, 1950 को सौराष्ट्र में पंजीकृत सोमनाथ ट्रस्ट के खण्ड 7 के अन्तर्गत 4 ट्रस्टियों को नामांकित करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो इस ट्रस्ट में इसके पंजीकरण की तिथि से अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं रिक्त पदों को भरा नहीं गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में वर्षा

8379. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986, 1887 और 1988 में क्रमशः दक्षिण-पश्चिम मानसून और उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान केरल में कितनी वर्षा हुई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा इलैक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) :

सूचना निम्नलिखित है:

	1986	1987 (वर्षावृष्टि से०मी० में)	1988
(1) दक्षिण पश्चिम मानसून (जून से सितम्बर)	169	148	212
(2) उत्तर-पूर्व मानसून (अक्तूबर से दिसम्बर)	40	66	19

गैस पीड़ितों को मुआवजा

[हिन्दी]

8380. **श्री सत्यनारायण पंवार** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कैलाश नगर (गांधी नगर) में 6 अगस्त, 1988 को हुई दुर्घटना गैस में गांधी नगर पुलिस स्टेशन में प्रति व्यक्ति 3000 रुपये की दर से जमा कराई गई राहत सहायता दुर्घटना में मरने वालों के परिवारों तथा घायलों को अभी तक नहीं दी गई: और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और दुर्घटना में मरने वाले तथा घायल व्यक्तियों के परिवारों को राहत सहायता कब तक दी जाएगी ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) गैस के शिकार हुए लोगों के लिए ऐसी कोई राहत राशि गांधीनगर पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करायी गई थी, अतः मृतकों के परिवारों को अथवा घायलों को उसे दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

यकृत-शोथ-बी टीके का विकास

[अनुवाद]

8381. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक इन्जीनियरी तकनीकों का उपयोग करके "यकृत शोथ-बी टीके" (हैपाटाइटिस-बी वैक्सीन) का विकास किया है, जैसा कि 23 फरवरी, 1989 के "डेक्कन हेराल्ड" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस देश में भी इस तरह के कोई अध्ययन किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायण) : (क) और (ख) जी हां, फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक इंजीनियरी के माध्यम से हेपेटाईटिस-बी टीके का विकास किया है। हेपेटाईटिस-बी के विषाणु के तलीय प्रोटीन (सर्फेस प्रोटीन) के लिए जीन की एक पशु कोशिका प्रणाली में अभिव्यक्ति की गई थी। यह टीका एक शोधित प्रोटीन है।

(ग) और (घ) हेपेटाईटिस-बी पर अनुसंधान और विकास कार्यकलाप राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान, नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान-पुणों आदि जैसे संस्थानों में प्रगति पर है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान में जिस जिस टीके का विकास किया जा रहा है, वह गो-चेचक विषाणु में हेपेटाईटिस-बी के तलीय प्रोटीन के लिए जीन की अभिव्यक्ति पर आधारित है, जिसका उपयोग पहले चेचक के उन्मूलन के लिए किया जाता था। इस टीके के पशुओं पर प्रतिरक्षा जीनीक्रिया और सुरक्षा अध्ययन किए जा रहे हैं।

खान-पान संस्थानों में छात्रों को प्रवेश

8382. **श्री एन डेनिस** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे होटल प्रबंध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थानों में कितने छात्रों को प्रवेश मिला हुआ है;

(ख) क्या सभी संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मंत्रालय द्वारा स्थापित 12 होटल प्रबंध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थानों में शैक्षिक वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में जिन छात्रों को प्रवेश मिला है उनकी संख्या निम्नानुसार है :-

1.	3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	855
2.	क्राफ्ट पाठ्यक्रम	913
3.	दिल्ली एवं बम्बई संस्थानों में चलाए जा रहे पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम	85
4.	अन्य पाठ्यक्रम	855

(ख) और (ग) : होटल प्रबन्ध के सभी संस्थानों द्वारा पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एक समान पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में होटल प्रबन्ध से सम्बन्धित विभिन्न विषयों में सैद्धांतिक अनुदेश, संस्थानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा एक उपयुक्त कार्य वातावरण में औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि शामिल है।

आयुध उपकरण कारखाना, कानपुर द्वारा प्राप्त निविदाएं

8383. **श्री एच जी रामुलु :** क्या रक्षा मन्त्री आयुध उपकरण कारखाना, कानपुर के बारे में दिनांक 3 अप्रैल, 1989 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4389 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्त वर्ष के दौरान कारखानों को स्टोर सामग्री की सप्लाई हेतु सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों/कम्पनियों ने अपनी निविदाएं भेजी थीं;

(ख) इन एककों को कितने आर्डर प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकारी, उपक्रमों/कम्पनियों को मूल्य में कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(घ) क्या कारखाना सरकारी क्षेत्र के एककों से समान खरीदने हेतु एक निविदा प्रणाली को लागू नहीं कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(च) आयुध कारखानों को अपेक्षित माल की सप्लाई करने के इच्छुक सरकारी क्षेत्र के एककों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करने हेतु और क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सामान की सप्लाई के लिए निर्माणी द्वारा मांगी गई निविदाओं के लिए निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/कम्पनियों ने बोलियां (बिड) प्रस्तुत कीं :--

राष्ट्रीय कपड़ा निगम।

भारत एल्यूमिनियम निगम, दिल्ली।

टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन, कानपुर।

ब्रुश वेयर, कानपुर।

स्टील अथारिटी ऑफ इन्डिया लिमिटेड, कानपुर।

उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास निगम लिमिटेड, कानपुर।

(ख) पिछले वर्ष के दौरान इन एककों को 25 संविदाएं दी गई।

(ग) जी, हां। प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर 10% तक।

(घ) और (ङ) : सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एकल निविदा क्रय की कोई पद्धति नहीं है। केवल ऊपर उल्लिखित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मामले में ऐसी पद्धति है जिससे कि पहले निविदाएं मंगाई जाती हैं और यदि राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपेक्षित मात्रा प्रस्तुत करने में या सुपुर्दगी (डिलीवरी) समय पर करने में असफल रहता है तो उसके बाद निविदाएं अन्य से मांगी जाती हैं।

(च) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार की नीति के अनुसार औचित्य के आधार पर कीमत में 10% तक प्राथमिकता दी जाती है।

दिल्ली में भिक्षावृत्ति

[हिन्दी]

8384. **श्री सरफराज अहमद** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भीख मांगना अपराध है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में अनेक भिखारी इधर उधर घूमते नजर आते हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली में भिक्षावृत्ति को पूर्णरूप से समाप्त करने के लिए कोई विशेष उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भिखारियों को गिरफ्तार करने के बावजूद, सामाजिक आर्थिक कारणों के फलस्वरूप अन्य राज्यों से दिल्ली में निरन्तर आप्रवास करने वाले भिखारियों के कारण वे कुछ स्थानों पर नजर आते हैं।

(ग) दिल्ली में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा पहले ही निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

1. दिल्ली प्रशासन का भिक्षावृत्ति-विरोधी दल, भिखारियों को नियमित रूप से गिरफ्तार करना है। दिल्ली के सभी थाना अध्यक्षों को भिक्षावृत्ति पर नजर रखने तथा भिखारियों को गिरफ्तार करने के निदेश दिए गए हैं,

2. बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अन्तर्गत, दिल्ली प्रशासन ने 12 भिक्षुक गृह स्थापित किए हैं जहां गिरफ्तार तथा सिद्धदोषी भिखारियों को रखा जाता है :

3. अभिज्ञात तथा पकड़े गए भिखारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्हें प्रशिक्षण-तथा-उत्पादन केन्द्रों में काम करने के लिए मजदूरी भी दी जाती है।

4. भिखारियों को अन्य राज्यों में भी भेज दिया जाता है ताकि वे दिल्ली में भीख न मांग सकें।

कानपुर में शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना

[अनुवाद]

8385. **श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या रक्षा मन्त्री कानपुर छावनी में शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलने के बारे में 3 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4426 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जल सप्लाई की दर कितनी है तथा क्या उत्तर प्रदेश जल निगम सप्लाई के सम्बद्ध स्रोतों पर छावनी बोर्ड द्वारा निरीक्षण की कमी के कारण पानी की सप्लाई में अनियमितता हुई है;

(ख) क्या छावनी बोर्ड जल निकासी की उचित "मीटरिंग" प्रणाली के बिना जल निगम द्वारा जल की घंटे के हिसाब से सप्लाई के आधार पर अत्यधिक बकाया राशि का भुगतान कर रहा है तथा कुछ पम्प सदैव काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा प्रति-वर्ष कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या शांतिनगर के सभी निवासी नैपियर रोड (एम जी पार्क के सामने) के समानान्तर नई बिछायी गई मल निकासी लाइन का प्रयोग कर रहे हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि सभी निवासी इन शौचालयों को शीघ्र ही फ्लश शौचालयों में बदल दें तथा मल सिर पर ले जाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए मल निकासी लाइन का प्रयोग करें ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : छावनी क्षेत्र में जल सप्लाई की दर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 65 लीटर है। जल की अनियमित सप्लाई का कारण निरीक्षण की कमी नहीं है बल्कि इसका मुख्य कारण सार्वजनिक हाइड्रेंटों से बिब-काक की चोरी/उतार लिया जाना है।

(ख) और (ग) बोर्ड, कानपुर जल संस्थान को भुगतान मीटर रीडिंग के आधार पर नहीं करता बल्कि प्रत्येक पम्प की प्रति घंटा जल-निकासी के आधार पर करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया :-

1986-87	1987-88	1988-89
18,11,881/=	13,64,265/=	15,16,417/=

बोर्ड ने कानपुर जल संस्थान को कहा है कि खराब पम्पों की मरम्मत/बदलाव तत्कालिक आधार पर करें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) मल उठाने की समस्या का समाधान पूरो छावनी क्षेत्र में मुख्य सीवरेज लाइन्न बिछाने से हो जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश जल निगम प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के मामले

8386. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर के स्वतन्त्रता सेनानियों से पेंशन के लिए 31 मार्च, 1982 तक और इसके बाद, अलग-अलग कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) क्या यह सच है कि जम्मू-कश्मीर जांच समिति विघटित हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं : और क्या सरकार का विचार इस जांच समिति का पुनर्गठन करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए जम्मू और कश्मीर से निर्धारित अन्तिम तारीख तक 3143 आवेदन प्राप्त हुए थे।

31-3-1982 के बाद लगभग 10 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) गैर सरकारी जांच समिति ने अपनी चार बैठकों में 31-3-1982 से पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य से प्राप्त सभी लम्बित मामलों पर विचार किया और उन पर अपनी सिफारिशें दी, जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है। समिति को पुनर्गठित करने का कोई विचार नहीं है।

हैदराबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

8387. **श्री पी. पलाकोंड्रायुडू** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की दिशा में आरम्भिक मूल कार्य कर लिए गए हैं। किन्तु, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना में अन्तर्ग्रस्त भारी मात्रा में पूंजीनिवेश तथा सुविचारित दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने शैक्षणिक, सूचना-विज्ञान के कार्यान्वयन और अनप्रयोग तथा सम्बन्धित शाखाओं के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों से इन संस्थानों के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, भौगोलिक स्थिति तथा प्रशासन के सम्बन्ध में उनके विचार आमन्त्रित किए थे। उनके विचारों की इस समय जाँच की जा रही है। इन संस्थानों के लक्ष्यों के लिए केन्द्राभिमुखी विचार बिकसित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिकी विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें संस्थानों की स्थापना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इन सभी सिफारिशों की और आगे जांच की जा रही है।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट में बैक्टीरिया से नये कीटनाशक की खोज

8388. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट में बैक्टीरिया से एक नया कीटनाशक तैयार किया गया है, जैसा कि 3 अप्रैल, 1989 के "पैट्रियट" में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो इस कीटनाशक की कारगरता का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में किए गये परीक्षण और विषाक्तता अध्ययनों के निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कीटनाशक का परीक्षण करके इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने चाय बागान मिट्टी से कीटनाशीय गुण-धर्म वाले बैक्टीरिया यौगिक (कम्पाउन्ड) को प्रयोगशाला स्तर पर निलगित किया है।

(ख) चाय की झाड़ियों की दीमक पर प्रारम्भिक क्षेत्रीय परीक्षण चल रहे हैं। कीटनाशी यौगिकों के जैवनाशी गुण-धर्मों का अध्ययन करने के लिऐ प्रयोगशाला परीक्षणों का अन्वेषण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) अनुसंधान कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है और वाणिज्यिक कीटनाशक के रूप में इसकी संभाव्यता (शक्यता) को स्थापित करने के लिए आगे कार्य करने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के लिए नई कल्याण योजनाएं

8389. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) हाल ही में सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी नई योजना की घोषणा नहीं की गई है। फिर भी, "जवाहर रोजगार योजना" की एक नई योजना की घोषणा की गई है जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को पूरी तरह से रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

(ग) योजना के कार्यान्वियन की रूपरेखा सरकार द्वारा तैयार की जा रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को यात्रा एजेंसी दिया जाना

8390. **डा० बी० एस० शैलेश :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यात्रा एजेंटों की नियुक्ति के बारे में पूछे गये दिनांक 3 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4401 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित्त जनजातियों के किन व्यक्तियों को इन्डियन एयरलाइन्स की यात्रा एजेंसी आवंटित की गई है;

(ख) रसोई गैस एजेंसी पैट्रोल पम्प के आवंटन के मामले किये गये आरक्षण की भांति यदि अनूसूचित्त जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए यात्रा एजेंटों के रूप में उनकी नियुक्ति हेतु कोई कोटा आरक्षित किया गया है तो वह कितना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और क्या इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इन्डियन एयरलाइन्स के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बन्धित किसी व्यक्ति के पास कोई ट्रेवल एजेंसी है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ट्रेवल एजेंटों के रूप में नियुक्त करने के लिए इन्डियन एयरलाइन्स में कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) ट्रेवल एजेंसी एक मालिकाना, भागीदारी, सार्वजनिक लिमिटेड अपनी या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से सम्बन्धित हो सकती है। इस प्रकार फर्म/कम्पनी के भागीदार (भागीदारों) की जाति हैसियत को देखने का प्रश्न ही नहीं है।

दिल्ली में विश्व पर्यटन संगठन की बैठक

8391. **श्री अशोक शंकरराव चाव्हाण :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में विश्व पर्यटन संगठन की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया; और

(ग) बैठक में हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में केन्द्रीय भण्डार की शाखा खोलना

8392. **श्री श्रीहरि राव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय भण्डार की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये शाखाएँ कहां-कहां खोली जाएंगी ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं निम्नलिखित स्थानों पर खोलने का विचार है :

(क) केन्द्रीय सरकारी कालोनियों में

1. पेशवा रोड (गोल मार्केट)
2. आराम बाग
3. थ्यागराज नगर (प्रेम नगर)
4. भारतीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की आई० एन० ए० कालौनी।
5. जी० पी० ओ०, कश्मीरी गेट।

(ख) डी० डी० ए० कालोनियों में

चालू सहकारी वर्ष के दौरान कम से कम 5 शाखायें खोलने का विचार है बशर्ते कि इन शाखाओं के लिए स्थान उललब्ध हो।

वक्फ अधिनियम, 1954 में संशोधन

8393. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वक्फ अधिनियम, 1954 में संशोधन करना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) संशोधन करने वाला विधेयक संसद में कब तक पुरःस्थापित कर दिया जायगा ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) से (ग) वक्फ अधिनियम, 1954 में संशोधन करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इस स्तर पर, और आगे कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। यह उल्लेख करना भी संभव नहीं है कि यह विधेयक संसद में किस तारीख तक प्रस्तुत किया जाएगा।

दक्षिण दिल्ली में आपराधिक मामले

8394. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में दक्षिण पुलिस जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कितने व्यक्तियों पर आपराधिक मामलों सम्बन्धी मुकदमे चलाये जा रहे हैं ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध, पुलिस स्टेशनवार, किस-किस किस्म के आपराधिक मामले चलाए जा रहे हैं ;

(ग) ऐसे कितने मामलों में गत छह महीनों के दौरान कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ;

(घ) ऐसे कितने मामलों में, किन-किन कारणों से कार्यवाही बन्द कर दी गई है ; और

(ङ) कार्यवाही बन्द करने सम्बन्धी आदेश किस स्तर पर लिए गए ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 202.

(ख) अपेक्षित सूचना, सभा पटल पर रखी जाती है

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 7992/89]

(ग) 1-10-1988 से 31-3-1989 तक की अवधि के दौरान विचारण के लिए 65 मामले न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही हे।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का बांकुड़ा परियोजना सम्बन्धी दल

8395. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का बांकुड़ा परियोजना सम्बन्धी दल कब से कार्य कर रहा है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना का मूल लक्ष्य एक ऐसा राष्ट्रीय माडल तैयार करना है जिसका अनुसरण किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुआ है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित बांकुरा परियोजना सी एस आई आर से इस परियोजना दल में 2 से 3 वैज्ञानिकों को लेकर वर्ष 1981 में प्रारम्भ की गई थी। अभिनिर्धारित अनुसंधान और विकास कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना दल के संघटन में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान स्थिति में परियोजना दल में परियोजना में नियुक्त किए गए तीन व्यक्तियों

सहित केन्द्रीय कांच और सिरैमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता, केन्द्रीय यांत्रिक इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिक हैं।

(ख) और (ग) कारीगरों और शिल्पकारों की प्रौद्योगिकी-उन्नयन के लिये एक मॉडल का विकास करना इस परियोजना का उद्देश्य था। बांकुरा के अनुभव और इस मॉडल की शक्ति और कमजोरी के बिश्लेषण से परम्परागत क्षेत्रों की प्रौद्योगिकी-समुन्नति के लिए सी एस आई आर और अन्य एजेंसियों के कार्यक्रमों को उपयोगी निवेश मिला है।

गोरखाली भाषा का संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना

8396. **श्री आनन्द पाठक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोरखाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है : और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) गोरखाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे द्वारा उठाई गई थी।

(ख) संविधान की आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को शामिल करने से प्रतिक्षेण और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होगी। तथापि, सरकार का यह प्रयास होता है कि भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई ख्याल किए बिना उनकी सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्परा का विकास किया जाए।

दिल्ली में स्मैक का पकड़ा जाना

8397. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 9 अप्रैल, 1989 को चांदनी महल पुलिस स्टेशन द्वारा एक महिला से एक करोड़ रुपये मूल्य की स्मैक पकड़ी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में पूछताछ करने पर स्मैक की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पता चला है ; और

(ग) इस बुराई को दूर करने हेतु आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्। (मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार है।)

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) संदिग्धों पर सतत निगरानी रखी जाती है और अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ गहन सम्पर्क रखा जाता है।

मध्य प्रदेश में विमान सेवा

8398. **श्री महेन्द्र सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के किन नये स्थानों को इस वर्ष विमान मानचित्र पर लाने का विचार है और इस सम्बन्ध में विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं और विमान क्षमता को उपलब्धता के आधार पर, वायुदूत की चालू योजना की शेष अवधि में भिलाई और सागर को विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं।

इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा बिना ब्रैंड वाले मक्खन के साथ नाश्ता परोसना

8399. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अप्रैल, 1989 को कलकत्ता से दिल्ली जाने वाले (आई. सी. 263) विमान में यात्रियों को न्यूट्राल अल्युमिनियम फाइल में रखकर बिना ब्रैंड वाले मक्खन के साथ नाश्ता परोसा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा ऐसा मक्खन खरीदना आरम्भ कर दिया गया है जिसके निर्माण का पता न लगाया जा सके और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा मक्खन परोसने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 26-3-89 से 9-4-89 तक कलकत्ता में इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा मंजूर किए गए अमूल और विजय मक्खन को किस्म (10 ग्राम) को अत्यधिक कमी हुई थी। तथापि अमूल मक्खन के बड़े पैकेट उपलब्ध थे और इन्डियन एयरलाइन्स के खान-पान प्रबन्धकों ने बड़े पैकेटों के मक्खन को 10 ग्राम के टुकड़ों में काट-काट कर ढक्कन वाले प्लास्टिक के डिब्बों में विधिवत सप्लाई किया था। 7 और 8 अप्रैल, 1989 को प्लास्टिक के डिब्बे पूरी तरह से खतम हो गए थे और वैकल्पिक साधन के रूप में खान-पान प्रबन्धकों ने, इन्यिन एयरलाइन्स की पूर्व अनुमति से, अमूल मक्खन को 10 ग्राम में काट-काट कर एल्यूमिनयम प्वाइल में विधिवत लपेट कर सप्लाई किया था। चूंकि 8-4-89 को सप्लाई किये गये मक्खन की किस्म इंडियन एयरलाइन्स के विनिर्देशन के अनुसार थी अर्थात अमूल मक्खन, और चूंकि इन्डियन एयरलाइंस के सुबह के नाश्ते में मक्खन को सप्लाई अनिवार्य होती है, इसलिए 10 ग्राम अमूल मक्खन के टुकड़ों के अभाव में उसको सप्लाई बन्द नहीं की जा सकी। 9-4-89 से इन्डियन एयरलाइन्स ने अपनी उड़ानों पर यात्रियों को अमूल मक्खन के टुकड़ों को सप्लाई करनी शुरू कर दी है।

सैन्य कार्मिकों को गृह निर्माण अग्रिम

8400. **श्री कमल चौधरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के सैन्य कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण हेतु रैंक/श्रेणीवार, अधिकतम कितनी धनराशि का अग्रिम स्वीकृत किया जाता है और केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों के लिये इसी प्रयोजन हेतु श्रेणीवार अधिकतम कितनी धनराशि का अग्रिम स्वीकार किया जाता है;

(ख) क्या गृह निर्माण अग्रिम दिये जाने के मामले में सैन्य कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों के बराबर धनराशि प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार सशस्त्र सेना कार्मिकों को गृह-निर्माण के लिए अधिक से अधिक 70,000 रु./- या 75 महीने के मूल वेतन के बराबर की राशि, इनमें से जो भी कम हो, गृह-निर्माण अग्रिम के रूप में स्वीकार की जाती है। केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपए की राशि या 50 महीने का मूल वेतन, जो भी कम हो, स्वीकार्य है। केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के मामले में 70,000 रु./- की अधिकतम स्वीकृत राशि को इस शर्त पर बढ़ाया गया है कि इस प्रकार की वृद्धि के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधि केन्द्रीय सरकार की कर्मचारी बीमा योजना निधि से परिवर्तित करके उपलब्ध की जाएगी। चूंकि सशस्त्र सेनाएं अपनी ही सामूहिक बीमा योजनाएं चला रही हैं और वे इस कार्य के लिए कोई भी निधि परिवर्तित करने के लिए सहमत नहीं हुई इसलिए उनके लिए मकान-निर्माण अग्रिम की राशि को 70,000 रु./- से अधिक नहीं बढ़ाया गया है।

आदिवासी अनुसंधान संस्थाएं

8401. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) देश में अब तक कितने आदिवासी अनुसंधान संस्थाएं और संग्रहालय स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में कुछ अतिरिक्त आदिवासी अनुसंधान संस्थाएं और संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ये अनुसंधान संस्थाएं और संग्रहालय कहां-कहां खोलने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) भारत सरकार द्वारा आदिवासी कला तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने और प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपाय किए गए है। इन उपायों में, राज्यों में आदिवासी भोजों का आयोजन करना, संग्रहालयों की स्थापना करना

आदिवासी उत्सवों आदिवासी जीवन तथा संस्कृति पर वृत्त चित्र तैयार करना, पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को आदिवासी कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने और सुरक्षित रखने के लिए अनुदान आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है।

(ख) भारत सरकार की सहायता से राज्यों में 13 आदिवासी अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। इन आदिवासी अनुसंधान संस्थानों में से दस में संग्रहालय हैं।

(ग) तमिलनाडु तथा मणिपुर में दो आदिवासी संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा वाहनों का हटाया जाना

8402. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-पार्किंग क्षेत्रों में पार्क किए गए वाहनों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कोई योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो वाहन हटाने की तकनीक सहित इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इन वाहनों के मालिकों द्वारा इन हटाये गये वाहनों को किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा; और

(ग) दिल्ली यातायात अधिकारियों द्वारा इस वाहन हटाने की योजना को किन-किन क्षेत्रों में लागू किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जहां भी कोई वाहन गैर पार्किंग क्षेत्रों में गलत ढंग से खड़ा किया हुआ पाया जाता है परन्तु इससे यातायात में अवरोधक नहीं होता है तो वाहन के अगले पहिये पर एक क्लैम्प लगा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, ड्राईवर की "साइड विन्डो" पर एक बड़ा स्टीकर लगा दिया जाता है ताकि ड्राइवर को पता चल जाये कि क्लैंप लगा दिया गया है और वह वाहन स्टार्ट न करे। स्टीकर से गलती करने वाले को यह सूचना भी मिल जाती है कि क्लैंप हटवाने के लिये वह पालिका बाजार के सामने यातायात पुलिस के बूथ पर पहुँचे। बूथ पर पहुँचने पर गलती करने वाला व्यक्ति गाड़ी गलत खड़ी करने के अपराध के लिये कम्पाउंडिंग फीस अदा करता है और एक पुलिस कर्मी गलती करने वाले के साथ आता है और क्लैंप खोलता है।

(ग) दिल्ली यातायत पुलिस द्वारा क्लैंप प्रणाली कनाट प्लेस क्षेत्र के आन्तरिक तथा बाहरी सर्किलों में शुरू की गई है।

सहायक ग्रेड परीक्षा, 1981 की अनुपूरक सूची

8403. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा "सहायक ग्रेड परीक्षा" 1981 की कोई अनुपूरक सूची जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटे पर नियुक्ति के लिये कितने अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई;

(ग) विभिन्न संवर्गों/मन्त्रालयों/विभागों आदि में नियुक्ति सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं;

(घ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-4 में नियुक्ति के लिये कितने अभ्यर्थियों को नामजद किया गया; और

(ङ) यदि किसी को नामजद नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) अनुसूचित जाति-10
अनुसूचित जनजाति-09

(ग) विभिन्न सेवाओं में नामांकन योग्यता-एवं-वरीयता के आधार पर किया जाता है।

(घ) भारतीय विदेश सेवा (ख) में 78 उम्मीदवारों को नामित किया गया था।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली छावनी में अवैध निर्माण के मामले

8404. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या रक्षा मन्त्री दिल्ली छावनी में अवैध निर्माण के मामलों के बारे में 27 फरवरी, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 536 और 7 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1757 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सूची में दिल्ली छावनी में सदर बाजार के तांगास्टैंड सहित अवैध निर्माण के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक कितने मामलों को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ग) किन परिस्थितियों में गैर-आवंटितियों अथवा गैर-किरायेदारों को छावनी बोर्ड की सम्पत्ति का कब्जा सौंपा गया और उन्हें बेदखल करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 27.

(ख) 4.

(ग) छावनी बोर्ड के कुछ किरायेदारों ने अपनी सम्पत्तियों को अवैध रूप से उप-किराएदारी पर दिया है। बोर्ड ने सक्षम विधि प्राधिकारियों के सक्षम ऐसे अनधिकृत कब्जेदार/गैर-आबंटियों के खिलाफ उन्हें बेदखली कार्रवाई दायर की है।

हिट एण्ड रन दुर्घटनाओं से संबन्धित शिकायतें

8405. **श्री मेवा सिंह गिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1988 के प्रथम सप्ताह तथा इसके पश्चात नारायणा, आर.के. पुरम और संसद मार्ग थाने के क्षेत्राधिकार में हिट एण्ड रन दुर्घटनाओं के मामलों के बारे में कितनी शिकायतें दर्ज की गई;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें दोषी वाहनों के नम्बर प्लेटों से नम्बर नोट करके प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पुलिस नियन्त्रण कक्ष अथवा थाने को इसकी सूचना दी गई है; और

(ग) दोषी वाहन-चालकों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इन थानों में सितम्बर, 1988 के अन्तिम सप्ताह में ऐसे दो मामले और उसके बाद 46 मामले दर्ज किए गये।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रत्यक्ष गवाहों द्वारा पी. सी. आर/थाने को दी गई सूचना के ब्यौरे

क्र. सं.	प्र. सू. रि. तारीख और पुलिस स्टेशन	अपराध की धारा	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	308/24-9-1988 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं	कार सं. डी ई डी 7598 जब्त की गई और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
2.	162/28-9-1988 थाना नरैना	279/304-क भा.दं.सं.	अथक प्रयासों के बावजूद सूरमा का पता नहीं चल पाया इसलिये कोई गिरफ्तारी नही।
	1-10-1988 से 26-4-1989 के बाद सूचित मामले		
3.	321/1-10-1988 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं.	75 सी डी 2127 (विदेशी कार जब्त नहीं की गई)
4.	329/7-10-1988 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं.	वाहन डी डी वाई 7393 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
5.	339/14-10-1988 थाना आर.के. पुरम	279/304-क भा.दं.सं.	बस सं डी ई पी-1121 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
6.	344/17-10-1988 थाना आर.के. पुरम	279/304-क भा.दं.सं.	स्कूटर डी डी ओ 654 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।

1	2	3	4
7.	402/19-11-1988 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं.	बस नं. डी. ई. पी. 637 जब्त किया गया अपराधी गिरफ्तार किया गया
8.	403/20-11-1988 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं.	टी एस आर सं. डी ई आर-417 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
9.	407/26-11-1988 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं.	एम/साईकिल सं. डी. ए. ए. 5998 जब्त नहीं किया गया गया परन्तु अपराधी गिरफ्तार किया गया।
10.	416/30-11-1988 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं.	कार सं. डी आई जी 5116 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
11.	436/9-12-1988 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं.	टी एस आर डी आई आर 696 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
12.	439/10-12-1988 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं.	वाहन सं. डी ए ई 2540 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
13.	21/13-1-1989 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं.	कार नं. डी ई ए 8986 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
14.	23/15-1-1989 थाना आर.के. पुरम	279/337 भा.दं.सं.	कार सं. 6898 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
15.	27/16-1-1989 थाना आर.के. पुरम	-वही-	मो. साईकिल सं. 7337 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
16.	32/18-1-1989 थाना आर.के. पुरम	-वही-	कार नं. डी एच बी. 2047 जब्त किया गया।
17.	47/1-2-1989 थाना आर.के. पुरम	-वही-	सं. डी बी. बी. 3315 वाहन लापता
18.	57/11-2-1989 थाना आर.के. पुरम	-वही-	कार सं. डी डी बी 3740 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।
19.	87/6-3-1989 थाना आर.के. पुरम	-वही-	सं एज एन जी 1701 वाहन जब्त किया जाना है।
20.	89/7-3-1989 थाना आर.के. पुरम	-वही-	बस नं. डी ऐच 3870 जब्त किया गया और अपराधी गिरफ्तार किया गया।

1	2	3	4
21.	99/18-3-1989 थाना आर.के. पुरम	-वही-	कार सं. डी ए डी-14 वाहन जब्त किया जाना है।
22.	120/28-3-1989 थाना आर.के. पुरम	-वही-	सं. 5944 डी आई आर वाहन जब्त किया जाना है।
23.	227/30-12-1988 थाना नरैना	279/337/ 304–क	
24.	58/17-3-1989 थाना नरैना	279/337 आई पी सी	इन मामलों में दोषी वाहन किसी के ध्यान में नही आये हैं। इसलिये अभी तक इन मामलों
25.	81/1-4-1989 थाना नरैना	279/337 आई पी सी	में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया।
26.	458/26-11-1988 थाना पी.टी. स्ट्रीट	279/337 भा.दं.सं.	जांच पड़ताल के दौरान दोषी कार जब्त की गई और मामले का चलान किया गया। दोषी न्यायालय में विचारणाधीन है।
27.	481/17-12-1988 थाना पी टी स्ट्रीट	279/304-क भा.दं.सं.	बस सं डीई पी 2364 का ड्राईवर गिरफ्तार किया गया और बस जब्त की गई। मामला अब विचारणाधीन लम्बित है।
28.	494/25-12-1988 थाना पी.टी. स्ट्रीट	279/337 भा.दं.सं.	दोषी कार सं. डी डी ई 5157 के ड्राईवर का पता लगाकर गिरफ्तार किया गया। कार जब्त की गई और अपराधी विचारणाधीन है।

पंजाब में आतंकवादियों के शिकार लोगों की विधवाओं को वित्तीय सहायता

8406. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आतंकवादियों के शिकार लोगों की विधवाओं की परेशानियों और उनके साथ किए जा रहे घोर दुर्व्यवहार की ओर दिलाया गया है : और

(ख) यदि हां, तो क्या इन विधवाओं को कार्यालयों में प्राधिकारियों से याचना करने की स्थिति से बचाने और उन्हें वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसका स्वरूप क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में सभी उपमण्डलीय मजिस्ट्रेटों को निदेश दिए गए है कि वे मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं को आवेदन प्राप्त होने के दस दिन के भीतर अनुग्रह अनुदान वितरित करा दे। आतंकवादियो द्वारा मारे गए नागरिकों की विधवाओं को रियायतें तथा सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनमें ये शामिल हैं : 20,000 रुपए का अनुग्रह अनुदान, जिन विधवाओं के पास अपना घर अथवा उसे सहारा देने लायक स्वस्थ्य सदस्य नहीं हैं उनको मुफ्त एल० आई० जी० मकान का आबंटन अथवा राजपुरा में पेप्सू टाऊनशिप विकास बोर्ड द्वारा 200 वर्ग गज भूखण्ड का मुफ्त आबंटन, 20,000/रुपए तक की ऋण सहायता, जिसके साथ जमानत अथवा सीमान्त धन के बिना 25 से 50 प्रतिशत की परिदान राशि होगी, तीन वर्षो की अवधि के लिए 250 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन, बेटी की शादी के अवसर पर 5,000 रुपए का अनुग्रह अनुदान, राज्य सरकार के तथा सहायता प्राप्त संस्थानों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पंजाबी टंकण में एक वर्ष की अवधि तक की छूट के साथ प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देना।

वेल्लौर हवाई पट्टी का विस्तार

9407. **श्री ए० जयमोहन : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में अब्दुल्लापुरम वेल्लोर हवाई पट्टी का आठवीं योजना अवधि ने विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) वेल्लोर हवाई पट्टी से कोई अनुसूचित उड़ानें परिचालित नहीं की जा रही हैं। इण्डियन एयर लाइन्स और वायुदूत लिमिटेड ने अनुसूचित विमान सेवाएं परिचालन करने में कोई रूचि नहीं दिखाई है। इसलिए इस समय इस हवाई अड्डे के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तिब्बतियों द्वारा प्रदर्शन

8408. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1989 में नई दिल्ली में इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं;

(ग) क्या सरकार को उनसे कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संदंघ में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मुख्य मांगें निम्नलिखित थी।

1. तिब्बत में तिब्बतियों के मानवीय अधिकार बहाल करना।

2. तिब्बत में तिब्बतियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकना।

3. तिब्बत को स्वतन्त्र करना।

4. तिब्बत से फौजी शासन उठाना।

5. पन्चनलामा की मृत्यु की जांच कराना।

6. दलाईलामा के पांचसूत्री कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1959, 1961 और 1965 में पारित संकल्पों को कार्यान्वित करना।

7. तिब्बत के राजनैतिक कैदियों को रिहा करना।

8. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हस्तक्षेप।

(ग) और (घ) : सरकार को प्रश्न से संबंधित ज्ञापन की जानकारी है। सरकार तिब्बत को चीन का स्वायत्त क्षेत्र मानती है।

दहेज के कारण होने वाली मौतों की जांच

[हिन्दी]

8409. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987–88 के दौरान दिल्ली में विवाहित युवा महिलाओं की जलने के कारण मृत्यु के कितने मामलों की जांच एस. डी. एम. के स्तर पर की गई ;

(ख) ऐसे कितने मामलों की जांच पुलिस के उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक स्तर पर की गई : और

(ग) इन सभी मामलों की जांच एस. डी. एम. स्तर पर न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1987 में ऐसे 59 तथा 1988 में 71 मामले थे। इन सभी मामलों में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेटों द्वारा अपमृत्यु विचारिणा संबंधी कार्रवाई की गई हैं।

(ख) ऐसे लगभग सभी मामलों की जांच-पड़ताल एच एच ओ/सहायक पुलिस आयुक्तों के पूर्ण देखरेख में उप-निरीक्षकों/सहायक उप-निरीक्षकों द्वारा की जाती है।

(ग) ऐसे सभी मामलों में केवल अपमृत्यु विचारणा ही एस डी एम द्वारा की जाती है जैसा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अधीन अपेक्षित है, जबकि आगे की तहकीकात उप-निरीक्षकों/सहायक उप-निरीक्षकों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देख रेख में की जाती है।

मद्रास–तंजावूर के बीच वायुदूत सेवा

[अनुवाद]

8410. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत सेवा द्वारा वायु सेवाओं में सुधार हेतु मद्रास-तंजावूर क्षेत्र में चलने वाली सेवा हेतु डार्नियर विमानों के स्थान पर एवरों विमान प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का इस क्षेत्र में सेवा की बारम्बारता बढ़ाने और विमान पत्तनों पर अधिक यात्री सुविधाएं देने का विचार है; और

(ग) विमानपत्तनों में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी , नहीं ।

(ख) और (ग) मद्रास-तंजावूर सैक्टर पर मौजूदा भार इतना नहीं है कि आवृत्ति में वृद्धि की जाए या बड़े आकार का विमान लगाया जाए ।

जब कि मद्रास स्थित अन्तर्देशीय टर्मिनल पर उपलब्ध सुविधाओं को पर्याप्त समझा गया है, लेकि पंछावूर में एक नए यात्री टर्मिनल परिसर के निर्माण का प्रस्ताव है ।

दिल्ली पुलिस में हैड कांस्टेबलों की सहायक सब इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नति

8411. **श्री भरत सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में वर्ष 1980 तक भर्ती किए गए हैड कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) और वर्ष 1984 तक भर्ती किए गए हैड कांस्टेबल (लिपिकीय) की सहायक सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति हो गई है;

(ख) क्या वर्ष 1973 में भर्ती हैड कांस्टेबल वायरलैस अभी भी हैड कांस्टेबल के पद पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय के पास वर्ष 1986 के हैड कांस्टेबल (वायरलैस) के पदों के उन्नयन का प्रस्ताव लंबित पड़ा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस बारे में निर्णय लिए जाने में हुई देरी के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1980 तक नियुक्त किए गए सभी हैड कांस्टेबलों (कार्यकारी) को पदोन्नत नहीं किया गया । तथापि, 1984 तक नियुक्त किए गए सभी हैड कांस्टेबलों (लिपिकीय) को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है ।

(ख) वर्ष 1973 के दौरान नियुक्त किए गए 183 हैड कांस्टेबलों में से 49 हैड कांस्टेबलों को पदोन्नत किया जाना है।

(ग) इन हैड कांस्टेबलों के लिए 1986 तक पदोन्नति के अवसर सीमित थे। जब इस विंग के लिए नए पर्यवेक्षीय पदों को स्वीकृत किया गया था।

(घ) और (ङ) तथापि 1987 में हैड कांस्टेबलों (एसिसटेंट वायरलैस आपरेटर) के 180 पदों को सहायक उप निरीक्षक (वायरलैस आपरेटर) के पदों में पदोन्नत करने, सहायक उप निरीक्षक/उप-निरीक्षक (वायरलैस आपरेटर) 30 पदों को उपनिरीक्षक (पर्यवेक्षीय संचलात्मक) के पदों में पदोन्नत करने और सहायक उप-निरीक्षक (रेडियों टैक्नीशियन) के 10 पदों को उप निरीक्षक (पर्यवेक्षीय तकनीकी) के पदों में पदोन्नत करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस पर इस मंत्रालय में विचार किया गया। दिल्ली प्रशासन से कुछ और सूचना मांगी गई है।

पश्चिमी तट पर नौसेना पत्तन (नेवलपोर्ट)

8412. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसा नौसेना पत्तन स्थापित करने का है, जिसका उपयोग केवल नौसेना द्वारा ही किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पत्तन का ब्यौरा क्या है और वह कहां स्थापित किया जाएगा, और

(ग) यह कार्य कब से आरम्भ किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) कर्नाटक में कारवार नामक स्थान पर एक एकीकृत नौसेना अड्डा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वृहत योजना (मास्टर प्लान) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में कार्य आरम्भ हो चुका है।

कृत्रिम वर्षा

8413. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूखा की स्थिति में कृत्रिम वर्षा करने के लिए कुछ उपकरणों का विकास किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) कृत्रिम वर्षा का फसलों तथा मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) जी नही। शुष्क मौसम में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए अब तक किसी उपकरण का विकास नहीं

हुआ है। लेकिन, मानसून के मौसम में बादलों की ऊँचाई, तापमान, नमी की मात्रा, आदि से संबंधित कुछ अनुकूल परिस्थितियों में वर्षा कराने के लिए देश में कुछ परीक्षण अवश्य किए गये हैं।

(ग) फसलों, वातावरण और मानव जीवन पर कृत्रिम वर्षा का प्रभाव सामान्य वर्षा के प्रभाव जैसा ही होगा। इससे किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है।

पंजाब में आतंकवादियों द्वारा जबरदस्ती वसूली की घटनाएं

8414. **डा. जी. विजय रामा राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में आतंकवादियों द्वारा की जा रही जबरदस्ती वसूल की घटनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक/ उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ख) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि डर के कारण लूट खसोट के अधिकतर मामले पुलिस को सूचित नहीं किए जाते हैं। जब कभी इस प्रकार के मामले सूचित किए जाते हैं, आवश्यक करवाई की जाती हैं। अतंकवादियों की इस प्रकार की गतविधियों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों में, संवेदनशील क्षेत्रों में छानवीन करना, आतंकवादियों के छिपने के स्थानों पर छापे मारना, गहन गश्त तथा नाकेबंदी और घात लगाना सम्मिलित है।

कल्याणमयी का कार्यकरण

8415. **श्री गंगाराम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कल्याणमयी के कार्यकरण और कर्तव्य क्या क्या हैं ;

(ख) क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंध मंडल द्वारा कल्याणमयी को मान्यता दी गयी है, और गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कल्याणमयी को सहायता स्वरूप कुल कितनी धनराशी और अन्य सुविधाएं दी गई है और इस संगठन के आय के अन्य स्त्रोत क्या है ; और

(ग) कल्याणमयी के बैनर के अंतंगत सप्रू हाउस नयी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की कालोनियों में आयोजित किए गए समारोहों पर कुल कितना खर्चा हुआ और इसकी रसीदों के माध्यम से कितनी धनराशि एकत्र की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) "कल्याणमयी" के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

(1) महिलाओं और बच्चों के कल्याण को प्रोत्साहन देने में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को महिलाओं के प्रयासों को जुटाना,

(2) बच्चों के लए रनिंग नर्सनी/के. जी. कक्षाएं और महिलाओं के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम चलाना ;

(3) सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद आदि आयोजित करना ;

(4) उपभोक्ता वस्तुओं की क्रय–विक्री ;

(5) पुस्तकालयों, विभागीय स्टोरों, दुग्ध केन्द्रों आदि की स्थापना करना ; और उनका रख-रखाव करना ।

(ख) इस संस्था को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रबंधक मंडल का संरक्षण प्राप्त है । वर्ष 1987–88 और 1988–89 ने दौरान इस संस्था को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से सहायता के रुप में 1.09 लाख रुपए की राशि और अन्य सुविधाओं के लिए 1.58 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है । संस्था को सदस्यता शुल्क, अंशदान और उसकी वस्तुओं की विक्री से 53,981 रुपए की राशि प्राप्त हुई है ।

(ग) सप्रु हाउस, नयी दिल्ली और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आयोजित समारोहों पर क्रमशः 1,42,350 रुपए और 23,308 रुपए व्यय हुए । इसकी रसीदों के माध्यम से 4,68,000 रुपए की राशि एकत्र की गयी थी ।

आदिवासियों के विरुद्ध वन भूमि के अतिक्रमण के मामले

8416. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अलीरजपुर के आदिवासी हाल ही में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे 116 आदिवासियों तथा समाज कार्य और अनुसंधान के केन्द्र के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध वन भूमि के अतिक्रमण के बारे में दायर किए गए मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं ;

(ग) क्या इस केन्द्र द्वारा भेजे गए एक अभ्यावेदन में केन्द्रीय सरकार से इस बारे में सहायता मांगी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) झाबुआ जिले में अलीराजपुर तहसील के मठवाड़ क्षेत्र के आदिवासी 7 मार्च, 1989 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये थे । राज्य वन मंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने पर यह 17 मार्च, 1989 को समाप्त हो गई थी ।

अन्य मांगों के अतिरिक्त आदिवासियों ने 116 आदिवासियों तथा क्षेत्र के अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध/अतिक्रमण के बारे में दायर किए गए मामलों को वापस लेने की मांग की थी।

(ग) भारत सरकार को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

8417. **डा. मनोज पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक में राजभाषा के केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग में शामिल न किए गए कार्यालयों में हिन्दी कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में ऐसे कार्यालय हैं जिनमें हिन्दी के पदों पर नियुक्त अधिकारी उसी पद पर नौ वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय/विभागवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उक्त विर्णय को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सम्मिलित नहीं है, हिन्दी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों की जांच करें और यदि यह पाया जाये कि पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं तो कार्यभार और पदोन्नति की जरूरत देखते हुए इन्हें बढ़ाने के उपाय करें।

न्यूक्लियर रियेक्टर के ईंधन के रूप में परमाणु अपशिष्टों का उपयोग

8418. **श्री जी. भूपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "न्यूक्लियर" रियेक्टर (उप-उत्पाद परमाणु) ऊर्जा के अपशिष्ट का विद्युत रियेक्टर ईंधन के रूप में पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा परमाणु ऊर्जा के अपशिष्ट पदार्थों को पुनः संसोधित कर न्यूक्लिलर रियेक्टर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से संबंधित अनुसंधान कार्य कर लाभ उठाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) भुक्तशेष नाभिकीय ईंधन से प्लूटोनियम को अलग किया जा सकता है और उसका उपयोग विद्युत रियेक्टर के ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

(ख) भुक्तशेष नाभिकीय ईंधन से अलग किए प्लूटोनियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नैमित्तिक मजदूरों की मजूरी

8419. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री प्रकाश चन्द्र : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इस समय कितने नैमित्तिक मजदूर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या नैमित्तिक मजदूरों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन नहीं दिया जाता; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत नैमित्तिक मजदूरों की संख्या के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7-6-88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 49014/2/86–स्था० (ग) में दिये गये आदेशों के अनुसार नैमित्तिक मजदूर से केवल ऐसा कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जो आकस्मिक अथवा आवर्तक अथवा आन्तरायिक प्रकृति का हो और जो पूर्णकालिक प्रवृति का न हो। तदनुसार, उन मामलों में, जहाँ नैमित्तिक मजदूर द्वारा किए जाने वाला कार्य नियमित कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य से भिन्न हो, उनमें नैमित्तिक मजदूर को राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984 के अधीन अधिसूचित केवल न्यूनतम मजदूरी दी जा सकती है। फिर भी, जहां नैमित्तिक मजदूर और नियमित कर्मचारी को सौंपे गये कार्य की प्रकृति एक समान हो उस स्थिति में नैमित्तिक मजदूर को एक दिन के आठ घण्टों के कार्य के लिये मंहगाई भत्ते सहित संगत वेतनमान के न्यूनतम का 1/30वा भाग दिया जाना चाहिए।

केरल को मकानों के निर्माण के लिए धनराशि

8420. **श्री के० मोहनदास** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिये मकान हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में वर्ष 1989-90 के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा बन्धक मुक्त श्रमिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की इन्दिरा आवास योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए निम्नखित धनराशि आबंटित की गई है :—

वर्ष	आवंटन (रु० लाखों में)
1986-87	470.00
1987-88	470.00
1988-89	470.00

(ख) 1989-90 के लिए केरल राज्य को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार को 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए धनराशि

[हिन्दी]

8421. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान बिहार को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया था और दिसम्बर, 1988 तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) बिहार को 1988-89 के लिए राज्य योजना में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के लिये आबंटित निधियों तथा मार्च, 1989 तक प्रत्याशित व्यय संलग्न विवरण —1 में गये हैं ।

(ख) वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में की गई वास्तविक प्रगति के सूत्रधार ब्यौरे संलग्न विवरण— 2 में दर्शाए गए हैं ।

विवरण—1

(लाख रु०)

सूत्र संख्या	मद	परिव्यय 1988-89	प्रत्याशित व्यय (मार्च, 89 तक)
1.	गरीबी के खिलाफ संघर्ष		
	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4697	4227
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	3773	5440
	सीडी तथा पंचायतें	1277	1006
	ग्राम तथा लघु उद्योग	2111	1608
2.	वर्षा पर निर्भर कृषि विकास	405	365
3.	सिंचाई जल का बेहतर उपयोग	43750	34630
4.	उन्नत कृषि	6264	5268
5.	भूमि सुधार	1425	1285
7.	पीने का/पानी/साफ (ग्रामीण स्वच्छता सहित)	2950	2625
8.	सभी के लिये स्वास्थ्य	1650	1575
9.	[illegible] बच्चों का परिवार-पोषाहार	1200	900
10.	शि[illegible]	6965	6108
11.	अनुसूचित जातियों/जनजातियों को न्याय	1630	1200
13.	यूवा वर्ग के लिए नए अवसर	215	161
14.	सबके लिये मकान	200	180
15.	गंदी[illegible]यों का सुधार	140	140
1[illegible].	वानिकी	1500	1125
17.	पर्या[illegible]ण की रक्षा	28	21
18.	[illegible] कल्याण	403	363
	ग[illegible]	2250	2237

विवरण—2

सूत्र सं०	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि (अप्रैल,88-मार्च, 89)
1 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	हजार संख्या	430	428
1 ख	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लाख संख्या	416	404.3
1 ग	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	लाख संख्या	304.6	310.6
1 घ	लघु उद्योग इकाईयां	हजार संख्या	11.0	10.2
5 क	फालतू भूमि	हजार संख्या	15.1	15.1
6.	पनर्वासित बंधूआ मजदूर	संख्या	492	494
7 क	पीने का साफ जल उपलब्ध गांव	हजार संख्या	11.0	9.9
8 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	20	31
8 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	400	407
8 ग	उपकेन्द्र	हजार संख्या	2	2
8 घ	बच्चों को रोग से बचाने के लिए बचाव के टीके	हजार संख्या	2083	2350
9 क	परिवार नियोजन वंध्याकरण	हजार संख्या	513	465
9 ख	बंध्याकरण के समतूल्य	हजार संख्या	163	93
9 ग	आई सी डी एस ब्लाक	संख्या	142	143
9 घ	आंगनवाड़िया	हजार संख्या	14.4	13.5
11 क	सहायता प्राप्त अनु. जा. परिवार	हजार संख्या	279.3	270.4
11 ख	सहायता, प्राप्त अनुसूचित/परिवार/ जनजाति परिवार	हजार संख्या	128.1	144.0
14 क	आबंटित आवासी भूमि	हजार संख्या	25.0	25.9
14 ग	इन्दिरा आवास योजना	हजार संख्या	19.3	15.7
14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का मकान	हजार संख्या	10.0	10.1
15.	गंदी बस्तियों का सुधार	हजार संख्या	43.0	43.5
14 ड़	एल आई जी मकान	संख्या	777	710
16	वृक्षारोपण	करोड़ संख्या	36	36
18	खोली गई उचित दर की दूकाने	संख्या	50	322
19 क	बिजली की सप्लाई किये गये गांव	संख्या	3342	2708
19 ख	ऊर्जा से चालू किये गये पम्पसैट	हजार संख्या	20.0	15.0
19 ग	विकसित चूल्हे	हजार संख्या	100.00	116.9
19 घ	बायोगैस	संख्या	5000	6189

दिल्ली में "लेन ड्राइविंग" प्रणाली

[अनुवाद]

8422. **श्री एच० ए० डोरा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यातायात पुलिस ने दिल्ली में "लेन ड्राइविंग" प्रणाली शुरु की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) यह देखा गया है कि चौराहों के त्रुटिपूर्ण डिजाइनों, यातायात के नियमों की अनभिज्ञता, तथा वाहन चलाने की गलत आदतों के कारण वाहन चालक चौराहों पर गाड़ियों के रास्ते पर "लेन" में बाधा उत्पन्न करते हैं। सड़कों पर यातायात को सुविधापूर्वक चलाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने विभिन्न माध्यमों के जरिये वाहन चालकों को निर्देश दिए हैं कि वे चौराहों पर पहुंचने से पहले ठीक समय पर अपनी "लेन" में आ जाएं जिससे कि यातायात सुगमता से चलता रहे ।

भारी संख्या में ईरानियों का भारत में आना

8424. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री शांतिलाल पटेल :
श्री जी. एस. बासवराजू :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, भारी संख्या में ईरानियों के पाकिस्तान होकर, गुरदासपुर तथा पड़ौसी जम्मू क्षेत्र विशेष रूप से पूंछ और राजौरी की ओर से भारत में प्रवेश करने की जानकारी है, जैसा कि 9 अप्रैल, 1989 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समय विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने ईरानी मौजूद है; और

(ग) सरकार ने इन्हें वापिस भेजने और ऐसे गैर-कानूनी आप्रवासन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार को अभी तक ईरानियों के भारत में प्रवेश करने की सूचना नहीं हैं । तथापि, भारत-पाकिस्तान सीमा से ईरानियों के छुप-छुपकर आने के प्रयासों की कुछ छुट पुट घटनाएं सूचित की गई हैं । पिछले दो वर्षों (1987-1988) के दौरान गुरदासपुर अमृतसर तथा जम्मू में ऐसे 25 ईरानियों को गिरफ्तार किया गया था ।

(ग) विदेशी अधिनियम के उपयुक्त उपबंधों के अधीन पकड़े गए ईरानियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जाते हैं।

सीमा सड़क संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण

[हिन्दी]

8425. **श्री हरीश रावत : क्या रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमा सड़क संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ सड़कों का निर्माण करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सड़कों में टनकपुर-कचेश्वर-घड्डा-झूलाघाट-जौलजी की सड़क का निर्माण भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा कराए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस क्षेत्र में टनकपुर और जौलजीबी के बीच एक सीमा सड़क है जो घाट और पिथौरागढ़ होकर गुजरती है। सीमा सड़कों के निर्माण कार्यक्रम में उपयुक्त दोनों स्थानों के बीच दूसरे किसी रास्ते से गुजरने वाली कोई अन्य सड़क शामिल नहीं की गई है।

परीक्षा केन्द्रों का चयन

8426. **श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्रों का चयन किस आधार पर किया जाता है;

(ख) इस समय बिहार में किन-किन स्थानों पर आयोग के परीक्षा केन्द्र स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का सहरसा में इस आयोग का एक परीक्षा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

कार्मिक लोक, शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्रों का चयन परीक्षार्थियों की संख्या की बहुलता तथा उस क्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) भागलपुर, चाईबासा, दरभंगा, पटना तथा रांची ।

(ग) और (घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निकटवर्ती दरभंगा जिले में आयोग का परीक्षा केन्द्र है, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रिहायशी प्लाटों का वितरण

[अनुवाद]

8427. **डा० पी० वल्लल पेरुमन :**

श्री अजय मुशरान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दिल्ली शासन ने ग्राम सभा नसीरपुर, नई दिल्ली (नजफ गढ़ जोन) के अन्तर्गत रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्ग के अन्य लोगों को रिहायशी प्लाटों का वितरण किया है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने ग्राम सभा, नसीरपुर, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई सूची और दिनांक 25 फरवरी 1984 को पारित किए गए प्रस्ताव पर विचार किए बिना ऐसे प्लाटों के प्रस्तावित लाभार्थियों की अपनी सूची तैयार की है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन की प्रस्तावित सूची सुपात्र निवासियों को लाभ पहुँचाने हेतु अत्यन्त छोटी है जबकि ग्राम सभा के प्रस्ताव (प्रस्तावों) के अनुसार काफी फालतू भूमि उपलब्ध है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है तथा जब प्राप्त हो जाएगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

परामर्श सेवाओं का निर्यात

8428. **श्री जी० एस० बासवराजू :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परामर्श सेवाओं का निर्यात वांछित स्तर तक नहीं पहुँच सका है क्योंकि तकनीकी नीति कार्यान्वयन सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं । पिछले कुछ वर्षों में परामर्श सेवाओं के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की आमदनी में वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग) प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति ने परामर्श सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित तीन मुख्य सिफारिशें की हैं;

(1) परामर्श सेवा आरक्षित निधि का सृजन

(2) निर्यात से होने वाली आय को आयकर से शत प्रतिशत छूट

(3) एक भारतीय परामर्श सेवा केन्द्र की स्थापना

सिफारिश सं० (1) के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सिफारिश सं. (2) के संबंध में, सरकार ने निर्यात से होने वाली आय पर आयकर में 50 प्रतिशत की छूट पहले ही दे रखी है। जहां तक सिफारिश सं. (3) का प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहायता से परामर्श सेवा विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है।

प्राइवेट सेक्रेटरी के नए ग्रेड में पदों का सृजन

8429. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों की प्रत्येक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में प्राइवेट सैक्रेटरी के नये ग्रेड (वेतनमान 3000 रुपये से 4500 रु० तक) के कुल कितने पदों का सृजन किया गया है;

(ख) क्या इन पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया में कुछ केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्गों के कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है और कुछ कनिष्ठ व्यक्तियों को इन पदों पर पदोन्नत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सेवा के सभी संवर्गों में सभी पदोन्नति पाने वाले व्यक्तियों में सबसे कनिष्ठ व्यक्ति के संदर्भ में तदर्थ आधार पर पदोन्नत न किए गए ऐसे वरिष्ठ व्यक्तियों की संवर्ग-वार संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में निजी सचिव के नए ग्रेड में लगभग 90 पद हैं।

(ख) से (घ) भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तक मंत्रालयों/विभागों को विकेन्द्रीकृत आधार पर पात्र अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नतियां करने की सलाह दी गई थी। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में कनिष्ठता/वरिष्ठता केवल उसी संवर्ग के भीतर के अधिकारियों के बीच ही संगत है। विकेन्द्रीकृत आधार पर की गई तदर्थ पदोन्नतियों के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती है।

विमान परिचारिकाओं की भर्ती के लिये गठित पेनल

8430. **श्री के० प्रधानी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में विमान परिचारिकाओं की भर्ती के लिए पैनल गठित करने हेतु कोई नियम विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मुख्य विमान परिचारिका नियुक्ति करने के लिए कोई प्रावधान है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया में विमानपरिचारिकाओं की नियुक्ति, भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार की जाती है। जब कभी रिक्तियां उपलब्ध होती हैं तो इन पदो के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है। पात्र उम्मीदवारों को ग्रुप चर्चा करनी होती है और जो योग्य पाए जाते हैं उनका भर्ती और पदोन्नति नियमों में व्यवस्थित चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार किया जाता है। जो उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाते हैं उनका नाम विमान परिचारिकाओं के रूप में नियुक्ति की सूची में लिख दिया जाता है। इंडियन एअरलाइन्स और एयर इंडिया के चयन बोर्ड में निम्नलिखित होते हैं :–

इण्डियन एयरलाइन्स

1. क्षेत्रीय निदेशक या उनका नामित व्यक्ति
2. परिचालन प्रबंधक या उनका नामित व्यक्ति
3. प्रबन्धक, कार्मिक सेवा या उनका नामित व्यक्ति
4. परिचालन निदेशक या उनका नामित व्यक्ति

एयर इण्डिया

1. उड़ानगत सेवा विभाग से सदस्य
2. मानव संसाधन विकास विभाग से सदस्य
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सदस्य

सदस्य वरिष्ठ स्टेशन प्रबन्धक या उसके समकक्ष स्तर का होता है।

(ग) इस समय विमान परिचारिकाओं की चयन सुची में मुख्य विमान परिचारिकाओं को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष न्यायालय

8431. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री परसराम भारद्वाज : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लोग उनके प्रति हुए दुर्व्यवहार की शिकायतें पुलिस में दर्ज करने में झिझकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगो के प्रति दुर्व्यवहार के मामलों की सुनिवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमित उरांव) : (क) सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट मामला नहीं आया है ।

(ख) और (ग) सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपराधों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों से निबटने के लिए विशेष न्यायालय विशेष सचल न्यायालय स्थापित करें । अभी तक ऐसे न्यायालय आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश राजस्थान तथा तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं ।

एअर इण्डिया द्वारा अधिक किराया लिए जाने की शिकायतें

8432. **श्री टी० बशीर :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया की गत तीन वर्षों की परियोजनाओं का वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एयर इंडिया के किराये को युक्तियुक्त बनाने का कोई प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया द्वारा किसी क्षेत्र में अधिक किराये लिये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐयर इंडिया की लगातार चल रही और नई योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) से (घ) किन्हीं भी दो देशों के बीच विमान किराये का निर्धारण किसी भी एक एयर-लाइन्स द्वारा एकपक्षीय तौर से नहीं किया जाता बल्कि अयाटा फोरम पर इसकी सहमति को जानी होती है और इसे सम्बन्धित देशों की सरकारों द्वारा समर्थन दिया जाना होता है। त्रिवेन्द्रम खाड़ी सैक्टर पर एयर इंडिया द्वारा वसूल किये जाने वाले किराये के बारे में 23 नवम्बर, 1988 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत का उत्तर भेज दिया गया था और जिसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों की परियोजनाएं

(करोड़ रुपये)

क-चालू योजनाएं	1986-87	1987-88	1988-89
1. विमान परियोजनाएं :			
(क) 747 विमान के पूर्व ऋण की वापसी	27.78	26.78	23.20
(ख) ए 300 बी विमान के ऋण की वापसी	14.26	37.70	34.99
(ग) ए 310-300 विमान की ऋण की वापसी	13.59	24.71	17.68
2. उपरी डेक सुधार	2.49	2.59	...
3. कार्यशाला उपस्कर सुविधाएं	5.85	0.86	1.95
4. अन्य परिचालनात्मक भवन	1.54	0.61	0.81
5. भूमि सेवा विभाग	0.66	0.13	0.34
6. अन्य सहायक सुविधाएं	0.17	0.76	2.58
7. कम्प्यूटर सुविधाएं उपस्कर	...	...	5.00
8. भारतीय होटल निगम में निवेशक	...	...	0.90
उप योग (क)	63.92	94.14	87.45
ख-नई योजनाएं :			
1. विमान परियोजनायें :			
(क) 1989/90 में दो ए310-300 के समकक्ष क्षमता	....	...	....
(ख) 1988/89 में दो कोम्बी के समकक्ष क्षमता	0.53	3.50	5.00
(ग) 1988 में एक 747-200 के समकक्ष क्षमता	...	...	...
2. कार्यशाला अभियांत्रिक सुविधायें	0.69	1.19	1.84
3. अन्य परिचालानात्मक भवन	0.26	0.23	1.97
4. भूमि सेवायें विभाग	0.58	1.10	0.89
5. अन्य सहायक सुविधायें	3.49	2.62	1.25
6. कम्प्यूटर सुविधायें/उपस्कर	10.26	3.15	....
7. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को अंशदान	3.75	1.50	2.43
8. वायुदूत को अंशदान	2.00	2.35	...
उप योग (ख)	21.56	15.64	13.58
कुल योग (क+ख)=(ग)	85.48	109.78	100.83

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के जाली मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

8433. **डा. टी. कल्पना देवी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1984 में आन्ध्र प्रदेश में जाली स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की अदायगी की शिकायतों की जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है, तो, इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) आन्ध्र प्रदेश में कुछ व्यक्तियों द्वारा जाली स्वीकृतियों के प्रति स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेने से संबंधित एक मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जनवरी 1985 में सौंपा गया था।

(ख) से (घ) जांच पड़ताल पूरी करने के बाद, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जाली स्वीकृतियों के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं, जालसाजों और षडयंत्रकारियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया है।

भूतपूर्व अकबर होटल के कर्मचारियों का खपाया जाना

8434. **डा. ए. के. पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय को यह वचन दिया था कि अकबर होटल के सभी भारत पर्यटन विकास निगम के भूतपूर्व कर्मचारियों को मंत्रालयों और भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में खपाया जाएगा ;

(ख) क्या विदेश मंत्रालय में नियुक्त भारत पर्यटन विकास निगम के भूतपूर्व अकबर होटल के 137 कर्मचारियों को वर्ष 1986 से उनके देय वेतन और भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं और उन्हें अभी नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) अकबर होटल के कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1986 में दायर की गई रिट की उच्चतम न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम और विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान दिया गया था कि तत्कालीन अकबर होटल के समस्त कर्मचारियों को भारत पर्यटन विकास निगम और विदेश मंत्रालय में वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की पेशकश की गई है। यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा 28.1.1988 को खारिज कर दिया गया था।

(ख) और (ग) : 137 कर्मचारियों में से नौ को भारत पर्यटन विकास निगम ने वापिस ले लिया था और विदेश मंत्रालय ने दो कर्मचारियों की सेवाएं अनुशासनिक आधार पर समाप्त कर दी थीं। शेष कर्मचारी तदर्थ आधार पर चल रहे है, उन्हें, 1.7.1986 से 1.7.1988 के दौरान मंहगाई भत्ते की 5 किस्तों सहित भारत पर्यटन विकास निगम में उनके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के अनुरूप वेतन का भुगतान किया गया है। उन्हें वर्ष 1987 और 1988 में बोनस भी दिया गया है।

विदेश मंत्रालय कर्मचारियों के नियमित करने के लिए पदों के सृजन के प्रश्न पर कार्रवाई कर रहा है।

विमान अनुरक्षण समिति

8435. **प्रो. रामकृष्ण मोरे :**

श्री टी. बसीर :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के सभापतित्व में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जो इंजीनियरों की नियुक्ति और प्रशिक्षण; कर्मशाला के उपकरणों की स्थिति तथा इंडियन एयरलाइंस के विमानों के समुचित अनुरक्षण से सम्बद्ध अन्य विभिन्न कार्यकलापों की जांच करेंगी ;

(ख) यदि हां, तो समिति की रचना क्या है और यह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी ; और

(ग) समिति द्वारा जांच किये जाने वाले अन्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार है :-

1.	श्री जे. के. मेहरा	अध्यक्ष
2.	ए. वी. एम. गौरी एस. जी. थाटे, वायुसेना मुख्यालय	सदस्य
3.	श्री आर. के. हसीजा, एयर इंडिया के सेवा निवृत्त अधिकारी	सदस्य
4.	श्री के. बी. गणेशन, भूतपूर्व कार्यवाहक नागर विमानन महानिदेशक	सदस्य
5.	श्री एस. पी. मार्या, उप महानिदेशक, नागर विमानन	सदस्य

समिति को 4 महीनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :-

इंजीनीयरों की भर्ती और प्रशिक्षण वर्कशाप और उपस्करों की हालत विभिन्न लाइसेंस और पृष्ठांकन प्रदान करना, रखरखाव संबंधी कार्यविधि और इंडियन एयरलाइंस में विमानों के पर्याप्त अनुरक्षण संबंधी मामलों की जाँच करना। यह समिति विमान उड़ान योग्यता संबंधी विनियामक नियंत्रण एवं निगरानी संबंधी कार्यविधि की भी जांच करेगी।

हैदराबाद हवाई अड्डे में उड़ान के घण्टों में कमी

8436. **श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे पर वर्ष 1985 में उड़ान के 23,116 घन्टे थे जो कि 1988 में कम होकर केवल 10,000 घन्टे रह गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन ओर पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 1985 में 11 एचएस-748 (एवरो) विमान बेड़े की तुलना में इण्डियन एयरलाइन्स के पास दिमम्बर, 1988 में केवल 4 एवरो विमानों का बेड़ा था। 1985-1988 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा वायुदूत को चरणबद्ध रूप से 7 एवरो विमान सौंपे गये थे। इन विमानों के बड़े पैमाने पर संधारण, परिवर्धन और मरम्मत का कार्य अभी भी इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अपने हैदराबाद के बेस स्टेशन पर किया जा रहा है। 1985 में, इण्डियन एयरलाइन्स के पास सभी 11 एवरो विमान 23,116 घण्टों की उड़ान भर चुके थे। 1988 में इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े के 4 एवरो विमानों के उड़ान घन्टे 13,902 थे जिसमें वायुदूत के एवरो विमानों की उड़ान घन्टे शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, 1988 के अन्त तक इण्डियन एयरलाइन्स के पास उपलब्ध 4 एवरो विमानों की प्रति विमान वार्षिक उपयोगिता 2,099 घन्टों से बढ़कर 235 घन्टे हो गई। इसके अतिरिक्त इण्डियन एयरलाइन्स सीमा सुरक्षा बल के 2 एवरो विमानों के बड़े पैमाने पर संधारण का कार्य अपने हैदराबाद बेस स्टेशन पर कर रहा है। इसलिये हैदराबाद के स्टेशन का कार्यभार गिरा नहीं, बल्कि दूसरी और इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत दोनों द्वारा एवरो विमानों की उपयोगिता में वृद्धि के कारण कार्यभार में बढ़ोत्तरी ही हुई है।

चण्डीगढ़ में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

8437. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लो को आरक्षण नीति के अन्तर्गत रोजगार के अवसर और पदोन्नति के लाभ नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों के मामले में आरक्षण नी का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का चण्डीगढ़ में आरक्षण नीति को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उ का विचार है;

(घ) चण्डीगढ़ के विभिन्न कार्यालयों में आज की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) इन रिक्तियों को भरने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी की गई "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सेवाओं में आरक्षण पुस्तिका" में निहित अनुदेशों के आधार पर किया जाता है। इसमें निर्धारित नीति सभी केन्द्रीय सेवाओं और सभी संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के लिये समान रूप से लागू हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण विभिन्न संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के वास्तविक अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पुस्तिका के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में स्थानीय आधार पर किए जाने वाले भर्ती मामलों में अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई आरक्षण नहीं हैं और इसलिए सेवाओं में छूट देने से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विमान परिचारिकाओं के विवाह पर प्रतिबन्ध

8438. **श्री निर्मल खत्री :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इण्डिया की परिचारिकाओं को तीन वर्ष की सेवा जो पहले चार वर्ष की सेवा थी, करने के पश्चात्, विवाह करने की अनुमति है किन्तु इण्डियन एयरलाइन्स की विमान परिचारिकाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हाँ, इस प्रकार की असंगतियाँ कब तक दूर कर दी जायेंगी;

(ग) क्या अन्य देशों की राष्ट्रीय एयरलाइनों में भी इस प्रकार का प्रतिबंध है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारत में इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स का निदेशक मण्डल भी मौजूदा 4 वर्ष के स्थान पर, विमान परिचारिकाओं को सेवा के 3 वर्ष के बाद विवाह करने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है।

(ग) और (घ) : विमान परिचारिकाओं के विवाह के सम्बन्ध में सभी एयरलाइनों द्वारा एक ही प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। जबकि कुछ विदेशी राष्ट्रों की राष्ट्रीय विमान कम्पनियाँ विमान परिचारिकाओं को विवाह की अनुमति देती हैं, कुछ अन्य विमान कम्पनियाँ विमान परिचारिकाओं को विवाह की अनुमति नहीं देती अथवा वे उनके बिवाह करने पर, निर्धारित सेवा अवधि का प्रतिबन्ध लगा देती हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या

8440. **श्री सी० सम्बु** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की राज्य-वार जनसंख्या कितनी है और वह देश में इनकी कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है;

(ख) वर्ष 1981 से आज तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में राज्य-वार कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुरुष तथा महिलाओं से राज्य-वार साक्षरता का प्रतिशत अलग-अलग कितनी है; और

(घ) सरकार ने उनके उत्थान के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) पिछली बार की गई 1981 की जनगणना पर आधारित आंकड़े संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं ।

(ख) पिछली जनगणना 1981 में की गई थी और राष्ट्रीय स्तर पर इसके बाद कोई जनगणना न करने के कारण इस मन्त्रालय में कोई ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) पिछली जनगणना 1981 पर आधारित आंकड़े संलग्न बिवरण-2 में दिये गये हैं ।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातितों के उत्थान के लिये जो उपाय किए जा हैं, उनमें मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसे विशिष्ट क्रमों में शैक्षिक अवसर निर्धारित करने जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से उनकी शैक्षिक र पर महत्व देना शामिल है । इन उपायों में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत विशेष धनराशि त करते हुए और प्रदान करते हुए उनके आर्थिक विकास के लिए सहायता प्रदान करना और योजनाओं को तैयार करना तथा उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं पर विधिवत ध्यान देना शामिल है । शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करते हुए सफाई कर्मचारियों की मुक्ति जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य उनका सामाजिक विकास करना है और उनमें गतिशीलता भी लानी है । मुख्यतः अपनाई गई नीति में अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजनायें हैं और आदिवासियों के लिये आदिवासी उप योजनायें है । विशेष संघटक योजनाओं और आदिवासी उपयोजनाओं एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति विकास निगमों के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता भी नीति में अपनाई गई है ।

विवरण-1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1981 की जनगणना पर आधारित			
	जनसंख्या		कुल जनसंख्या का प्रतिशत	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5
भारत*	104754623	51628638	15.75	7.76
1. आंध्र प्रदेश	7961730	3176001	14.87	5.93

2.	बिहार	10142368	5810867	14.51	8.31
3.	गुजरात	2438297	4848586	7.15	14.22
4.	हरियाणा	2464012	...	19.07	...
5.	हिमाचल प्रदेश	1053958	197263	24.62	4.61
6.	जम्मू व काश्मीर	497363	....	8.31	...
7.	कर्नाटक	5595353	1825203	15.07	4.91
8.	केरल	2549382	201475	10.02	1.03
9.	मध्य प्रदेश	7358533	11987031	14.10	22.97
10.	महाराष्ट्र	4479703	5772038	7.14	9.19
11.	मणीपुर	17753	387977	1.25	27.30
12.	मेघालय	5492	1076345	0.41	80.58
13.	नागालैंड	...	650885	...	83.99
14.	उड़ीसा	3865543	5915067	14.66	22.43
15.	पंजाब	4511703	....	26.87	...
16.	राजस्थान	5838879	4183124	17.04	12.2
17.	सिक्किम	18281	73623	5.78	23.27
18.	तमिलनाडु	8881295	520226	18.35	1.07
19.	त्रिपुरा	310384	583920	15.12	28.44
20.	उत्तर प्रदेश	23453339	232705	21.16	0.21
21.	पश्चिम बंगाल	12000768	3070672	21.99	5.63
22.	अण्डमान व निकोबार	...	22361	...	11.85
23.	अरुणाचल प्रदेश	2919	441167	0.46	69 82
24.	चण्डीगढ़	63621	...	14.09	...
25.	दादरा व नागर हवेली	2041	37760	1.97	78.82
26.	दिल्ली	1121643	...	18.03	...
27.	गोवा दमन और दीव	23432	10721	2.16	0.99
28.	लक्षद्वीप	...	81714	....	93.82
29.	मिजोरम	135	461907	0.03	93.55
30.	पांडिचेरी	96636	...	15.99	...

स्रोत : भारत की जनगणना-1981

*असम को छोड़कर जिसे जनगणना में शामिल नहीं किया गया।

-पाकिस्तान तथा चीन के गैर कानूनी कब्जे के क्षेत्र की जनसंख्या शामिल नहीं है यहां जनगणना नहीं की जा सकी।

...अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोई जनसंख्या नहीं

विवरण-2 1981 की जनगणना पर आधारित

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साक्षरता प्रतिशत			
	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
भारत	31.12	10.93	24.52	8.04
1. आन्ध्र प्रदेश	24.82	10.26	12.01	3.46
2. असम	—	—	—	—
3. बिहार	18.02	2.51	26.17	7.75
4. गुजरात	53.14	25.61	30.41	11.64
5. हरियाणा	31.45	7.06	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	41.94	20.63	38.75	12.82
7. जम्मू व कश्मीर	32.34	11.71	—	—
8. कर्नाटक	29.35	11.55	29.96	10.03
9. केरल	62.33	49.73	37.52	26.02
10. मध्य प्रदेश	30.26	6.87	17.74	3.60
11. महाराष्ट्र	48.85	21.53	32.38	11.94
12. मणिपुर	41.94	24.95	47.88	30.35
13. मेघालय	33.28	16.30	34.19	28.91
14. नागालैंड	—	—	47.32	32.99
15. उड़ीसा	35.26	9.40	23.27	4.76
16. पंजाब	30.96	15.67	—	—
17. राजस्थान	24.40	2.69	18.86	1.20
18. सिक्किम	35.74	19.65	43.10	22.37
19. तमिलनाडु	40.65	18.47	25.72	14.00
20. त्रिपुरा	43.92	23.24	33.46	12.27
21. उत्तर प्रदेश	24.83	3.89	31.22	8.69
22. पश्चिम बंगाल	34.26	13.70	21.16	5.01
23. अण्डमान और निकोबार	—	—	38.43	23.24
24. अरुणाचल प्रदेश	45.88	22.38	20.79	7.31
25. चण्डीगढ़	46.04	25.31	—	—
26. दादरा और नगर हवेली	58.52	44.74	25.46	8.42
27. दिल्ली	50.21	25.89	—	—
28. गोवा दमन और दीव	48.79	27.84	33.65	18.89
29. लक्षद्वीप	—	—	63.34	42.92
30. मिजोरम	88.33	53.33	64.12	55.12
31. पांडिचेरी	43.11	21.21	—	—

स्रोत—भारत की जनगणना—1981

× जनगणना नहीं की जा सकी

—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है।

किशोर न्याय अधिनियम 1986 में संशोधन

8441. **श्री राम प्यारे सुमन :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अपराधिक न्याय में मानवाधिकारों के संरक्षण पर अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई और अपनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को भारत के संविधान में निहित बच्चों के कल्याण के लिये उपबन्धों तथा राष्ट्रीय बाल नीति के अनुकूल बनाया गया था। चूंकि, यह अधिनियम बाल अधिकारों से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र घोषणा की भावना से जुड़ा हुआ है तथा इसमें किशोर न्याय प्रशासन के लिये संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों के तत्व भी शामिल हैं, अतः इस प्रयोजन के लिये अधिनियम में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं है।

इण्डियन एयरलाइन्स के लाभकारी हवाई मार्ग

8442. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स के किन पांच हवाई मार्गों पर मार्गवार और वर्ष-वार सबसे अधिक लाभ हुआ है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन पांच मार्गों पर सबसे अधिक घाटा हुआ है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स के निम्नलिखित पांच मार्गों पर अधिकतम लाभ हुआ है :–

1987-1988	1986-87
1. बम्बई-दिल्ली	1. बम्बई दिल्ली
2 बम्बई-मद्रास	2. बम्बई-मद्रास
3. कलकत्ता-दिल्ली	3. कलकत्ता-दिल्ली
4. बम्बई-बंगलौर	4. बम्बई-कोचीन
5. बम्बई-कोचीन	5. बम्बई-बंगलोर

1985-86

1. बम्बई-दिल्ली
2. बम्बई-मद्रास
3. बम्बई-कोचीन
4. कलकत्ता-दिल्ली
5. बम्बई-त्रिवेन्द्रम

(ख) वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स के निम्नलिखित पांच मार्गों पर अधिकतम हानि हुई :–

1987-88

1. दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-बम्बई ।
2. कलकत्ता-भुवनेश्वर-नागपुर-हैदराबाद-बम्बई ।
3. कलकत्ता-पटना-कानपुर-लखनऊ-अहमदाबाद-बम्बई ।
4. कलकत्ता-गुवाहाटी-तेजपुर-जोरहाट-गुवाहटी-कलकत्ता ।
5. दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-अहमदाबाद-बम्बई ।

1986-87

1. कलकत्ता-हैदराबाद-बंगलौर ।
2. दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-बम्बई ।
3. दिल्ली-पटना-बागडोगरा-गुवाहाटी-इम्फाल ।
4. दिल्ली-लखनऊ-इलाहाबाद-गोरखपुर-पटना ।
5. दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई ।

1985-86

1. दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई ।
2. दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-बम्बई ।
3. कलकत्ता-गुवाहाटी-तेजपुर-जोरहाट-लीलाबाड़ी-डिब्रूगढ़-तेजू ।
4. दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी ।
5. दिल्ली-कानपुर-पटना ।

शिवपुर कलां में हवाई पट्टी का निर्माण

[हिन्दी]

8443. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में शिवपुर कलां में हवाई पट्टी का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हवाई पट्टी का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

सागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) शिवपुर कलां के लिये अनुसूचित सेवाओं के परिचालन के लिये न तो इण्डियन एयरलाइंस ने और न वायुदूत ने ही कोई दिलचस्पी दिखाई है। इसलिये राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की शिवपुर में किसी विमान क्षेत्र के निर्माण की योजना नहीं है। इसके अलावा, ग्वालियर एयरपोर्ट जो शिवपुर कलां से 90 नौटीकल मील दूरी पर है और गुना एयरपोर्ट जो 70 नौटीकल मील दूरी पर है, के लिये क्रमशः इन्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत द्वारा पहले ही हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

विज्ञान परामर्श परिषद् द्वारा प्रशासनिक ढांचे में पूरी तरह परिवर्तन करने का परामर्श

[अनुवाद]

8444. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की विज्ञान परामर्श परिषद् ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य की देखभाल करने वाले प्रशासनिक और प्रबंध तन्त्र को पुनर्गठित करने तथा उसमें पूरी तरह परिवर्तन करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां। प्रधान मन्त्री की विज्ञान सलाहकार परिषद् का विचार है कि प्रस्तावित ढांचे से देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित वर्तमान और भावी क्रियाकलापों का बेहतर समन्वय होगा।

(ग) ओर (घ) यह प्रस्ताव वैज्ञानिक समुदाय और सरकार-दोनों ही स्तरों पर विचाराधीन है। इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ीसा से स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के आवेदन पत्र

8445. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को कितने आवेदन-पत्र भेजे गये;

(ख) कितने आवेदकों के पक्ष में निर्णय लिया गया और इनके नाम क्या है;

(ग) अन्य आवेदनों पत्रों की अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवेदकों को उनके आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के बारे में बता दिया गया है;

(ङ) इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा के संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए कितने पत्र प्राप्त हुए; और

(च) इन पत्रों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करने के लिए अपनी सिफारिशों के साथ भारत सरकार को भेजे गए आवेदनों की कुल संख्या 472 थी ।

(ख) कुल 110 मामले उनके पक्ष में निपटा दिये गए हैं। सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा जिन 472 मामलों की सिफारिशें की गई थीं, उनमें से 86 मामले अन्तिम रूप से रद्द किये गये हैं और आवेदकों को उनकी सूचना भेजी गई है ।

(ङ) और (च) उड़ीसा के सांसदों से कुल 13 पत्र प्राप्त हुए हैं जब भी ऐसे पत्र मिलते हैं, मामले पर उचित कार्यवाई की जाती है ।

विवरण

वर्ष 1986 से आज तक उड़ीसा के जिन आवेदकों को पेंशन मंजूरी की गई उनकी सूची

1986

क्र. सं.	नाम	जिला
	सर्वश्री/श्रीमती	
1.	नित्यानन्द भुइया	देनकनाल
2.	धानी देहुरी	देनकनाल
3.	चक्रधर परीदा	पुरी
4.	मुलमनी शाहू	पुरी
5.	लोकनाथ प्रधान	पुरी
6.	श्रीमती सुना बेरूदा	पुरी
7.	श्रीमती चारूबाला पति	कटक
8.	श्रीमती जानकी देवी	गंजम
9.	श्रीमती विमला पुजाई	कोरापुट
10.	अशोक परीदा	बालासौर
11.	श्रीमती सरोजिनि महापात्र	गंजम
12.	श्रीमती लक्ष्मी जेना	कटक

क्र. सं.	नाम	जिला
	सर्वश्री/श्रीमती	
13.	मालती लता जेना	कटक
14.	श्रीमती अहिल्या देवी	बालासौर
15.	शखाल चन्द्र सिंह	बालासौर
16.	श्रीमती उदिया समाल	पुरी
17.	अपार्ती मैता	पुरी
18.	नरसिंह नायक	गंजम
19.	अराखिता बरीसाल	पुरी
20.	श्रीमती झिन्ती खापर्दे	बालासौर
21.	श्रीमती राधा गोंडा	कोरापुट
22.	राजेन्द्र पाण्डा	गंजम
23.	जगन्नाथ दास	बालासौर
24.	गोडाबारिशा मिश्रा	पुरी
25.	सत्यनारायण चौधरी	पुरी
26.	नारायण दास	पुरी
27.	राजेन्द्र पाण्डा	गंजय
28.	श्रीमती रायमोती भोतरूनी	कोरापुट
29.	दुर्जन भात्रा	कोरापुट
30.	अब्दुल जलील शाह	कटक
31.	अन्तर्जयामी जेना	पुरी
32.	ईश्वर नायको	गंजम
33.	भीकारी शाहू	डेनकनाल
34.	खेतर मोहन बेहेरा	बालासौर
35.	त्रिनाथ चौधरी	गंजम
36.	अराखिता नायक	पुरी
37.	ब्रन्दावन सारंग	बालासौर
38.	सुरेन्द्र नाथ पटनायक	कटक
39.	गोविन्द चन्द्र बेहेरा	बालासौर
40.	भागपत प्रधान	बालासौर

1987

क्र. सं.	नाम	जिला
	सर्वश्री/श्रीमती	
41.	खाली मोटलिक	बालासौर
42.	अलेखा बिसवाल	कटक
43.	श्रीमती बसन्ती जेना	बालासौर
44.	श्रीमती सरदी रथ	पुरी
45.	श्रीमती शकुन्तलादास	कटक
46.	भजनचन्द्र मोहन्ती	सुन्दरगढ़
47.	महिकिशोर महाराणा	बालासौर
48.	श्रीधर ओझा	बालासौर
49.	रविन्द्र मोहनदास	बालासौर
50.	भास्कर चन्द्र प्रधान	बालासौर
51.	भगवान प्रतिहार	पुरी
52.	द्रोपती मिर्धा	बालासौर
53.	ईश्वर स्वैन	कटक
54.	प्राण किशोर सारंग	पुरी
55.	श्रीमती धिरमानी देवी	कटक
56.	हेमेन्द्र नाथ महापात्र	बालासौर
57.	श्रीमती सिकाल्दी मांझी	कोरापुट
58.	श्रीमती त्रिवेणी पांडा	बालासौर
59.	श्रीमती खुरापाडा पुनलेनी	बालासौर
60.	श्रीमती रेमती भोतनी	कोरापुट
61.	मल्लिका सिवाल	ढ़ेनकनाल
62.	कौशल्या भगत	कोरापुट
63.	श्रीमती सुखी बेवा	बालासौर
64.	गोडहारी मिश्रा	बालासौर
65.	श्रीमती मनु घोष	सम्बलपुर
66.	बन्चा निधि पांडा	पुरी
67.	श्रीमती रानी बेवा	पुरी

क्र. सं.	नाम	जिला
	सर्वश्री/श्रीमती	
68.	श्रीमती भुदुरी भुमिया	कोरापुट
69.	पवित्र मोहन प्रधान	ढ़ेनकनाल
70.	मगाता प्रधान	ढ़ेनकनाल
71.	बामदेव परीफा	कटक
72.	सचिदानन्द राऊतराय	कटक
73.	देबराज बलियार सिंह	पुरी
74.	घ्रुव चरण खोसिया	पुरी
	1988	
75.	फणिभूषण दास	बालासौर
76.	नील मणि मिश्रा	पुरी
77.	उच्छबा शाहू	पुरी
78.	घ्रुब चरण बहेड़ा	पुरी
79.	सबिता बेन बी. जोशी	संभलपुर
80.	श्रीमती मालती चौधरी (स्वतः)	ढ़ेनकनाल
81.	श्रीमती कुजी मुझियानी	कोरापुट
82.	भूतपूर्व मुख्म मंत्री नील मणि राउत्रे	भुवनेश्वर
83.	डा० राधा नाथ रथ	कटक
84.	श्रीमती साधबणी बेवा	बालासौर
85.	श्रीमती सावित्री देवी	संभलपुर
86.	श्रीमती सुशिका महोपात्र	पुरी
87.	श्रीमती चित्रा गन्डुरी	गंजम
88.	श्रीमती मुक्ता देवी	पुरी
89.	बेरागी नायक	पुरी
90.	प्रिया नाथ मजूमदार	कोरापुट
91.	महाराज सचमनदास	बालासौर
92.	पदमचनण बिहारी	कटक
93.	भुबनी दल सिंगम	पुरी
94.	जगन्नाथ प्रधान	पुरी

क्रम सं.	नाम	जिला
	सर्वश्री/श्रीमती	
95.	श्रीमती रहश बेवा	गंजम
96.	भर्मार मांझी	पुरी
97.	चक्रधर दास	पुरी
98.	खगेश्वर पांडा	गंजम
99.	ईश्वर विश्वारी	पुरी
100.	अन्नला गुआमी खण्डायात्रे	पुरी
101.	चित्रमणि राउत	पुरी
102.	श्यामसुन्दर महाराणा	पुरी
103.	मेहर गोदरा	सुन्दरगढ़
104.	अनथा दास	पुरी
105.	चिंतामणि दास	पुरी
106.	श्रीमती सुना रौता	गंजम
107.	अर्जुन सविचन्द्रन	पुरी
108.	दंडबेहड़ा	गंजम
109.	आरती मंगाराज	पुरी
110.	बानाबार नायक	पुरी

फतेहगढ़ छावनी में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*8446. **श्री खुर्शीद आलम खां** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना की आवश्यकता पूर्ति के लिए फतेहगढ़ छावनी में कुछ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या अधिग्रहण की जाने वाली भूमि छोटे और सीमान्त किसानों की है और इसके अधिग्रहण से उनकी जीविका का साधन छिन जाएगा;

(ग) क्या इस भूमि के अधिग्रहण से कुछ गांव प्रभावित होंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या मुआवजा की दर बहुत ही कम है और विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पर्याप्त मुआवजा देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ङ) फतेहगढ़ छावनी में भूमि अर्जित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन सैनिक प्राधिकारियों द्वारा सात गाँवों की लगभग 1100 एकड़ भूमि का प्रारम्भिक रूप से पता लगाने का कार्य किया जा चुका है। यदि कोई भूमि अर्जित की जाएगी तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाएगा।

दिल्ली में चोरी के मामले

*8447. **श्री कस्तूरी नारायण स्वामी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में 1988 और 1989 के दौरान चोरी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) कितने मामले हल किये गये और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ग) क्या नार्थ एवेन्यू, पुलिस स्टेशन क्षेत्र में विशेष रूप से संसद सदस्यों और अधिकारियों के नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, महादेव रोड, डा० विशम्बर दास रोड, रकाब गंज रोड आदि स्थित फ्लेटों/बंगलों में चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्रों में चोरी और अपराध के मामलों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बर) : (क) 1988 के दौरान ऐसी 22 शिकायतें प्राप्त हुई चालू वर्ष के दौरान (30-4-1989 तक) 17 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) 1988 के दौरान, चोरी का एक मामला निपटाया गया और 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जबकि 1989 में (30-4-1989 तक) चोरी के आठ मामले निपटाये गए थे और 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में चोरी के मामलों में कुछ कमी हुई है जबकि कुछ अन्यों में मामूली वृद्धि हुई है।

(घ) अपराध को रोकने के लिये, अधिकारियों के एक दल को हाल ही में सादे कपड़ों तथा वर्दी में प्रवावित क्षेत्रों में दिन-रात की ड्यूटी पर तैनात किया गया है। दल ने जाल बिछाया तथा नाकाबन्दी इत्यादि भी की है। गश्ती दलों द्वारा क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त लगाई जा रही है।

राज्यों तथा केन्द्र के स्वतन्त्रता सेनानियों पर लागू होने वाले पेंशन नियमों में अन्तर

*8448. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्यों द्वारा जिन नियमों के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मंजूर की जाती है उन नियमों में असमानता है;

(ख) यदि हाँ, तो इन नियमों में असमानता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन स्वतन्त्रता सेनानियों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार की पेंशन नहीं दी जाती है, राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त करने में काफी कम पेंशन मिलती है और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है; और

(ङ) देश भर में स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए समान नियमों को लागू करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों की उनकी पेंशन स्कीमों के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तें केन्द्रीय स्कीम से भिन्न हैं। जबकि केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत पात्रका के लिए अपेक्षित यातना की न्यूनतम अवधि 6 माह है, राज्य स्कीमों के अन्तर्गत यह अवधि एक दिन से तीन महीने तक भिन्न-भिन्न है। अपनी स्कीमों के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारें स्वतन्त्र हैं।

(घ) यह मामला पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ङ) केन्द्र और राज्य स्कीमें भिन्न-भिन्न है और उन पर व्यय क्रमशः केन्द्रीय और राज्य राजस्वों से वहन किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय स्कीम पूरे देश में सम्मान रूप से कार्यान्वित की जाती है।

दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा आवासीय परिसरों में अतिक्रमण

*8449. **श्री राज करनसिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर 29 मार्च, 1989 को अनधिकृत रूप से बसन्त कुंज सेक्टर "ए" नई दिल्ली स्थित आवासीय परिसर में प्रवेश करके तीन नाबालिग बच्चों को अन्य सम्पत्ति सहित अपने साथ ले जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में उक्त पुलिस कर्मियों ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर यह कार्य किया तथा क्या ऐसा करते समय उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी;

(ग) उपरोक्त घटना से संबंधित पुलिस कर्मियों और अन्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त घटना की किसी स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा कोई पूछताछ/जाँच पड़ताल कराने का विचार है तथा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान ,

(ख) और (ग) : दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से अतिक्रमण करने से इन्कार किया है, डिब्रूगढ़, असम के अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के आदेशों के तहत बच्चों को बरामद करने तथा सम्पत्ति को बरामद करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने उक्त परिसर में प्रवेश किया था ।

(घ) और (ङ) : दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध अधिकारियों ने एक न्यायालय द्वारा जारी किये गए बरामदगी के वारंट में निहित आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए ही सरकारी ड्यूटी निभाई ।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर विस्फोट

8450. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता हवाई अड्डे पर विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना की कोई जाँच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 11 अप्रैल, 1989 को बम्बई स्थित एक कूरियर मैसर्स ब्लेज फ्लैश कूरियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ले जाए जा रहे एक पैकेट में 1155 बजे काउन्टर नं० 3 और 4 के बीच एक बम फट गया बताया जाता है कि यह धमाका उस समय हुआ जब कम्पनी का एक प्रतिनिधि उस दिन की कलकत्ता बम्बई की उड़ान आईसी-273 में बुकिंग से पहले एक करियर बैग का वजन करवाने ले जा रहा था ।

(ग) और (घ) : पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और कूरियर के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है ।

सभी नागरिकों के लिए पहचान पत्र

8451. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी नागरिकों को पहचान पत्र देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना को पूरा करने के लिये कितना समय चाहिए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

तट-रक्षकों द्वारा सोना पकड़ा जाना

8452. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट-रक्षकों ने 13 अप्रैल, 1989 को गोवा समुद्र तट से दूर मारे गए छापे में 5-5 करोड़ रुपये मूल्य का निषिद्ध सोना पकड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) राजस्व सतर्कता निदेशालय द्वारा एकत्र की गई सूचना के आधार पर तटरक्षक बल और राजस्व सतर्कता निदेशालय ने 13 अप्रैल, 1989 को गोवा तट से दूर ग्रेण्डे द्वीप समूह के नजदीक एक संयुक्त कार्रवाई की जिसके परिणामस्वरूप "फिशरमैन" नामक "धो" को रोका जिसने लगभग 5.03 करोड़ रुपए मूल्य के 1350 सोने के बिस्कुट पकड़े गए।

"अग्नि" प्रक्षेपास्त्र छोड़ा जाना

8453. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाँदीपुर में "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो यह परीक्षण कब किया गया था और इसके क्या परिणाम रहे ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, नहीं। 20 अप्रैल, और 1 मई को "अग्नि" के उड़ान परीक्षण की योजना को स्थगित करना पड़ा क्योंकि अधोमुखी-गणना (काउन्ट डाउन) के अन्तिम चरण के दौरान इसमें कतिपय तकनीकी त्रुटियाँ पाई गई।

सफाई कर्मचारियों की मुक्ति

8454. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना किन किन राज्यों में आरम्भ की गई है;

(ग) क्या यह योजना उड़ीसा में भी आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) सभी राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू सफाई कर्मचारियों की मुक्ति की प्रायोजित योजना वर्ष 1980-81 से प्रचलित हैं। अभी तक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तामिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने इस योजना के अंतर्गत अपना समान अंशदान प्रदान करते हुए केन्द्रीय सहायता प्राप्त की है।

(ग) और (घ) इस योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा सरकार को 127.77 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी थी।

ससुराल वालों को परेशान करना

8455. **श्री वाई. एस. महाजन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्त्रीधन में शामिल मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विवाहित महिलाएं, जो विशेषकर सेवारत हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क,406 के उपबन्धों का दुरुपयोग करती है और दहेज में मिले स्त्री धन के सामान को ससुराल वालों द्वारा अपने पास रखने के आधार पर झूठी शिकायतें दर्ज कराकर अपने पतियों तथा ससुरालवालों को तंग करने तथा उनका अपमान करने का प्रयास करती है;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी शिकायत की प्रमाणिकता के बारे में कोई जांच अथवा पुष्टि किए बिना पतियों तथा ससुराल वालों को ही गिरफ्तार करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने पतियों और उनके माता-पिताओं/सम्बन्धियों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों में संशोधन करने सहित अन्य क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ताकि उन्हें इस तरीके से पुलिस द्वारा परेशान किये जाने से बचाया जा सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) स्त्रीधन में शामिल मदों का ब्यौरा देना संभव नहीं है, एक हिन्दू वधू को दी गई अथवा उसके विवाह के समय दी गई वस्तुएं या अन्य सम्पत्ति समेत महिला के अधिकार में आने वाली संपत्ति जिसके उपभोग और निपटान में उसका एकाधिकार हो, वह उसका स्त्रीधन है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में टैंकों का निर्माण

8456. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने टैंकों के निर्माण हेतु अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को यह काम सौंप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले टैंकों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" का भारी मात्रा में निर्माण करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । लेकिन मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के एक आद्यरूप को एसेम्बल किया गया है और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर में इस प्रणाली को समाकलित किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत पर्यटन विकास निगम में मजूरी में संशोधन

8457. **श्री विजय कुमार यादव** :

श्री नारायण चौबे : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में कर्मचारियों की मजूरी, अन्य लाभ और सेवा शर्तों आदि में औद्योगिक दैनिक भत्ते के आधार पर संशोधन जुलाई, 1986 से देय है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों/रिपोर्ट द्वारा लाभान्वित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक यूनिट से कर्मचारियों की वेतन और पदवार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में बजट आवंटन और भारत पर्यटन विकास निगम की भुगतान क्षमता का कोई असर पड़ा है तो वह क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल कैटरिंग स्थापना के उन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन और अनुषंगी लाभ, जो समझौतों का भाग हैं, में संशोधन जुलाई, 1986 से देय है जो औद्योगिक दैनिक भत्ते पैटर्न पर हैं।

(ख) से (घ) उच्च शक्ति-प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। भारत और पर्यटन विकास निगम सहित सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों का स्वरूप और परिमाण सरकार द्वारा इन पर लिये निर्णयों पर निर्भर करेगा।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम के बजट में इसके लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों को निदेशक के रूप में पदोन्नत किया जाना

8458. **श्री सीताराम जे० गावली** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने श्रेणी एक अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों के लिए सुरक्षोपाय किए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को इन सुरक्षोपायों द्वारा निदेशक के पद पर पदोन्नति के मामले में संरक्षण प्रदान किया जाना है; और

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारियों को वर्ष 1987 और 1988 के दौरान निदेशक पद हेतु बनाये गये पैनलों में शामिल किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) निदेशक/समतुल्य पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में शामिल नहीं किए जाते हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में शामिल उच्चतम पद इसका चयन ग्रेड (उप सचिव/समतुल्य) है। तथापि जांच समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) द्वारा सेवा रिकार्डों का कठोर मूल्यांकन करने के बाद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के जिन अधिकारियों को निदेशक के पद पर नियुक्ति के उपयुक्त पाया जाता है, उन्हें निदेशक के स्तर पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता सूची में शामिल कर लिया जाता है। अतः समूह "क" के भीतर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनु-

सूचित जनजाति के अधिकारियों के सुरक्षोपायों से सम्बन्धित अनुदेश केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की निदेशक/समतुल्य पद पर नियुक्ति के मामले में लागू नहीं होते हैं।

(ग) वर्ष 1987 के लिए—2

वर्ष 1988 के लिए—कोई नहीं

नए मीट्रिक मानक समय का प्रस्ताव

8460. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे। कि :

(क) क्या देश में नए मीट्रिक मानक समय लागू करने के लिए मीट्रिक कैलेंडर तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार का कैलेंडर किसी अन्य देश में लागू किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हमारी जानकारी के अनुसार इस प्रकार का कैलेंडर किसी अन्य देश में शुरू नहीं किया गया है।

खान-पान प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के होस्टल में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का पहुंचना

8461. **श्री एन. डेनिस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास स्थित होटल प्रबंध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान के होस्टलों में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के पहुँचने की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार को मद्रास स्थित होटल प्रबंध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान के होस्टल में नशीले पदार्थों के पहुँचने सम्बन्धी कोई सूचना या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खान-पान संस्थानों के छात्रों को होटलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण

8462. **श्री एन. डेनिस :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल प्रबंध खान-पान एवं पोषाहार संस्थान के छात्रों की गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे होटलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने की अनुमति है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) होटल प्रबंध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थाओं के छात्रों के लिए व्यावहारिक कक्षाएं संस्थानों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं । तथापि, 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 24 सप्ताह की अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण भी पाठ्यक्रम का एक आवश्यक अंग है । होटल प्रबंध संस्थान के विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के होटलों द्वारा प्रदान किया जाता है ।

अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले लोग

8463. **श्री एन. डेनिस :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों में से पकडे गये लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से महिलाओं की संख्या कितनी है ;

(ग) उनकी राष्ट्रियता किस-किस देश की है ; और

(घ) इन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को उनके देश वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा सामान खरीदा जाना

8464. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री इंडियन एयरलाइंस द्वारा सामान खरीदे जाने के बारे में 3 अप्रेल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4394 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों/कम्पनियों के नाम क्या हैं जो इंडियन एयरलाइंस के सामान की सप्लाई के लिए गत एक वर्ष के दौरान सूची में शामिल किये गये उपक्रमों सहित इंडियन एयरलाइंस की सूची में शामिल हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम से कितनी राशि के सामान की खरीददारी की गई है ;

(ग) क्या एकल निविदा प्रणाली (सिंगल टेन्डर सिस्टम) में खरीददारी करते समय इंडियन एयरलाइंस में सरकारी नियमों का पालन किया जाता है ;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इंडियन एयरलाइंस द्वारा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकारी/राज्य क्षेत्र के उपक्रमों/कम्पनियों के नामों के ब्यौरे दर्शाने वाला और 1987-88 और 1988-89 के दौरान उनमें से प्रत्येक से की गई खरीददारी के ब्यौरे दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) से (ङ) : इंडियन एयरलाइंस में खरीददारी करने के लिए एक विस्तृत खरीद प्रक्रिया है जिसमें सिंगल टेन्डर के आधार पर की गई खरीददारी सहित विभिन्न प्रकार की खरीददारी शामिल होती है । इस विषय पर सरकार द्वारा जारी कार्यविधि और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सार्वजनिक/राज्य क्षेत्रों के उपक्रमों से खरीददारी करते समय किया जाता है बशर्ते कि उनके उत्पाद/भंडारण निगम की अपेक्षित विशिष्टताओं के अनुरूप है ।

विवरण

पिछले दो वर्षों (1987-88 और 1988-89) में इंडियन एयरलाइंस द्वारा सार्वजनिक/राज्य क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से खरीदे गये स्टोर्स और खरीददारी के ब्यौरे

क्रम सं	उपक्रम का नाम	निम्नलिखित के दौरान खरीद 1987-88	1988-89	कुल राशि
1	2	3	4	5
		(लाख रूपए में)		
1.	इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. हैदराबाद	50.36	126.96	177.32
2.	सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, नयी दिल्ली ।	–	2.89	2.89
3.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर/नयी दिल्ली ।	2.02	6.86	8.88
4.	अपट्रान; नयी दिल्ली/लखनऊ	17.90	3.78	21.68
5.	केरल स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० नई दिल्ली ।	0.81	2.84	3.65
6.	मारूति उद्योग लिमटेड, नई दिल्ली ।	0.88	0.92	1.80

1	2	3	4	5
7.	भारत अर्थ मूवर्स लि० नई दिल्ली/बंगलौर	56.43	–	56.43
8.	हैदराबाद आलविन, नई दिल्ली/हैदराबाद	–	0.36	0.36
9.	टेनरी एण्ड फूटवियर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली/कानपुर।	0.60	–	0.60
10.	नेशनल टैक्सटाइल्स लि० नई दिल्ली/कानपुर अहमदाबाद/कोयम्बतूर	16.85	58.05	74.85
11.	कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कार्पो० लि० बंगलौर	–	44.69	44.69
12.	"मृगनयनी" मध्य प्रदेश सरकार एम्पोरियम	–	24.81	24.81
13.	हैंडीक्राफ्टस एण्ड हैंडलूमएक्सपोर्टस कार्पो०, नई दिल्ली।		20.27	20.27
14.	भारतीय तेल निगम, बम्बई।	170.24	288.69	458.93
15.	भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, बम्बई।	165.95	–	165.95
16.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन मार्केटिंग निगम लिमिटेड, शिमला।	10.00	8.50	18.50
17.	महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लि० नागपुर	27.80	7.50	35.30
18.	सरकारी फल परिरक्षण फैक्टरी, सिक्किम।	36.50	3.25	39.75
19.	राष्ट्रीय कृषि सहयोग फेडरेशन लि०, नई दिल्ली।	–	7.50	7.50
20.	केरल कृषि फल उत्पाद, केरल।	–	2.25	2.25

पाकिस्तान से आई महिला शरणार्थियों द्वारा धरना

8465. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में चल रहे कल्याण केन्द्रों को बन्द करने संबंधी उस सरकारी निर्णय का विरोध करने के लिए पाकिस्तान से महिला शरणार्थियों ने, गत मास के दौरान उनके निवास स्थान के बाहर धरना दिया था, जिसने उनके जीविकोपार्जन के एक मात्र साधन को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन कल्याण केन्द्रों को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इन केन्द्रों को पुनः चलाने और उन्हें सक्रिय एकक बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान दिल्ली प्रशासन के अनुसार प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रहा है कि इन केन्द्रों में काम करने वाले सभी कार्मिकों को निरन्तर काम मिलता रहे।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा "उदित" पत्रिका का प्रकाशन

8466. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा "उदित" नाम से प्रकाशित पत्रिका को 4 अप्रैल, 1989 से प्रारम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पत्रिका को किस विदेशी फर्म ने प्रकाशित किया है तथा किस विचार से प्रकाशित किया है;

(ग) इस पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए सामग्री तैयार करने की किस एजेंसी को चुना गया तथा इसके लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) इस एजेंसी का चयन किस ढंग से किया गया है; इसका कितनी अवधि के लिये चयन किया गया है तथा इसके पारिश्रमिक का भुगतान करने की क्या शर्तें हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) पत्रिका का प्रकाशन भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा और इसकी छपाई का कार्य एक विदेशी फर्म द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रकाशन के लिए विषयों इत्यादि का चुनाव भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गठित विभागीय दल द्वारा किया जाता है जो इस संबंध में संपादकीय मण्डल की सहायता करता है।

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत जांच

8467. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायधिकरणों की स्थापना के बाद से अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत वर्ष-वार कितने मामले दायर किये गये;

(ख) प्रत्येक वर्ष, 1 जनवरी को लम्बित मामलों की संख्या कितनी-कितनी थी;

(ग) न्यायाधिकरणों द्वारा वर्ष-वार कितने मामले निपटाए गए;

(घ) इन मामलों में न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गये निर्णय में वर्ष-वार कितने व्यक्ति विदेशी राष्ट्रिक पाये गये; और

(ङ) इन मामलों में कितने व्यक्ति विदेशी राष्ट्रिक नहीं पाये गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) सरकार से मिली सूचना के अनुसार, आई. एम. डीं. टी. अधिनियम, 1983 के अधीन स्थापित किये गये अवैध प्रवासी (निर्धारण) न्यायाधिकरणों को भेजे गये मामलों की संख्या तथा उनके द्वारा निपटाये गये मामलों, जिसमें प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, को लम्बित पड़े मामलों की संख्या शामिल है, की संख्या निम्न प्रकार है :–

वर्ष	न्यायाधिकरण को भेजे गये मामले	न्यायाधिकरण द्वारा निपटाये गये मामले	प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को लम्बित पड़े मामले
1984	495	83	—
1985	287	221	412
1986	4212	99	478
1987	3914	105	4521
1988	4529	1676	8400
1989	669	307	11253

(फरवरी, 79 तक)

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्यों में अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात करना

8468. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार ऐसे मामलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनमें राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिये केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को तैनात किया गया;

(ख) इस तैनाती के कुल दिनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्द्ध-सैनिक बलों की स्थिति नियन्त्रण में रखने के लिये गोली चलानी पड़ी थी और यदि हां, तो ऐसे मामलों और उनमें मृत-व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तैनाती के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के कोई सिपाही मारे गये अथवा घायल हुए; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में अर्ध स्थायी और अस्थायी आधार पर तैनात किये गये अर्द्ध-सैनिक बलों के बारे में सूचना संलग्न विवरण—1 में दी गई है।

(ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सिविल प्राधिकारियों को सहायता देने के लिए तैनात अर्द्ध-सैनिक बल सदैव स्थानीय प्रशासन के नियन्त्रणाधीन कार्य करते हैं। अर्द्ध-सैनिक बलों को यदि फायरिंग करनी पड़े तो उसे स्थानीय अधिकारियों के आदेशों के अधीन और प्रायः स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कारंवाई करके किया जाता है इसलिये फायरिंग किये जाने की संख्या बताना तथा उसमें मारे गये व्यक्तियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

(घ) और (ङ) 1986 और 1988 के मध्य तैनातगी के दौरान मारे गये और घायल हुए अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या संलग्न विवरण–2 में दी गई है।

विवरण—1

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जिनमें केन्द्रीय बलों को अर्ध-स्थायी आधार पर तैनात किया गया और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जिनमें अस्थायी आधार पर केन्द्रीय बल तैनात किये गये।

अर्द्ध-स्थायी आधार पर :- अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, मणिपुर, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, और सिक्किम।

अस्थायी आधार पर :–

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1986	1987	1988
1. आन्ध्र प्रदेश	फरवरी सितम्बर	दिसम्बर	अर्द्ध-स्थायी आधार पर
2. बिहार	(फरवरी, 1986 से अर्द्ध स्थायी आधार पर)		
3. गुजरात	अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर	मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर	जुलाई, 1988 से अर्द्ध-स्थायी आधार पर
4. हरियाणा	फरवरी, जुलाई अगस्त	जून	मई, 1988 से अर्द्ध-स्थायी आधार पर
5. हिमाचल प्रदेश	मई	—	अप्रैल, मई
6. केरल	—	मार्च	—
7. मध्य प्रदेश	जून	—	—
8. उड़ीसा	अप्रैल	—	—
9. तमिलनाडु	अक्तूबर	—	फरवरी, दिसम्बर
10. गोवा	जून, अगस्त, सितम्बर	जनवरी, फरवरी मार्च, अप्रैल, मई	—
11. लक्षद्वीप	—	—	जनवरी

विवरण—2

1986 और 1988 के मध्य तैनातगी के दौरान मारे गए और घायल हुए अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मारे गए	घायल हुए
1. असम	2	4
2. अरुणाचल प्रदेश	—	5
3. बिहार	1	4
4. दिल्ली	3	25
5. गुजरात	—	14
6. जम्मू और कश्मीर	—	68
7. मेघालय	—	10
8. मणिपुर	18	6
9. मिजोरम	—	1
10. त्रिपुरा	7	14
11. नागालैंड	1	1
12. पंजाब	70	157
13. उत्तर प्रदेश	—	8
14. पश्चिम बंगाल	12	101
15. सिक्किम	1	—
16. हरियाणा	—	2
17. हिमाचल प्रदेश	—	1

मलमूत्र से उर्जा तैयार करना

8469. **श्री के० रामचन्द्रन रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा और कुछ अन्य शहरों में मलमूत्र से उर्जा तैयार करने के लिए परीक्षण के तौर पर योजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम जर्मनी/स्वीडन/न्यूजीलैंड आदि जैसे देशों के विचारों को ध्यान में रखा है, जिन्होंने ठोस वैज्ञानिक कारणों से इस प्रकार उर्जा तैयार करने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) बड़ौदा स्थित वाहित मल किरणन संयंत्र प्रदर्शन के तौर पर लगाया गया एक संयंत्र है। संयंत्र को चालू करने का काम चल रहा है। इस संयंत्र से प्राप्त परिणामों का अध्ययन करने के बाद ही अन्य नगरों में ऐसे संयंत्र लगाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) पश्चिमी जर्मनी में एक वाहित मल संसाधन संयंत्र काम कर रहा है और हम उस देश के साथ सूचना का आदान-प्रदान करते रहे हैं। हमें अमरीका और जापान में काम कर रहे लगभग इसी प्रकार के संयंत्रों के बारे में भी जानकारी है। विभिन्न देशों में नागरिकों के कुछ वर्ग न्यूक्लिअर तकनीकों का विरोध कर रहे हैं किन्तु ऐसा नहीं है कि उनका विरोध हमेशा वैज्ञानिक आधार लिए हुए हो।

पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करना

8470. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करने के बारे में निर्धारित किए गये नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जाता है।

(ख) वर्ष 1988 के दौरान कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में इस आशय के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(ग) कितने आवेदन पत्रों पर अनुकूल निर्णय लिया गया; और

(घ) पति पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करने के कितने आवेदन पत्र निर्णयाधीन पड़े हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार ने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत पति और पत्नी को प्रशासनिक व्यवहार्यता की सीमाओं के भीतर यथा-संभव एक ही स्थान पर साथ-साथ तैनात करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है।

(ख) (ग) और (घ) चूंकि सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा तैनाती के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी ही ऐसे आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है इसलिए प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों को आमतौर पर समुचित कारंवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को भिजवा दिया जाता है। ऐसे मामलों को केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं किया जाता है।

कालीकट हवाई अड्डे से वायुदूत सेवा

8471. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री पी. ए. एन्टनी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे और अन्य हवाई अड्डों के बीच वायुदूत सेवा आरम्भ करने का निर्णय सर्वप्रथम कब लिया गया था;

(ख) कालीकट से किन-किन स्थानों के लिए इस समय वायुदूत सेवा उपलब्ध है और इनमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) मूल योजना को लागू करने में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन उड़ानों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) वायुदूत द्वारा वर्ष 1981 में विमानन सेवा से जोड़े जाने वाले 25 स्टेशनों को अनुमोदित सूची में कालीकट को शामिल किया गया था।

(ख) कालीकट में मद्रास, कोचीन, अगत्ती, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम के लिए परिचालित सेवाओं पर अब तक यात्रियों की संख्या काफी उत्साहवर्धक रही है।

(ग) हाल ही में कालीकट के हवाई अड्डे का विकास किया गया है। परन्तु विमानक्षमता की कमी के कारण वायुदूत तत्काल कालीकट से परिचालन आरंभ नहीं कर सका।

(घ) वायुदूत पहले ही कालीकट के लिए और कालीकट से होकर सप्ताह में छः सेवाएं परिचालित कर रहा है और इस समय उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हैलीकाप्टरों की सुरक्षा के लिए समिति

8472. **डा. बी. एल शैलेश :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैलीकाप्टरों के रखरखाव और सुरक्षा प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए हैलीकाप्टर कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा स्वीकृत एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा क्या प्रमुख सिफारिशें की गई और इन पर विशेषकर बम्बई में हैलीकाप्टर पायलट प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या गत वर्ष तीसरी एयरलाइन वायुदूत के समय वैसे ही कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस समिति द्वारा की गई कुछ अन्य मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में विशेषकर हाल ही में पूर्व क्षेत्र में हुई विमान दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की है तथा इनसे क्या सीख ली है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) : जी, हां।

(ख) समिति ने सरकार को अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति ने वायुदूत के गुणवता नियंत्रण ढ़ावें, अनुरक्षण सुविधाएं और तकनीकी मानव शक्ति आधार को सुदृढ़ करने की सिफारिश की है और अन्य बातों के साथ-साथ निष्पादन क्षेत्रों को सुधारने की दृष्टि से कमियों और बिलम्बों पर भी निगरानी रखने का सुझाव दिया है।

वायुदूत ने अधिकतर सिफारिशों का पालन कर लिया है और शेष सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

असैनिक विमानों के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश

8473. **डा. बी. एल. शैलेश** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में असैनिक विमानों के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन दिशा-निर्देशों को मंजूर कर लिया है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) योजना आयोग ने देशों में असैनिक विमानों तथा इसके कलपुर्जों के निर्माण की सम्भावनाओं के अध्ययन के विषय में एक बल का गठन किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपयुक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों का निर्माण/नवीकरण

8474. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों से नए हवाई अड्डों के निर्माण अथवा पुराने हवाई अड्डों के नवीकरण करने के कोई अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार, विवेषकर उड़ीसा से प्राप्त अनुरोधों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) नये हवाई अड्डों के निर्माण और पुराने हवाई अड्डों के नवीनीकरण के बारे में प्राप्त अनुरोधों की राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है और जहां इन्हें ठीक पाया जाता है, निधियों की उपलब्धता और एयरलाइनों के प्रचालकों इत्यादि की आवश्यकताओं के आधार पर, परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कार्रवाही की जाती है।

विवरण

राज्य का नाम	प्राप्त अनुरोध
1. तमिलनाडु	क) सेलम में हवाई अड्डे का निर्माण
	ख) तूतीकोरिन में हवाई अड्डे का निर्माण
2. कर्नाटक	क) गुलमर्ग में हवाई अड्डे का निर्माण
	ख) हुबली हवाई अड्डे का निर्माण
	ग) बादामी में हवाई अड्डे का निर्माण
	घ) भद्रावती हवाई अड्डे का निर्माण
3. आंध्र प्रदेश	क) तिरूपति हवाई अड्डे का उन्नयन
	ख) विजयवाड़ा हवाई अड्डे का उन्नयन
4. केरल	क) कोचीन हवाई अड्डे का उन्नयन
5. जम्मू और काश्मीर	क) राजौरी में हवाई अड्डे का निर्माण
	ख) सूरनकोट में हवाई अड्डे का निर्माण
	ग) किस्तवार में हवाई अड्डे का निर्माण
	घ) कारगिल में हवाई अड्डे का निर्माण
6. हिमाचल प्रदेश	क) भुंतर हवाई अड्डे का उन्नयन
	ख) शिमला में हवाई अड्डे का निर्माण
	ग) गगल में हवाई अड्डे का निर्माण
7. महाराष्ट्र	क) नान्देड़ हवाई अड्डे का उन्नयन
	ख) औरंगाबाद हवाई अड्डे का उन्नयन
	ग) शिरड़ी में हवाई अड्डे का निर्माण
8. गुजरात	क) अहमदाबाद हवाई अड्डे का उन्नयन
	ख) दीसा हवाई अड्डे का विकास
9. मध्य प्रदेश	क) रीवा हवाई अड्डे का विकास
	ख) साहा हवाई अड्डे का विकास
10. उड़ीसा	ग) सीमित अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए भुवनेश्वर हवाई अड्डे का उन्नयन
11. सिक्किम	क) गंगटोक में हवाई अड्डे का निर्माण

12. नागालैंण्ड	क) दीमापुर हवाई अड्डे का उन्नयन
13. मिजोरम	क) एजवाल हवाई अड्डे का उन्नयन ख) लैंगपुई/लैंगलुई में हवाई अड्डे का निर्माण
14. मेघालय	क) तूरा पर हवाई अड्डे का निर्माण
15. असम	क) मिसा में हवाई अड्डे का निर्माण
संघ शासित क्षेत्र	**प्राप्त अनुरोध**
1. पाण्डिचेरी	1. पाण्डिचेरी में हवाई अड्डे का निर्माण
2. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	2. पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का उन्नयन

प्रतिबन्धित पुस्तकों का प्रकाशन और बिक्री

8475. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सैटेनिक वर्सेस" नामक पुस्तक को प्रतिबन्ध के बावजूद इसे भारत में तस्करी से लाया जा रहा है और महानगरों में चोरी छिपे इसकी बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा इसकी तस्करी तथा चोरी छिपे इसकी बिक्री को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि किताब को समग्र और आशिक रूप में उद्धत करने अथवा छापने पर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद कई अखबारों और पत्रिकाओं ने आपतिजनक खण्डों का प्रकाशन किया है और क्या प्रतिबन्ध के उल्लंघन की इन घटनाओं को सरकार की जानकारी में लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन अखबारों तथा पत्रिकाओं के नाम क्या हैं तथा प्रतिबन्ध के उल्लंघन के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) देश में प्रतिबन्धित पुस्तकों की सम्भावित तस्करी के प्रति विभिन्न सीमा शुल्क कलक्टरियों को बाकायदा सतर्क कर दिया है। राजस्व आ सूचना निदेशालय को भारत में पुस्तकों की तस्करी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) और (घ) : इस प्रकार की आपत्ति जनक सामग्री की नकल प्रकाशन के प्रति कारवाई करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। इस सम्बन्ध में राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को सतर्क कर दिया गया है। अखिल भारतीय आधार पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

पंजाब में रेल पटरियों की सुरक्षा

8476. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री शांतिलाल पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में हाल ही में आतंकवादियों द्वारा रेल पटरियों के तोड़ फोड़ करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) पंजाब में रेल पटरियों की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलगाड़ियों में डकैती और हत्या की घटनाएं

8477. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनें के दौरान चलती रेलगाड़ियों में डकैती और हत्याओं की कितनी घटनाएं हुई और गत तीन वर्षों के दौरान हुई घटनाओं की तुलना में इनकी संख्या कितनी है;

(ख) डकैतियों में कितनी धनराशि का माल लूटा गया, हत्या करने के क्या कारण थे; और

(ग) रेलयात्रियों की जान-माल की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) रेलों में अपराधों के मामलों को सरकारी रेलवे पुलिस समेत जो राज्य सरकारों के नियन्त्रण में कार्य करती हैं, राज्य सरकार की एजेन्सियों को सूचित किया जाता है जो उन्हें दर्ज करती है और उनकी जांच पड़ताल करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हत्या तथा, लूटपाट के मामलों के बारे में उपलब्ध सूचना विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) अपराध की रोकथाम करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हैं। सरकारी रेलवे पुलिस जो राज्य सरकारों के नियन्त्रण में काम करती है, स्थानों, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार सुपर फास्ट/मिल/एक्सप्रेस गाड़ियों में गार्ड प्रदान करती है। रेलवे सुरक्षा बल जब भी आवश्यक हो, इस कार्य में सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता भी करता है।

वर्ष 1986-1987 और 1988 में राज्यवार हुई लूटपाट तथा हत्याओं की संख्या

	1986		1987		1988	
	लूटपाट	हत्या	लूटपाट	हत्या	लूटपाट	हत्या
1. आन्ध्र प्रदेश	...	....	...	..	...	..
2. अ.नि. प्रशासन	...	...	...	...	...	...

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3. अरुणाचल प्रदेश	...	...	...	...	...	...
4. असम	28	3	29	13	5	4
5. बिहार	...	...	9	2	10	3
	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए					
6. चण्डीगढ़		...	...	...	...	...
7. द. व दीव	...	...	...	...	...	...
8. दा. न. हवेली	...	....	...	...	...	...
9. दिल्ली	...	...	...	...	...	...
10. गोवा	...	...	...	....	....	...
11. गुजरात	7	...	6	...	2	
12. हरियाणा	...	1	...	...	....	...
13. हिमाचल प्रदेश	...	...	...	...	...	...
14. जम्मू एवं कश्मीर	...	...	...	...	...	...
15. कर्नाटक	3	...	2	...	...	...
16. केरल	...	...	...	...	...	...
17. लक्षद्वीप	...	...	...	...	...	....
18. महाराष्ट्र	21	3	24	3	59	2
19. मध्य प्रदेश	7		...	...	...	...
आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			आंकड़े प्राप्त नहीं हुए	
20. मेघालय	...	...	...	...	...	...
21. मिजोरम	...	...	...	...	...	...
	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए					
22. मणिपुर	..	...	...	...	...	...
23. नागालैंड	....	...	..	...	...	...
24. उड़ीसा	13	...	9	..	6	...
25. पांडिचेरी		...	...	...	...	...
26. पंजाब	...	...	...	...	...	...
27. राजस्थान	4	...	7	...	6	....
28. सिक्किम	...	...	...	...	...	...
29. तमिलनाडू	...	...	...	...		...
30. त्रिपुरा	...	...	...	...	...	...
31. उ० प्रदेश	43	3	21	9	12	3
32. प० बंगाल	...	...	...	...	32	...

टिप्पणी—का अर्थ है शून्य सूचित किया गया।

सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को खपाने के लिये नये नियम

8478. **श्री पी०एम० सईद** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम एककों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को खपाने के लिये कुछ नये नियम बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी उपक्रम एककों में खपाए गए कार्मिकों को सभी लाभ प्राप्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त हैं;

(ग) इन नए नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वेच्छा से स्थायी तौर पर अन्तर्लयन चाहने वाले सरकारी कर्मचारी के लिये शर्तों तथा निबन्धनों को शासित करने वाले आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी, 1986 के का० ज्ञा० सं० 28016/5/85—स्था० (ग) के अधीन जारी किये गये थे। किसी पूर्ण एकक/विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में स्थानान्तरण की शर्तों तथा निबन्धनों को शासित करने वाले आदेश पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग के दिनांक 13-1-1986 के का० ज्ञा० सं० 4 (8)/85-पी० एण्ड पी० डब्ल्यू के अधीन जारी किए गए थे। इसके पश्चात् कोई नये आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग) : यह प्रश्न नहीं उठता।

वर्धा योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

8479. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को वर्धा योजना के लिये तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया था, और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आश्वासन की पूर्ति के लिये अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1984 में 13.91 करोड़ रु० के केन्द्र के हिस्से सहित 183.94 करोड़ रु० के परिव्यय की एक मसौदा वर्धा योजना अग्रेषित की थी। मसौदा योजना में राज्य सरकार द्वारा और संशोधन किया गया और जिसे 178.42 करोड़ रु० कर दिया गया जिसमें केन्द्र का हिस्सा 13.24 करोड़ था। चूंकि यह महसूस किया गया कि वर्धा योजना पूरी तरह गांधी जी के सिद्धान्तों और दर्शनको परिलक्षित नहीं करती, राज्य सरकार को सलाह दी गई कि वह स्कीम की अधिक विस्तार से पुनः जांच करे। राज्य सरकार से पता चलता है कि उन्होंने वर्धा जिले की

विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु सातवीं योजना में 17 करोड़ रु० की व्यवस्था की है। यह भी सूचना मिली है कि 1986-89 के दौरान, राज्य सरकार ने इस जिले के लिये नियमित जिला योजना परिव्ययों के अतिरिक्त 4.43 करोड़ रु० का व्यय किया है जबकि 1989-90 के लिये 2.20 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को एक मुश्त राशि

8480. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि 9 अप्रैल, 1989 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सितम्बर, 1986 में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए वायदे के अनुसार पश्चिम बंगाल को 4,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि पूरी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वायदे के अनुसार दी जाने वाली कुल एक मुश्त राशि में से अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार को बकाया राशि कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है।

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) पैकेज की विभिन्न मदों के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

सितम्बर, 1986 में पंजाब बंगाल के लिए घोषित पैकेज की मदों तथा उनमें हुई प्रगति

क्र. सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	राशि (करोड़ रु.)	स्कीम/परियोजना का स्तर
1.	आई. एप. सी. आई में जूट आधुनिकीकरण निधि	150.00	सम्भवतः वाली जीवनक्षम जूट मिलों के आधुनिकीकरण /पूर्नवास के लिए 150 करोड़ रु० की जूट आधूनिकीकरण निधि स्थापित की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत 14 जूट मिलों के लिए कुल 57.29 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। स्वीकृत ऋणों में से अब तक 8.90 करोड़ रु० का ऋण वितरित कर दिया गया है। इस निधि के अन्तर्गत हो रही प्रगति की एक समिति द्वारा सचिव, कपड़ा की अध्यक्षता में ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है।

2.	पूनर्वास के लिए पुनः खोलने के लिए तथा पुनः संरचना के लिए जूट विशेष निधि (यह उत्पाद शुल्क के उन्मूलन के लिए प्रतिस्थानी हैं)	100.00	एक विशेष विकास गिधि स्थापित की गई है तथा जूट उद्योग तथा जूट कृषि विकास के पूर्नवास तथा पूनः संरचना के लिए 100 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध करायी जायगी। इस निधि के अन्तर्गत अलग-अलग स्कीमों की प्रगति की उच्च स्तरीय समिति द्वारा सचिव, कपड़ा की अध्यक्षता में समीक्षा की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत 1987-88 के दौरान 11.55 करोड़ रु० की कुल धनराशि जारी की गई है।
3.	दूसरा हूगली बांध (आई.सी.ए.एम.)	80.00	दूसरे हूगली बांध के लिए वित्तीय सहायता 150 करोड़ रु० से बढ़ाकर 230 करोड़ रु० की गई। भारत सरकार की स्वीकृति 29.6.88 को प्रेषित की गई। पहले ही वचनवद्ध 150 करोड़ रु० की राशि जारी की गई है। इस प्रकार पैकेज में किए गए वायदे के मुताबिक 80 करोड़ रु० में से 24.88 करोड़ रु० की राशि जारी कर दी गई है। शेष राशि राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार जारी की जाएगी।
4.	सुपर बाजार की तरह के भंडार	1.04	प्रारम्भ में ही 1.07 करोड़ की सम्पूर्ण राशि स्वीकृत की गई तथा परियोजना का कार्य प्रगति पर है।
5.	614 आबादकर कालोनियों को नियमित करना	93.00	607 कालोनियों की भूमि के अधिग्रहण के लिए 27 फरवरी, 1987 को 84.36 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई तथा उसी वर्ष उनकी स्थापना पर व्यय के लिए 7.64 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की गई। राज्य सरकार ने 5 वर्षों में इस कार्यक्रम को पूरा करना है। 31.3.88 तक राज्य सरकार को 13.52 करोड़ रु० जारी किए गए हैं।
6.	रेलवे यात्री निवास	3.00	1987-88 के बजट में 3.07 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर कार्य की स्वीकृति दी गई। वर्ष 1987-88, 1988–89 तथा 1989–90 के लिए क्रमशः 1.0 करोड़ 1.95 करोड़ रु० तथा 0.68 करोड़ रु० का आवंटन है।

7.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र तथा कैंसर अस्पताल का एकीकरण	4.00	12.7.1987 से चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के रूप में दो संस्थाओं का एकीकरण किया गया है। निदेशक के पद की नियमित आधार पर 15 फरवरी, 1988 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की गई है। एकीकृत निकाय को धन प्रदान करने के लिए भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच व्यय को बांटने का तरीका निकाला जा रहा है।
8.	कलकत्ता एयरपोर्ट पर नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल	23.00	स्कीम संसोधित की गई थी तथा जून, 1988 में आई.एस.आई. द्वारा नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए 19.58 करोड़ रु० की राशि के अनुमान अनुमोदित किए गए। नींव कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो इस वर्ष सितम्बर/अक्तूबर तक पूरा करने की योजना है। संशोधित समय-सूची के अनुसार, नया टर्मिनल 31-3-1993 तक चालू कर दिया जाएगा।
9.	गंगासागर तथा मायापूरी में यात्रिकाएं	0.30	गंगासागर में याभिका की अनुमानित लागत 19.52 लाख रु० है जिसमें से पर्यटन विभाग का अंश सहायता अनुदान के रूप में 17.56 लाख रु० है। मायापुरी में यात्रिका की अनुमानित लागत 12.80 लाख रु. है जिसमें से पर्यटन विभाग का अंश सहायता अनुदान के रूप में 11.56 लाख रु. है। अब तक पर्यटन विभाग द्वारा इन दोनों यात्रिकाओं के लिए 9.00 लाख रु. की धनराशि जारी की गई है।
10.	साल्ट लेक स्टेडियम को पूरा करने के लिए अनुदान	10.00	10.00 करोड़ रु० की पूरी राशि पं० बंगाल सरकार द्वारा जारी तथा खर्च की गई। साल्ट लेक स्टेडियम, कलकत्ता में जुटाई गई सुविधाओं का उपयोग नवम्बर, 1987 में हुई दक्षिण एशियायी संघ खेलों में किया गया।
11.	राष्ट्रीय नेताजी सुभाष खेलकूद संस्थान का पूर्वी केन्द्र (सुविधाओं का विस्तार)	3.00	सुविधाओं के विस्तार के लिए सातवीं योजना में 3.54 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है। 283.58 लाख रु. की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है तथा बाकी की धनराशि सातवीं योजना के अंत तक जारी कर दिए जाने की उम्मीद है जबकि सुविधाओं का विकास कार्य भी पूरा हो जाय।

12.	समुद्री मत्स्य पालन केन्द्र एवं अनुसंधान केन्द्र, दीघा	1.97	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने सितम्बर, 1986 में भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण की इस स्कीम को स्वीकृत दी थी। प्रथम चरण का निर्माण कार्य चल रहा है तथा जून, 1989 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। मत्स्य पालन केन्द्र जून, 1990 तक काम करना शुरू कर देगा। 31-12-1988 तक 63 लाख रु० (संशोधित) खर्च हो चुके थे।
13.	कोयला पर्यावरण तथा पूंजीनिवेश के दृष्टिकोण से 67.5 मे.वा. क्षमता वाली 2 इकाइयां स्थापित करने के लिए सी ई एस सी के लिए स्वीकृति	210.00	210.75 करोड़ रु० की लागत से 67.5 मे. वा. वाली दो इकाइयां सितम्बर, 1986 में विद्युत विभाग द्वारा अनुमोदित की गई जिनका वित्त पोषण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना है 1) पं. बंगाल सरकार से ऋण 32.81 करोड़ रु. 2) वित्तीय संस्थाओं से ऋण 135.79 करोड़ रु. 3) सी ई एस सी का अंशदान 42.15 करोड़ रु.
14.	दीघा—तमलूक लाइन	5.00	कार्य का अनुमोदन किया गया। परिशोधित अनुमानित लागत 100 करोड़ रु. है। 1987-90 के तीन वर्षों में 9.00 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई।
15.	पं० बंगाल इलैक्ट्रानिक विकास निगम	6.00	वेबल एन्ड सीमन्स इन्डिया लि. की एक जायंट वैन्चर कम्पनी बनायी गयी है। औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहभागिता के लिए स्वीकृत, पूंजी निवेश की वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस तथा कच्चा माल आयात करने के लिए स्वीकृत जारी कर दी गई है। वह एक वाणिज्यक परियोजना है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता ग्रस्त नहीं है।
16.	सूचना तथा प्रसारण	12.30	(क) सितम्बर, 1986 में 10 कि. वा. का हाई पावर ट्रांसमीटर कूर्सीयांग, में शुरू किया गया। (ख) मार्च, 1987 में लो पावर (100 वा.) का टी वी ट्रांसमीटर दार्जिलिंग को चालू किया गया। (ग) 19-11-1987 को कलकत्ता में दूरदर्शन सेवा का दूसरा चैनल शुरू किया गया।

			(घ) कलकत्ता में नए दूरदर्शन स्टूडियो के लिए व्यावसायिक उपकरण फरवरी, 1987 में पूरा किया गया।
			(ङ) आकाशवाणी केन्द्र, सिलीगुड़ी में 100 कि. वा. मे. वा. के दो ट्रांसमीटर चालू किए गए- पहला सितम्बर, 1986 में तथा दूसरा अगस्त, 1987 में।
			(च) आकाशवाणी केन्द्र, कुर्सीयांग में स्टूडियो। उम्मीद थी कि यह मार्च, 1988 तक चालू कर दिया जाएगा। इसमें देरी हो गई है क्योंकि स्टूडियो के लिए तैयार किया गया भवन अभी सी आर पी एफ के पास है। इन छः परियोजनाओं के लिए 17.90 करोड़ रु. खर्च किए गए।
17.	करेंसी प्रेस	300.00	परियोजना पर विचार कर लिया गया है उसे सार्वजनिक निवेश बोर्ड की अनुमोदनार्थ भेजा गया है। भूमि अधिग्रहण, भूमि सर्वेक्षण तथा मृदा जांच पूरी कर ली गई है।
18.	पांच केन्द्रीय विद्यालय	5.00	केन्द्रीय विद्यालयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
19.	फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पोलिटेक्निक	0.06	फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए कार्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए जे. सी. बोस पोलिटेक्निक को सामुदायिक पोलीटेक्निक में परिवर्तित कर दिया गया है।
	कुल पैकेज :	1007.67	

बंगलौर में रविवार तथा अन्य छुट्टी के दिनों में आरक्षण काउन्टरों को खोलना

8481. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइंस के आरक्षण कार्यालय रविवार तथा अन्य सामान्य छुट्टियों के दिन भी खोले जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर में ट्रैवल एजेन्टों के कार्यालय भी रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन बन्द रहते हैं; और

(ग) क्या जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार बंगलौर स्थित इंडियन एयरलाइंस के आरक्षण कार्यालयों को रविवार तथा छुट्टियों के दिनों आधा दिन खोलने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सी. आर. टी. सुविधा के साथ बंगलौर पर इण्डियन एयरलाइंस का सिटी आरक्षण कार्यालय रविवार और छुट्टी के दिनों सहित सभी दिनों में जनता के लिए 10.00 बजे से 20.00 बजे तक खुला रहता है। जबकि टिकेटिंग सुविधा 10.00 बजे से 17.00 बजे तक उपलब्ध रहती है, जिसमें लंच ब्रेक 13.00 बजे से 13.45 वजे रहता है, लेकिन पृष्ठांकन रद्दकरण, पूछ-ताछ आदि जैसी सुविधाएं रविवार और छुट्टी के दिनों सहित सभी दिनों में 10.00 बजे से 20.00 बजे तक उपलब्ध रहती है।

बंगलौर में संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव

8482. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलौर और दक्षिण क्षेत्र के अन्य स्थानों से केन्द्रीय सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की सहायता के लिए बंगलौर में संघ लोक सेवा आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर और बम्बई के बीच विमान उड़ानों की बारम्बारता में वृद्धि करना

8483. **श्री० वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और बम्बई सेक्टर में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रतीक्षा सूची में काफी यात्रियों के नाम शामिल होते हैं;

(ख) इस सेक्टर में प्रति दिन कितनी विमान उड़ानें संचालित की जाती हैं; और

(ग) क्या इस सेक्टर में एयरबस अथवा अतिरिक्त बोइंग विमानों की सेवायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। मंगलौर-बम्बई सैक्टर पर प्रतीक्षा सूची नगण्य ही होती है, परन्तु बम्बई-मंगलौर सैक्टर पर प्रतीक्षा सूची काफी लम्बी होती है। तथापि, लम्बी प्रतीक्षा सूची हमेशा वास्तविक मांग का सही पैमाना नहीं होती है।

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स मंगलौर-बम्बई-मंगलौर सैक्टर पर दो बोइंग-737 (आई० सी-159/160 और आई० सी-179/180) दैनिक सेवा का परिचालन कर रही है।

(ग) मंगलौर हवाई अड्डा इस समय एयरबस 30 विमानों के परिचालन के उपयुक्त नहीं है। इस समय मंगलौर-बम्बई-मंगलौर सैक्टर पर अतिरिक्त बोइंग सेवाएं परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"कुरुवा" समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

8484. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने "कुरुवा" समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार "कुरुवा" समुदाय को अनुसूचित जन-जाति की सूची में शामिल करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है। इस स्तर पर, और आगे जानकारी नहीं दी जा सकती।

यात्रियों की पुनः जांच

8485. **श्री अनूपचन्द शाह :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अप्रैल, 1989 को आई. सी. 130 विमान से यात्रा कर रहे यात्रियों से उनकी दोबारा जाँच करने के लिये विमान से बाहर आने को कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) एक यात्री विमान पर सवार होने से पूर्व निर्धारित सुरक्षा जांच कराये बिना विमान में चढ़ गया था। सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार सभी यात्रियों को विमान से बाहर आना आवश्यक होता है और अपने सामान की पुनः जांच करानी होती है। संबंधित यात्री की भी निर्धारित जांच की जानी थी।

जबरन सेवानिवृत्त किए गए अधिकारियों को रोजगार

8486. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने अधिकारियों और जूनियर रैंक के कर्मियों को जबरन सेवानिवृत्त किया गया तथा उक्त अवधि में इनमें से वर्षवार वास्तव में ऐसे कितने कर्मचारियों को नियमित रोजगार मिलेगा एवं प्रत्येक मामले में तत्संबंधी प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) रोजगार हेतु ऐसे अधिकारियों और जूनियर रैंक के कर्मियों की इस समय कुल संख्या कितनी है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) अनुमानतः इस प्रश्न में रक्षा सेनाओं के उन अफसरों और जूनियर रैंक के अफसरों के बारे में सूचना मांगी गई है जो अपने-अपने रैंकों में सेवा की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं अथवा जो अशक्तता के आधार पर सेवामुक्त कर दिये जाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अफसर जो बर्खास्तगी, सेवा से हटाये जाने अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवा से पदच्युत किये जाने के कारण सेना छोड़कर चले जाते हैं उन्हें भूतपूर्व सैनिकों के रूप में किसी प्रकार की रियायत अथवा पुनर्रोजगार की सहायता के लिये पात्रता नहीं दी जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान जो अफसर तथा उससे नीचे के रैंक के अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर चुके हैं अथवा अशक्तता के आधार पर सेवामुक्त किए गए हैं उनकी संख्या इस प्रकार हैं :—

	1986		1987		1988	
	अफसर	जूनियर रैंक	अफसर	जूनियर रैंक	अफसर	जूनियर रैंक
थलसेना	503	28097	705	37966	847	32303
वायुसेना	142	3957	137	4391	184	5028
नौसेना	30	1324	45	918	38	1252

2. उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिन सेवानिवृत्त अफसरों और उनसे नीचे के रैंकों के अधिकारियों को केन्द्रीय/राज्य सरकारों और उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया है, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1986		1987		जून, 1988 तक	
अफसर	जूनियर रैंक	अफसर	जूनियर रैंक	अफसर	जूनियर रैंक
117	24,683	100	19,642	97	8,421

3. सेवा निवृत्त होने वाले अथवा अशक्तता के आधार पर सेवामुक्त किए जाने वाले सभी रक्षा सेवा कार्मिक सिविल क्षेत्र में पुनः रोजगार पाने के लिये तुरन्त पंजीकरण नहीं कराते हैं, अतः इस सम्बन्ध में इस प्रकार के आंकड़े रखना संभव नहीं है जिनके आधार पर सही-सही रूप से यह बताया जा सके कि किसी एक वर्ष में सेवानिवृत्त हुए अथवा अशक्तता के आधार पर सेवामुक्त किये गये कार्मिकों में से उक्त वर्ष में कितने भूतपूर्व सैनिकों को वास्तव में रोजगार दिया गया है।

4. 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार उन भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या, जिन्हें पुन; रोजगार के लिये पंजीकृत किया गया है और रोजगार दिया जाना है, 2,60,751 है।

भूतपूर्व सैनिकों की रोजगार सम्बन्धी मांग

8487. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों ने यह मांग की है कि उन्हें भी असैनिकों की तरह 58 वर्ष की आयु तक रोजगार दिया जाए; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व सैनिक की समस्याओं पर विचार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार द्वारा इस मांग का अध्ययन किया जाना चाहिए और इसके मानदन्ड बनाने चाहिए। तदनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में एक समिति ने इस मांग का अध्ययन किया था और प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच करने के पश्चात ईसे व्यावहारिक नहीं पाया।

राजस्थान में इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी केन्द्र

8488. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में एक प्रमुख इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) इलैक्ट्रानिकी विभाग ने इलैक्ट्रानिक उत्पादों का विकास करने तथा ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम तथा साथ ही एक प्रयोगिक परियोजना के रूप में जयपुर, राजस्थान में ग्रामीण इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि० (आर ई आई एल), जयपुर के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप-योजना

8489. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू की गई विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप-योजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) विशेष संघटक योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास और उनके जीवनस्तर में सुधार करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं ।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारें आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए और गैर-आदिवासियों द्वारा शोषण के विरूद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोनों कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार की संख्या निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मध्य प्रदेश लाभ प्राप्त परिवारों की संख्या		राजस्थान लाभ प्राप्त परिवारों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1986-87	191513	241862	124802	86616
1987-88	224073	201000	137033	94231
1988-89	188086	229281	130953	69452

(ग) मध्य प्रदेश में विशेष संघटक योजना के अंतर्गत सामान्य कार्यक्रमों का प्रबोधन जिलों तथा विभागाध्यक्षों से प्राप्त होने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है । इन इन रिपोर्टों में वित्तीय और भौतिक दोनों ब्यौरे शामिल होते हैं । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र 11—क के अंतर्गत प्रगति का प्रबोधन करने हेतु विभिन्न विभाग-अध्यक्षों से मासिक रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं ।

राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मन्त्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्तरीय संचालन समिति का गठन किया हुआ है जो इन कार्यक्रमों की संपूर्ण प्रगति की समीक्षा और प्रबोधन करती है । इस समिति की दो महीने में एक बार बैठक होती है । लक्ष्यों से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का तिमाही मूल्यांकन भी नियमित रूप से किया जाता है । जिला

स्तर पर जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा एवं प्रबोधन समिति के माध्यम से प्रगति की समीक्षा एवं प्रबोधन नियमित रुप से किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए समिति की बैठक का आयोजन हर महीने किया जाता है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान की आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अधीन आर्थिक रुप से सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के ब्यौरों का प्रबोधन निर्धारित प्रोफार्मे में राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। गरीबी उन्मूलन और लाभोन्मुखी कार्यक्रमों से संबंधित राज्य सरकारों के पदाधिकारियों द्वारा समवर्ती प्रबोधन की एक पद्धति का संचालन किया गया है और तत्संबंधी प्राप्त रिपोर्टों पर और आगे अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान की विशेष संघटक योजना /आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत निर्धारित की गई धनराशि नीचे दर्शाई गई है :—

(रुपये करोड़ो में)

वर्ष	मध्य प्रदेश निर्धारित की गई धनराशि		राजस्थान निर्धारित की गई धनराशि	
	वि. सं. यो.	आ. उ. यो.	वि. सं. यो.	आ. उ. यो.
1986-87	76.66	242:76	69.28	82.34
1987-88	99.01	283.53	104.38	62.08
1988-89	96.65	309.00	117.45	79.86

राजस्थान में पर्यटन विकास

8490. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए किन-किन पर्यटन केन्द्रों और यात्रा परिपथों (सर्किट) को चुना गया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1989-90 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) राजस्थान में पर्यटन केन्द्रों पर प्रचार सामिग्री उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यतेन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राजस्थान सरकार के परामर्श से राजस्थान में निम्नलिखित यात्रा परिपथ अवस्थावद्ध विकास के लिए अभिनिर्धारित किये हैं :—

1. जयपुर-जोधपुर-ओसमाँ-पोखरण-जैसलमेर-बीकानेर-जयपुर।

2. (आगरा) भरतपुर-जयपुर-टोंक-सवाई माधोपुर-जयपुर-सरिसका-अलवर-(दिल्ली)।

3. जयपुर-अजमेर-पुष्कर-चित्तौड़-उदयपुर-ऋषभदेव-एकलिंगजी-नाथद्वारा-रनकपुर- माउन्ट आबू-जयपुर (अहमदाबाद)।

तथापि विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक निम्नलिखित केन्द्रों पर पर्यटन आधार संरचना का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है :—

1. पुष्कर 2. रणथम्बौर 3. भरतपुर 4. अलवर 5. उदयपुर 6. तालवृक्ष 7. चित्तौड़गढ़ 8. देवगढ़ 9. जैसलमेर 10. माण्डवा 11. बेहरोर 12. महेसर 13. फतेहपुर 14. सिलिसेर

(ख) विभाग वित्तीय प्रावधान राज्य-वार नहीं करता।

(ग) विभाग के जयपुर स्थित पर्यटक कार्यालय में तथा राज्य सरकार के पर्यटक सूचना ब्यूरो में पर्याप्त मात्रा में प्रचार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

केराडु मंदिर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

8491. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार से राज्य के बाड़मेर जिले में स्थित केराडु मंदिर के विकास के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग वेधशाला

8492. **श्री एस. पालाकोड्रायुडु** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने "नर्मदा फाल्ट जोन" के आस-पास भूकम्प के खतरों का मूल्यांकन करने और भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पों का विश्लेषण करने के लिए एक परियोजना हेतु 21,500 डालर (लगभग 83 लाख रुपये) की धनराशि के अंशदान की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग वेधशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस परियोजना के लिए 5,21,500 डालर का अनुमोदन किया गया है।

(ख) इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं :

—भूकम्प की क्रियाविधि को समझना;

—नर्मदा फाल्ट जोन के आस पास के क्षेत्र की टैक्टोनिक्स (फाल्ट/फ्रैक्चर) का अध्ययन करना;

—नवीनतम उपकरणों और तकनीकों में भारतीय भूकम्प वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देना।

(ग) जी, नहीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा राष्ट्रीय भू भौतिकी संस्थान की क्रमशः विशाखापटनम और हैदराबाद में एक-एक भूकम्प वेधशाला है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊंचे स्थानों पर दन्त रोगों का होना

8493. **श्री आनन्द सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊंचे स्थानों पर तैनात अधिकारियों और जवानों में से अधिकतर दंत रोग के शिकार हो जाते हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसकी रोकथाम के लिए क्या एहतीयाती कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) उच्च तुंगता वाले स्थानों पर किये गए सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि हुई है कि ऐसे स्थानों पर अन्य स्थानों की तुलना में दंत्य रोग की घटनाएं अधिक होती हैं। बहुत अधिक ठण्डे मौसम की परिस्थितियों के कारण मुंह की सफाई रखने में असावधानी/उदासीनता, डिब्बाबंद नरम खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहने के कारण मुंह के ऊतकों का पर्याप्त रूप से न चलना और वातावरण में कम आक्सीजन होने के कारण शरीर की सामर्थ्य में कमी आना जैसे कुछ मूल कारण हैं जिनसे दंत्य रोग की घटनाओं में बढ़ोतरी होती है।

ऐसे रोगों को रोकने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) सैनिकों को मुंह की सफाई रखने की पद्धतियों और महत्व के बारे में और इस पर अमल करने के लिए शिक्षित करने तथा प्रोत्साहित करने हेतु दंतचिकित्सा अफसरों/दंत चिकित्सा विज्ञानियों द्वारा समय-समय पर लेक्चर देना।

(2) इस क्षेत्र में नियुक्त दंत-चिकित्सा शाखा द्वारा सैनिकों के दांतों का नियमित रूप से निरीक्षण/इलाज करना;

(3) अतिरिक्त आहार प्रदान करने हेतु विटामिन-सी की गोलियों सहित उच्च तुंगता वाले स्थानों का राशन सप्लाई करना;

(4) उच्च तुंगता वाले स्थानों में नियुक्ति की अवधि निश्चित करना।

भारत-पाक सीमा पर तस्करी और जासूसी

8494. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर स्थित गंगानगर जिला जासूसी और हेरोइन आदि की तस्करी सहित आतंकवादी गतिविधियों तथा अन्य अपराधों का नया केन्द्र बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु इस सीमा को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले छह माह के दौरान भारत-पाक सीमा पर हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान की ओर से आने वाले कितने घुसपैठियों को मारा गया है और उनमें से कितने भारतीय थे तथा उनसे हथियारों समेत बरामद सामान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कच्छ से लगने वाली पाक-सीमा पर ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जबकि सरकार को भारत-पाकिस्तान सीमा में से कुछ घुसपैठ तथा तस्करी होने की जानकारी है, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राजस्थान में गंगानगर जिला आतंकवादी गतिविधियों तथा अन्य अपराधों का केन्द्र बन रहा है।

(ग) अक्तूबर, 1988 से मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान, भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तान से आए 165 घुसपैठिये मारे गए। मारे गए व्यक्तियों की राष्ट्रीयता को निर्धारित करना संभव नहीं है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए हथियार तथा गोली-बारूद समेत सामान का ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(घ) कच्छ क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल को सुदृण किया गया है तथा भारत-पाकिस्तान सीमा पर और सीमा चौकियां, निरीक्षण चौकी बुर्ज, अत्याधुनिक उपकरण, गस्त के लिए वाहन इत्यादि जैसी मूल आवश्यकताओं की व्यवस्था की गई है।

विवरण

1. अक्तूबर, 1988 से मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए हथियार तथा गोली बारूद।

I हथियार	—	31 (7 ए० के०–47 राइफलों समेत)
II गोली बारूद	—	4344 राउंड

2. जुलाई, 1988 से फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए सामान का ब्यौरा।

अवधि	पकड़ा गया सामान	मूल्य
जुलाई से दिसम्बर, 88	32.435 कि० ग्रा० सोना	1,23,21,260.00 रु०
	378 कि० ग्रा० हेरोइन	
	282.990 कि० ग्रा० चरस	
	28 कि० ग्रा० पापी हस्क	
	2 कि० ग्रा० अफीम	
	अन्य सामान	79,10,369.55 रु०
जनवरी से फर० 88	76.805 कि० ग्रा० सोना	2,92,01,500.00 रु०
	600 कि० ग्रा० हेरोइन	
	·05 ग्राम अफीम	
	अन्य सामान	
	डॉलर-47,550 संख्या	11,15,917.10 रु०

*हेरोइन, चरस और पापी हस्क इत्यादि का मूल्य नहीं दर्शाया गया है क्योंकि इस सामान को नष्ट कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय पर्यटन समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

8495. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री शांतिलाल पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री मोहम्मद युनूस की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय पर्यटन समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया और किन्हें अस्वीकार किया गया; और

(ग) इन्हें अस्वीकार किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पर्यटन समिति ने अगले कुछ दशकों के दौरान देश में पर्यटन का विकास करने के लिये नीति सम्बन्धी एक विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत की है। इसमें पर्यटन क्षेत्र में गैर-सरकारी पूंजी-निवेश को आकर्षित करने के लिये एक मुश्त प्रोत्साहन, जन-शक्ति संसाधनों का विकास करने के लिये दिशानिर्देश, परिस्थिति और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना पर्यटन का विकास करने के उपाय, आदि शामिल हैं। सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है तथा सामान्यतः इन्हें स्वीकार भी कर लिया है। स्वीकार/कार्यान्वित की गई कुछ विशिष्ट सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) पर्यटन उद्योगों की ऋण सम्बन्ध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्यटन वित्त निगम की स्थापना।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास सहायता (ए. डी. आई. टी.) नामक एक स्कीम शुरू करना।

(iii) विदेशी मुद्रा आय पर ब्याज में छूट।

(iv) 1, 2 और 3 स्टार श्रेणी के होटलों को मंजूर किए गए ऋणों पर उच्चतर दर पर ब्याज इमदाद।

(v) विदेशी मुद्रा आय, नई जारी पूंजी के लिये इक्विटी शेयर्स में पूंजी-निवेश और पर्यटन परियोजनाओं में पुनर्निवेश में आय-कर रियायत।

(vi) होटल और यात्रा उद्योग को टेलीफोन, टेलक्स, एलपी गैस, आदि जैसी अनिवार्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तरजी ही व्यवहार।

(vii) भारत के लिये चार्टर यातायात के संबंध में एक उदार नीति अपनाना।

(viii) विदेशी पर्यटकों के साथ एयरलाइन आरक्षण संबंध में तरजीही व्यवहार।

(ix) सभी चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पूर्व-प्रदत्त (प्री-पेड) टैक्सी सेवा का विस्तार करना।

(x) प्रवासन अधिकारियों के लिये अलग से एक संवर्ग स्थापित करना।

(xi) राष्ट्रीय छवि निर्माण और विपणन योजना के एक भाग के रूप में सभी महत्वपूर्ण विदेशी मार्किट में प्रचार अभियान तेज करना।

(xii) क्राफ्ट और डिप्लोमा दोनों स्तरों पर पर्यटन सम्बन्धी कार्यकलापों के लिये प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि।

(xiii) प्रशिक्षण क्षमता में आधुनिकीकरण और पाठ्यचर्या में संशोधन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार ।

(xiv) होटल श्रृंखलाओं द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को प्रयोग के तौर पर अपनाना ।

(xv) पर्यटन पर प्रबन्ध विकास कार्यक्रम शुरू करना ।

(xvi) पर्यटकों को अद्यतन सूचना सेवा मुहैया कराने के लिए पर्यटन सूचना नेटवर्क की स्थापना ।

(xvii) पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने और परिस्थिति तथा पर्यावरण अवनयन पर प्रभावी नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिये मास्टर प्लान तैयार करना ।

सरकार ने किसी भी सिफारिश को अभी तक अस्वीकार नहीं किया है; हालांकि कुछ सिफारिशों से सम्बन्धित प्रस्तावों अजांभी भी की विभिन्न स्तरों पर चकी जा रही है ।

पर्यटन विकास दर

8496. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यटन विकास दर चीन, थाईलैंड और इण्डोनेशिया जैसे अन्य देशों की तुलना में अब भी कम है;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान कितने पर्यटक भारत आये और इस अवधि के दौरान अन्य एशियाई देशों में आये पर्यटनों की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नई नीति अपनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और चीन थाईलैण्ड तथा इण्डोनेशिया देशों में पर्यटक आगमनों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	पर्यटक आगनन ("000)				प्रतिशत अन्तर		
	1986	1987	1988		1986/85	1987-86	1988/87
भारत	1451	1484	1591		15·5	2·3	7·2
चीन	1482	1728	1561	(1)	8·2	16·6	5·6
थाइलैण्ड	2818	3483	4000	(2)	15·6	23·6	14·8
इण्डोनेशिया	825	1060	1286		10·1	28·5	21·3

(1) जनवरी-अक्टूबर के आंकड़े
(2) अनुमानि

चीन के आगमन संबंधी आंकड़ों में हांग कांग, माकौ, तायवान, आदि से आए एथनिक चीनी शामिल हैं। इण्डोनेशिया और थाईलैण्ड के मामले में पर्यटकों के ठहरने की औसत अवधि क्रमशः लगभग 12·7 रात और 6·1 रात है, जबकि भारत के मामले में यह अवधि लगभग 30 दिन है।

(ग) और (घ) : सरकारी ने गैर-सरकार क्षेत्र में पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए एक नई नीति पहले से अपनाई हुई है जिसके अन्तर्गत आसान ऋण, ब्याज इमदाद, कर रियायत, आदि जैसे अनेक प्रोत्साहन मुहैया कराए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार ने संभावित विदेशी बाजारों में प्रचार अभियान को भी तेज किया है।

जनजातियों के लोगों के लिए विकास योजनायें

8497. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के विकास के विभिन्न पहलूओं का कोई विस्तृत अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान किये गए विभिन्न विकासात्मक उपायों और जन-जातियों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में हुए वास्तविक सुधार का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातियों के लोगों की मुख्य समस्याएं क्या है; और

(घ) इन समस्याओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : जी, हां। अनुसूचित जनजातियों के विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए माइक्रो स्तर पर कुछ विस्तृत अध्ययन किए गये हैं।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये आदिवासी उप योजना नीति मुख्य साधन रहा है। इस नीति के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र विकास तथा विकास के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से आदिवासी लोगों के विकास दोनों पर जोर दिया गया है। उनमें से मुख्यतः कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, कृत्रिम रेशम, वानिकी, लघु उद्योग इत्यादि जैसे क्षेत्र में परिवारोन्मुखी आर्थिक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 40 लाख आदिवासी परिवारों की सहायता के लक्ष्य की तुलना में पहले चार वर्षों के दौरान 41.5 लाख परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता दी गई।

(ग) आदिवासियों की मुख्य समस्याएं निम्न हैं :—

(i) मुख्य परियोजनाओं का विस्थापन :—

(ii) उनके उत्पाद का विपणन तथा

(iii) भूमि हस्तान्तरण

(घ) विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत विस्थापित आदिवासियों के संपूर्ण सामाजिक आर्थिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति प्रारूप तैयार किया है जो विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है।

(ii) आदिवासियों को उनके उत्पाद के विपणन में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने आदिवासी उत्पादों से संबंधित राज्य संघों/निगमों के निकट सहयोग से विपणन के लिये नीतियों की योजना बनाने, आयोजित करने, विकास करने के लिए भारतीय आदिवासी विपणन विकास संघ, लिमिटिड (ट्राइपेड) की स्थापना की है।

(iii) तमिलनाडु को छोड़कर आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों ने भूमि कानून बनाए हुए हैं। चूंकि भूमि का सम्बन्ध सीधे राज्य सरकारों से है, इसलिए राज्यों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे कमियों, यदि कोई है, को दूर करने के लिये भूमि कानूनों की समीक्षा करें और आदिवासी भूमि का और आगे हस्तान्तरण को रोकने के लिए न केवल प्रभावी उपाय करें अपितु आदिवासियों को हस्तान्तरित भूमि को वास्तविक रूप से वापिस करवाने के लिए भी शीघ्र कार्रवाई करें।

उड़ीसा में वन्य जीवन पर्यटन स्थल का विकास

8498. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा में वन्य जीव पर्यटन स्थलों के विकास के लिये क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा में वन्य जीव पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा में वन्य जीव पर्यटन के विकास के लिए, कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) देश तथा विदेश से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विभाग का संवर्धन अभियान वन्य जीव पर्यटन को उजागर करता है परन्तु किसी एक राज्य का इन कार्यकलापों के लिए विशेष उल्लेख नहीं करता। वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में वन्य जीव संबंधी स्कीमों के लिये कोई राशि स्वीकृत नहीं की है। केन्द्र सरकार वन्य जीव पर्यटन सहित किसी भी प्रकार के पर्यटन का संवर्धन करने सम्बन्धी प्रस्तावों को उनके गुणावगुणों, परस्पर प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत करती है।

राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय में कमी

8499. **श्री शरद दिघे :** क्या योजना मन्त्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 और 1989-90 में राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय में कोई कमी रह जायेगी, चूंकि राज्यों ने संसाधनों की कमी के बावजूद अपना योजना परिव्ययों का विस्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कमी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) राज्यों की योजनाओं को अनुमानित संसाधनों के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है। वार्षिक योजना 1988-89 के लिए जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है, कुछ राज्यों के मामले में अनमोदित परिव्यय के मुकाबले योजना व्यय में कमी होने की संभावना है। वार्षिक योजना 1989-90 सम्बन्धी क्रियान्वयन अभी प्रारम्भ किया गया है और इस प्रावस्था में अनुमोदित परिव्ययों के मुकाबले योजना व्यय में संभावित कमी का उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

(ख) 1988-89 के दौरान योजना व्यय में कमी का मुख्य कारण मूल अनुमानों के मुकाबले राज्यों के निजी संसाधनों में कमी का होना है, और जिसके कारण वर्ष 1988-89 के लिये ऐसे राज्यों की वार्षिक योजनाओं में कटौती करते हुए संशोधन किया गया है। आगे, विभिन्न राज्य सरकारों के मन में यह बैठाया गया है कि वे कराधार व्यापक करके, कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर, व्यय में किफायत करके, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करके, अपने संसाधनों ने सुधार लाएं।

विवरण

(करोड़ रु०)

राज्य	अनुमोदित परिव्यय	संभावित व्यय/संशोधित अनुमोदित परिव्यय*	प्रतिशतता विभेद
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	1250.00	1252.29	(+) 0.18
2. अरूणाचल प्रदेश	126.00	128.21	(+) 1.75
3. असम	610.00	514.25	(—) 15.70
4. बिहार	1600.00	1200.00	(—) 25.00
5. गोआ	92.00	99.31	(+) 7.95
6. गुजरात	1275.00	1075.00	(—) 15.69
7. हरियाणा	600.00	535.00	(—) 10.83

1	2	3	4
8. हि० प्रदेश	260.00	260.00	--
9. जम्मू व कश्म०	450.00	440.16	(—) 2.19
10. कर्नाटक	900.00	800.00	(—) 11.11
11. केरल	500.00	425.00	(—) 15.00
12. मध्य प्रदेश	1702.00	1762.41	(+) 3.55
13. महाराष्ट्र	2430.00	2226.93	(—) 8.36
14. मणिपुर	122.50	122.50	—
15. मेघालय	130.00	130.00	—
16. मिजोरम	85.00	85.00	—
17. नागालैण्ड	110.00	110.00	—
18. उड़ीसा	835.00	742.23	(—) 11.11
19. पंजाब	700.00	700.00	—
20. राजस्थान	710.00	648.50	(—) 8.66
21. सिक्किम	63.00	61.06	(—) 3.05
22. तमिलनाडु	1457.00	1201.93	(—) 17.51
23. त्रिपुरा	144.00	149.70	(+) 3.96
24. उत्तर प्रदेश	2540.00	2234.79	(—) 12.02
25. प० बंगाल	951.00	951.00	—
जोड़ (25 राज्य)	19642.50	17855.29	(—) 9.10

*वे राज्य जिन्होंने संभावित व्यय को देखते हुए जैसा कि उक्त कालम 3 में दर्शाया गया है, अपने परिव्यय में संशोधन करा लिया है।

अप्रैल, 1989 में बड़े भूकम्पों के आने की संभावना

8500. **श्री शरद दिघे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अप्रेल में इटली, आर्मेनिया, तुर्की, भारत तिब्बत और चीन आदि क्षेत्र में बड़े भूकम्प आने की संम्भावना है जैसा कि 1 अप्रेल, 1989 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पूर्ण सावधानी अपनाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी हां। इस तरह की खबरें समाचार-पत्रों में छपी है, लेकिन मौजूदा ज्ञान के अनुसार भूकम्प का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं हो पाया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"अग्नि" प्रक्षेपास्त्र छोड़ने के लिए तैयारियां

8501. **श्री शरद दिघे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के "प्रथा लम्बी दूरी तक मार करने वाले "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र'' को चांदीपुर (उड़ीसा) से परीक्षण स्वरूप छोड़ने संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन तैयारियों में ऐसी कोई योजना भी शामिल है जिसके अंतर्गत चांदीपुर में और इसके चारो ओर गांवों को अस्थायी रूप से खाली कराया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामवासी अस्थाई रुप से विस्थापित होने के इच्छुक नहीं हैं और इसके बदले स्थाई विस्थापन हेतु मुआवजे की मांग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र को छोड़े जाने के स्थान के चारों ओर 3.5 कि० मी० परिक्षेत्र के सुरक्षा क्षेत्र से, इस प्रक्षेपास्त्र को छोड़े जाने वाले दिन कुछ घण्टों के लिए स्थानोय आबादी को इस क्षेत्र के बाहर स्थापित कैंपों में स्थाई रुप से स्थानांतरित करने की एक योजना बनाई गई है। प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है। प्रत्येक व्यस्क को 80/-रुपए और 12 वर्ष या उससे नोचे की आयु के प्रत्येक बच्चे को 40/-रुपए की दर से अदायगी की जाती है। कैम्प के स्थानों में पीने के पानी, पर्याप्त स्वास्थय सुविधा और मनोरंजन आदि के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं।

(घ) स्थानीय लोगों से, सुरक्षा क्षेत्र से स्थायी रुप से उनको विस्थापित करने के लिए कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए अलग भर्ती एजेंसी

8502. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा संगठनों में वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा-आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त एक अलग भर्ती एजेंसी स्थापित करने का है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस एजेंसी का सृजन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिकों/शिल्प वैज्ञानिकों की भर्ती करने और पदोन्नति करने के लिए जुलाई, 1985 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में भर्ती तथा मूल्यांकन केन्द्र नामक एक अलग एवं स्वतंत्र एकक स्थापित किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हथियारों और उपकरणों की मरम्मत

8503. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियारों और उपकरणों की मरम्मत की जाती है ताकि उनकी नई खरीद कम से कम की जा सके;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां,।

(ख) और (ग) प्लेटफार्मों और हथियार-प्रणालियों के आधुनिकीकरण, पूरी मरम्मत तथा उन्हें अद्यतन बनाने की व्यवहार्यता की लगातार समीक्षा की जाती है और जब कभी ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है तो उचित कारंवाई की जाती है। प्रणालियों की जटिलता और उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नता होने के कारण उपस्करों की समस्त श्रेणी (रेंज) के लिए एकल अध्ययन व्यवहार्य नहीं है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में तोपों का निर्माण

[हिन्दी]

8504. **श्री दिनेश गोस्वामी** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या रक्षा मन्त्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 155 मिलीमीटर तोपों के निर्माण के बारे में 27 मार्च, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 360 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोफोर्स तोपों के निर्माण के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की पेशकश के सम्बन्ध में सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह सूचना कब प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या सरकार इस मामले पर पुनः विचार कर रही है; और

(घ) सरकार का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इसकी मन्जूरी कब तक दिए जाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से अतिरिक्त सूचना 13 अप्रैल, 1989 को प्राप्त हुई है। अन्य संभावित एजेंसियों के ही साथ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है। इस स्तर पर यह बताना संभव नहीं है कि जांच कब तक पूरी होगी और निर्माण करने वाली एजेंसी का चयन अन्तिम रूप से कब तक होगा।

भुवनेश्वर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना

[अनुवाद]

8505. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भुवनेश्वर में भारती सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कार्य किस चरण में है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की दिशा में आरम्भिक मूल कार्य कर लिये गये हैं। किन्तु, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना में अन्तग्रस्त भारी मात्रा में पूंजीनिवेश तथा सुविचारित दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रानिकी विभाग ने शैक्षणिक, सूचना-विज्ञान के कार्यान्वियन और अनुप्रयोग तथा संबंधित शाखाओं के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों से इन संस्थानों के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, भौगोलिक स्थिति तथा प्रशासन के संबंध में उनके विचार आमन्त्रित किये थे। उनके विचारों की इस समय जांच की जा रही है। इन संस्थानों के लक्ष्यों के लिये केन्द्राभिमुखी विचार विकसित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिकी विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें संस्थानों की स्थापना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इन सभी सिफारिशों की ओर आगे जांच की जा रही है।

बहुमंजिली इमारतों में आग से बचाव सम्बन्धी सुरक्षोपाय

8506. **श्री प्रकाश चन्द्र** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अप्रैल, 1989 को कनाट प्लेस स्थित बंदना बिल्डिंग में आग दुर्घटना हुई थी;

(ख) इसके परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी क्षति हुई;

(ग) आग लगने के कारण क्या थे; और

(घ) सरकार द्वारा राजधानी की बहुमंजिली इमारतों में काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां, श्रीमान ।

(ख) जान की कोई क्षति नहीं हुई लेकिन सम्पत्ति का नुकसान लगभग 50,000 रुपये का हुआ है ।

(ग) आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है ।

(घ) 1983 से पूर्ण निर्मित भवनों के सम्बन्ध में दिल्ली अग्नि शमन और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 1986 और तदधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत दोषी भवन स्वामियों/अधिभोगियों के विरुद्ध 12 आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों को करने के लिये नोटिस जारी किए गए हैं । एकीकृत भवन उप-नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद निर्मित भवनों के संबंध में अधिभोगी प्रमाण पत्र तभी जारी करने की व्यवस्था की गयी जब मुख्य अग्नि शमन अधिकारी किए गए अग्नि शमन उपायों की व्यवस्था का सत्यापन कर ले ।

पुणे और होशियारपुर जिले में भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त होना

8507. **श्री प्रकाश चन्द्र :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उरालिकंचन, पुणे के निकट तथा होशियारपुर जिले में भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विमान दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए;

(ग) अनुमानतः कितनी संपत्ति की हानि हुई और बैठाई गई जांच समिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) विमान दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक विमान दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां ।

(ख) पुणे के नजदीक हुई विमान दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के दो अफसर (चालक और मार्ग-निर्देशक) मारे गये । भारतीय वायुसेना का अफसर (चालक) होशियारपुर जिले में विमान दुर्घटना में मारा गया । अन्य किसी व्यक्ति को न तो कोई चोट आई और न किसी की मृत्यु हुई ।

(ग) और (घ) पुणे के नजदीक हुई विमान दुर्घटना के कारण खड़ी फसलों और भूमि को हुई क्षति का अनुमान 48,000/- रुपए लगाया गया है । जांच अदालत की रिपोर्ट उपलब्ध के पश्चात ही दूसरी ने विमान दुर्घटना के कारण सिविलियन सम्पत्ति को हुई क्षति की मात्रा का पता चल सकेगा । पुणे के नजदीक हुई विमान दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई । दूसरी

विमान दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता, जांच अदालत की रिपोर्ट के पूरा होने के पश्चात ही चलेगा। जांच अदालत के निष्कर्ष और सिफारिशें गोपनीय होंगी और इन्हें लोकहित में प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ङ) जांच अदालत की रिपोर्ट के पश्चात ही सिविलियनों को उनकी सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए मुआवजा दिया जायेगा। भारतीय वायुसेना के मारे गये अफसरों के मामले में अनुग्रहपूर्वक अदायगी उपदान (ग्रेच्युटी) और परिवार पेंशन जैसे सेवांत लाभ नियमानुसार दिए जाएंगे।

खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच यातायात

8508. **श्री बी० बशीर** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत समय में एयर इंडिया द्वारा खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच यातायात संभावनाओं के बारे में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) उनके निष्कर्ष/सिफारिशें क्या थीं;

(ग) इन सिफारिशों/निष्कर्षों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या खाड़ी और त्रिवेन्दम के बीच विमान सेवा में बृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हाल ही में एयर इंडिया द्वारा गल्फ त्रिवेन्द्रम के सम्बन्ध में कोई क्षेत्रीय मार्केट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) क्योंकि इस समय लगाई गई क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है, इस लिए उड़ानों की संख्या में बृद्धि करना आवश्यक नहीं समझा गया है। तथापि, एयर इंडिया मार्केट की घटनाओं पर निगरानी रखती है और यदि आवश्यक समझा गया तो अतिरिक्त उड़ानें परिचालित की जाएंगी।

नागर विमानन के क्षेत्र में भारत और अमरीका का समझौता

8509. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं को बढ़ाने संबंधी समझौते को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है और सहयोग के पहलू क्या हैं; और

(ग) इस समय दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं किन-किन स्थानों से चलती हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। 27-29 मार्च, 1989 को वाशिंगटन में विमान वार्ताओं के अंतिम दौर के समय, निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :—

(1) एअर इंडिया भविष्य में शिकागो तक उड़ान कर सकती है।

(2) आंकड़ों के आदान-प्रदान के एक संशोधित प्रारुप पर सहमति हुई।

(3) भाड़ा अनुसूची से संबंधित संशोधन पर भी सहमति की गई।

(ग) जबकि एयर इंडिया यू० एल० ए० में न्यूयार्क के लिये परिचालन करती है, पनऐम नामक अमरीकी विमान कम्पनी दिल्ली और बम्बई के लिए परिचालन करती है।

कन्नोर में फोर्ट मैदान की सुरक्षा

8510. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्नोर, केरल से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें फोर्ट मैदान की सुरक्षा/परिरक्षण के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस अनुरोध में बताए गए विषय की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांच समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(घ) उनके निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले कन्नोर की जनता के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर बातचीत की है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने अंतिम रूप से क्या निर्णय लिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (च) इस सम्बन्ध में प्राप्त कई अभ्यावेदनों की जांच की गई और स्थान का निरीक्षण भी किया गया। यह पाया गया कि वर्तमान स्थल केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिये सबसे उपयुक्त है।

विमान दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा

8511. **डा० ए० के० पटेल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को वारसा कन्वेन्शन हेग प्रोटोकोल, गंटेमाला कन्वेन्शन के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय अधिसूचनाओं और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 और 1980 में जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार मुआवजे की कितनी धनराशि का भुगतान किया जायेगा;

(ख) क्या मुआवजे को धनराशि में वृद्धि करने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) प्रत्येक यात्री के लिए विमान वाहक की दायित्व सीमा इस प्रकार है ।

(1) वारसा अभिसमय 1929 : 1,25,000 फ्रैंक के अन्तर्गत

(2) हेग प्रोटोकोल 1955 के अन्तर्गत 2,50,000 फ्रैंक

(3) ग्वाटेमाला सिटी प्रोटोकोल 1971 के अन्तर्गत : 15,00,000 फ्रैंक (कुछेक शर्तों के अधीन अपेक्षित संख्या में अनुसमर्थनों के अभाव में लागू नहीं है ।

(4) अन्तर्देशीय वहन पर लागू भारत सरकार की अधिसूचनाओं के अन्तर्गत ।

(क) का० आ० 186 (ङ) दिनांक 30.3.73

दुर्घटना की तारीख को यात्री की आयु 12 वर्ष या अधिक होने पर 1,00,000 और यात्री की आयु 12 वर्ष से कम होने पर रुपये 50,000 ।

(ख) का० आ० 1885 दिनांक 5-7-80 : ऊपर (क) में दी गई सीमाओं को बढ़ाकर क्रमशः रु० 2,00,000 और रुपये 1,00,000 कर दिया गया था ।

(ख) और (ग) जी, हां । सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि भारत में अन्तर्देशीय विमान वाहकों के लिए मुआवजे के दायित्व को वर्तमान 2 लाख रुपए और एक लाख रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 5 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये कर दिया जाए । विचार-विमर्श के पश्चात सरकार ने निर्णय लिया कि मुआवजे को और बढ़ाने के लिये वर्तमान अधिसूचना को संशोधित न किया जाए क्योंकि इससे छोटे प्रचालकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । तथापि, यदि कोई भी विमान कम्पनी और अधिक मुआवजा देना चाहें तो वह इस संबंध में निर्णय लेने में स्वतन्त्र है ।

विदेशी पर्यटक सम्बन्धी सर्वेक्षण

8512. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान देश के विभिन्न भागों में विदेशी पर्यटकों संबंधी सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं तथा वर्ष 1982-83 के दौरान विदेशी पर्यटक द्वारा ज्यादातर पसन्द किए गए 58 स्थान कौन-कौन से हैं और वर्ष 1976-77 के दौरान ऐसे कौन-कौन से 40 स्थान थे;

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का पर्यटन विकास ने सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए प्राथमिकताओं को समायोजित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

(I) भारत को न केवल अधिक खर्च करने वाले यात्रियों को आकर्षित करना है बल्कि मितव्ययी प्रवृत्ति के परिवार समूहों और युवा पर्यटकों को भी आकर्षित करना है।

(II) बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत समृद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कारोबार के अधिक अवसर मुहैया कराने तथा बड़ी संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों तथा सम्मेलनों के आयोजन के प्रयास किये जाने चाहिए ;

(III) और अधिक प्रीपेड ग्रुप टूर्स आयोजित करने की महती आवश्यकता है।

(VI) पड़ोसी देशों से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना तथा स्वदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है जो विपरीत मौसम से अधिक प्रभावित नहीं होंगे तथा मंदी के मौसम में अनुपूरक यातायात उपलब्ध करायेंगे।

(V) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारतीयों के अतिरिक्त एथनिक समूहों को भारत में बौद्ध भग्नावशेषों एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक आकर्षणों पर लाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(VI) पड़ोसी देशों के पर्यटकों तथा स्वदेशी पर्यटकों को सस्ता स्वच्छ आवास तथा आडंबर रहित पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यह समृद्ध देशों के बड़ी संख्या में उन पर्यटकों के लिए भी आवश्यक है जो मितव्ययी प्रवृत्ति के युवा पर्यटक, विद्यार्थी, सेवा-निवृत व्यक्ति हैं तथा मध्यम वर्गीय परिवार समूहों के हैं जो आनन्द के लिये यात्रा करते हैं।

(VII) भारत समृद्ध अवकाश/विलास आकर्षकों दृष्टि से, भारत की तरफ और अधिक अवकाश पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(VIII) कारक जो पर्यटकों को परेशान करते है, यथा जटिल अप्रवासन एवं सीमाशुल्क प्रक्रियाएं, बेइमान व्यवसायी, भारत में यात्रा करने हेतु वायु अथवा रेल बुकिंग में कठिनाइयां, ठहरने के स्थान पर अस्वच्छता, आदि को यथासंभव शीघ्रता से हटाया जाना चाहिए।

1982-83 एवं 1976-77 के दौरान किये गये सर्वेक्षणों के अनुसार विदेशी पर्यटकों द्वारा यात्रा किए गए स्थलों के नाम क्रमशः संलग्न विवरण—1 और विवरण—2 में दिए गए है।

(ग) और (घ) पर्यटन विकास योजनाएं बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में उपर्युक्त सिफारिशों को लागू किया गया है। उदाहरण-स्वरूप, बजट पर्यटकों विशेषकर पड़ोसी देशों के बजट पर्यटकों एवं स्वदेशी पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये कम कीमत वाले आवास एककों के विकास के कार्य को प्राथमिकता प्रदान की गई है। सांस्कृतिक पर्यटन के साथ-साथ अवकाश पर्यटन, साहसिक पर्यटन, सम्मेलनों एवं समागमों, आदि पर भी जोर दिया जा रहा है। अधिक पैकेज पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, भारत में विभिन्न स्थानों पर चार्टर फ्लाइटों को उतारने की अनुमति देने हेतु एक उदार नीति अपनाई गई है, वीसा विनियमों में कुछ सीमा तक ढील दी गई है तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा सुविधा सेवाओं में सुधार किया गया है। देश में पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिये गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा बहुत से प्रोत्साहन भी घोषित किये गये है। बौद्ध परिपथों पर विदेशी सहायता से आधार-संरचना का विकास करने के लिये एक विशेष स्कीम भी शुरु की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण— 1

विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार उन स्थलों के नाम जहां विदेशी पर्यटकों ने कम से कम एक रात बिताई।

दिल्ली	जैसलमेर
बंबई	लखनऊ
मद्रास	शिमला
आगरा	महाबलीपुरम
जयपुर	हरिद्वार
वाराणसी	कन्याकुमारी
कलकत्ता	पुष्कर
बंगलौर	देहरादून

श्री नगर	माउंट आबू
गोआ	भुवनेश्वर
मदुरै	पुरी
अमृतसर	तंजौर
त्रिवेन्द्रम—कोवलम	कोयम्बतूर
रामेश्वरम	धर्मशाला
हैदराबाद	नागापट्टनम
उदयपुर	क्विलॉन
त्रिचिरापल्ली	बड़ौदा
मैसूर	अल्लेपी
खजुराहो	अजमेर
कोचीन	गणेशपुरी
पुणे	मवाली
औरंगाबाद	मंगलोर
पटना	कोडाड़कनाल
अहमदाबाद	सूरत
पांडिचेरी	गया—बोधगया
दार्जिलिंग	गोरखपुर
जोधपुर	रांची
उटकमंड	भोपाल
लेह	
चण्डीगढ़	

विवरण—2

विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1976-77 के अनुसार विदेशी पर्यटकों द्वारा यात्रा किये गये स्थलों के नाम।

दिल्ली	पुरी
बम्बई	चण्डीगढ़
आगरा	कोयाबतूर
मद्रास	महाबलीपुरम
वाराणसी	हरिद्वार/ऋषिकेश

कलकत्ता	धर्मशाला
जयपुर	गया
अमृतसर	भुवनेश्वर
बंगलौर	मनाली
श्रीनगर	नागापट्टनम
गोआ	लेह
खजुराहो	तंजौर
तिरूचिरापल्ली	कुल्लू
मदुरै	
औरंगाबाद	
रामेश्वरम	
उदयपुर	
हैदराबाद	
पुणे	
मैसूर	
कोचीन	
त्रिवेन्द्रम/कोवलम	
पटना	
दार्जिलिंग	
पाण्डिचेरी	
अहमदाबाद	
लखनऊ	
रक्सौल	
जम्मू	
उटकमंड	

बौद्ध तीर्थ स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा

8513. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम तथा पर्यटन विभाग ने छठी पंचवर्षीय योजना तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बौद्ध तीर्थ स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके एक व्यापक योजना तैयार की है।

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गए तीर्थ स्थानों के नाम क्या हैं; तथा ये किन-किन राज्यों में स्थित है और इनके विकास हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन स्थानों के विकास के लिए भारत पर्यटन विकास निगम अथवा पर्यटन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई धन-राशि भी आवंटित की गई है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ तैयार किए गए कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। देश में बौद्ध तीर्थ केन्द्रों का योजनाबद्ध एवं एकीकृत विकास करने की दृष्टि से पर्यटन विभाग ने ऐसे केन्द्रों का अधिनिर्माण करने तथा आधार संरचना का विकास करने, प्रचार और संवर्धन करने, आदि के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो कृतिक बल नियुक्त किए थे। पहले कृतिक बल का संबंध उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था जहां भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित बौद्ध केन्द्र हैं। दूसरे कृतिक बल का सम्बन्ध उत्तर और बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों से है। इन दोनों कृतिक बलों द्वारा अभिनिर्धारित स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन कृतिक बलों की सिफारिशें आवास, परिवहन दोनों आदि जैसी पर्यटन आधार संरचनाओं के विकास, सड़कों दूर संचार आदि जैसी अन्य आधार-संरचनाओं और प्रचार तथा संलग्न के बारे में थीं।

(ग) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभाग ने बौद्धतीर्थ केन्द्रों/परिपथ पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं :—

(लाख रु० में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1.	श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में पर्यटक परिसर	63.00	20.00
2.	संकासिया (उत्तर प्रदेश) की मास्टर प्लान	3.12	0.75
3.	सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में शौचालय तथा पेय जल सुविधाएं	4.50	3.00
4.	बोधगया (बिहार) में कालचक्र उत्सव	4.00	4.00
5.	बोधगया, नालंदा और राजगीर (बिहार) में शौचालय तथा पेयजल सुविधायें	4.50	3.00
6.	जहानाबाद में मार्गस्थ सुविधाएं	3.49	2.00
7.	नालंदा (बिहार) में पर्यटक बंगला	25.00	5.00
9.	गोपालगंज (बिहार) ने पर्यटक बंगला	25.00	5.00
8.	नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश) में आवास सहित अल्पाहार गृह	27.70	5.00
10.	नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश) में जल क्रीड़ायें	4.74	4.28

11.	रिवालसर (हिमाचल प्रदेश) में टूरिस्ट इन्न	12.05	10.00
12.	हेमिरु गोम्पा तथा लामनयुरू (जम्मू और कश्मीर) में मार्गस्थ सुविधाएं	19.54	17.00
13.	सांची (मध्य प्रदेश) में अल्पाहार गृह	8.32	4.00
14.	सांची (मध्य प्रदेश) में शौचालय और पेयजल सुविधाएं	1.50	7.00
15.	अजंता और एल्लौरा (महाराष्ट्र) में शौचालयत था पेयजल सुविधाएं	3.00	2.00
16.	पुमफुहार (ततिलनाडु) में यात्री प्रतीक्षाहाल	9.37	2.00
17.	तवांग (अस्पाचल प्रदेश) में पर्यटक गृह	21.09	7.00

इसके प्रयोजनार्थ तैयार किए गए कार्यक्रम में पर्यटन आधार-संरचना का विकास, सड़कें, दूर संचार सुविधायें, प्रचार तथा संवर्धन, आदि शामिल हैं।

विवरण

पहले कृतिक बल द्वारा अभिनिर्धारित केन्द्र

राज्य का नाम	केन्द्र प्रथम चरण	द्वितीय चरण
बिहार	(i) बिहार	
	(ii) बोधगया	
	(iii) नालन्दा	
	(iv)राजगीर	
	(v) वैशाली	
	(iv) लोरिया-नन्दगढ़	
उत्तर प्रदेश	(i) सारनाथ	(i) संकासिया
	(ii) कुषनिगर	
	(iii) पिपरहवा	
	(iv) श्रावस्ती	
	दूसरे कृतिक बल द्वारा अभिनिर्धारित केन्द्र	
आंध्र प्रदेश	(i) नागार्जुनकान्हा	(i) सलिहुन्डम
	(ii) अमरावती	(ii) जग्याण्डा
	(iii) चंदादरम	(iii) भाट्टीपुल

	(iv) गुडपाली	(iv) रामतीर्थम
	(v) संकारम	(v) घंटशाला
		(vi) फानंगिरि
		(vii) नेलाकोंडपल्ली
		(viii) बावीलोंडा
		(ix) भंगमारीपेटा
अरुणाचल प्रदेश	(i) तवांग	
हिमाचल प्रदेश	(i) रिवालसर	(i) केई
	(ii) टैबु	(ii) तोशीजोग
		(iii) कारदंग
		(iv) गुरु घंटाल
		(v) मैकलिओडगंज
		(vi) बीर
		(viii) त्रिलोकनाथ
		(viii) चांगो
जम्मू और कश्मीर	(i) डेमिस	
	(ii) लामायुरु	
	(iii) मुलबेक	
	(iv) अलवी	
	(v) सानी	
	(vi) रंगदुम	
	(vii) फुगताल	
	(viii) कर्शा	
मध्य प्रदेश	(1) सांची	
महाराष्ट्र	(i) कन्हेरी	
	(ii) देढसा	
	(iii) कर्ला	
	(iv) भाजा	
	(v) एलौरा	

	(vi) अजंता	
	(vii) औरंगाबाद	
	(viii) पीतलखोरा	
उड़ीसा	(i) उदयगिरि	
	(ii) रत्नगिरि	
	(iii) ललितगिरि	
	(iv) धौली	
पंजाब	(i) संघोल	
राजस्थान		(i) कोल्वी
		(ii) विन्नायागा
सिक्किम	(i) पेमायांग्रे	
	(ii) रूमलेक	
	(iii) फुडोंग	
तमिलनाडु	(iv) कावेरीपत्तन	

सारनाथ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर योजना

8514. **प्रो०नारायण चन्द पराशर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारनाथ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पर्यटन विभाग और अमरीका के इल्लीनोइस विश्वविद्यालय के "लैंड स्केप आर्किटेक्चर" विभाग ने सारनाथ मास्टर योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो मास्टर योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके पूरा होने की अवधि क्या है तथा इस पर कितनी लागत आने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल पार्क सर्विस ने लैण्डस्केप आर्किटेक्चर विभाग, इल्लीनोइस विश्वविद्यालय के जरिए सारनाथ के भूदृश्यांकन की एक संकल्पनात्मक योजना तैयार की है मास्टर प्लान मिलने के बाद ही इसकी सही-सही लागत और पूरा होने की अवधि के बारे में पता चल सकेगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन

8515. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम देश में स्वदेशी और अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कुछ पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी कर रहे हैं तथा उन्हें सहायता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सहायता हेतु वित्त मन्त्रालय के साथ परामर्श करके कोई उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया तैयार करके इसे अन्तिम रूप किया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह किस प्रकार की है और इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) "डेस्टिनेशन ट्रैवलर" (पहले डिस्टेनेशन इंडिया के नाम से प्रकाशित होती थी) और "नो इंडिया" आदि जैसी उन पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन जारी किए गए हैं और इनमें से प्रत्येक पत्रिका को इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) देश के पर्यटक आकर्षण-स्थलों को प्रचारित करने हेतु, विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित कराये जाते हैं। प्रकाशनों का चयन विज्ञापन एजेन्सी के साथ परामर्श करके उनके वितरण, लक्षित पाठकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। विज्ञापनों का भुगतान वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उपग्रह संचार के माध्यम से विमान यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण

8516. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विमान यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपग्रह संचार नेटवर्क सेवा का उपयोग करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के अंतर्राष्ट्रीय और प्रमुख हवाईअड्डों पर मिनी और माइक्रो उपग्रह भू-केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त उपग्रह संचार नेटवर्क का ब्यौरा क्या है और उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जहां पर यह व्यवस्था शुरू की जायेगी; और

(घ) इस व्यवस्था से विमान यातायात के सुचारू रूप से चलाए जाने की कितनी संभावना होगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और नागपुर हवाई अड्डे (अन्तर्राष्ट्रीय वैकल्पिक) पर यातायात संचार का अधिकांश आदान-प्रदान किया जाता है। इन हवाई अड्डों को घरेलू उपग्रह इन्सेट 1-ख द्वारा अन्तर संचार प्रयोजनों के लिए अर्थ स्टेशनों के अनुरूप बनाने की योजना है। सड़कों की खुदाई, भारी वर्षा के कारण पानी का जमाव होना आदि जैसे विभिन्न कारणों से संचार होटलाइन और टेलीप्रिन्टर चैनल के मौजूदा साधन प्रायः खराब हो जाते हैं। हवाई अड्डों पर भू-केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से व्यवस्थित संचार चैनल इन परिस्थितियों से बचाव करेगा। यह उपग्रह संचार प्रणाली प्रतिकूल परिस्थितियों में तथा एक उड़ान सूचना क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विमान के आगमन के बारे में सूचना के आदान-प्रदान के लिए ध्वनि संचार के रूप में अधिक विश्वसनीय होगी और यह प्रणाली उड़ान योजना, उड़ान नियमितता दिक्चालन सुविधाओं की परिचालन स्थिति और मौसम परिस्थितियों से संबंधित सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए मुद्रित संचार के रूप में अधिक विश्वसनीय होगी। इस प्रणाली से 97% से अधिक वॉइस और टेलीप्रिन्टर चैनलों के उपलब्ध होने की आशा है।

वस्त्र उद्योग में श्रमिकों की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए कार्य दल

[हिन्दी]

8517. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वस्त्र उद्योग में श्रमिकों और अन्य मानव संसाधनों की आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन करने के लिये एक कार्यदल गठित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के लिये गार्मेंट्स उद्योग हेतु जनशक्ति आवश्यकताओं की पुनरीक्षा तथा मूल्यांकन करने से संम्बद्ध एक कार्यकारी दल का गठन किया है। कार्यकारी दल के गठन करने संबंधी योजना आयोग के दिनांक 10 अप्रैल, 1989 के आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7993/89]

सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों की सेवा काल में वृद्धि

[अनुवाद]

8518. **श्री जी० एस० बासवाराजु :**
श्री शान्तिलाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में कुछ उच्च स्तरीय प्रबन्ध अधिकारियों को उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु के बाद सेवा काल में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में नियुक्त पूर्ण कालिक बोर्ड स्तर के व्यक्तियों को अधिवर्षता की आयु के बाद कार्य काल में वृद्धि आपवादिक परिस्थितियों में तथा लोक हित में एवं उनके कार्य-निष्पादन तथा महत्वपूर्ण समय पर उनकी सेवाओं बनाए रखने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में उत्तर प्रदेश की नई जातियां/ सामाजिक समूहों को सम्मिलित करना

[हिन्दी]

8519. **श्री हरीश रावत** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने से पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ नयी जातियों और सामाजिक समूहों को शामिल किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूची में उत्तर प्रदेश की किन-किन जातियों और सामाजिक समूहों को सम्मिलित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इसमें अनवाल, कुठालिया बोरा और गांधर्व जातियों को भी शामिल किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता, चूंकि संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है। इस स्तर पर और आगे जानकारी नहीं दी जा सकती।

बद्रीनाथ के लिए हैलीकॉप्टर सेवा

8520. **श्री हरीश रावत** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मान-सरोवर के लिये हैलीकॉप्टर सेवा आरम्भ करने का बिचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को कब तक लागू कर कर दिए जाने की है; संभावना; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) से (ग) पवन हंस लिमिटेड बेड़े में इस समय उपलब्ध हैलीकाप्टरों के साथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश और मानसरोवर के लिए हैलिकाप्टर सेवाओं के आर्थिक रूप से साध्य होने की सम्भावना नहीं है ।

गोलाबारूद कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ते में वृद्धि

8521. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गोलाबारूद कारखानों के श्रमिकों को वर्ष 1986 से पहले किस दर पर रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाता था;

(ख) क्या गोलाबारूद कारखानों के श्रमिकों के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ते की दरों में नए वेतनमानों के अनुसार वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो संशोधित वेतनमानों के अनुसार कर्मचारियों को बकाया धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि इनकी दरों में वृद्धि नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) 1986 से पहले आयुध निर्माणियों के श्रमिकों को दिए जाने वाले रात्रि-ड्यूटी भत्ते की दरें रक्षा मन्त्रालय के दिनांक 1-1-1979 के पत्र सं० 20 (14)/65/डीओ-1/रक्षा (फैक्टरी-2)/खण्ड-5 के प्रावधानों पर आधारित थीं जिसकी प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 7994) ये आदेश अभी भी लागू हैं । चतुर्थ वेतन आयोग ने रात्रि-ड्यूटी भत्ते की संशोधित दरों की सिफारिश नहीं की अपितु इनकी जांच करने इन्हें पुनः निर्धारित करने का दायित्व सरकार पर छोड़ दिया । इन दरों में संशोधन करने के लिये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया गया है । बकाया राशि के भुगतान का प्रश्न, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा संशोधित आदेश जारी करने के बाद ही पैदा होगा ।

रानी खेत और अल्मोड़ा छावनी बोर्डों से निर्माण कार्यों के प्रस्ताव

8522. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रानी खेत और अल्मोड़ा छावनी बोर्डों, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अनुदान दिये जाने के लिये कितने प्रस्ताव मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजे;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृत अथवा रद्द किए गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अल्मोड़ा और रानीखेत छावनी बोर्डों के बारे में क्रमशः 11 और 9 प्रस्ताव भेजे गए हैं।

(ख) और (ग) : रानीखेत छावनी बोर्ड की दो परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित अनुदान दिये गए, जिन्हें मध्य कमान जनरल अफसर कमांड-इन-चीफ द्वारा मंजूर किया गया था :—

(1) बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास प्रदान करने हेतु "बुफालो लाइनों" के पुनः निर्माण के लिये 1987-88 के दौरान 86 302/- रुपए।

(2) होम फार्म गैड की पुनः मरम्मत करने/दुबारा कंकरीट बिछाकर समतल करने/तारकोल बिछाने के लिये 3,50,000/- रुपए।

सुगन्धों के क्षेत्र में सफलता

[अनुवाद]

8523. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में सुगन्धों के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को एक सफलता मिली है जैसा कि 26 मार्च, 1989 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन उपलब्धियों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पेटेंट करा लिया है और अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में इनकी रिपोर्ट दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इन अनुसंधानों का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करने में कोई सफलता मिली है;

(घ) क्या इस सफलता के संबंधित वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलाक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायन) : (क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम में (1) द्रव और अतिक्रांतिक कार्बनडाईऑक्साईड सहित प्राकृतिक ऐरोमा और सुरूचिक पदार्थ के निष्कर्षण (2) गईक्रोएनकेपसुलेशन तकनीकों द्वारा मसालों की सुवासों और फूलों की सुगन्धों के स्थायीकरण और प्ररिरक्षण पर अनुसंधान कार्यक्रम हैं।

(ख) द्रव कार्बनडाईऑक्साईड का उपयोग कर पुष्प परिशुद्धों (एब्सोल्यूट्स) के निष्कर्ष की मानकीकृत तकनीक के लिये प्रयोगशाला ने एक पेटेन्ट फाईल किया है। प्रयोगशाला के वर्ष 1987 के वार्षिक प्रतिवेदन में अनुसंधान कार्यों के इन परिणामों को रिपोर्ट किया गया है।

(ग) जी नहीं। अनुसंधान कार्य अभी प्रयोगशाला स्तर पर है।

(घ) और (ङ) : वैज्ञानिकों को उपलब्धियों पर पदोन्नति आदि के लिये उनके कार्य का मूल्यांकन करते समय विचार किया जाता है।

टिटोनियम फैक्टरी

8524. **श्री एन० डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टिटोनियम फैक्टरी की स्थापना के लिये स्थल का चयन हो गया है;

(ख) यदि हाँ, यो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र कन्याकुमारी जिले में इस फैक्टरी की स्थापना करने का है जहाँ कच्चा माल इल्मेनाइट प्रचर मात्रा में सुलभ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्टानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (के० आर० नारायणन : (क) और (ख) : तमिलनाडु के चिदम्बरनर जिले के पलायकयाल को जर्कोनियम स्पंज संयंत्र लगाने के लिये चुना गया है। यह स्थल टिटोनियम संयंत्र लगाने के लिए उपयुक्त पाया गया हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जासूसी गतिविधियां

8525. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान विदेशी एजेंसियों द्वारा जासूसी करने के कितने मामलों का पता लगा;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डालर में भुगतान किये जाने पर टिकट देना

8526. **श्री सनतकुमार मंडल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डालर एयरलाइन्स" सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है जिसमें डालर में भुगतान करने पर ही टिकट उपलब्ध होगा;

(ख) एक नई एयरलाइन सेवा प्रारम्भ करने का क्या औचित्य है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"होप आइलैण्ड" का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

8527. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को आन्ध्रप्रदेश सरकार से काकिनाडा के निकट "होपआईलैण्ड" को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हाँ। केन्द्रीय पर्यटन विभाग को आन्ध्र प्रदेश सरकार से होप आइलैण्ड में 286.90 लाख रु० की अनुमानित लागत से एक समुद्र-तट बिहार के निर्माण के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना में 4 डोरमीटरी, 50 डबल बैड रूम, 16 कुटीर, एक मछली घर, एक स्विमिंग पूल तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की परिकल्पना की गई है। विभाग निधियों का आवंटन न तो राज्य-वार करता है और न परियोजनावार बल्कि स्कीम वार करता है।

पर्यटकों के लिए वायुदूत द्वारा एकमुश्त दौरे

8528. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत ने पर्यटकों के लिये "पैकेज ट्यूर्स प्रणाली आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों द्वारा "पैकेज ट्यूर्स" के बारे में सन्तोषजनक प्रतिक्रिया व्यक्ति की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस "पैकेज ट्यूर्स" के अन्तर्गत और पर्यटन-स्थलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केरल स्थित किसी पर्यटन केन्द्र को इसमें शामिल किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वायुदूत वर्ष की निर्दिष्ट अवधियों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में कतिपय गंतव्य स्थानों के लिए पैकेज टूरों की व्यवस्था करता है। पैकेज टूर में परिभ्रमण और किरायों के बारे में विभिन्न विकल्पों की व्यवस्था होती है।

(ग) और (घ) पैकेज टूरों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि इसका फायदा मुख्यतः भारतीय पर्यटकों को ही मिलता है।

(ङ) जी, हां।

केरल के लिए चार्टर्ड विमान सेवाएं

8529. **श्री वक्कम पुरुषोतमन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल जाने वाले पर्यटकों के लिए चार्टर्ड विमान सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केरल में त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा पर्यटक चार्टर उड़ानों के लिये खुला है। इस विभाग ने यू. के. से गोआ और त्रिवेन्द्रम के पर्यटक चार्टर उड़ान श्रृंखला का परिचालन करने के लिए यू. के. के एक प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया है, बशर्ते परिचालन चार्टर दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों। सम्मिलित पर्यटक चार्टर उड़ान श्रृंखला 30 अक्तूबर 1989 से 30 अप्रैल, 1990 के दौरान परिचालित की जाएगी।

असम में ट्रेवल सर्किटों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

8530. **श्री भद्रेश्वर तांती** :

श्री अब्दुल हमीद : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान असम के लिए राज्य में ट्रेवल सर्किटों के विकास हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान ट्रेवल सर्किटों के विकास के लिए वास्तव में कितनी धन-राशि खर्च की गई; और

(ग) ट्रेवल सर्किटों के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने असम में पर्यटन आधार-संरचना के विकास के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की है :–

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	मंजूर की गई राशि	रिलीज की गई राशि
1.	मजुली रीवर आइलैंड में आवास एवं नौकाएं	8.50	7.50
2.	नलबारी में मार्गस्थ सुविधाएं	7.84	3.00
3.	रावता में मार्गस्थ सुविधाएं	7.84	3.00
4.	सिलबहेता में पर्यटक लाज एव अन्य सुविधाएं	9.75	5.00
5.	समगुड़ी झील में पर्यटक परिसर	14.90	8.00
	जोड़	48.83	25.50

(ग) राज्य में पर्यटन आधार-संरक्षना के विकास के लिए उठाए गए कदमों में आधार-संरक्षना, प्रचार एवं संवर्धन, आदि हेतु वित्तीय सहायता शामिल है ।

इलैट्रानिक्स क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

8531. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलैक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, एरमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : वर्ष 1988 के दौरान भारतीय कम्पनियों ने इलैट्रानिकी के क्षेत्र में विभिन्न विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग संबंधी 172 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन पर अमल किया जा रहा है ।

पाकिस्तान की सेना द्वारा युद्धाभ्यास

8532. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

श्री अब्दुल हमीद : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 1989 के इण्डियन एक्सप्रेस में "बिग्गेस्ट पाक आर्मी एक्सरसाइज दिस विंटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाती है और पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उचित उपाय किए जाते हैं।

इलैक्ट्रानिकी मदों के सम्बन्ध में भारत-जापान सहयोग

8533. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इलेक्ट्रानिकी मदों के संबंध में भारतीय फर्मों के साथ सहयोग समझौते किए हैं; और

(ख) निर्माण की जाने वाली मदों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) 131 भारतीय कम्पनियों ने इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए जापानी कम्पनियों के साथ विदेशी सहयोग किया है। ब्यौरे सभा पटल पर रखे जाते हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी०-7995/89]

सिक्किम के भूटियों और लेप्छाओं की मांगें

8534. **डा. बी. एल. शैलेश** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने सिक्किम के भूटियों और लेप्छाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, उसकी मागें क्या थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्वायत्तशाली जन जाति जिला परिषद मांग समिति सिक्किम का प्रतिनिधित्व कर रहे भूटियाओं और लेपचाओं का एक शिष्टमंडल 31.3.1989 को केन्द्रीय गृह मन्त्री से मिला और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रधान मन्त्री को भेजे गए ज्ञापन की एक प्रतिलिपि है। इन ज्ञापनों में, सिक्किम के जनजातियों को आय कर में छूट देने, भारत के संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों को लागू करने और सिक्किम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्र-वृति और निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की गयी है।

(ग) देश के भिन्न-भिन्न भागों में कई जनजातियों को समय-समय पर संवैधानिक संरक्षण और अन्य लाभ दिए गए हैं।

ऊंची इमारतों में आग से बचने के उपाय

8535. **डा. बी. एल. शैलेश :**

श्री कृष्ण सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी की गगनचुम्बी इमारतों में आग लगने की कई घटनाओं तथा आग के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच आयोगों की सिफारिशों के बावजूद ऊंची इमारतों के अनेक मालिकों/भवन निर्माताओं ने भवनों में आग से बचने के सुरक्षा उपायों की बुनियादी व्यवस्था करने हेतु कोई कदम नहीं उठाये हैं और "वन्दना" जहां पिछले महीने आग लग गई थी, जैसी कुछ इमारतों में तो आपातकालीन लिफ्ट तक की व्यवस्था नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में ऐसी कितनी इमारतें हैं;

(ग) अनेक नोटिसों के बावजूद इन इमारतों के मालिकों/कब्जाधारियों द्वारा इस कमी को दूर न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राजधानी में सभी ऊंची इमारतों में आग से बचने की विभिन्न युक्तियों को सख्ती से लागू करने के लिए क्या त्रुटिहीन उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ख) जांच आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप दिल्ली अग्नि निबारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया। इसके अधीन बनाए गए नियम, 31 मार्च, 1987 को अधिसूचित किए गए। इनमें गगनचुम्बी भवनों में 12 अनिवार्य सुरक्षा उपायों की व्यवस्था है। इन नियमों के अधीन चूककर्ता भवन मालिकों/दखलरदारों को अनिवार्य 12 अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने हेतु नोटिस जारी किए हैं। इस समय, 169 भवन ऐसे हैं जिनमें अग्नि सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं है। वन्दना बिल्डिंग में आग लगने के समय आपात लिफ्ट काम नहीं कर रही थी।

2. विभिन्न भवन निर्माताओं ने फ्लैट/कार्यालय परिसरों में भिन्न-भिन्न पार्टियों को बेच दिये हैं और इन मालिकों ने इन फ्लैटों/कार्यालय परिसरों को आगे किराए पर बेच दिया है। अनिवार्य अग्नि सुरक्षा उपायों के साझे प्रयोग के लिए खर्च किए जाने वाले धन को एकत्र करने में कठिनाइयां अनुभव हो रही है। दिल्ली अग्नि निबारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित भवन निर्माताओं को अनिवार्य सुरक्षा उपायों को पूरा करने के लिए समुचित अवधि देते हुए नोटिस जारी किए गए हैं।

नैलि नरसंहार के मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान

8536. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फरवरी, 1983 के दौरान असम में हुए नरसंहार जो नैलि नरसंहार के नाम से प्रसिद्ध हैं, के अधिकांश मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को अभी तक कोई अनुग्रह राशि नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार कितने दावे प्रस्तुत किए गए कितने दावों को मंजूर किया गया और कितने दावों को अस्वीकृत किया गया और कितने लम्बित हैं;

(ग) इस नरसंहार के मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए असम सरकार को कितनी विशेष राशि आवंटित की गई और किन-किन प्रमुख मदों पर व्यय किया गया; और

(घ) प्रत्येक मद पर 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) फरवरी, 1983 के दौरान असम में हुए दंगों में मारे गये व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को भारत सरकार ने 1.52 करोड़ रुपए का अनुग्रह पूर्वक अनुदान दिया है। इसके अतिरिक्त, असम सरकार ने भी कुछ परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अनुदान स्वीकृत किया है। और मृतकों के सम्बन्ध में जिन परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया गया हैं उनकी कुल संख्या 4336 बताई गई है। मारे गए लापता और जख्मी हुए व्यक्तियों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान देने के लिए कुल 4.28 करोड़ रुपए का खर्च हुआ । जिसमें 1.52 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता सम्मिलित हैं। 31 मार्च, 1989 को भारत सरकार के पास कोई दावे लम्बित नहीं थे।

(ग) और (घ) आवंटन के ब्यौरों का विवरण और इन दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने पर हुए संचित व्यय का विवरण संलग्न है।

विवरण

मद	आवंटन	(रुपये लाखों में) संचित व्यय
(i) खाद्यान्न की आपूर्ति	1648.72	1660.78
(ii) नकद	314.40	318.82
(iii) बर्तन	21.50	22.93
(iv) कम्बल,मच्छरदानी और कपड़े	162.75	137.79
(v) पौषक आहार	30.00	10.89
(vi) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	137.89	156.79
(vii) शिवरों और गांवों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था	34.80	
(viii) अस्थाई शेल्टर्स	25.00	41.85
(ix) मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अनुदान	152.45	428.40
जोड़	2527.51	2778.25

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संगठन

8537. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के बारे में दिनांक 3 अप्रैल, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 469 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में अब तक कितने संगठनों को लाया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अब तक लाये गए संगठनों की एक सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र०सं०	संगठन काम
1.	कर्मचारी भविष्य विधि तथा विविध व्यवस्था अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड
2.	राज्य कर्मचारी बीमा निगम ।
3.	केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड
4.	राष्ट्रीय श्रम संगठन
5.	राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद
6.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ।
7.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ।
8.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ।

पंजाब में प्रवासी शिविर

8538. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब में विभिन्न शिविरों में ग्रामीण क्षेत्रों तथा आतंकवादी पीड़ित क्षेत्रों से आए कितने प्रवासी हैं और इन शिविरों के नाम क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन प्रवासियों को दी जाने वाली वित्तीय और अन्य सहायता एवं सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 7.4.1989 तक 16908 परिवार आतंकवाद प्रभावित नगरों तथा गावों से राज्य के विभिन्न स्थानों को चले गये हैं । राज्य सरकार द्वारा कोई शिविर नहीं लगाए गए हैं ।

अब तक ऐसे परिवारों को पुनर्वास सहायता के रूप में 259 लाख रुपए की राशि दी गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

I. 2,000 रुपए प्रति परिवार की दर से अनुग्रह अनुदान;

II. 500 रुपए प्रति परिवार की दर से अनुग्रह अनुदान;

III. प्राइवेट आवास किराये पर लेने के लिये प्रति परिवार प्रतिमाह 250 रुपए।

इन परिवारों को ये भी सुविधाएं दी गई हैं कि वे जमानत अथवा सीमान्त धन के बिना बैंकों से 25,000/- रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, जिसमें ऋण राशि के 20 प्रतिशत की दर से परिदान अंश होगा, लेकिन इसमें लाभकारी स्वरोजगार करने लिये 5000/- रुपए की अधिकतम सीमा होगी।

विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्वास सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

8539. **डा. फूलरेणु गुहा :** क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए जनजातीय लोगों के पुनर्वास हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास से सम्बद्ध राष्ट्रीय नीति का प्रारूप कल्याण मन्त्रालय द्वारा तैयार किया गया है, जिसके ब्यौरों पर विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

पश्चिम बंगाल के स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान

8540. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के स्वयं सेवी संगठनों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा की अधिक सुविधायें उपलब्ध करने हेतु कोई अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) 1988-89 में पश्चिम बंगाल के जिन संगठनों ने अनुदान प्राप्त किये है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(ख) 1888-89 में पश्चिम बंगाल के जिन संगठनों ने अनुदान प्राप्त किया उनके ब्यौरे निम्न है :-

क्रम सं. संगठन का नाम

1. हरिजन संवक संघ, बंगाल
2. निखिल भारत वनबंसी पंचायत, मुख्यालय झार ग्राम, जिला मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)
3. रामकृष्ण मिशिन बाल राहत गृह 24 परगना, पश्चिम बंगाल
4. टैगोर ग्रामीण अनोपचारिक आदिवासी प्रशिक्षण विकास सोसायटी, कलकत्ता
5. रामकृष्ण मिशिन आश्रम, पोस्ट नरेन्द्रपुर, 24-परगना, पश्चिम बंगाल
6. रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, पोस्ट, विवेकानन्द नगर, जिला पुरूलिया, पश्चिम बंगाल
7. पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक कल्याण संस्था, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल ।

एयर इण्डिया का विस्तार

8541. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

डा० कृपा सिंधु भोई : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया के विस्तार और अधिविन्यास के लिए तीन बर्षीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) योजना के कार्यान्वियन के लिये अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाठिल) : (क) से (ग) एयर इंडिया वर्ष 1989-90 से 1995-96 की अवधि के लिए एक समेकित विमान बेड़ा योजना बना रहा है जिसमें विमान प्राप्त करने की योजनाएं भी शामिल हैं ।

गैर-सरकारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वर्दियों और चिन्हों का अनाधिकृत उपयोग

8542. **श्री पी० एम० सईद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गैर सरकारी व्यक्ति तथा गैर सरकारी संगठन ठीक वैसी ही वर्दियों और चिन्हों का उपयोग कर रहे हैं जैसी पुलिस वालों के व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए जा रहे वर्दियों और चिन्हों के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या कुछ ऐसे मामलों की भी जानकारी मिली है जिनमें ऐसे लोगों ने स्वयं को पुलिस अधीकारी बताया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को वर्ष 1886 में ये अनुदेश जारी किए गए थे कि पुलिस वर्दियों और चिन्हों का अनधिकृत प्रयोग को रोका जाए और लोगों को इस बात से अवगत करा दिया जाए कि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पुलिस वर्दियों और चिन्हों का प्रयोग करना अथवा उनकी नकल की गई वस्तुओं का प्रयोग करना गैर कानूनी है और उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया जाए। चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, अतः यह राज्य सरकारों से अपेक्षित हैं कि पुलिस वर्दियों और चिन्हों का अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

गुमशुदा टेक्सी ड्राइवर और टैक्सियां

8543. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ ऐसे टैक्सी ड्राइवर और टैक्सीयां गुम हैं जिन्हें किराए पर दिल्ली से बाहर घूमने के लिए ले जाया गया था ;

(ख) ऐसे गुमशुदा मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जांच के लिए ऐसे मामलों की स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक तथा शिकायत पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि मामले घृणित प्रकार के हैं, अतः जांच-पड़ताल दिल्ली पुलिस के अनुभवी अधिकारियों को सौपी गई हैं।

विवरण

1. श्रीमती दीपिका निवासी, ई०-140, एम० सी० डी० कालोनी, की शिकायत पर थाना आदर्शनगर दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के अधीन 3.12.1988 को एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 211 दर्ज किया गया। जिसमें आरोप लगाया गया कि उसका पति अनिल कुमार, जगजीत ट्रैवल कम्पनी, लूसा टावर, आजादपुर, दिल्ली में ड्राइवर के रूप में नौकरी करता है। 12.10.1989 को अनिल कुमार कम्पनी की मारुति वैन संख्या डी०डी०वी०-5381 के साथ यह कह कर गया कि वह जयपुर जा रहा है और 13.10.1988 तक वापस आ जायेगा। उसके बाद न वापस आया और न ही उसका और वाहन का कुछ पता लगा। मामले की जांच पड़ताल अपराध शाखा कर रहीं है।

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के अधीन श्री निवास पुरी थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या *69* तारीख *6.2.1989* में श्री टेकचन्द पुत्र श्री छूतन निवासी, बी०–12 जोगा बाई औखला, नई दिल्ली में सूचित किया गया है कि न्यू फ्रैंन्ड कालोनी के टैक्सी स्टैन्ड पर उसके लड़के के पास पारस नामक एक व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों के साथ आया और पारस राम से कहा कि हम सब को उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में सिहाना को जाना है। पारस राम को तथाकथित व्यक्तियों के साथ मारुति वैन संख्या डी०डी०ए०–7391 में 28.1.1989 को सिहाना भेजा गया लेकिन उसके बाद वे वापस नहीं आए। दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, की स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

3. थाना शाहदरा दिल्ली है भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत दर्ज मामला संख्या 557 तारीख 14.11.1988 में सूचित किया है कि ड्राइवर मलकियत सिंह को मारुति वैन डी० ए० ई०–1137 सहित उत्तर प्रदेश से 2/3 व्यक्तियों को किराए पर लिया। ड्राइवर की हत्या कर दी गई और वाहन को बेच दिया गया। अपराध शाखा ने अभियुक्त योगेन्द्र कुमार जिसने वाहन को बेचा था के साथ 3 व्यक्तियों नामतः मुनीश कुमार और मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया वाहन को बरामद कर लिया गया लेकिन शव अभी तक बरामद नहीं किया जा सका। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। एक अभियुक्त राकेश अभी भी फरार है।

4. थाना शाहदरा में भारतीय दंड संहिता की धारा 364/413/120-ख के अंतर्गत 15.3.1988 को मामला संख्या प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 144 दर्ज की गई। इस मामले में मारुति वैन संख्या डी० डी० वी०–4651 के साथ ड्राइवर सुरजीत सिंह 3 व्यक्तियों को उत्तर-प्रदेश के लिए किराए पर लिया गया ड्राइवर की हत्या कर दी गई और वाहन को बेच दिया गया। अपराध शाखा ने अभियुक्त मुनीश कुमार, योगेन्द्र कुसार और पुष्पेन्द्र को गिरफ्तार किया ओर चौथा अभियुक्त राकेश कुमार अभी भी फरार है। अपराध शाखा ने वाहन बरामद कर लिया है। ड्राइवर के शव को भी कानपुर (उत्तर द्रदेश) पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

5. थाना मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 420/365 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 410 के तहत 31.12.1988 को एक मामला दर्ज किया। इस मामले में 20.12.1988 को ड्राइवर तिलक राम सहित मारुति वैन संख्या डी० एल० वाई०-692 को किराए पर लिया गया लेकिन वह अभी तक वापस नहीं लौटा। अपराध शाखा मामले की जांच-पड़ताल कर रही हैं। अभी तक कोई सुराग नहीं लगा तथापि, अपराध को हल करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

6. थाना शाहदरा, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा के अन्तर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 339 तारीख 30.6.1988। इस मामले में दो व्यक्तियों ने टैक्सी स्टैन्ड, शाहदरा, दिल्ली से एक एम्बेसैडर कार संख्या डी० डी० बी०-8781 और ड्राइवर पारस राम को किराए पर लिया। अपराध शाखा मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। अभी तक मामले का कोई सुराग नहीं मिला। यथापि, इस मामले को हल करने के भरसक प्रयत्न जारी है।

7. ड्राइवर जोगेन्द्र सिंह और मारुति वैन संख्या डी. ए. ई.-3897 के नजफगढ़ से लापता होने के बारे में थाना नजफगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 365/34 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 9 के अन्तर्गत 11.1.1989 को एक मामला दर्ज किया गया। ड्राइवर और मारुति वैन को अभी तक बरामद नहीं किया गया। स्पेशल स्टाफ/दक्षिण-पूर्वी जिला नई दिल्ली मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

8. ड्राइवर राजेन्द्र और मारूति वैन डी. ए. वी.-4623 के लापता होने के बारे में थाना नजफगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 365/34 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 96 तारीख 23.3.1989 को एक मामला दर्ज किया गया अभी तक कोई पता नहीं लगा। थाना नजफगढ़ नई दिल्ली के अन्तर्गत मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

9. श्री रतन लाल गर्ग निवासी -डी-278, फेज-1, अशोक विहार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत थाना अशोक विहार दिल्ली में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245 के तहत 27.9.1988 को एक मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी मारूति कार संख्या डी. डी. ए.-8084 को चलाने के लिए जे-31 शकरपुर, जे. जें. कालोनी दिल्ली के रामनिवास पुत्र श्री सुरजभान को नौकरी पर रखा। 1.9.1988 को श्री राम निवास श्री रतन लाल गर्ग की अनुमति से उस कार को ले गया क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ आगरा जाना चाहता था। लेकिन वह वापस नहीं लौटा। मामला उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली के स्पेशल स्टाफ को हस्तान्तरित किया गया जो आगे जांच-पड़ताल कर रही है।

10. थाना करौल बाग में भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 42 तारीख 7.2.1989 को दर्ज किया गया। 21.1.1989 को 3918 गली कुमारन, शीश गंज दिल्ली का निवासी मनोज कुमार पुत्र श्री सुखदेव राव, गुरुद्वारा रोड करौलबाग, दिल्ली में अपनी मारूति वैन संख्या डी.ए.डी-5447 के लगी कुछ सहायक उपकरण लेने के लिए गुरुद्वारा रोड करौल बाग नई दिल्ली आया। दो अज्ञात व्यक्तियों ने गढ़ मुक्तेश्वर के लिए उसकी गाड़ी को किराए पर लिया लेकिन ड्राइवर मनोज कुमार वापस नहीं लौटा। उसके बर्दरइन ला-पालम सिंह ने संदेह व्यक्त किया और संदेह की पुष्टि भी की कि ऊपर उल्लिखित दो व्यक्तियों ने मारुति कार के साथ मनोज कुमार का अपहरण नापाक इरादों से किया। मामले की जाँच-पड़ताल स्थानीय पुलिस कर रही है।

11. शाहदरा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 74 तारीख 5.2.1989। श्रीमती सुशीला पत्नि श्री हर लाल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसका पति कार संख्या डा. ई. सी.-6709 म उत्तर प्रदेश सीमा की तरफ गया था। और वापस नहीं लौटा। पूर्वी दिल्ली की पुलिस स्थानीय पुलिस के साथ मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। इस मामले को हल करने के प्रयत्न जारी हैं।

12. थाना टाऊन हॉल दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अन्तर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80 तारीख 21.4.1989। 4. 4. 89 को तीन व्यक्तियों ने कार संख्या डा. ई. सी.–5273 ड्राइवर सहित तिहाड़ जेल के लिए किराए पर ली। जैसा कि प्रत्यक्ष

दर्जियों ने बताया उनके रोहतक जाने की संभावना थी। कार और ड्राइवर वापस नहीं लौटे। अतः उपरोक्त मामले को दर्ज किया गया और उत्तरी जिले की स्थानीय पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल की जा रही है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठन

8544. **श्री राधाकांत डिगाल :**

श्री मोहन भाई पटेल : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों और और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार नाम क्या है; और

(ख) इन स्वैच्छिक संगठनों को पिछले तीन वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि दी गई ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों के राज्य/संघ क्षेत्र वार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्वयं सेवी संगठनों को सहायक अनुदान की कुल राशि 5,50,846,38/- रु० थी :

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वयंसेवी संगठनों के नाम जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत दिया गया सहायक अनुदान

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	स्वयंसेवी संगठनों की सूची
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. कावरू चेरीटेबल ट्रस्ट, गुडीवाडा, जिला, कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. रामकृष्ण मिशन स्कूल, अलोंग, सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश
		2. रामकृष्ण मिशन, पो०आ० नरोत्तम नग , जिला तिरप, अरुणाचल प्रदेश
		3. रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
3.	असम	1. घडमोडा मॉडल सात्रा हिल्स और प्लेनस कल्चरल आरगेनाइजेशन, पो०आ० दीर्घा, सिजूली, उत्तरी लखीमपुर, असम

1	2	3
		2. प्रांतीय समाज कल्याण केन्द्र, उत्तरी लखमीपुर (असम)
		3. रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, सिल्चर, कछार असम
		4. रामकृष्ण मिशन आश्रम, अछतरीबारी रोड, गुवाहाटी
4.	बिहार	1. रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची
		2. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद्, रातू शाखा रांची, बिहार
		3. रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसायटी, एल-रोड़, बिस्तूपुर, जमशेदपुर, बिहार
		4. रामकृष्ण मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, रांची
5.	कर्नाटक	1. श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम, वाणी विलास, मोहल्ला पो० आ० मैसूर
6.	केरल	1. श्री रामकृष्ण अद्वैत, आश्रम, कालाडी, केरल
		2. पीपल्स काउंसिल फार सोशल जस्टिस, लायाम रोड, एरनाकुलम, कोचीन (केरल)
7.	मध्य प्रदेश	1. आर.के. मिशन विवेकानन्द आश्रम, रायपुर, मध्य प्रदेश
8.	महाराष्ट्र	1. सर्वेन्टस आफ इंडिया सोसायटी, पूना
		2. भारतीय समाज उन्नति मंडल, भिवंडी, जिलाथाणे, महाराष्ट्र
		3. भारतीय एग्रो-इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, सेनापति बापट मार्ग, पुणे, महाराष्ट्र
9.	मेघालय	1. रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन रोड़, शिलांग, मेघालय
		2. रामकृष्ण मिशन आश्रम, चेरापूंजी, पो०आ० चेरा-बाजार, मेघालय
10.	नागालैंड	1. नागालैंड गांधी आश्रम, चू-चू-यिमलांग, जिला, मोकक चुंग, नागालैंड
11.	उड़ीसा	1. रामकृष्ण मिशन आश्रम, पुरी
12.	राजस्थान	1. सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेंटर, तिलोनिया, मदनगंज, अजमेर, राजस्थान
		2. बनस्थली विद्यापीठ, पो०आ० बनस्थली, राजस्थान

1	2	3
13.	तमिलनाडु	1. थियोसोफिकल सोसायटी, एडयार, मद्रास
		2. नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर ऐसोशिएशन, फेयर ग्लेन ऐनेक्स, कोटा हाल रोड़, कोटागिरी, द नीलगिरीस, तमिलनाडु
14.	उत्तर प्रदेश	1. ईशन सरन आश्रम, इलाहाबाद
		2. जन जागरण परिषद, सैयावाद, (इलाहाबाद)
15.	पश्चिम बंगाल	1. रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, 24-परगना, पश्चिम बंगाल
		2. रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, पो०आ० विवेकानन्द नगर, जिला- पुरूलिया, पश्चिम बंगाल
		3. श्री रामकृष्ण आश्रम, पो० आ० नीमपीठ आश्रम, 24-परगना (सुन्दरबंस), पश्चिम बंगाल
		4. रामकृष्ण मिशन आश्रम, मालदा, पश्चिम बंगाल
		5. सुंदरबंस सेवा संघ, पो० आ० दक्षिणपुरी, राधानगर, वाया छोहोतोमोलाखली, जिला, 24-परगना, पश्चिम बंगाल
		6. महानाम सेवक संघ, श्री श्रीमहानाम अन्गन, रघुनाथपुर, जयनगर, कलकत्ता
		7 वंगाल ग्राम विकास केन्द्र, पनीसाला हाट गांव, पश्चिम दीनजपुर जिला, पश्चिम बंगाल
		8. बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास समिति, पो० आ० मातुआधाम, जिला, 24-परगना (उ०), पश्चिम बंगाल
		9. पश्चिम बंगाल अनुसूचित आति जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण ऐसोसिएशन, रविन्द्रनगर, पो०आ० और जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल
		10. टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमैंट, कलकत्ता
		11. हरिजन सेवक संघ, बंगाल, 37/3, नस्करपुर रोड़, घुसरी,हावडा

1	2	3
		12. निखिल भारत बनबासी पंचायत, मुख्यालय झरग्राम, जिला मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)
		13. रामकृष्ण मिशन बार्यस होम, राहाडा, पश्चिम बंगाल
16.	दिल्ली	1. हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे, दिल्ली
		2. इंडियन रेड क्रास सोसायटी, रेड क्रास रोड़, दिल्ली
		3. हिन्द स्वीपरस सेवक समाज, 198–एच, कालीबाडी मार्ग, नई दिल्ली
		4. बंगाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण ऐसोसिऐशन (रजिस्टर्ड), 22/13, पुष्प विहार, सेक्टर–1, नई दिल्ली
		5. समाज सेवा संघ (रजि.), नं. 69/10, गली नं. 16, ब्रह्मपुरी, दिल्ली
		6. राष्ट्रीय शोषित परिषद (रजि.), 167, पालिका बाजार, नई दिल्ली
		5. श्री लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन, 1, मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली
		8. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, 15, कैनिंग लेन, नई दिल्ली
		9. अखिल भारतीय दयानन्द सेवा संघ महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली
		10. भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, डा० अम्बेडकर मार्ग, नई दिल्ली
		11. डी ए०वी० कालेज मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली
		12. फाउंडेशन फार रूरल डेवेलपमेंट एण्ड सोशल एक्शन, नई दिल्ली
		13. एस.एस.बी. कैबिनेट सैकरेटेरिएट, नई दिल्ली।

होटलों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण

8545. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होटलों को ऋण प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी, एकत्र ओर सरकारी संगठनों को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में होटल निर्माण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋण और उस पर ली गई ब्याज दर का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1988-89 (जुलाई 1888 से मार्च 1989) के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने निम्नलिखित पार्टियों को, उनमें नाम के सामने दिए गए ब्यौरों के अनुसार, ऋण स्वीकृत किए थे ।—

क्रम सं.	संगठन का नाम	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्वीकृत ऋण
	1988-89 (जुलाई, 1988 मार्च, 1989)		(करोड़ रु० में)
1.	भारत होटल्स लि०	नई दिल्ली	2.00
2.	तमिल नाडु टूरिज्म इंटरनेशनल रिसोर्ट लि०	तमिलनाडु	1.53
3.	होटल श्रीं कृष्ण लि०	आंध्र प्रदेश	8.50
4.	होटल लीला बंचर लि०	गोआ	5.50
5.	मेक वेव्स सी रिसार्ट प्रा० लि०	महाराष्ट्र	2.50
6.	अडयार गेट होटल्स लि०	तमिलनाडु	3.61
		जोड़	23.54

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अप्रैल 1989 में कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने होटल परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋणों पर 14% की दर से ब्याज लिया है । तथापि, पिछड़े क्षेत्रों में स्थित और ऐसे जिलों में अवस्थित एककों को 12.6% की रियायती दर पर ऋण दिया जाता है जहां एक भी उद्योग नहीं है ।

उड़ीसा में जैव वैज्ञानकि और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान केन्द्र

8546. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालूगांव में एक जैव वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा अब तक किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र द्वारा निकट भविष्य में क्या नया अनुसंधान कार्य करने का बिचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० के० नारायणन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को पुनर्गठित करने के लिए कार्यक्रम

8547. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने सरकार से अपने संगठन के पुर्नगठन करने के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुमति प्रदान की है; और

(ग) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के पुनर्गठन के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं।

(क) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

नशीली औषधों के सेवन पर नियन्त्रण के लिए उड़ीसा का प्रस्ताव

8549. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली औषधों के सेवन पर नियन्त्रण लगाने के लिए सहायता" देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या इस संबंध में उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां। कल्याण मंत्रालय "मद्यनिषेध तथा औषध दुरुपयोग निवारण हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार द्वारा की गई सिफारिश में अनुसार, औषध दुरुपयोग निवारण हेतु जिन स्वयंसेवी संगठनों को 1988-89 के दौरान वित्तपोषित किया गया था वे निम्न प्रकार हैं :—

1. युवा तथा सामाजिक विकास केन्द्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा
2. नैतिक मार्गदर्शन तथा कानूनी सहायता संघ, भुवनेश्वर
3. प्रादेशिक औषध निवारण सामाजिक सुधार तथा पुनर्वास केन्द्र, सुन्दरगढ़, उड़ीसा।
4. लोकनायक क्लब, उड़ीसा।

दिल्ली में बिक्रीकर

8550. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या ऐसे व्यापारी को जो केवल "फर्स्ट प्वाइन्ट" पर "कर" लगाने वाली वस्तुओं का व्यापार करता है, दिल्ली में बिक्रीकर अधिकारियों के पास अपने आप को पंजीकृत कराना अनिवार्य है;

(ख) यदि नहीं तो बिक्रीकर नम्बर लेने पर विवस करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान । यदि व्यापारी की बिक्रीकर योग्य प्रमाण से अधिक हो जाती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

जम्मू और कश्मीर में शरणार्थी

8551. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में ऐसे कितने शरणार्थी हैं जो वहां के स्थायी निवासी नही माने जाते और जिन्हें भूमि तथा मकान खरीदने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने, पंचायत और विधान सभा चुनावों में वोट डालने तथा मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेजों में दाखला लेने के लिए भी पात्र नहीं माना जाता; और

(ख) जम्मू और काश्मीर में जन्मे इनके बच्चों का इस दृष्टि से क्या दर्जा होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अब पश्चिमी पाकिस्तान में शामिल भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित 2768 परिवारों, जो विभाजन के समय भारत आए और जम्मू और कश्मीर के भिन्न-भिन्न हिस्सों में बस गए, को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवासियों को उपलब्ध परिमाणी लाभ नहीं दिए गए हैं । तथापि, उन्हें संसदीय-चुनावों में मतदान का अधिकार है ।

(ख) इन व्यक्तियों के बच्चे भी राज्य के अस्थायी निवासी हैं ।

अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान

8552. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यस्थता बोर्ड ने निर्णय दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के बदले में नकद भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदाता तंत्र तथा अनिवार्य विवाचन योजना के अन्तर्गत स्थापित विवाचन बोर्ड ने 31-3-1989 को निम्नलिखित अधिनिर्णय दिया :-

"कर्मचारी नीचे निर्दिष्ट किए गए सिद्धान्तों के अनुसार अर्जित अवकाश के नकदीकरण के हकदार होंगे :—

(1) छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति केवल तभी दी जायगी जब सरकारी कर्मचारी के खाते में उसके द्वारा नकदीकरण का दावा करने के समय कम से कम 60 (साठ) दिन का अर्जित अवकाश हो ।

(2) नकदीकरण की अवधि एक कलैण्डर वर्ष में 15 (पन्द्रह) दिन अथवा दो कैलेण्डर वर्षों के एक ब्लाक में 30 (तीस) दिन तक सीमित होगी बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी उसी समय पहले वाली स्थिति में 15 दिन (पन्द्रह दिन) तथा बाद वाली स्थिति में 30 (तीस) दिन का अर्जित अवकाश ले लेता है और आगे यह शर्त भी है कि उसके द्वारा नकदीकरण के अधिकार का प्रयोग कर लिए जाने तथा ऊपर बताए अनुसार अर्जित अवकाश ले लिए जाने के बाद सभी स्थितियों में उसके खाते में कम से कम 30 दिन (तीस दिन) की छुट्टियां हों ।

(3) अर्जित अवकाश की मंजूरी विद्यमान तत्सम्बन्धी नियमों द्वारा शासित की जाती रहेगी ।

(4) अधिनियम 1 अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त होगा ।"

अधिनिर्णय पर कार्रवाई के बारे में अभी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया हैं ।

अशोक होटल यूनियन द्वारा लिखा गया पत्र

8553. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ अधिकारियों की साठ-गाठ/संरक्षण में जन-सम्पर्क स्थानों में होटल के कुछेक चुनिदा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कदाचार, व्यापार धन की हानि और होटल की अन्य वस्तुओं मदों की चोरी के बारे में अशोक होटल कर्मचारी यूनियन ने भारतीय पर्यटन विकास निगम कें प्रबन्ध मण्डल ने सरकार को अनेक पत्र लिखे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त यूनियन द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने पत्र लिखे गए हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज.वी. पाटिल) : (क) और (ख) : गत दो वर्षों के दौरान, अशोक होटल कर्मचारी संघ से 9 पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें

अशोक होटल, नई दिल्ली, में भ्रष्टाचार, कारोबार/राजस्व लीक आउट होने आदि के बारे में आरोप लगाए गए हैं।

(ग) उपरोक्त संघ ने जिन विशिष्ट मामलों/आरोपों का हवाला दिया है, भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधकों ने उनकी जांच करने के लिए उचित कार्रवाई की है।

भारतीय होटल निगम और भारतीय पर्यटन विकास निगम का विलयन

8554. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय होटल निगम और भारतीय पर्यटन विकास निगम के विलय करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों के विलयन की शर्तों और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) पर्यटन राष्ट्रीय समिति ने भारतीय होटल निगम को भारत पर्यटन विकास निगम के साथ मिलाने की सिफारिश की है। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दहेज सम्बन्धी निराधार शिकायतें

8555. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री दहेज विरोधी सेल को प्राप्त हुई निराधार शिकायतों के बारे में 27 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 604 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, में 1985 में पुलिस स्टेशन, विनय नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 में दर्ज करने हेतु भेजे गये कुछ मामलों में जांच के बाद दहेज विरोधी कक्ष के उपायुक्त को यह पता चला था कि दहेज की मांग और दुर्व्यवहार के आरोप सच नहीं थे और पक्षों के बीच बिचार की जड़ लड़की की निष्ठा संदेहास्पद थी परन्तु फिर भी विनय नगर पुलिस ने कोर्ट में चालान भरते समय दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम 1984 और भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 498-क भी जोड़ दी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो दहेज विरोधी कक्ष के उपायुक्त के उक्त निष्कर्षों को अनदेखी किए जाने के क्या कारण हैं और दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय दन्ड संहिता की धारा 406 के तहत विनय नगर थाने में केबल एक ही ऐसा मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 542 दिनांक 27-9 1985 दर्ज है जिसमें जांच पड़ताल के दौरान लड़की के पिता श्री देवराज शर्मा के बयान के उपरान्त स्थानीय पुलिस द्वारा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 को जोड़ा गया था, तथा शिकायत कर्ता के पूरक बयान को रिकार्ड किया गया। बाद में अभियोजन शाखा द्वारा की गई सिफारिश पर, रिकार्ड किए गए साक्ष्य के अनुरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क को जोड़ा गया था।

केन्द्रीय वक्फ परिषद को अनुदान

8556. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वक्फ परिषद् को केन्द्रीय सरकार से न्यास सम्पत्तियों के विकास के लिए अनुदान राशि मिलती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार केन्द्रीय वक्फ परिषद को कितनी अनुदान राशि दी गई; और

(ग) जिन परियोजनाओं का विकास किया गया है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां। केन्द्रीय वक्फ परिषद, शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए 1974-75 से केन्द्रीय सरकार से सहायक-अनुदान प्राप्त कर रही है।

(ख) केन्द्रीय वक्फ् परिषद् को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए सहायक-अनुदान की धनराशि निम्न प्रकार है :—

1.	1986-87	50 लाख रुपये
2.	1987-88	50 लाख रुपये
3.	1988-89	60 लाख रुपये

(ग) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है।

विवरण

विकास परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे तथा प्रत्येक राज्य में परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋणों की कुल धनराशि।

31.3.1989 की स्थिति के अनुसार
(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य	परियोजनाओं की संख्या जिन्हें ऋण दिया गया	स्वीकृत ऋण की धनराशि
1	आन्ध्र प्रदेश	12	137.50
2	बिहार	9	33.59
3	कर्नाटक	10	174.13
4	केरल	3	16.90
5	महाराष्ट्र	3	43.00

6	पंजाब	1	10.00
7	राजस्थान	2	24.02
8	तामिलनाडु	11	135.97
9	उत्तर प्रदेश	1	1.00
10	दिल्ली	3	5.50
	जोड़	55	581.61

तटरक्षक बल के पास पोतों और विमानों की संख्या

8557. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तट-रक्षक बल के पास कितने पोत, नौकाएं और विमान हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : तटरक्षक बल इस समय विभिन्न श्रेणियों के लगभग 60 जलपोतों और विमानों (फिक्स्ड विंग एवं रोटरी विंग) का संचालन कर रहा है। इस संबंध में निश्चित ब्यौरे देना सुरक्षा के हित में नहीं है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बांकुरा परियोजना में कार्यरत कर्मचारी

8558. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बांकुरा परियोजना के निर्माण कार्यक्रम के अगले चरण में कुशल कारीगरी के कितने क्षेत्रों को शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या इस परियोजना के आरम्भ किए जाने के समय से कार्यरत वर्तमान अस्थाई कर्मचारियों की सेवा में खपाने पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) बांकुरा के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित अनुसंधान और विकास प्रयास चार क्षेत्रों की समस्याओं के लिए किये जायेंगे। यथा-फिशिंग हुक्स, पोटरी और चीनी मिट्टी, पीतल, घंटा-धातु और खलय त्वचा और पशु उप-उत्पाद।

(ख) इस परियोजना में कार्यरत कर्मचारी-वर्ग को परियोजना के आरम्भ से ही संवेदागत आधार पर नियुक्त किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"सी-डाट" द्वारा "मैक्स" का विकास

8559. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलिमेटिक्स (सी-डाट) ने नानब्लाकिंग मेन-आटोमेटिक एक्सचेंजों की 16000 लाइन के डिजाइन विकास और परीक्षण की परियोजना पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो किस लागत पर और क्या यह परियोजना निर्धारित समयावधि के अनुरूप रही है, और

(ग) यह परियोजना कब तक चालू होगी और इसे कहां स्थापित किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) टेलिमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डाट) ने 16000 पोर्ट के मुख्य स्वचालित एक्सचेंज के लिए प्रौद्योगिक का विकास किया है। 16000 पोर्ट के एक्सचेंज (4,000 लाइनों के लिए आरम्भिक उपस्कर) का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) दिनांक 31.3.89 तक इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली परियोजना पर टेलिमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) द्वारा किया गया व्यय 53.5 करोड़ रुपये है। 16,000 पोर्ट के एक्सचेंज के डिजाइन, इंजीनियरी तथा उसके क्षेत्रीय परीक्षण में कुछ विलम्ब हुआ है लेकिन सातवीं योजना के अन्त तक इसके उत्पादन का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसे बनाए रखे जाने की सम्भावना है।

(ग) क्षेत्रीय परीक्षण के लिये 16,000 पोर्ट की प्रणाली (4,000 लाइनों के लिए आरम्भिक उपस्कार) को उलसूर, बंगलौर में प्रतिष्ठापित किया है। क्षेत्रीय परीक्षण का कार्य मई, 1989 में आरम्भ होगा।

वाघा सीमा पर सीमा शुल्क कर्मचारियों की सुरक्षा

8560. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाघा सीमा से तस्करी रोकने के लिए सीमा के निकट अट्टारी में सीमा शुल्क कार्यालय स्थापित करने के कारण सीमा शुल्क कर्मचारियों पर आतंकवादियों द्वारा हाल ही में किये गये हमलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सीमा-शुल्क कार्यालय स्थापित किये जाने के कारण आतंकवादी गतिविधियों में गत 15 दिनों के दौरान गत 15 दिनों की तुलना में लगभग कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) वाघा सीमा पर स्थापित नये सीमा-शुल्क कार्यालय में नियुक्त सीमा-कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) . (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पंजाब सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में बम बिस्फोट

8561. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री जी० एस० बासवराजू :
श्री एस० बी० सिदनाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1989 को दिल्ली में सेंट स्टीफन अस्पताल के निकट बम बिस्फोट हुआ था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और वह बम किस प्रकार का था तथा बम बिस्फोट से जान-माल का कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस कांड में शामिल व्यक्तियों/संगठनों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जांच से पता लगा कि 31.3.1989 को लगभग 9.00 बजे (अपराह्न) सेंट स्टीफन अस्पताल के सामने एक बम बिस्फोट हुआ । भा. दं. सं. की धारा 307, बिस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4, और टी. डी. ए. (पी.) अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 89 दर्ज किया गया और अमृतसर के एक व्यक्ति बलदेव सिंह उर्फ केदा को गिरफ्तार किया गया । विस्फोट में कुल 5 व्यक्ति घायल हुए । जान अथवा माल की कोई क्षति सूचित नहीं की गयी ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) इस प्रकार के अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पुलिस गश्त में और तेजी लायी जा रही हैं । जनता को जन-सम्पर्क माध्यमों से शिक्षित किया जाता है कि वे किसी लावारिस पड़ी वस्तु को न छुएं और जब भी उनके ध्यान में कोई संदिग्ध वस्तु आती है वे तत्काल पुलिस को सूचित करें ।

दिल्ली प्रशासन में आशुलिपिक

[हिन्दी]

8562. **श्री सरफराज अहमद :**

विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में (425-700) रुपये के वेतनमान में काम करने वाले हिंदी और अंग्रेजी के आशुलिपिकों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है; और

(ख) क्या आशुलिपिकों, विशेष रूप से हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाएं नियमित करने के लिए समुचित नियम बनाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 44 (हिन्दी-18, अंग्रेजी-26)

(ख) हिन्दी आशुलिपिकों के लिए अलग से कोई नियम नहीं है। नियमों में 330-560 रुपये के वेतनमान वाले आशुलिपिक, जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, को पदोन्नति द्वारा इस ग्रेड में भर्ती करने की व्यवस्था है।

श्रीहरिकोटा राकेट लांचिग सेंटर का विकास

[अनुवाद]

8563. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीहरिकोटा राकेट लांचिग सेंटर के आधुनिकीकरण/विकास हेतु गत तीन वर्षों में आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्रीहरिकोटा में वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए क्वार्टर/आवास अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों/आवासों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) श्रीहरिकोटा राकेट प्रमोचन केन्द्र तथा इसके आधुनिकीकरण/विकास के लिये पिछले तीन वर्षों में आवंटित धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	(करोड़ रुपये)
वित्तीय वर्ष 1986-87	16.59
वित्तीय वर्ष 1987-88	19.10
वित्तीय वर्ष 1988-89	23.05

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले

8564. **श्री एस० पजाकोंड्रायुडू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में श्रेणी-वार कितनी प्रथम सूचना रिपोर्टें और मामले दर्ज/पंजीकृत कराये गये;

(ख) उनमें से कितने मामले अब तक निपटाये जा चुके हैं;

(ग) कितने मामले लम्बित पड़े हैं और कब से लम्बित हैं; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में वर्ष 1988 में 653 तथा 1989 में (27.4.1989 तक) 202 मामले दर्ज किए गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण—1 दिए गए हैं।

(ख) इन मामलों में से वर्ष 1988 में 526 मामलों को तथा 1989 में (27.4.1989 तक) 151 मामलों को सुलझाया गया है/सम्पन्न कर लिया गया है।

(ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण—2 में दी गयी है।

विवरण-1

पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में वर्ष 1988 और 1989 (27.4.1989) के दौरान दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा :

क्र. सं.	वर्ष	शीर्ष	सूचित किए गए
1988			
1.	1988	हत्या	....
2.	1988	हत्या के प्रयास	3
3.	1988	दंगे	....
4.	1988	लूटपाट	1
5.	1988	डकैती	....
6.	1988	दिन में सेंधमारी	...
7.	1988	रात में सेंधमारी	4
8.	1988	वाहनों की चोरी	15
9.	1988	साईकिल चोरी	4
10.	1988	जेब काटना	10
11.	1988	नौकर द्वारा चोरी	2
12.	1988	विविध चोरियां	37

13.	1988	चेन छीनना	1
14.	1988	धोखाधड़ी	14
15.	1988	अपहरण	8
16.	1988	विपहरण	5
17.	1988	महिलाओं की हत्या	...
18.	1988	घातक दुर्घटना	6
19.	1988	हल्की दुर्घटना	43
20.	1988	घायल	1
21.	1988	बुरी तरह घायल	16
22.	1988	विविधि भा० दं० संहिताएं	46
		भारतीय दंड संहिताओं का कुल जोड़	216 भा. दं. सं.
23.	1988	ई. सी. अधिनियम	2
24.	1988	शस्त्र अधिनियम	68
25.	1988	जुआ अधिनियम	50
26.	1988	विस्फोटक अधिनियम	31
27.	1988	एन. डी. पी. एस. अधिनियम	217
28.	1988	14 एफ. अधिनियम	2
29.	1988	रेलवे अधिनियम	24
30.	1988	अस्पृश्यता अधिनियम	...
31.	1988	आतंकवादी अधिनियम	1
32.	1988	अन्य अधिनियम	42
		कुल अधिनियम	437+216 भा.द.सं.
			कुल जोड़ 653
1989			
1.	1989	हत्या	1
2.	1989	हत्या के प्रयास	3
3.	1989	रात में सेंधमारी	1
4.	1989	वाहन चोरी	5
5.	1989	जेब काटना	7
6.	1989	नौकर द्वारा चोरी	1

7.	1989	चेन छीनना	1
8.	1989	विविध चोरियां	13
9.	1989	धोखाधड़ी	3
10.	1989	विपहरण	1
11.	1989	भीषण दुर्घटना	2
12.	1989	हल्की दुर्घटना	21
13.	1989	हल्के घायल	1
14.	1989	बुरी तरह घायल	3
15.	1989	विविध भा. दं. सं.	17
		जोड़ भा. दं. सं.	80 भा.दं.सं.
16.	1989	ई. सी. अधिनियम	1
17.	1989	शस्त्र अधिनियम	29
18.	1989	साधारण अधिनियम	18
19.	1989	विस्फोटक अधिनियम	12
20.	1989	एन. डी. पी. एस. अधिनियम	29
21.	1989	रेलवे अधिनियम	2
22.	1989	अन्य अधिनियम	11
		कुल अधिनियम	122+80 भा. द. सं.
		कुल जोड़	202

विवरण-2

पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में वर्ज 1988 के जांच-पड़ताल हेतु लम्बित पड़े मामलों का विवरण :

क्र. सं.	दिनांक	कारण
1.	11.6.88	सी. एफ. एस. एल. के निष्कर्ष की प्रतिक्षा
2.	19.12.88	तदैव
3.	25.6.88	दिल्ली प्रशासन की स्वीकृत्ति की प्रतिक्षा
4.	28.11.88	सी. एस. एफ. एल. के निष्कर्ष की प्रतीक्षा
5.	6.12.88	तदैव
6.	17.12.88	दिल्ली प्रशासन की स्वीकृति की प्रतीक्षा

7.	15.12.88	सी. एस. एफ. एल. के निष्कर्ष की प्रतीक्षा
8.	23.12.88	तदैव
9.	11.9.88	दिल्ली प्रशासन की स्वीकृति की प्रतीक्षा
10.	27.11.88	मामला जांच पड़ताल के अधीन है।
11.	12.5.88	इन्टरपोल के निष्कर्ष की प्रतीक्षा।

पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में वर्ष 1989 में तीन मास से अधिक समय से जांच-पड़ताल हेतु लम्बित पड़े मामले।

1.	3.1.89	सी. एफ. एस. एल. के निष्कर्ष की प्रतीक्षा
2.	8.1.89	एम. एल. सी. के निष्कर्ष की प्रतीक्षा
3.	10·1.89	जांच-पड़ताल हेतु लम्बित
4.	10.1.89	संवीक्षा अधीन
5.	10.1.89	सी. एफ. एस. एल. के निष्कर्ष की प्रतीक्षा
6.	11.1.89	संवीक्षा अधीन
7.	11.1.89	—तदैव—
8.	12.1.89	सी. एस. एफ. एल. के निष्कर्ष की प्रतीक्षा
9.	14.1.89	—तदैव—
10.	15.1.89	— तदैव—
11.	15.1.89	सी. एफ. एस. एल. के निष्कर्ष की प्रतीक्षा
12.	19.1.89	अभियुक्त का अभी तक कुछ पता नहीं
13.	19.1.89	—तदैव—
14.	20.1.89	अभी तक अभियुक्त और सम्पत्ति का कुछ पता नहीं
15.	24.1.89	सी. एफ. एस. एल. के निष्कर्ष की प्रतीक्षा
16.	27.1.89	इस मामले में अभियुक्त का कुछ पता नहीं

कुल मामले : 16

टिप्पणी : तीन महीनों से कम के मामले

1. 37 मामलों में सी. एफ. एस. एल. के निष्कर्ष की प्रतीक्षा है।
2. 8 मामलों में आबकारी परिणामों की प्रतीक्षा है।
3. 13 मामलों में एम. एल. सी. के परिणाम की प्रतीक्षा है।
4. जांच पड़ताल हेतु लम्बित पड़े वे मामले जिनमें साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं—49 मामले।

कुल मामले—107

कुल जोड़ —16+107=123

स्वतंत्रता सैनानियों के पेंशन के मामले

8565. **श्री जयमोहन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सैनानियों को दी गई पेंशन के मामलों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वतंत्रता सैनानियों के परिवारों को दो जाने वाली सुविधाओं और रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह स्वतंत्रता सैनानियों और जेल अधिकारियों को स्वतंत्रता से पहले की गिरफ्तारियों के बारे में जेल प्रमाण पत्र जारी करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) क्या सरकार का स्वतंत्रता सैनानियों के पेंशन के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन मामलों में पेंशन स्वीकृति की गई उनकी संख्या निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	स्वीकृत मामलों की संख्या
1986	3,935
1987	2,888
1988	2,397

(ख) स्वतंत्रता सैनानियों के पात्र सदस्यों के उत्तराधिकारी पेंशन पाने के हकदार होंगे। वे केन्द्र सरकार के अस्पतालों और सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में मुफ्त चिकित्सा सुविधायें प्राप्त करने के अधिकारी भी हैं।

(ग) और (घ) : जेल प्रमाण पत्र प्राप्त करने में स्वतंत्रता सैनानियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने सह कैदी प्रमाण पत्र को स्वीकार करके पहले ही छूट दी है। 1950-52 के सरकारी प्रकाशनों को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन स्वतंत्रता सैनानियों के मामलों की संवीक्षा करने के लिए अनेक गैर-सरकारी संवीक्षा समितियाँ गठित की गयी हैं ।

दहेज की शिकार महिलाओं का अन्तिम संस्कार

[हिन्दी]

8566. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दहेज के लोभ में जलाई गई महिलाओं का उनके माता-पिता को सूचित किए बिना ही पोस्टमार्टम के बाद अन्तिम संस्कार कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने मामले हुए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकारी निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक, शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आयी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दहेज संबन्धी मामले दर्ज किया जाना

[अनुवाद]

8567 : **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस ने पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर पिछले एक वर्ष के दौरान दहेज के ऐसे कितने मामले दर्ज किए हैं जिनमें मृतक का बयान रिकार्ड नहीं किया जा सका है;

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-बी, 302, 306 और 498 ए० के अन्तर्गत क्रमशः कितने-कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) मृतक के बयान के आधार पर दुर्घटना के रूप में कितमें मामले दर्ज किए गये हैं ?

कार्मिक लोक, शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) क्योंकि मामले विभिन्न न्यायालयों में विचारणार्थ लम्बित हैं, अतः सही संख्या का बताना संभव नहीं है। तथापि, ऐसे सभी मामलों में जब कभी शिकार ग्रस्त तुरन्त नहीं मरता और डाक्टरों द्वारा बयान देने के योग्य घोषित किया जाता है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा मरते समय दिया गया बयान रिकार्ड किया जाता है।

(ख)	1988	1989(31-3-89 तक)
भा द.स. की धारा 304-ख	76	16
भा.द.स. की धारा 302	19	1
भा.द.स. की धारा 306/489-क	8	—
जोड़ :	103	17

(ग) ऐसे सभी मामलों में मृत्यु पूर्व बयानों को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा रिकार्ड किया जाता है। यदि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान से किसी दुर्घटना का पता चलता है, तो किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं किया जाता तथा मृत्यु समीक्षा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत फाइल कर दिया जाता है।

कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन

8568. **श्री एस. सिंगरावडीवेल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोस्ट गार्ड एयर स्टेशनों की संख्या क्या है और निकट भविष्य में इनकी स्थापना कहां-कहां किए जाने की संभावना है;

(ख) थञ्जावुर, तमिलनाडु में कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन की स्थापना संबंधी निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं; .

(ग) इस परियोजना की लागत क्या है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) आगामी वर्षों में दो तटरक्षक विमान केन्द्र स्थापित करने की योजना है। इनमें से एक तमिलनाडु में तंजावुर में और दूसरा अन्दमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किया जायेगा।

(ख) तंजावुर विमान केन्द्र के लिये उपयुक्त भूमि का पता लगा लिया गया है और इस भूमि के अधिग्रहण के लिए कारंवाई चल रही है।

(ग) और (घ) : अन्य परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो परियोजना भूमि को कब्जे में लेने के पश्चात लगभग 2 वर्ष में पूरी होने की आशा है। परियोजना की समस्त लागत का मूल्यांकन उचित समय पर किया जाएगा ।

पुलिस अधिनियम, 1860 में संशोधन

8569. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस अधिनियम ब्रिटिश शासकों के द्वारा वर्ष 1860 में बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यकतानुसार इस अधिनियम के अनेक संशोधन किए गए हैं;

(ग) क्या पुलिस निर्दोष जनता के साथ अभी तक वैसा ही अत्याचार कर रही है जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान किया जाता था;

(घ) क्या सरकार इस अधिनियम में और कोई संशोधन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) पुलिस अधिनियम 1861 में तैयार किया गया था और न कि 1860 में "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें अपने राज्यों में पुलिस को प्रशासित करने के लिए अपने नियम तैयार करने के लिए सक्षम है। पांच राज्यों और संघ शासित क्षेत्र ने पहले से ऐसा किया हुआ है।

यह कहना ठीक नहीं है कि पुलिस निर्दोष जनता के साथ अभी तक वैसा ही अत्याचार कर रही है जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद ऐसे अत्याचारों के विरुद्ध अनेक सुरक्षात्मक उपाय लागू किए गए हैं, यद्यपि समय-समय पर इस प्रकार की पृथक-पृथक घटना घटी है और भारत सरकार ने तुरन्त सुधारात्मक उपाय किऐ हैं।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं

8570. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याणार्थ चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के अहमदनगर जिले के लिए प्रस्तुत की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वितीय सहायता दी गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुमति उरांव) : (क) राज्य सरकार की, विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना के अतिरिक्त महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कल्याण मन्त्रालय की अनेक केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें कार्यान्वित की जा रही है जो निम्न है।

1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
2. अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रीकपूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा तक केवल)
3. मैडिकल तथा इन्जीनियरिंग कालेज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बुक बैंक
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए होस्टल।
5. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनायें
6. स्वयंसेवी संगठनों को सहायता (अनुसूधित जाति तथा अनुसूचित जनजाति)
7. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तन्त्र
8. सफाई कर्मचारियोंकी मुक्ति
9. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति)
10. अनुसूचित जाति बिकास निगम शेयर पूंजी, और
11. विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

(ख) अहमद नगर जिले के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई अलग प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अयोग्य इन्जीनियरों द्वारा विमानन प्रमाण-पत्र जारी करना

8571. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी हवाई अड्डों पर ग्राउन्ड इन्जीनियर जो विमान को उड़ाने के लिए विमानन प्रमाण-पत्र जारी करते हैं; पद को अपेक्षाओं के अनुरूप योग्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान, हवाई अड्डे-वार, अयोग्य पाए गए ऐसे ग्राइन्ड इन्जीनियरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अयोग्य इन्जीनियरों को नियुक्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के ग्राउन्ड इंजीनियरों के पास विमान के प्रमाणन के लिए अपेक्षित योग्यता होती है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

हवाई अड्डों के बीच संचार व्यवस्था

8572. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नागर विमानन के संचार प्रभाग के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मशीनें पुरानी और अप्रचलित हैं;

(ख) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जहां इन उपकरणों को बदल कर नए उपकरण लगाना अत्यन्त आवश्यक है;

(ग) देश में विमान दुर्घटनाओं के लिए ये पुराने और अप्रचलित उपकरण किस सीमा तक उत्तरदायी हैं; और

(घ) विद्यमान उपकरणों को कब तक वदलने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) विभिन्न हवाई अड्डों पर संस्थापित संचार उपस्कर मानक विशिष्टियों के होते हैं । संचार के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकों को ध्यान में रखते हुए, उपस्करों का बदलाव और उन्नयन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । जैसे हो और जब भी आवश्यक होता है, संसाधनों के उपलब्ध होने पर पुराने उपस्करों के स्थान पर नवीनतम तकनीकी के उपस्कर लगाए जाते हैं ।

उड़ान के दौरान विमानों के दरवाजे का खुलना

8573. **श्री बी० तुलसीराम :**

श्री हाफिज मौहम्मद सिद्दीक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान उड़ान के समय इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के कितने विमानों के दरवाजे खुले;

(ख) यदि किसी जान-माल का नुकसान हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे दोष पूर्ण विमानों को विमानन-प्रमाण पत्र देने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जाँच समिति गठित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) पिछले छः मासों के दौरान इण्डियन एयरलान्इस के दो विमानों के डोर हैंडल खुलने की स्थिति में आ गए थे। इन घटनाओं में किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है। इन दोनों घटनाओं की नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जांच की जा रही है।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वेतन-मान

8574. **डा० चन्द्र शेखर पिाठी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ वेतन आयोग ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के समान वेतन-मान की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश लागू की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : जबकि सरकार ने भारतीय वन सेवा के लिए आयोग द्वारा की गई सिफारिशें लागू कर दी हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को सशस्त्र सेनाओं के साथ उनकी सापेक्षता तथा इन अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा निभाए जाने वाले उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए पदों के कतिपय स्तरों पर कुछ उच्चतर वेतनमानों की अनुमति दी गई थी।

रोजगार प्रयोजनार्थ चिकित्सा प्रयोगशाला एक्स-रे तथा इलेक्ट्रोकारडियोग्राफी प्राद्योगिकी में डिप्लोमा को मान्यता देना

8575. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने दिल्ली प्रशासन से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार प्रयोजनार्थ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी और एक्स-रे तथा इलेक्ट्रोकारडियोग्राफी प्रोद्योगिकी में उनके डिप्लोमा को मान्यता देने पर विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में रोजगार प्रयोजनार्थ बाल-शिक्षा में डिप्लोमा को मान्यता देना

8576. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, दिल्ली ने दिल्ली प्रशासन से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में रोजगार प्रयोजनार्थ बाल शिक्षा में उनके डिप्लोमा को मान्यता देना अथवा उसे शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गए नर्सरी अध्यापकों के प्रमाण पत्र के समकक्ष समझने पर विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानों में अप्रत्याशित बाधाएं

8577. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता से इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान के दौरान विमान के भीतर "प्रेशर-लीक" के कारण यात्री बीमार हो गए थे और आई सी-114 विमान के उड़ान भरते समय हवाई पट्टी पर कुत्ता आ जाने की वजह से इसकी अन्तिम उड़ान में काफी देरी हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में क्या कारण थे और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान, घटना-वार, ऐसी कितनी घटनाएं हुईं।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) दोनों मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) पिछले वर्ष में ऐसी दो घटनाएं हुई थीं जबकि उड़ान के समय दरवाजे का हैंडल खुलने की स्थिति में आ गया और वायु का दवाब बढ़ गया।

पिछले एक वर्ष के दौरान जानवरों के धावनपथ पर आने की 7 घटनाएं हुई थी जिससे इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों में रुकावट आई।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर

8578. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दिसम्बर 1988 से अप्रैल 1989 के दौरान कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने पत्रों के उत्तर दिये गये;

(ग) आज तक कुल कितने पत्र लबित पड़े हैं; और

(घ) उनके शीघ्र उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 267

(ख) 190

(ग) 77

(घ) इस बाद के पूरे प्रयास किये जाते हैं कि संसद सदस्यों को यथासम्भव जल्दी से जल्दी अन्तिम उत्तर भेज दिया जाए।

आन्ध्र प्रदेश में भारतीय प्रशानिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

8579. **श्री एस०पलाकोंड्रायूडू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी दहेज सम्बन्धी अपराधों और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण वर्ष-वार निलम्बित किये गये; और

(ख) आंध्र प्रदेश में उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कितने मामले जांचाधीन है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) दहेज सम्बन्धी अपराधों में कोई नहीं।

भ्रष्टाचार आरोपों के बारे में निम्नानुसार :

1986	3
1987	3
1988	1

(ख) कोई नहीं।

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए धनराशि

8580. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की उन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए छटी और सातवीं योजना के दौरान धनराशि आवंटत की गई थी;

(ख) क्या आवंटित धनराशि का पूरा भाग रिलीज किया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रिलीज धनराशि पूरी तरह उपयोग में लाई गई है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश को चालू परियोजनाओं के लिए और धनराशि आवंटित करने का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (घ) केन्द्रीय परियोजनाओं के लिये निधियों का आवंटन सम्बन्धित प्रशानिक मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की धन सम्बन्धी जरूरतों का मूल्यांकन करके उन मन्त्रालयों के समग्र आवंटन के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। अलग-अलग परियोजनाओं के लिए इन प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा परियोजना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए निधियां जारी की जाती हैं।

(ङ) इसका निर्णय सम्बधित मन्त्रालयों द्वारा उपयुक्त चरण पर परियोजनाओं की प्रगति तथा आवंटन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाएगा।

दहेज के कारण मौत की शिकार होने वाली वधुओं के मृत्यु पूर्व बयान

8581. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल**
श्री मानकूराम सोडी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वधुओं को जलाकर मारने के मामलों में दुर्घटना स्थल पर वधु की मृत्यु पूर्व बयान लिया जाता है ताकि दुर्घटना की शिकार वधु के ससुराल वालों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सके;

(ख) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान दहेज के कारण हुई कितनी मौतों में मृत्यु पूर्व बयान (एक) केवल पुलिस की मौजूदगी में (दो) पुलिस और वधु के ससुराल वालों की मौजूदगी में (तीन) दुर्घटना की शिकार वधु के माता-पिता की मौजूदगी में (चार) कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है;

(ग) कितने मामलों में मृत्यु पूर्व बयान रिकार्ड नहीं किये गये और इसके क्या कारण थे; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार के अनुदेश क्या हैं और उनका पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वधुओं को जलाकर मारने वाली घटना का मरते समय का बयान, दुर्घटना की शिकार वधु जिस स्थान पर उपलब्ध होती है वहाँ दर्ज किया जाता है।

(ख) और (ग) : ऐसा कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि दहेज की शिकार हुई वधु के मृत्यु के समय का बयान अधिकतर सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों द्वारा किसी चिकित्सक और शिकार ग्रस्त वधु के माता-पिता की मौजूदगी में दर्ज किया जाता है, बशर्ते कि वे उस समय वहां उपलब्ध हों।

चिकित्सक द्वारा मरीज को बयान देने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने अथवा उसकी घटना स्थल पर तुरन्त मृत्यु हो जाने की स्थिति को छोड़कर सभी मामलों में मृत्यु पूर्व बयान लिये जाते हैं।

(घ) ऐसे मृत्यु पूर्व बयानों को दर्ज करने के लिए सरकार के कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं है। तथापि, सभी मामलों में कानून में विनिर्दिष्ट उपबंधों और पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए स्थायी अनादेशों का अनुपालन किया जाता है।

आयुध कारखानों में सुपरवाइजरों के पद

8582. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या रक्षा मन्त्री आयुध कारखानों में सुपरवाइजरों के पदों के बारे में 3 अप्रैल 1989, के अतारांकित प्रश्न संख्या 4391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में सुपरवाइजर "बी" (टी) के पदों का चार्जमैन ग्रेड-2 (टी) के साथ ठीक-ठीक कब तक विलय कर दिया जाएगा; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) उच्च कुशलता प्राप्त कामगार ग्रेड-1 को पद्दोन्नति देने और साथ ही साथ पर्यवेक्षक "ख" (तकनीकी) को चार्जमैन ग्रेड-(2) (तकनीकी) के पद पर अंतरित करने के लिए चार्जमैन ग्रेड-2 (तकनीकी) के पदों में रिक्तियां भरने वाले भर्ती नियमों को संशोधित किया गया है। पद्दोन्नति के लिए मामलों की अत्यधिक संख्या के अंतर्ग्रस्त होने को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षक "ख" (तकनीकी) के परस्पर अंतरण द्वारा विलय पूरा होने में कुछ वर्ष लग सकते हैं।

गांधी शांति प्रतिष्ठान और अन्य संगठनों के सम्बन्ध में कुदाल जांच आयोग

8583. **प्रो० मधु दडवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने गांधी शांति प्रतिष्ठान और अन्य संगठनों के सम्बन्ध में कुदाल जांच आयोग के 1 फरवरी 1987 को समाप्त होने के बारे में दिनांक 25 फरबरी, 1987 को सदन मे एक वक्तव्य दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्। कुदाल जाँच आयोग ने 29 जनवरी, 1987 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

तमिलनाडु में नौसैनिक अड्डे (नेवल बेस) की स्थापना

8584. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में किस स्थान पर यह नौसैनिक अड्डा स्थापित किया जाएगा और इसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दानापुर छावनी बोर्ड से वार्डों को अलग करना

8585. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी बोर्ड ने सिविल क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 4 को अलग करने सम्बन्धी अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और इन्हें आस-पास की पालिकाओं में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या बिहार राज्य सरकार वार्ड संख्या 1 से 4 के सिविल क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन वार्डों को राज्य सरकार को सौंप दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें सौंपे जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वार्ड सं. 1 से 3 तक और वार्ड सं. 4 के एक भाग को अलग करने तथा उन्हें राज्य सरकार को अन्तरित करने का प्रस्ताव बिहार सरकार के साथ उठाया गया था। वार्ड सं. 1 से 3 के अतिरिक्त, सरकार ने वार्ड सं. 4 के समस्त क्षेत्र को, उसकी सम्पत्तियों सहित, अपने अधिकार में लेने की इच्छा जाहिर की थी। रक्षा मन्त्रालय के विचार बिहार सरकार को सितम्बर, 1987 में अवगत करा दिए गए थे। राज्य सरकार के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

जम्मू और काश्मीर विधान मंडल द्वारा पारित पंचायत राज विधेयक और सहकारी समिति विधेयक

8586. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर मण्डल द्वारा हाल ही में पारित किए गए पंचायती राज विधेयक और सहकारी समिति विधेयकों ने उन पाकिस्तानी शरणार्थियों से जो वहां 40 वर्षों से रह रहे हैं और जिन्हें अभी भी राज्य का स्थायी नागरिक नहीं माना जाता है, क्रमशः पंचायत के चुनावों में मतदान देने का अधिकार छीन लिया है और उनके सहकारी समितियों के सदस्य बनने पर पाबंदी लग गई है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय पहले ही इस बारे में निर्देश दे चुका है कि इन शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार दिए जाएं और उनके साथ भेदभाव न किया जाए; और

(ग) सरकार द्वारा उपर्युक्त शरणार्थियों द्वारा पंचायतों के चुनाव में मतदान करने तथा सहकारी समितियों का सदस्य बनने के अधिकार देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) यह राज्य विधायन से सम्बधित है ।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सम्बन्धित राज्य विधायनों को संशोधित करने के लिए कार्रवाई करना जम्मू और कश्मीर विधान सभा का क. ं है, ताकि 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से आए और तब से राज्य में रह रहे व्यक्ति मतदाता ूची में सम्मिलित किये जाने, भूमि अधिग्रहण करने इत्यदि के पात्र बन सके ।

(ग) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है ।

दानापुर छावनी परिषद द्वारा खरीदे गए विद्युत उपकरण

[हिन्दी]

8587. **श्री कालो प्रसाद पाडेय** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दानापुर छावनी परिषद (बिहार) ने जनबरी, 1987 से अप्रैल, 1989 तक कितने मूल्य के विद्युत उपकरण खरीदे ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : 67,120/-

दहेज के मामलों को रद्द करना अथवा वापस लेना

[अनुवाद]

8588. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मन्त्री पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों के बारे में 13 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2393 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई से नवम्बर, 1985 तक दक्षिण पश्चिम जिले में थाना-वार दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत दर्ज किए गए प्रत्येक मामले में दहेज के सामान की मांग किस तारीख को की गई उन्हें देने से इन्कार किस तारीख को किया गया तथा अभियुक्त द्वारा ससुराल वालों से माँगे गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्टों को रद्द करने अथवा ऐसे मामलों को न्यायालयों से वापस लेने का विचार है जिनमें मांग करने और इन्कार करने की तारीखे नहीं दी गई हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) थाना, विनय नगर, नई दिल्ली में दर्ज किए गए मामलों में से एक में न्यायालय ने फर्नीचर, बर्तन, बिस्तर, पुरुषों के कपड़े आदि जैसे सामान को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के दायरे से निकाल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा इस प्रकार के सामान को जब्त करने के क्या कारण हैं और दोषी पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 1-5-1985 से 30-11-1985 तक की अवधि के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा दक्षिण पश्चिम जिले में निम्नलिखित 9 मामले दर्ज किए गए :—

प्र. सू. रि. सं.	तारीख	धारा जिसके अधीन	पुलिस स्टेशन
296	7-6-85	406 भा. द. सं.	विनय नगर
323	29-7-85	406 भा. दं. सं.	दिल्ली छावनी
206	10-8-85	406 भा. दं. सं.	नारायणा
383	2-9-85	498-क भा. दं. सं. ——— 406-	रामकृष्णपुरम
524	18-9-85	भा. दं. सं. की धारा 406 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा-4	विनय नगर
542	27-9-85	498-क भा. दं. सं. ——— 406	विनय नगर
572	16-10-85	406 भा. दं. सं.	विनय नगर
640	22-11-85	406 भा. दं. सं.	विनय नगर
317	30-11-85	406/34 भा. दं. सं.	नारायणा

इनमें से अधिकतर मामलों को न्यायालय में विचारणार्थ भेज दिया गया है। तथापि मूल दस्तावेजों के अभाव में शिकायतकर्ताओं द्वारा दहेज के सामान के लिए की गई माँग अथवा ससुराल के द्वारा मना करने की सही तारीखों को निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(ख) मांग और इन्कार किए जाने के बिना कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) प्रत्येक मामले में कोई एक विशेष रुख अपनाना सम्भव नहीं है, तथा मामले को न्यायालय में दाखिल करने के बाद यह निर्णय न्यायालय पर छोड़ दिया जाता है कि किस वस्तु को "स्त्रीधन" समझकर शिकायतकर्ता को वापस किया जाना है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

8589. **श्री एस. पलाकोंड्रायुडू** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान राज्य में इनसे कितने परिवारों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार विशेष रूप से राज्य में कमजोर वर्गों के लिए समाज सुरक्षा की योजनाओं हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती।

पश्चिमी घाटों का विकास

8590. **श्री टी० बशीर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान, पश्चिमी घाटों के विकास के लिए केरल राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) केरल राज्य को 1988-89 के दौरान पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 430 लाख रु० की राशि दी गई थी इस वर्ष के लिए पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक व्यय संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1988-89 के दौरान 430 लाख रु० के प्रत्याशित व्यय की सूचना दी है।

विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और ऐंग्लो इन्डियनों के लिए आरक्षण

8591. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद में और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐंग्लो इन्डियनों के लिए आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की अवधि वर्ष 1990 में समाप्त होने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो इन विशेषधिकारों को जारी रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) उपयुक्त समय पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

सैन्य न्यायालयों के निर्णयों की पुनरीक्षा के लिए अपीलीय न्यायालय

8592. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य न्यायालयों के निर्णयों की पुनरीक्षा करने के लिए एक अपीलीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सामान्य रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सरकार ऐसे एक प्रस्ताव पर विचार कर रही थी लेकिन यह निर्णय लिया गया है कि इस पर फिलहाल कोई कार्रवाई न की जाए।

ऋण नीति के बारे में योजना आयोग के सुझाव

8592. क **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आयातित मदों की लम्बी सूची को हतोत्साहित करने के लिए ऋण नीति कठोर बनाने का सुझाव दिया है जो व्यापार अन्तर को कम करने के उपायों में से एक है;

(ख) क्या व्यापार के संतुलन के सम्बन्ध में बढ़ते घाटे को कम करने हेतु योजना आयोग ने आयात घटाने के लिए तीन-तरफा आयात करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो योजना विशेषज्ञों की समिति के सुझाव पर कार्य करने तथा आयात सूची के लिये धनराशि देने पर बैंक द्वारा अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) योजना आयोग ने इस प्रकार का कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया है।

11. 45 म०पू०

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। कुछ समाचार पत्रों में मेरे ऊपर कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं। जब ये आरोप समाचार-पत्रों में पहली बार प्रकाशित हुए थे तो दो माननीय सदस्यों ने भी मुझे लिखा था, उसके तत्काल बाद मैंने विपक्ष के नेताओं को अपने पास बुलाया और उनके समक्ष सारे तथ्य रख दिए। जहां तक मेरी स्थिति का संबंध है, मैं समझता हूं कि वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे। तथापि एक प्रश्न यह उठाया गया था कि स्थिति को सभा में स्पष्ट किया जाए।

क्योंकि संसद में अधिकतर पूर्वोदाहरणों और परम्पराओं के अनुसार कार्य होता हैं, इसलिए मैंने पूर्व के रिकार्डो को देखा और पाया कि ऐसी ही स्थिति में जब मेरे एक विशिष्ट पूर्वाधिकारी के विरूद्ध व्यक्तिगत अरोप लगाए गए थे तो उन्होने सदन में निम्न घोषणा की थी :—

> "यदि मैंने इनमें से कोई भी बात की है, तो निश्चित रूप से मुझे यहां अध्यक्ष पद पर नहीं होना चाहिए। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। इसलिए उन दो सदस्यों के अलावा, जिन्होने नोटिस दिए हैं, अर्थात श्री हेम बरुआ और श्रीं बागड़ी, मैं विपक्ष के कुछ अन्य नेताओं से भी अनुरोध करता हूं कि वे उस ग्रुप में शामिल हो जाए जिनसे मैं अनुरोध करुंगा कि वे मुझे मिले। मैं सभी तथ्य उनके समक्ष रखूंगा।"

मैं समझता हूं कि विपक्षी नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाकर और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देकर मैंने ऐसा ही किया है। तथापि 5 मई, 1989 को प्रश्न काल के तत्काल बाद एक माननीय सदस्य द्वारा यह मामला फिर से उठाया गया। मैंने कहा :

> "आप मेरे से कोई भी स्पष्टीकरण ले सकते हैं उनके लिए आपका स्वागत है, आप मेरे पास आए अथवा दूसरा रास्ता आप जाने। यह बहुत ही साधारण सी बात है। मैं आपके नेताओं को एक बार बता चुका हूँ और यदि वे सन्तुष्ट नहीं हैं, तो वे दोबारा मेरे पास आ सकते हैं। जो भी हो मैं हर बात का स्पष्टीकरण दूंगा। तथ्य आपके सामने होंगे। आप मेरे मास्टर हैं और आप मेरे निर्णायक हैं........... "

उसके बाद, उसी दिन कुछ माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक और पत्र मुझे मिला। पूर्व उदाहरण तथा परिपाटी का अनुकरण करते हुए मैं एक बार फिर अपनी पेशकश को दोहराता हूं और उन माननीय सदस्य से जिन्होने मुझे लिखा है, अथवा किन्ही अन्य हितबन्द्ध माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझसे मेरे कक्ष में आकर मिलें जहां मैं सहर्ष पुनः अपनी स्थिति से संबंधित सारे तथ्य उनके सामने रखने को तैयार हूं। में उन्हें उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा जो वे मेरे सामने रखेंगे। मेरा सुझाव है कि सदस्यगण आज दोपहर सवा बारह बजे मेरे कक्ष में आ ज.ं। यदि इस बातचीत के बाद भी वे संतुष्ट नहीं होते हैं और फिर भी मामले को सभा में लान: ाहते हैं तो वे नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के पद से मुझे हटाने का प्रस्ताव लाकर ऐसा कर सकते हैं। यदि 14 दिनों की पूर्व सूचना संबंधी शर्त इस संबंध में आड़े आती है, तो मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि सभा नियम के संगत भाग को स्थगित कर दें ताकि इसी सत्र में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जा सके। मैं हमेशा सभा का सेवक हूँ और मैं अपने आप को सभा के प्रति पूरी तरह से समर्पित करता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, जब इस देश में ग्राम राज स्थापित करने के लिए सम्पूर्ण देश प्रधान मंत्री के प्रयासों की प्रशंसा कर रहा है, उस समय विपक्ष के लोग 'बन्द' की योजना बना रहे हैं और वे ग्राम राज का विरोध करने के लिए देश में हिंसा भड़काने जा रहे हैं ......

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह चर्चा की अनुमति किस प्रकार दे सकता हूं ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक, आपने बोलने के लिए मेरे से अनुमति नहीं ली है। यहां पर कुछ नियमों का पालन करना होता है जिनके अन्तर्गत चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं क्योंकि यह एक अच्छा पूर्वोदाहरण होगा। इस सभा को संविधान का आदर करना होता है, मंत्रियों को संविधान का आदर करना होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कतिपय संवैधानिक उपसभा है कि सरकार का सभा के प्रति और संसद के प्रति आदर बनाए रखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार यह आवश्यक है कि जब नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, तो वे रिपोर्ट संसद को दोनो सदनों के सभा पटल पर रखी जाएं। हमें यह पता लगा है कि चार सप्ताह पहले उसकी नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसमें बोफोर्स होविटजर सौदे के बारे में बहुत ही विशेष और आलोचनात्मक उल्लेख है जोकि शायद बोफोर्स संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के विपरीत है। हमें भय है कि रिपोर्ट में प्रतिकूल सिफारिशों के परिणामस्वरुप, शायद वह रिपोर्ट सभा के सामने नहीं लाई जा रही है। यह अनुच्छेद 151 का उल्लघन है और इसलिए वित्त मंत्री द्वारा बिशेषाधिकार का हनन है। मैं वित्त मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग करने का प्रस्ताव रखने के लिए, नियम 22 के अन्तर्गत नोटिस देना चाहता हूं और उसके लिए आपकी स्वीकृति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं। मैं तथ्यों का पता लगाने के लिए वित्त मंत्री को पहले ही लिख चुका हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह अधिवेशन समाप्त होने को आ रहा है ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने काम को करने में कोई समय नहीं लिया है। और मैं इसे पहले ही कर चुका हूं।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : उन्होंने पहले ही चार सप्ताह ले लिए हैं .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या इसके अलावा और कोई तरीका है ?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : यह संवैधानिक दायित्व है ...

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह दायित्व है। लेकिन मुझे तथ्यों का पता लगाना है। मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(**व्यवधान**)*

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : अमल दत्ता जी ऐसा तो हो नहीं सकता जो आप कहें वही बात चल जाए।

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दण्डवते : हमें भय यह है कि वे सभा को स्थगित करने का फायदा उठायेंगे और रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखेंगे। ये भय उचित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में नहीं जानता।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं मैं पहले ही कह चुका हूं।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्ता : जी, नहीं······(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे साथ बहस न कीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, आप एक विद्वान वकील हैं··· ··

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जोकि वांछनीय नहीं है।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप हमारी कठिनाई को समझिये। यदि इस सभा की कार्यवाही एक सप्ताह और चलनी होती तो शायद यह कठिनाई पैदा नहीं हुई होती। जब दो दिन और शेष रह गए हैं, विशेषकर इस सरकार के पूर्वोदाहरणों को देखते हुए, हमें भय है कि वे इसे स्थागित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? आपने मुझे आज ही दिया है······

प्रो० मधु दण्डवते : जी, हां।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे तत्काल भेज दिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस तरह डरा रहे हैं । मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता लगाना है कि क्या इसमें सच्चाई है अथवा नहीं । मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा । इसकी अनुमति नहीं दी जाती है ।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दण्डवते : पिछली बार भी उन्होंने अधिवेशन के अन्तिम दिन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । यह सब चालबाजी है..... ..

अध्यक्ष महोदय : मुझे सामान्य रूप से पता लगाना होगा । मैं नियमों के विपरीत नहीं जा सकता......

प्रो० मधु दण्डवते : पिछली बार उन्होंते अन्तिम दिन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिससे उस पर बिल्कुल चर्चा न हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता । बस इतना काफी है ।

प्रो० मधु दण्डवते : वे चालबाजी कर रहे हैं । हमारा आपके खिलाफ कुछ नहीं है । लेकिन वे चालबाजी कर रहे हैं । पिछली बार, उन्होंने पनडुब्बियों सम्बन्धी रिपोर्ट भी अधिवेशन के अन्तिम दिन प्रस्तुत की थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे पहले ही कर चुका हूं । मैं जो कुछ कर सकता था मैं कर चुका हूं ।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : आप वित्त मन्त्री को बुलाइये । वे आएं और हमें बताएं...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दत्ता जी मैं, केवल इतना कह सकता हूं कि ......

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है । **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा ।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, विगत के पूर्वोदाहरणों को देखिए जब देरी हो जाती थी, तो मंत्री आते थे और कारण बताते थे कि रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में देरी क्यों हुई है, रिपोर्ट को सभापटल पर रखने में देरी क्यों हुई है........**(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमानजी, इसी वजह से मैंने इसे कर दिया है*······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है*·······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि*······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं सुनते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल नियमों के अनुसार कार्यवाही कर सकता हूं। जो आप मांग कर रहे हैं वे उसे सुन रहे हैं। मैं उन्हें पहले ही लिख चुका हूं। मैं यही कर सकता हूं। मैं उन्हें आदेश नहीं दे सकता, यह सभा ही है जो उन्हें आदेश दे सकती है।

(व्यवधान)

11.58 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, बम्बई के वर्ष 1986-87 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : मैं अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, बम्बई के वर्ष 1986-87 के लेखाओं** पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 7867/89]

एयर इण्डिया, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एअर इण्डिया, बम्बई के वर्ष 1987-88 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे 24-2-1988 को सभा पटल पर रखे गये थे।

(दो) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत एअर इंडिया, बम्बई की वर्ष 1987-88 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) एयर इंडिया, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 7868/89]

सशस्त्र बल (आपात कर्त्तव्य) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैं सशस्त्र बल (आपात कर्त्तव्य) अधिनियम, 1947 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० नि० अ:० 12-अ, जो 12 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, अधिसूचना में दी गई सारिणी में विनिर्दिष्ट पत्तनों में प्रत्येक सेवा को समुदाय के लिए एक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 7869/89]

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : महोदय, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से, मैं साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17-क की उपधारा (5) के अन्तर्गत साधारण बीमा (पर्यवेक्षक, लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण तथा पुनरीक्षण) संशोधन योजना, 1989, जो 10 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 180 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7870/89]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, और केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक तथा खेल बोर्ड नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण आदि

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (पशु परिवहन) काडर भर्ती नियम, 1987 जो 22 अगस्त, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 639 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (उपनिरीक्षक प्रयोगशाला तकनीशियन) भर्ती नियम, 1987, जो 5 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 900 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (कम्पनी कमांडर इंजीनियर) भर्ती (सशोधन) नियम, 1988, जो 25 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 502 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (चिकित्सा अधिकारी काडर) संशोधन नियम, 1988, जो 26 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 917 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 7871/89]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्तों और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1989, जो 31 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा का. नि. 417 (अ) मे प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (श्रेणी "ख" तथा "ग.' पद) भर्ती नियम, 1989, जो 20 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 455 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 7872/89]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 1889, जो 29 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 397 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 7873/89]

(4) (एक) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक तथा खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक तथा खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7874/89]

(व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, त्रिपुरा में स्थिति गम्भीर है ·· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सबजेक्ट है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

मैं क्या कर सकता हूं ? ·· ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य विधान सभा का मामला हैं। इसलिए, आप पुनः राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके राज्य की बात आयेगी तो आप फिर चिल्लायेंगे ·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी सीमाओं के बाहर जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बूटासिंह जी, आप ऐसा कानून पास कीजिए जिससे स्टेट गवर्नमेंट के सारे काम आपके हाथ में आ जाएं, ऐसा ये लोग चाहते हैं।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों के सभी कार्य आप ले लीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ ? ··· ··

(व्यवधान)

12.00 मध्यान्ह

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : यदि यह अध्यक्षपीठ का निदेश है और यदि यह राष्ट्र हित में है तो मैं तैयार हूँ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता वहां राज्य विधान सभा पहले से ही है। मैं यह नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह ऐसे नहीं किया जा सकता है।

नियम 377 के अधीन मामले। श्री मिश्र, श्री शांताराम नायक।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : अध्यक्ष महोदय नियम 377 के अधीन ······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यहां आइये ।

[हिन्दी]

अब ऐसे पार्लियामेंट चलेगी, आप चलायेंगे पार्लियामेंट । आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं तो आइये । मेरी मर्जी से नहीं चलती है ।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : आपको, हमें यह मामला उठाने की अनुमति देनी चाहिए और गृह मन्त्री को व्यक्तव्य देने के लिए निदेश दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों का उलंघन कैसे कर सकता हूँ ? देखिये, मैं राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कैसे कर सकता हूँ ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं ? कल आप भी कठघरे में होंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिवाय श्री नायक की बात के कुछ भी कार्यवाहीं वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

12.02 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ढहे हुए मांडवी पुल का पुनर्निर्माण शीघ्रता से किए जाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर जुआरी पुल की तकनीकी सम्भाव्यता की जांच की जाने की मांग

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मांडवी पुल के ढ़ह जाने के बाद निसन्देह पुराने पुल का पुनर्निर्माण और नए पुल के निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है किन्तु दुर्भाग्य से कोई भी व्यक्ति नौकरशाही द्वारा किये जाने वाले बिलम्ब को रोकने का इच्छुक नहीं है । परिणामस्वरूप, पुनर्निर्माण कार्य और नए पुल के निर्माण कार्य में अनुचित बिलम्ब हो रहा है (व्यवधान)

इसके अलावा अब समाचार पत्रों में यह छपा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, 17 पर बना जुआरी पुल, जिसकी निर्माण सम्बन्धी गुणवत्ता पर पहले कभी सन्देह नहीं किया गया था, तकनीकी रूप से दोषपूर्ण है और यह कि इन खामियों से जुआरी पुल, मांडवी मार्ग के ढ़ह जाने का खतरा है ।

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री इस मामले को युद्ध स्तर पर उठायेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दें; मैं इसका पता लगाऊंगा ।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैंने 'इंडियन एक्सप्रेस' के संम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का नोटिस दिया था क्योंकि वे संसद की बार-बार अवमानना कर रहे हैं······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए ।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले को उपाध्यक्ष महोदय को सौंप दिया है । वह इस पर कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दें । रेड्डी साहब जोर से बोलने का कोई फायदा नहीं है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कुछ नियम हैं और उन नियमों के अधीन आपको नोटिस देना पड़ेगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं । उन्हें नोटिस देना होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जागा ।

श्री आर० पी० पनिका ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे नियम के अन्तर्गत ही ला सकते हैं । आप इसके बारे में सब जानते हैं और आप नोटिस दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

अब हम नियम 377 अधीन मामलों पर चर्चा जारी रखेंगे—श्री रामप्यारे पनिका ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ;

(दो) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में सूखे की गंभीरता का अध्ययन किए जाने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की मांग

श्री राम प्यारे पनिका : (राबर्टसगंज) यह बहुत ही चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों की जनता के प्रतिनिधियों की ओर से बार-बार मांग किए जाने के बावजूद भी सूखे की स्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं, जो कि अब पिछले वर्ष से भी अधिक गम्भीर है, को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, जिले का जल-स्तर कम हो गया है। परिणाम स्वरूप, पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने वाले पचास प्रतिशत से अधिक पम्पसेट बेकार हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि संसाधनों की कमी के कारण वे सूखे से प्रभावित लोगों को रोजगार देने में समर्थ नहीं हैं। खाद्यानों की कमी के कारण उचित दर की दुकानें बन्द कर दी गई हैं और उत्तर प्रदेश के उपयुक्त दो जिलों में किसी प्रकार के खाद्यान्न, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का बितरण नहीं किया जा रहा है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के पास धन की कमी होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा कोई राहत कार्य नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं कृषि मंत्री से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजने और राहत कार्य की व्यवस्था करने तथा उपर्युक्त दो जिलों के लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं और पीने के पानी सहित खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) प्रस्तावित काजू बोर्ड का मुख्यालय केरल के कन्नानोर जिले में स्थापित किए जाने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : केरल राज्य के कन्नानोर जिले में न केवल देश में सर्वाधिक मात्रा में काजू का उत्पादन किया जाता है बल्कि वहाँ सर्वोत्तम क्वालिटी का काजू उत्पादित होता है। यहां हजारों परिवारों की आजीविका केवल काजू की फसल पर निर्भर करती है। काजू की फसल के लिए किसी भी प्रकार की नीति या मूल्य निर्धारण, जिससे काजू की फसल पर मामूली प्रभाव पड़ता हो, भी इन किसानों के लिए बोझ बन जाता है।

यह जानकारी मिली है कि काजू की खेती करने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का केरल में काजूबोर्ड स्थापित करने का विचार है। मैं सरकार से इस काजू बोर्ड को कन्नानोर जिले में स्थापित करने का अनुरोध करता हूं जो कि राज्य का सबसे अधिक काजू उत्पादक जिला है। कन्नानोर में काजू बोर्ड की स्थापना करना अनिवार्य है ताकि वहां के अधिकांश किसान बोर्ड की सेवाओं से लाभान्वित हो सकें।

(चार) उड़ीसा राज्य के संग्रहालय द्वार संकलित दुर्लभ भोजपत्र पाडुलिपियों प्रकाशित किए जाने हेतु सरकार को प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये का आवत अनुदान स्वीकृत किए जाने की मांग

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर संग्रहालय ने 16 वीं शताब्दी से भी पहले की 27 विभिन्न अत्यन्त महत्वपूर्ण और दुर्लभ विषयों पर साठ हजार से भी अधिक भोजपत्र पांडुलिपियां संकलित की हैं। भारतीय और विदेशी विद्वानों ने इन अत्यन्त महत्व-

पाण्डुलिपियों को प्रकाशित किए जाने की जोरदार मांग की है । उड़ीसा ललितकला अकादमी राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से केवल दो विषयों की पाण्डुलिपियों को ही प्रकाशित कर सकी है । एक सौ पन्नों की भोजपत्र पाण्डुलिपियों के सम्पादन और मुद्रण के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपये की आवश्यकता है । यदि धन उपलब्ध कराया जाये तो राज्य संग्रहालय और राज्य सरकार के संस्कृति विभाग के पास हर वर्ष 5 पाण्डुलिपियों के सम्पादन और प्रकाशन की सुविधायें हैं राज्य सरकार के पास धन की कमी होने के कारण उन्होंने केन्द्र सरकार से हर वर्ष 25 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान मन्जूर करने का अनुरोध किया है जिससे अगले 10 वर्षों में 50 अत्यधिक दुर्लभ सचित्र पाण्डुलिपियां प्रकाशित की जा सकें ।

मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इस उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूँ ।

(पांच) सोहना, नूह और फिरोजपुर झिरका होते हुए गुड़गांव और अलवर के बीच एक रेल लाइन बिछाई जाने की मांग

चौधरी खुर्शीद अहमद (फरीदाबाद) : महोदय जनता द्वारा हरियाणा में सोहना, नूह और गुड़गांव जिले के फिरोजपुर झिरका कस्बों से होते हुए गुड़गांव और अलवर (राजस्थान) को जोड़ने के लिए सार्वजनिक मांग की गई है ।

इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि गुड़गांव को अलवर (राजस्थान) से जोड़ने के लिए सार्वजनिक हित में यथाशीघ्र एक सर्वेक्षण कराया जाए तथा इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाये ।

(छः) तमिलनाडु के पेरियार जिले में भवानी में कुदुयुरई को राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र घोषित किए जाने तथा राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में उसका विकास किए जाने की मांग

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, तमिलनाडु राज्य के पेरियार जिले में भवानी ऐतिहासिक महत्व का स्थान है । इसे इलाहबाद की भांति दक्षिण प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह कावेरी और भवानी, दो नदियों के संगम पर स्थित है । भगवान संगमेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर, जो कि एक हजार वर्ष पुराना है, वेदगिरि, पदमगिरि, नागगिरि, और मंगलागिरि की पहाड़ियों के बीच स्थित है । कावेरी नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसे सबथगिरि मध्यप्रदेश कहा जाता है । इसका धार्मिक, पर्यटन और तीर्थस्थल के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता है । ईराडे रेलवे जंक्शन यहां से 12 कि.मी. की दूरी पर है । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के इस पर्यटन स्थल के अत्यधिक निकट है पहाड़ियों, नदियों के संगम और धान के खेतों से घिरा होने के कारण यहां तक प्राकृतिक आकर्षण है । डाक विभाग ने दिनांक 25-8-77 को संगमेश्वर कलश और ऊराचिकोट्ट पहाड़ियों की सुन्दर पृष्ठभूमि के साथ कुदुयुरई नाम मोहक संगम के चित्रण वाला एक प्रथम दिवस आवरण जारी किया है । माननीय पर्यटन मंत्री से अनुरोध है कि वे तमिलनाडु में भवानी में "कुदुयुरई" नामक स्थान को राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र घोषित करें ताकि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सके ।

(सात) बिहार में बाढ़ और भूकंप से टूटे तटबन्धों को मरम्मत किए जाने तथा कच्ची सड़कों के स्थान पर पक्की सड़कें बनायें जाने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की मांग

डा गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, उत्तरी बिहार का मिथला क्षेत्र 1987 की विनाशकारी बाढ़ तथा 1988 के भयंकर भूकम्प से तबाह हो गया है। इस क्षेत्र में पक्की सड़कें बहुत कम तथा दूर–दूर हैं। सभी कच्ची सड़कें तथा पुलिये या तो बाढ़ में बह गये या भूकम्प से नष्ट हो गए हैं।

मिथला की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, (क्योंकि यह नेपाल की सीमा पर स्थित है। कई कारणों से यह आवश्यक है कि वहां पक्की सड़कों तथा सभी प्रकार के मौसम के अनुकूल सड़कों का जाल शीघ्र बिछाया जाये। दुर्भाग्यवश, हमारे बार-बार किये गये अनुरोधों के बावजूद भी इस अति महत्व की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

पक्की सड़कों के अभाव के कारण मिथला क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्षा के दौरान लोगों के दु:खों का बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। कई सप्ताह तक लोग दिन–प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुयें भी निकट के बाजार से नहीं ले सकते। वे मरीजों तथा गर्भवती स्त्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भी नहीं ले जा सकते।

इसलिए इन कठिनाइयों का एक मात्र निदान यही है कि भारत सरकार इस वित्तवर्ष के दौरान बिहार सरकार को 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करे ताकि राज्य सरकार कच्ची सड़कों को सभी प्रकार के मौसम के अनुकूल पक्की सड़कों में परिवर्तित कर सके तथा टूटे हुये तटबन्धों को शीघ्र मरम्मत करा सके।

राज्य सरकार संसाधनों की कमी के कारण इस समस्या को हल करने की स्थिति में नहीं है।

इसलिये मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह बिहार सरकार की उक्त धनराशि प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठाये।

12.12 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब नियम 377 के अधीन वक्तव्य दिये जा रहे हों तो व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं उठाये जा सकते।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नही कर सकता।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(आठ) उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई सिचाई परियोजनाओं को जो लंबित पड़ी हुई हैं, शीघ्र मंजूरी दिये जाने की मांग

श्री नित्यानन्द मिश्र (बोलनगीर) : महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बोलनगीर, उड़ीसा में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण और बिलकुल आवश्यक है क्योंकि यह राज्य के सूखा पीड़ित क्षेत्र में है। यद्यपि महानदी की पांच सहायक नदियां इस क्षेत्र में बह रहीं हैं और जल संस्थान पर्याप्त मात्रा में है लेकिन इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। और सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सकारात्मक तथा उपजाऊ कार्य में नहीं लाया गया है। इसके परिणाम स्वरूप, मानसून के दौरान वर्षा का फालतू पानी तृतीय पट्टी में विनाशकारी बाढ़ का रूप ले रहा है। दुर्भाग्यवश, चूंकि सहायक नदी क्षेत्र में कोई सिंचाई परियोजना नहीं है, वर्षा के पानी को एकत्र कर, सिंचाई के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता और सारा क्षेत्र सूखे तथा अर्ध-मरुस्थल क्षेत्र में परिवर्तित होता जा रहा है। भूमिगत जल के साधन भी तेजी से सूख रहे हैं जिससे उथले धरातल वाले कुयें तथा नलकूप बेकार हो गए हैं। केन्द्रीय जल आयोग के पास रुक्तेल, ओंग, लैंथउन्देर तथा इन्देर नदियों पर सिंचाई परियोजनायें वर्षों से लम्बित पड़ी हुई है। मैं जल संसाधन मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस परियोजनाओं को स्वीकृत प्रदान करने तथा इस हेतु धन राशि प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठायें ताकि उन्हें क्रियान्वित किया जा सके।

12.16 म० प०

नियम १९३ के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अगले विषय, अर्थात 25 अप्रैल, 1989 को श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया द्वारा उठाए गए विषय, देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति, पर आगे चर्चा करेगी।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन चर्चा कर रहा था कि देश····(व्यवधान).

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की अव्यवस्था में मैं किस प्रकार बोल सकता हूं, आप इन्हें चुप कराइये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमलदत्ता जी, कृपया आप इसे लिखित में दीजिये। मैं देखूंगा। मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश की बात को ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे तथ्यों का पता लगाना है। मैं इस प्रकार अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)*

श्री अमलदत्ता : (डायमण्ड हार्बर) : क्या आप गृह मन्त्री को निर्देश जारी करेंगे ? हमने बहुत साधारण सा निवेदन किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका अध्ययन करूंगा। मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आप गृह मन्त्री को वक्तव्य देने के लिये कहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं। (व्यवधान)

[इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।]

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, में उस दिन चर्चा कर रहा था कि देश साम्प्रदायिक दंगे के लिए तैयार नहीं है। देश में किसी भी धर्म के लोगों की यह मानसिकता नहीं है कि वह साम्प्रदायिक जैसी भावनाओं को झेल सके, क्योंकि सारे धर्मों का निचोड़ एक ही है कि ईश्वर एक है और उसको मानने वाले सभी मानव जाति के लोग हैं। जब कभी देश के अन्दर दंगा हुआ है या इस तरह के वातावरण पैदा किए गए है उसका कारण राजनीति में उनकी अपनी विफलता विशेष रूप से रही है। इसलिए देश के अन्दर सैकुलरिज्म को नष्ट करने के लिये बनावट की आड़ लेकर कपटपूर्ण ढंग से यह वातावरण पैदा किया जा रहा है।

कांग्रेस की मान्यता रही है सैकुलरिज्म की, लोकतन्त्र की और इसके बिना कांग्रेस की बुनियाद टिक नहीं सकती, इसलिए हम तो सैकुलरिज्म के प्रति समर्पित हैं और उसकी मजबूती ने ही कांग्रेस को इतना बड़ा लम्बा दीर्घ जीवन दिया है।

अकबर ने सर्वप्रथम हिन्दू-मुस्लिम एकता और सद्भावना का वातावरण पैदा करने की कोशिश की। उसने इसी दृष्टिकोण से फतहपुर सीकरी में एक इबादतखाना बनवाया था जिसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते थे, जिसकी सदारत स्वयं अकबर किया करते थे। उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से किया था और सर्वधर्म-समभाव के दृष्टिकोण से अबूफ़ज़ल के माध्यम से अल्लोपनिषद् की रचना करवाई थी जिससे हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के प्रति श्रद्धा जागृत करें और एक दूसरे को सही परिप्रेक्ष्य में लाने की कोशिश करें। अकबर ने फ़ैज़ी के माध्यम से जोगवशिष्ठ, रामायण, महाभारत तथा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, जो एक दूसरे के धर्मों को समझने में काफी सहायक हुए। और उन्होंने सारे धर्मों के निचोड़ के रूप में एक अल्लोपनिषद का निर्माण कराया जिसमें अब्दुलफजल ने काफी बड़ी भूमिका अदा की

*कार्यवाही बृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

थी। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अबुलफजल द्वारा तैयार किये गये अल्लोपनिषद का हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद करायें और उनके द्वारा कही गई अच्छी बातों पर विचार-विमर्श होना चाहिए। इसके बाद वह अल्लोपनिषद हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई लोगों के बीच में जाना चाहिए। इससे एक बात यह स्पष्ट होगी कि उस जमाने में भी ऐसी संकीर्णतायें थीं और उसको मुलायम करने के लिये सदभावना का वातावरण पैदा करने लिये कितने बड़े प्रयास किए गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में साम्प्रदायिक सद्भावनाओं को पैदा करने के लिये जितनी सम्राट अकबर ने कोशिश की उतनी किसी और ने नहीं की थी। इसलिये मेरा पहला सुझाव यह है कि सबसे पहले अबुलफजल द्वारा तैयार किया गया अल्लोपनिषद जिसका कि अकबर ने प्रचार किया उसका फिर से प्रचार किया जाये। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जहां छुटपुट दंगे होते हैं वहां कम्युनिटी टैक्स का प्रावीजन होना चाहिए और कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे इस तरह की शिकायतें जो आज इस देश के अन्दर एक बदनुमा दाग के रूप में दिखाई पड़ रही है वह हमेशा के लिये शान्त हो जायें।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, सदन के सामने कम्युनल सिचवेशन के बारे में हुई डिसकसशन के बारे में हमारे लोकप्रिय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने सरकार की ओर से अथवा कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बहुत ही विस्तृत ढ़ंग से अपने भाषण में स्पष्ट किया कि हम अपने देश को साम्प्रदायिक सद्भावना से, राष्ट्रीय एकता से और पूरे अपने देश के व समाज के सामूहिक विकास के लिये हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी द्वारा दिये हुए रास्ते पर चल कर किस तरह से अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं उन्होंने अपने भाषण में विपक्ष की ओर से जो अच्छे सुचारू सुझाव आये, कंस्ट्रक्टिव सुर्जेशन आये, उनको तुरन्त अपने भाषण में स्वीकार किया और उन पर एकदम से अमल करने के आदेश भी जारी किये हैं। इतना ही नहीं उनके द्वारा जो प्रयास किए गये पिछले 40 वर्षों में और विशेष कर पिछले 3-4 वर्षों में, उनका भी उल्लेख किया।

श्रीमान, जब हम देश में साम्प्रदायिक दंगों की बात सुनते हैं, अशान्ति की बात सुनते हैं तो हमें बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना पड़ता है कि हमारा राष्ट्र किस ओर बढ़ रहा है। भारतवर्ष केवल एक भौगोलिक इकाई का नाम ही नहीं है इसमें जैसा प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इसमें समूची मानवता प्रदर्शित है, दुनिया के तमाम धर्म शायद इस देश में पैदा हुए जिनका कि निशान कहीं और न मिलता हो मगर भारतवर्ष में तकरीबन-तकरीबन सारे धर्म एक ही साथ किस तरह से रह रहे हैं और कैसे उनका संचालन होता है वह सारे संसार को एक ऐसी अदभुत मिसाल पेश करते हैं कि मानो पूरे विश्व को भारतवर्ष से कुछ सीखना है। हमारा स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास हो या उससे पहले का पुरातन इतिहास हो यह इस बात का साक्षी है कि भारतीय संस्कृति में जो सबसे बड़ी 'विषमता' है, जो सबसे बड़ी अनोखी बात है वह है देशवासियों की सहनशीलता। सहनशीलता ही एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी बुनियाद है जिस के माध्यम से हमारा देश सारे संसार में अपनी एक अलग छवि रखे हुए है और जितने भी धर्म हमारे देश में आये—चाहे किसी भावना से आये इसका उल्लेख करना आज जरूरी नहीं है मगर सबसे पहली चीज यह है कि इसने सब को प्रभावित किया। वैसे कोई भी धर्म दुनिया का ऐसा

[सरदार बूटासिंह]

नहीं है जो सहनशीलता को न मानता हो क्योंकि धर्म की मानव को उसी वक्त इसकी जरूरत पड़ी जब उसको सभ्य होने की जरूरत पड़ी। इसी चीज की वजह से उसने धर्म की ओर ध्यान किया। धर्म चाहे किसी भी दुनिया के क्षेत्र में पैदा हुआ हो धर्म का सबसे पहला काम है, सत्य की खोज। आप चाहे कोई भी धर्म ले लीजिए, मानव जाति चाहे किसी भी चीज को लेकर चली हो, उसने सबसे पहले सत्य की खोज के लिए कदम उठाया और उसी का नाम धर्म पड़ा। सत्य की खोज के लिये सहनशीलता बहुत ही आवश्यक है। यदि सहनशीलता नहीं हो तो आप सत्य की ओर नहीं बढ़ सकते। हम, विशेषकर भारतवासी, इस बात के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राष्ट्र को नेतृत्व मिला, उस सन्त महान पुरुष, सन्त सिपाही राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी का, जिन्होंने सही मानों में धर्म को केवल एक रस्म रीति करके नहीं बल्कि धर्म को सही मानों में अपने जीवन में अमली तौर पर पूरे जीवन भर, आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक कैसे एक सच्चा धर्म हो सकता है और धर्म के माध्यम से कैसे समूचे मानव की सेवा की जा सकती है, इसका सबसे सुन्दर उदाहरण इतिहास में कहीं मिल सकता है तो महात्मा गाँधी के स्वयं के जीवन में मिलता है। हालांकि वे अपने समय के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनके मुकाबले का उस वक्त क्या आज भी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा मगर उनका जो तरीका था, जंजीरों को तोड़ने का, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सत्य, अहिंसा और शान्ति के रास्ते से उन्होंने जो एक राष्ट्रीय आन्दोलन छेड़ा और जिसमें देश के कोटि-कोटि लोगों ने, बड़े-बड़े महान पुरुषों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, ग्रामीण लोगों ने किस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी, उस सन्त सिपाही के एक नारे पर पूरा राष्ट्र, केवल हमारा राष्ट्र ही नहीं, जहां कहीं भी, आज भी इन्सान का एक्सप्लायटेशन हो रहा है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है तो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेते हैं। इसलिये जब हम इस पृष्ठ-भूमि में अपने इन हालात को देखते हैं तो बहुत ही शर्म होती है। हमें आश्चर्य भी होता है कि जिस देश में महात्मा गांधी जी जैसे महान पुरुष ने हमारी आजादी की नींव रखी हो, आजादी की लड़ाई लड़ी हो, अपने प्राणों का बलिदान दिया हो, आज 40 वर्ष के बाद फिर ऐसे हालात हमारे सामने उठते हैं जबकि लोग धार्मिक कट्टरता के नाम पर, साम्प्रदायिकता के नाम से, फिरकापरस्ती के नाम से मासूम लोगों की हत्या होती हो और जिन स्थानों पर पूजा होती है, तपस्या होती है, उन्हीं स्थानों पर खून की होलियां खेली जायें, ये चीजें हैं जिनसे हमें बहुत खेद होता है।

इसमें हिस्सा लेते हुए जैसा तकरीबन बहुत से मान्यवर सदस्यों ने इस सारे विवाद को, इस डिस्कशन को राष्ट्रीय स्तर के विवाद का रूप दिया गया है, हमने भी गवर्नमेण्ट की तरफ से अधिक से अधिक सोचा कि यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, सरकार का प्रश्न नहीं है, विपक्ष का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न समूचे राष्ट्र का है और राष्ट्र के भी अस्तित्व का है। यदि धार्मिक जज्बात को सही मानों में इस्तेमाल किया जाय तो हमारे देश की जो साम्प्रदायिक एकता है, इसमें कोई खलल नहीं हो सकता। तकलीफ उस वक्त होती है, जब धर्म के नाम पर कुछ साम्प्रदायिक लोग, कुछ फिरकापरस्त लोग अपनी सत्ता के लिए, चाहे वह राजनीतिक सत्ता हो और चाहे वह सामा-जिक सत्ता हो, उस दुकान को चलाने के लिए धार्मिक कट्टरता का सहारा लेते हैं और मुश्किल पैदा होती है। चालीस वर्ष हो गए, हम लोग आज भी देखते हैं कि मामूली-मामूली बात पर भी

कोई जलूस निकलना है, कोई शोभा-यात्रा जानी है, कहीं खुदा की परस्तिश होनी है, ऐसे ये मामले हैं, जिन पर सारे गांवों को, सारे समाज को एक होकर कर लेना चाहिए और श्रद्धा के के साथ करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का आदर—सत्कार करके करना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, यदि कोई बैंड-बाजे के साथ किसी के धार्मिक स्थान के सामने से निकलता है, तो उसी पर पथराव हो जाता है और उसी पर गोला-बारूद हो जाता है। आज चालीस बरस हो गए, इन चालीस बरसों में हमारे देश के लोगों ने यह नहीं सीखा, दो सगे भाइयों ने यह नहीं सीखा कि अपनी खुशी और गम कैसे बना सकते हैं। मगर इसके पीछे शक्तियां हैं, हमने प्रत्येक घटना का निरीक्षण करके देखा है, चाहे वह कहीं पर भी घटी हो, किसी भी प्रान्त में हुई हो, उसके पीछे जो उपद्रवी लोग हैं, साधारण व्यक्ति कभी भी दोषी नहीं पाए गए। हमेशा कुछ घटनायें हुई, चन्द लोग और आज कल तो ऐसा आभास हो रहा है कि वे बाकायदा ट्रेण्ड लोग हैं, जो बाहर से आते हैं। उस क्षेत्र से उनका कोई संबंध नहीं होता है, आते हैं और शरारत करते हैं तथा चले जाते है। इस प्रकार वे ऐसी आग शुरू कर जाते हैं, जो कई-कई सालों तक चलती है। एक घटना हुई और फिर उसकी मल्टीप्लिसिटी हर साल होती है और हर त्यौहार पर होती है। पिछले साल यदि होली पर कुछ हो गया, बैसाखी के त्यौहार पर हो गया, ईद-मिलन के त्यौहार पर कुछ हो गया, तो अगली ईद पर भी वह रिपीट होगा और आने वाली होली पर भी वह रिपीट होगा। एक बार कहीं घटना घटी, उसका समाधान हुआ, लेकिन वह खत्म नहीं होती है। एक किस्म का बीज बोया जाता है और अक्सर यह बीज बाहर से आता है। दुःख इस बात का है कि आज भी हमारे देश में साम्प्रदायिकता के नाम से लोगों में बड़े-बड़े संगठन चल रहे हैं। उन संगठनों का ध्येय एक ही है, वे संगटन कायम ही इस बात पर हैं कि किस तरह से हमारे में अराजकता फैलाई जा सकती हैं। सामाजिक अशान्ति फैलाई जा सकती है।

अक्सर अक्लियत और अक्सरियत की चर्चा होती है। मैं समझता हूं कि हमें इन शब्दों का तिलांजलि देनी होगी। हमारे देश में न अक्लियत हो और न कोई अक्सरियत हो। मैं तो इसी भावना का हूं। हम केवल एक राष्ट्र हैं और हम राष्ट्रवादी हैं। केवल भारतीय हैं, केवल हिन्दुस्तानी हैं और उनमें अक्लियत और अक्सरियत का सवाल पैदा नहीं होता है। ये दोनों ही भावनायें मानवता के संतुलन को तोड़ देती हैं। यदि आप अपने को अक्सरियत मानते हैं तो आपको अहंकार हो जाता है। अहंकार में आकर इन्सान कभी भी कोई भी फैसला जो लेगा, वह बलैंसड नहीं होगा। हमेशा उसमें वह बीज रहेगा। वह मगरूर का बीज रहेगा, उसको यही रहेगा कि वह मेरे से कमजोर है और उसको डोमिनेट करना है। मै जानता हूँ कि अक्लियत की भावना लेकर चलेंगे तो हीनता की भावना आएगी। हम बराबर के नहीं तो इस समाज के अन्दर हमारे हक नहीं है। इस राष्ट्र के अन्दर हमारी सुनवाई भी कोई नहीं है। जैसे हम अपंग हैं और हम अधूरे हैं। मैं समझता हूँ कि यह गलत है, यदि हमने कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ संस्थानों के लिए, शिक्षा के लिए हमारे संविधान में कुछ जिक्र है, तो उसके मायने यह नहीं है कि हम अपने देश को दो पक्षों में बांट दें, अक्लियत और अक्सरियत। रिलीजियन माइनोरिटी हो सकती है, लिंग्विस्टिक माइनोरिटी का नाम लेंगे तो तकरीबन-तकरीबन हर प्रान्त में एक ही धर्म के लोग लिंग्विस्टिक माइनोरिटी में मिल जायेंगे। इसलिए धर्म का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है।

इस साल जो घटनायें घटी हैं, यह सबसे ज्यादा चिन्ताजनक बात है। इतने बड़े समाज में कोई उपद्रव ही न हो, यह तो शायद बड़ा असंभव है। ऐसे हालात तो शायद कभी भी किसी मुल्क

[सरदार बूटासिंह]

में नहीं हुए। कुछ-न-कुछ थोड़ी बहुत फ्रिक्शन तो हो ही जाती है। दो सगे भाइयों में भी हो जाती है। मगर उसकी बुनियाद ऐसी हो, जिससे कि ऐसे जरासीम, ऐसे बीज हमारे समाज में न रह जायें, जिससे आइंदा के लिए उससे नफरत पैदा हो। खेद इस बात का है कि थोड़े समय से हमारे देश में जो साम्प्रदायिक भावनाएं उठी हैं उनके पीछे जो बीज है, वह धार्मिक कट्टरता का है और धार्मिक कट्टरता का बीज, जिसको रिलीजस फंण्डामैन्टलइज्म कहते हैं, सब से ज्यादा खतरनाक है। इसने नुकसान किया हमारे देश का स्वतन्त्रता के संग्राम में। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि यदि हम पूरे स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास उठा कर देखें, तो इतना शानदार और बेजोड़ इतिहास शायद किसी भी क्रान्ति का नहीं मिलता जितना कि हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास है। दुःख की बात है कि फोर्टीज में उस वक्त की इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट ने, उस वक्त की जाबिर हुकूमत ने हमारे देश के उस संग्राम को कमजोर करने के लिए, हमारे समाज को कमजोर करने के लिए ऐसे जरासीम, ऐसे बीज बो दिये, जिससे कि फरकापरस्ती के नाम से, हमारे देश के कुछ वर्ग, हमारे समाज के कुछ वर्ग बहकावे में आ गये हैं उनको मिसलीड कर दिया गया। दुर्भाग्यवश जो समूची, सम्पूर्ण आजादी हमारे देश को मिलनी थी, वह अधूरी हो गयी, उसके टुकड़े हो गये मगर वह भावना खत्म होती है, एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बलिदान से, जिन्होंने इस बात का सबूत दिया और उन्होंने स्वयं को, अपने आप को देश की एकता के लिए बलिदान कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया ताकि देश की एकता बच सके। मगर वहां से भी हम लोगों ने कोई सबक ग्रहण नहीं किया।

राष्ट्र के निर्माताओं ने कांस्टीटुयेन्ट एसेम्बली में जो संविधान हमें दिया, है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारी राष्ट्रीय एकता का और मैं समझता हूँ कि हमारे देश का संविधान जिस पृष्ठभूमि में बना, उसके पीछे न केवल पूरे राष्ट्र की देश की आजादी का इतिहास था, बल्कि उसके पीछे ऐसे हालात भी थे, जिनसे हमारे संविधान के निर्माता पूरी तरह से अवगत थे। उन्होंने इस बात का ध्यान रखते हुए, ऐसे संविधान का निर्माण किया, जिसमें प्रत्येक नागरिक को पूर्णतया आजादी का हक है और समूचे समाज को इस तरह का एक ऐसा संवैधानिक ढांचा दिया गया, जिसमें कोई भी वर्ग ऐसा महसूस न करे कि यह संविधान मेरा नहीं है। सारे जितने प्रश्न पैदा हुए थे, स्वतन्त्रता संग्राम से लेकर संविधान के पारित होने तक, सारे के सारे फैक्टर्स उसमें इनवाल्व्ड हैं।

मैं तो केवल एक बात यहां पर कहना चाहता हूं खास तौर से डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स के बारे में जहां तक सवाल है फंडामेंटल राइट्स का, उनकी तो यहां पर बहुत बहस हो जाती है और न केवल यहां पर बल्कि देश के बुद्धिजीवी उसके लिए और पूरा प्रैस उसके लिए हमेशा अग्रसर रहता है। यह जरूरी भी है और उसे रहना भी चाहिए मगर सबसे ज्यादा यदि किसी चीज को आंखों से दूर किया गया, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और उसमें मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार की ओर से जिस ढंग से उनको इम्पलीमेंट करने की जरूरत थी सही माइनों में राष्ट्र में, तो वह कुछ अधूरी है। यदि हम डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स को अच्छी तरह से कार्यान्वित नहीं करते हैं, तो यह ठीक बात नहीं है। शायद इसी कारण से श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने इन डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स को इतना महत्व दिया कि संविधान में एक ऐसा संशोधन किया गया, जिससे नेशनल ड्यूटीज को

डिफाइन किया गया। खाली डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स अपने आप में कुछ भी नहीं हैं यदि हम उनको इम्पलीमेंट करने के लिए, उनको कार्यान्वित करने के लिए, सदन की ओर से पूरी तरह से बल नहीं देते। इस तरह से उन डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स को कोई शक्ति नहीं रह जाती है क्योंकि कचहरी में जाकर पूरी तरह से लोगों को सहायता नहीं मिल सकती। श्रीमन्, ये डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स जो है, ये इसलिए भी जरूरी हैं कि इनके ऊपर न अमल करने से ऐसी विषमताएं पैदा हो जाती हैं समाज में, जिससे कि कुछ कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों का एक्सपलोएटेशन रोक नहीं सकते। इसलिए सब से जरूरी है कि डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स पर सख्ती और दृढ़ता के साथ अमल हो।

जैसाकि मैंने अभी कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इन डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स पर ज्यादा जोर देने के लिए बल देने के लिए हमारी जो नेशनल ड्यूटीज हैं उन पर भी ध्यान दिया। बड़ा दुःख है कि उनकी ओर न राज्य सरकारों की ओर से और न यहां से उतना बल दिया गया जितना कि दिया जाना चाहिए था।

आज जो साम्प्रदायिकता की नफरत फैलाई जाती है उसमें मुख्य तौर पर जो बड़े-बड़े दल हैं, खास करके वे साम्प्रदायिक दल चाहे विश्व हिन्दू परिषद के नाम से हो, चाहे वह जमायते इस्लामी नाम से हो, ये कितनी विषमता के साथ और कितना फैली लोगों में प्रचार कर रहे हैं। कारण यही है कि समूचे तौर पर यह समझा गया है कि शायद सरकार के पास कानून काफी नहीं है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ला एण्ड आर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार को पूरी सतर्कता का इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी निगरानी से काम करना चाहिए। अगर एक कानून के माध्यम से आप पूरे समाज का तब तक संचालन नहीं कर सकते हैं जब तक कि समाज में इस तरह की भावना पैदा न हो, जागृति पैदा न हो। जब तक समाज में प्रत्येक नागरिक यह महसूस न करे कि साम्प्रदायिक भावना का पूरे राष्ट्र के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उसमें देश का नुकसान होता है। हम जितने भी चाहें, राजनीति में हों, व्यापार में हों, उद्योग में हों, किसान के रूप में खेत में काम करते हों, मजदूर के रूप में कारखाने में काम करते हों, जब तक हमारे देशवासियों के मन में यह भावना पैदा नहीं होती कि देश की क्षति मेरी क्षति है, देशवासियों का नुकसान मेरा नुकसान है तब तक हम अपने देश के अन्दर से किसी प्रकार से सांप्रदायिक एकता की भावना पैदा नही कर सकते। केवल कानून से नहीं हो सकता, केवल राजनीति से नहीं हो सकता। इसमें तो प्रत्येक नागरिक को इनवाल्व करने की बात है, प्रत्येक नागरिक को शामिल करने की बात है।

अफसोस की बात है कि सेक्युलरिज्म के जितने भी अनुयायी हैं, सेक्युलरिज्म के मानने वाले हैं, हम सब उपस्थित रहते है और हमारे सामने दंगे हो जाते हैं। जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज है, जितने भी समाजिक संगठन हैं, उनके लोग इन साम्प्रदायिक दंगे करने वालों के सामने खड़े होकर के सही मायनों में यह कहेंगे कि हम ये नहीं होने देंगे, जब तक सेक्युलर किस्म के लोग, चाहे वे किसी दल के हों इन साम्प्रदायिक दंगों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक इन साम्प्रदायिक दंगों की बात यहां से खत्म नहीं हो सकती।

पुलिस का काम है, पैरा मिलिट्री फोर्सिज का काम है, जिलाधिकारियों का काम है, मगर श्रीमान् यह हवा इतनी फैल चुकी है कि देश के कोने-कोने में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं,

[सरदार बूटासिंह]

ऐसे रूझान पैदा किये जा रहे हैं। आज से पहले ग्रामीण क्षेत्र में कभी भी हमने फिरकापरस्ती नाम की चीज नहीं देखी थी। जिस ढंग से इस सारे वातावरण को दूषित करने के लिये लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर प्रयास हो रहे हैं इनका खात्मा केवल कानून पास करने से नहीं हो सकता।

सैंकड़ो प्रश्न आप उठाकर देखिये। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का प्रश्न है। श्रीमान् इसके लिए प्रयास किए गए, पूरी संजीदगी से प्रयास किये गये। दो-तीन महीने तक लगातार उन सभी संगठनों के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों से जो कि इस दुर्गम प्रश्न पर दिलचस्पी रखते थे, सम्पर्क कायम किया गया। उन्हें बुला कर के, उनके पास जा-जा करके बात की गई। हमारी तरफ से बहुत कोशिश की गई कि इसका कोई समाधान निकल आए जिससे कि किसी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और इसका हल निकल आये।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : इस विषय पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है जो सभा में बयान किया जा रहा है? बाबरी मस्जिद के मामले पर हम आपके दृष्टिकोण से अनभिज्ञ हैं। यदि आप हमें उचित जवाब दें तो हम सन्तुष्ट हो जायेंगे। अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : आपका दृष्टिकोण क्या हैं ?

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अभी तो मैंने शुरू किया है। आपको एक मिनट तो सब्र करना चाहिए था, मैं उसी बात पर आ रहा था। मैं यह अर्ज कर रहा था कि बाबरी मस्जिद के मसले पर हम चाहते थे कि सबका इन्वाल्वमेंट हो और सबकी राय से हम कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिससे दोनों धर्म के लोगों के जज्बात को ठेस न लगे और कोई म्युच्युअली ऐक्सेप्टेड रास्ता निकल आए। मैं यह नहीं कहूंगा कि हमें पूरी तरह से उसमें नाकामयाबी मिली। कभी-कभी दोनो तरफ के प्रतिनिधि इस बात को बड़े ठंडे दिल से सोचते थे, सुनते थे और उनको कोई रास्ता अच्छा लगता भी था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो पबलिक स्टैंड लिए हुए हैं और जो बैकग्राउन्ड थी, उसके रहते हुए हमें उसमें उस तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई जिससे हम कोई रास्ता निकाल पाएं। एक ऐसा सुझाव आया कि इस विवाद में यहीं बहस हो कि आया वह स्थान जिसके बारे में झगड़ा चल रहा है इसके बार में अगर तथ्य देखने हों तो एक स्टेज हर एक पार्टी की ओर से यह कहा गया कि हमारे पास दस्तावेज हैं जिसको दिखाकर यह साबित कर सकते हैं कि इस विवादग्रस्त भूमि का असली रूप क्या है। हमने वह दस्तावेज एक संगठन से लेकर दूसरे संगठन को दिये और उन्होंने अपने विचार रखे। जब इस तरह की बात होती है तो एक दूसरे की बात पर फर्क होते हैं, आरग्युमेंट्स होते हैं और उन आरग्युमेंट्स का समाधान या तो आपस में "गिव एण्ड टेक" की बात पर हो जाए नहीं तो फिर तीसरी पार्टी ढूंढनी पड़ती है जिसके सामने इसको रखा जाए और उसका जो फेसला हो वह सर्वमान्य हो। इस तरह से जब आपस में बातचीत करते वक्त कोई म्युच्युअली एक्सेप्टेबल सोल्युशन नहीं मिला तो यह सोचा गया कि जो हमारे देश का न्यायिक ढांचा है उसकी सहायता ली जाए। पहले भी कुछ मुद्दे कचहरीयों के सामने खड़े हुए थे। फिर यह सोचा गया कि जो कुछ भी डाक्युमेंट्स किसी के पास हों, उनको हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए और जो भी निर्णय हो उसकी प्रतीक्षा की जाए और उस निर्णय के मुताबिक इसका समाधान निकले। मुझे यह

कहते हुए इस बात का हर्ष है कि भले ही जज्बात बहुत भड़के हुए थे लेकिन एक वर्ग ने इस बात को सही माना कि हाई कोर्ट के सामने सारे तथ्य चले जाएं और उन तथ्यों के ऊपर हाई कोर्ट अपने ढंग से फैसला करें। जो भी वह निर्णय दे, उसको मान लेना चाहिए। दुर्भाग्यवश दूसरे पक्ष की ओर से इस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला। कुछ लोगों ने इस बात को माना और कुछ लोगों ने नही माना। जिन लोगों ने माना, उन्होंने यह जरूर कहा कि हम चाहते हैं कि जितनी भी पार्टियां इसमें पहले से शामिल हैं और वे पार्टियां जो शामिल नहीं हैं और आना चाहें तो इसको न्यायालय के सामने रख दिया जाना चाहिए और उसका जो फैसला हो वह मान लेना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि कुछ दल और संगठन हैं जो नहीं चाहते कि हमारे देश में शांति कायम हो उनके कुछ लोगों ने पबलिकली कहा। पहले तो केवल यह राजनीतिक दल कहते थे, फिरकापरस्त लोग कहते थे लेकिन उस वक्त खेद हुआ जब इस सदन में और पार्लियामेंट के अन्दर बैठे हुए कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस बात पर किंतु किया कि हम न्यायालय का फैसला तभी मानेंगे जब वह फैसला उनके पक्ष में होगा। आज के लोकतन्त्र में अपने आपको वे लोग जो बहुमत के लोग कहलाते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि ·······(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ? आपकी पार्टी का इस विषय के बारे में कोई दृष्टिकोण ही नहीं ? आप क्या पूछ रहे रहे है ?

श्री तम्पन थामस : सरकार का क्या रवैया है ? आपको कोई दृष्टिकोण अपनाना होगा।

सरदार बूटा सिंह : जी हां, मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री तम्पन थामस : सरकार को एक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस विषयों में दृष्टिकोण अपनाना विपक्ष का काम नहीं है।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : जब इस संगठन के लोग, विश्व हिन्दू परिषद के लोग इस बात के लिए सहमत हुए मगर खेद उस समय हुआ जब एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया कुम्भ के समय। इतने बड़े समागम को सियासी मसलों के लिये एक्सप्लाएट करना गलत काम है। जहां लोग धर्म की भावना लेकर आते हैं और सदियों के बाद ऐसा अवसर आता है। यह बात निहायत चिंताजनक और निन्दनीय है कि एक राजनीतिक दल के नेता यह कहते रहें और पब्लिकली मीटिंग में कहें कि यदि वह फैसला एक वर्ग के पक्ष में होगा तो उसको मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। इसके मायने क्या होंगे। इससे आप एक विवादग्रस्त स्थान को, मन्दिर के, मस्जिद के फैसले पर क्या टिप्पणी नही कर रहे, क्या संकेत दे रहे हैं आप देश को। क्या आप देश को यह कहना चाहते हैं कि न्यायालय के फैसले वही माने जायेंगे जो किसी एक वर्ग के पक्ष में होंगे। यह हमला देश की ज्यूडिशरी पर है, यह हमला देश के लोकतन्त्र पर हैं। इसलिये उनको इस बात के लिए सौ दफा पहले सोचना चाहिए था। हम मान सकते हैं कि कुछ लोग बायकाट करें, लेकिन इस तरह से प्रहार करना और अपने आप को बहुमत का नेता कहते हुए राजनीतिक नेता हमारे न्यायालय के साथ खिलवाड़ करेंगे तो यकीन मानिए इस देश में न तो लोकतन्त्र सुरक्षित है।

[अनुवाद]

श्री डी० वी० पाटिल (कोलाबा) : शाहबानों वाले मामले में सरकार खुद ही उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध गई है और उन्होंने यहां कानून बना दिया है। अतः आपको इस तरह बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

(सरदार बूटासिंह) : श्रीमान् क्या संकेत देना चाहते हैं देश को। जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं उनका तो चार्ज ही यही है, उनका अविश्वास ही यही है इसलिये मैं तो उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की बातें देश के हित के लिये नहीं हैं, देश के लोकतन्त्र और भविष्य के हित के लिये नहीं हैं। यदि उन्होंने इस बात को माना कि न्यायालय के सामने कोई फैसला आये और उसको माना जाये तो

[अनुवाद]

हर व्यक्ति को न्यायालय में जाकर अपील करने का अधिकार है।

[हिन्दी]

बड़ी कचहरी है उसके बाद आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपका यह कहना कि फैसला मेरे पक्ष में नहीं होगा तो मैं नहीं मानूंगा इस तरह जो संकेत जाता है लोगों में, यह बहुत ही दुर्भाग्यवश चीज है। आपने सरकार का स्टेण्ड पूछा है कि वह इस पर क्या स्टेण्ड लेगी। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि धार्मिक मसले पर सरकार कोई स्टेण्ड नहीं लेगी। धर्म के बारे में हमारे पूर्वजों ने महात्मा गांधी और पण्डित नेहरू जी ने कहा है, यदि आप कहें तो मैं उसको कोट करके बताना चाहता हूँ कि कैसे उन्होंने धर्म के मसले पर कहा है कि यह तो लोगों का प्राइवेट मसला है इसको राज्य का मसला नहीं मान सकते, राज्य वहाँ आता है जहां पर शांति व्यवस्था की जरूरत है। वहाँ हम मदद करते हैं, मगर धार्मिक मसलों पर सरकार दखल नहीं देगी। इस मसले पर सरकार ने एक प्रेरणा के ऊपर दोनों पक्षों से प्रेरणा मिली और सरकार ने एक रास्ता ढूंढने में सहायता करने की बात कही है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करने के बाद यह कहा कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में इस मसले को, सारे केस को कंसोलिडेट करके पेश किया जाये और वहाँ पर एक डिवीजन् बैंच बनाई जाये जिसमें तीन जज होंगे। वह बैठकर इसे देखेंगे और जो फैसला होगा यह मान लेना चाहिए। इसको दोनों ही पार्टियों ने, एक पार्टी ने शुरू में माना दूसरी पार्टी के कुछ लोगों ने माना और उनके पीछे जो बड़े-बड़े दल हैं, संगठन हैं जो लोगों को उकसा रहे हैं उन्होंने पब्लिकली कहा कि नहीं मानेंगे। दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं ने जिनको प्रतिनिधि इस सदन में भी हैं और दूसरे सदन में भी हैं उनके नेताओं ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिये हैं जिसका मैंने उल्लेख किया है और मैं उसका खण्डन करता हूँ। न्यायालय का रास्ता एक लोकतांत्रिक रास्ता है और यह एक माना हुआ रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर इसका समाधान हो सकता है। श्री थमपन थामस जी बड़ी जोर से पूछ रहे थे, मैं उनके सामने एक छोटा सा प्रश्न पेश करना चाहता हूं, यदि उन्होंने इन्टरवीन न किया होता तो सम्भव था कि मैं ऐसा न करता, लेकिन जब उन्होंने छेड़ा है तो उसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा। आपके नेता ने दोनों पक्षों को गुमराह किया है। इलाहाबाद इलेक्शन जीतने के लिये उन्होंने आर. एस. एस. वालों से वायदा

किया कि हम इस मामले में आप के हक में फैसला कर देंगे, इसके साथ साथ न जाने और कितने वायदे किये, और वही दूसरी तरफ हाजी मस्तान से वायदा किया। दोनों पक्षों के स्टेटमैंट्स ब हर आ गये हैं। हाजी मस्तान ने तो अपना पत्र खुले-आम अखबारों में छपवा दिया और आर. एस. एस. वालों ने भी स्पष्ट कह दिया, जब बी. जे. पी. वालों की जमशेदपुर में नेशनल एक्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कहा गया, जिसे मैं यहां आपके सामने दोहराना चाहता हूँ :

[अनुवाद]

"श्री अडवाणी ने विपक्षी खेमों में नेतृत्व के मामले को लेकर अन्दरूनी संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और यह महसूस किया कि श्री वी० पी० सिंह के चुनाव अभियान में शाही इमाम और हाजी मस्तान जैसे मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वों के उपयोग से वे सिद्धान्त और मूल्य ही नष्ट हो गये जिनके लिये वह लड़े थे।" **(व्यवधान)**

श्री तम्पन थामस : यह गलत है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है।

सरदार बूटा सिंह : यदि यह गलत है तो श्री अडवाणी को इसे सही करने के लिये कहें। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसने यह कहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्री अडवाणी इसे कैसे सही कर सकते हैं ?

श्री तम्पन थामस : श्री अडवाणी इसे कैसे सही कर सकते हैं ?

सरदार बूटा सिंह : यह उनका वक्तव्य है।

[हिन्दी]

आर. एस. एस. नें भी टिप्पणी की है कि श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने उनसे दो वायदे किये थे : एक वायदा था कि हम कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करायेंगे और दूसरा वायदा था कि इस मामले में हम हिन्दुओं की मदद करेंगे। इसलिए आपकी पार्टी का यह स्टेण्ड है। आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमन्त्री जी को जब कि सारा मामला कोर्ट में जा चुका है, शायद वे लोगों के आंसू पोछना चाहते हैं, इस चिट्ठी के द्वारा। उन्होंने न केवल आर. एस. एस. और हाजी मस्तान को ही बुद्धू बनाया, बल्कि अब देशवासियों को भी बुद्धू बनाना चाहते हैं, एक चिट्ठी प्रधान मन्त्री जी को लिखकर कि हम तो मामला कचहरी में ले जाने के लिये आप से बहुत दिनों से कह रहे थे, लेकिन आपने देर कर दी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपने जो कुछ कहा, अच्छा बताया, सब लोगों को ऐसे ही बताना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : यह अच्छा है या नहीं, आप जानते होंगे, अब वे कल क्या करेंगे, हमें नहीं पता। इसे अच्छा मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि वे कहीं एक जगह ठहरते ही नहीं हैं। इलैक्शन जीतने के लिये उन्होंने आर.एस.एस. से वायदे किये, इलैक्शन जीतने के लिये हाजी मस्तान से वायदा किया और फिर..

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम तो एक कौडियल एटमोस्फियर चाहते हैं देश में।

सरदार बूटा सिंह : सैफुद्दीन साहब, हमें इसके पीछे सारी बैकग्राउण्ड को देखना पड़ेगा, फैक्टस को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता हिस्ट्री देखनी होगी, हिस्ट्री यह है कि उन्होंने इलैक्श जीतने के लिये दोनों ही पक्षों को गुमराह किया और आइन्दा के लिये, अपना फ्यूचर मैनिफस्टो बनाने के लिये, देशवासियों को गुमराह करना चाहते हैं। यही मैं आप से कहना चाहता हूं। यदि उनका स्टेण्ड सही है तो खाली विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से क्यों लिखते हैं, जनता दल कोई रिजोल्यूशन पास क्यों नहीं करता। दल को साफ तौर से सामने आना चाहिए। इनका स्टेण्ड केवल एक ईश्यू पर ही नहीं, सभी ईश्यूज पर डिफरैंट है, इसके कुछ देर बाद मैं जब पंजाब पर बोलूंगा, उस समय आपको डिटेल्स में बताऊंगा।

[अनुवाद]

हर राज्य के बारे में उनका भिन्न दृष्टिकोण क्यों है ? हरियाणा में उनका दृष्टिकोण भिन्न है। उत्तर प्रदेश में उनका दृष्टिकोण भिन्न है। पंजाब में उनका दृष्टिकोण भिन्न है। आन्ध्र प्रदेश में उनका दृष्टिकोण भिन्न है।

[हिन्दी]

इन राष्ट्रीय मुद्दों पर, बुनियादी चीजों पर, इनके स्टेण्ड डिफरैंट हैं। कम्यूनल हारमनी का मसला केवल एक पार्टी विशेष का नहीं है, गवर्नमैंट का मसला भी नहीं है, बल्कि सारे देश के भविष्य का मसला है। यदि हम इस मामले में थोड़ी भी कोताही करेंगे, कमजोरी दिखायेंगे तो यकीन जानिये, न हमारे देश में गणतन्त्र कायम रह पायेगा, न हमारे देश की प्रभुसत्ता कायम रह सकेगी और न हम अपनी आजादी को बचा पायेंगे इसलिए देश की एकता के मार्ग में यदि कोई सबसे खतरनाक चीज है तो वह है कम्यूनल हेट्रैड, कम्यूनल टेंशन।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुलकर अपनी यह राय दी थी।

[अनुवाद]

क्या आपने यह पता करने की कोशिश की है कि किस के आदेश से वह विशेष हलफनामा —जिला आयुक्त द्वारा दिया गया हलफनामा—प्रस्तुत किया गया था यानि यदि उस स्थान को पूजा के लिए खोल दिया जाये तो वहाँ शान्ति भंग नहीं होगी ?

1.00 म० प०

उसी से यह सारा मामला आरम्भ हुआ, फैजाबाद में न्यायालय की खंड पीठ में, बाबरी मस्जिद मामले में दिये गए शपथ पत्र के आधार पर ......

सरदार बूटा सिंह : ये सभी मामले अब न्यायालय के सामने हैं। मैं यह नहीं समझता कि आप ऐसा चाहेंगे कि मुझे इन सभी मामलों के बारे में उद्घोषणा करनी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सरकार की ओर से आयुक्त द्वारा शपथ-पत्र दिया गया था। मुद्दा यह है। क्या आपने इस मुद्दे को समझने का प्रयास किया ?

सरदार बूटा सिंह : अब सम्भवतः राज्य सरकार उच्च न्यायालय में जा चुकी है अथवा जा रही है—संभवत इसके लिये 10 जुलाई नियत की गयी है और सभी पक्ष उच्च न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन मामलों को निश्चित रूप से उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि भारत सरकार की ओर से यह जो साम्प्रदायिक भावनाओं को कायम रखने के लिये इस मान्यवर सदन के आदेश हैं या नैशनल इन्टीग्रेशन के फैसले हैं, समूचे तौर पर उन फैसलों पर चलते हैं। हमारी तरफ से जो कदम उठाये जाते हैं, उनमें आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इसी सदन में एक—

[अनुवाद]

धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है। राजनैतिक दलों के पंजीकरण के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का उपबन्ध करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया है। हमने भड़काने वाले लेखन के विरुद्ध कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को सक्रिय बना दिया है।

[हिन्दी]

मैं बिवरण दे सकता हूं कि किस-किस स्टेट में कितने-कितने कदम इसके नीचे लिए गए हैं :—

[अनुवाद]

सरकार भड़काने वाले लेखन को रोकने और अपराधियों को सामने लाने पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल ही में मन्त्रालय द्वारा इस बारे में, विशेष रूप से ऐसे प्रचार पर नजर रखना के लिये और जिला और केन्द्र स्तर पर कार्य पद्धति की समीक्षा करने और इन समस्याओं को निपटाने के लिये वर्तमान कानून की पर्याप्तता की जांच करने के लिये एक व्यापक कार्यवाही आरम्भ की गई थी। इस कार्यवाही का परिणाम साम्प्रदायिक लेखन में लिप्त रहने वाली पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की प्रभावशाली ढंग से निगरानी करने के लिये प्रैस आसूचना कार्यालयों तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय जैसी एजेन्सियाँ सक्रिय हो गई हैं। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों को भी अपनी मशीनरी को सक्रिय बनाने के लिये कहा गया था।

गत चार वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में साम्प्रदायिक प्रचार के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (1) के अन्तर्गत 40 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये थे। कर्नाटक में उर्दू की 27 पत्रिकाओं, दो मासिक, दस साप्ताहिक और चार दैनिक के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया। वर्ष 1988 के दौरान 31 मामले दर्ज किये गये थे और उनकी जांच पड़ताल चल रही थी। वर्ष 1987 के दौरान 11 मामलों को दर्ज किया गया था। वर्ष 1986 के दौरान बिहार में तीन मामले दर्ज किए गये थे और गुजरात ने ऐसी 13 पत्रिकाओं का पता लगाया है जो साम्प्रदायिक लेखन में संलिप्त थी। वर्ष 1986 के दौरान तीन मामले दर्ज किये गये। वर्ष 1987 के दौरान दर्ज किये गये मामलों में सफलता पूर्वक मुकद्दमे चलाये गये हैं।

[सरदार बूटासिंह]

दिल्ली में वर्ष 1986 के दौरान 20 मामले दर्ज किये गये थे जिनमें से 10 मामलों में मुकद्दमा चल रहा है, पांच मामलों में जांच की जा रही है, एक मामले की मंजूरी दी जानी है और दो मामलों को बन्द कर दिया गया है। वर्ष 1987 के दौरान 10 मामले दर्ज किए गए जिन पर मुकद्दमा चल रहा है। इनके अलावा गुजरात में साम्प्रदायिक प्रचार के लिये 15 प्रकाशनों को चेतावनी दी गई थी और सरकारी विज्ञापन देने से इन्कार करने के लिए दो प्रकाशनों को सूची में सम्मिलित किया गया था।

[हिन्दी]

अभी ये कुछ कदम हैं जो उठाये हैं जिनके अपर मोन्यवर सदस्यों ने पूछा था। तो मैंने उनसे अर्ज किया है कि हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं जिससे कि यहां साम्प्रदायिकता का वातावरण ठीक रहे और इस तरह के जो तत्व हैं, जो साम्प्रदायिक भावना को खराब करते हैं उनको काबू में रखा जा सके।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा : सम्पूर्ण देश में आपत्तिजनक, भड़काने वाले साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाले, अपमानजनक नारे दीवारों पर लिखे गये हैं यहां तक की इस संघ राज्य क्षेत्र जिससे हम आज बैठे हैं ऐसे नारे लिखे गये हैं! मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि इन स्थाई नारों से साम्प्रदायिक विभाजन होता है। ऊनसे साम्प्रदायिक भावनायें उत्पन्न होती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है।

सरदार बूटा सिंह : यह एक वास्तविकता है और जैसा कि मैंने कहा है केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं अपितु देहात में जाने पर भी ऐसा लगता है कि ये बड़ें साम्प्रादायिक संगठन जिनके बारे में मैंने अभी-अभी उल्लेख किया था अब उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामने आ गये है, जहां पहले कभी ऐसी घटनायें नहीं हुई थी। इसलिए मैं इस माननीय सदन को यह चेतावनी दे रहा हूं कि इस देश में स्थिति बहुत गम्भीर है और हमें सम्पूर्ण राष्ट्र को एकजुट करना होगा। यह प्रश्न सरकार अथवा एक दल के कार्य का नहीं है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र का एक प्रश्न है और हमें धार्मिक कटटरपंथी की इस बढ़ती हुई अब धारणा को ध्यान में रखना चाहिए।

[हिन्दी]

यह काफी हद तक हमारे स्कूलों में पहुँच चुका है।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : आपने अभी बताया, यह सही है कि देहात में अभी साम्प्रदायिकता है लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जहां हमारी हुकूमत है, लाखों आदमियों का सम्मेलन और यहां से अयोध्या मार्च का नारा और यह हुआ कि हुकूमत छोड़ दें तो मैं निपट लूँगा, अगर इसके बारे में आपने कुछ नहीं किया तो देहात के बारे में आपने अभी कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली और देहात दोनों के बारे में क्या हुआ ?

सरदार बूटा सिंह : मैं इसका जिक्र कर रहा था कि दोनों तरफ से बड़े भयंकर किस्म की आम भड़काने की कोशिश हो रही है। यह सिलसिला न केवल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, मदरसों और स्कूलों में हो रहा है और खासकर जैसे-जैसे हम अपने लोक-सभा चुनावों की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे लार्ज स्केल पर फिरका परस्ती के नाम से लोगों को भड़काया जाएगा और इसका आभास कई नेताओं के भाषणों से होता है खासकर बी. जे. पी. और जमायते इस्लामी के नेताओं के भाषणों से होता है और ऐसा लगता है कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर फिरकापरस्ती के नाम से लोगों को भड़काया जाएगा।

इस सदन में एक बहुत बड़ा जिक्र हुआ कि प्रयास किया जा रहा है कि गांव-गांव से लोगों को प्रेरणा देकर लाने की बात की जा रही है, यह सब उसी बात में जोड़ने वाली कड़ियां है और मैं समझता हूं कि यह देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड प्रवृत्ति है जिसको खत्म करना होगा, जैसा मैंने कहा कि यह मसला राज्यों के माध्यम से और जहां कहीं जरूरत पड़ेगी राज्यों को, वहां भारत सरकार की सहायता से शान्ति-व्यवस्था रखना सबसे पहला काम है, देशवासियों की जान-माल और उसकी हिफाजत करना हमारा काम है और इसके लिए हम किसी प्रकार की कोई भी कसर नहीं रखेंगे, हर प्रकार से देश के कोने-कोने में हम शान्ति-व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरे प्रयत्न करेंगे।

दुःख इस बात का है कि जब हमारी ला एनफोर्सिंग ऐजेन्सीज पर उंगली जाती है। उसमें भी बहुत सी कमियां हैं, बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें हमारी ला एनफोर्सिंग एजेन्सीज का दायित्व, उनका कर्तव्य और उनकी ड्यूटी जो टिप्पणी में आई, क्वैश्चन हुआ, और वहां सजा देनी पड़ी, कदम उठाने पड़े। इसलिए स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था जिसका पालन हुआ है केवल उत्तर प्रदेश में, दूसरे किसी प्रान्त में नहीं हुआ। उन्होंने एक ऐसी फोर्स कायम करने को कहा था जो कि सभी धर्मों के माध्यम से भर्ती किए गए लोगों की हो और जो सही मायनों में निष्पक्षता के साथ ऐसे दंगों में अच्छी भूमिका अदा कर सके।

वैसे तो इस सदन को अच्छी तरह से अनुभव है कि जितनी भी हमारी पैरा-मिलैट्री फोर्सेज हैं, चाहे बी. एस. एफ. हो, आई. टी. बी. सी. हो, सी. आर. पी. हो, सी. आर. पी. में तो प्रधान मन्त्री जी के आदेशानुसार हमने अलग से महिलाओं की एक बटालियन खड़ी की है। यह बात मैं सदन में बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि महिलाओं की बटालियन को जब हमने दो, तीन जगह भेजा तो अब सी. आर. पी. की मांग करने वाले सबसे पहले कहते हैं कि यदि महिलाओं की बटालियन हमें मिले तो उससे फायदा होगा। उनसे एकदम से शान्ति-व्यवस्था बनती है और उन का काम करने का एक ढंग है जिसकी सराहना हुई, चाहे मेरठ में हुई। (**व्यवधान**) हमने तो सभी राज्यों को कहा है, हम सहायता करने के लिए भी तैयार हैं कि प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की फोर्सेज कायम की जायें जिसमें सभी वर्ग और सभी धर्मों के लोग और विशेषकर महिलाओं की उनमें भर्ती हो ताकि अपने समाज में शान्ति-व्यवस्था कायम रखने के लिए जो अच्छी से अच्छी सेवा हो, वह हम दे सकें। इसके साथ ही साथ हमारे प्रधान मन्त्री जी ने जो अपने भाषण में कहा नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल को जो मीटिंग करने के लिए, मैंने आज अपने देश के सभी विपक्ष के नेताओं के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने कहा है कि खास करके

[सरदार बूटासिंह]

कम्युनल सिचवेशन के बारे में पहले सुझाव भेजे जायें। जब हमारी विपक्ष के नेताओं के साथ राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के बारे में बातचीत हुई तो उसमें श्री इन्द्रजीत गुप्त और समर मुखर्जी की तरफ से अच्छे सुझाव दिये गये थे उन सुझावों का मैंने उल्लेख किया है और प्रधान मन्त्री जी ने भी उन सुझावों पर अपने विचार व्यक्त किये। हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर साम्प्रदायिकता के खिलाफ, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ अभियान चलाने के लिए सभी दलों को आमंत्रित करते हैं ताकि एक राष्ट्रीय स्तर का आन्दोलन चले और लोगों को मोबेलाइज किया जाये क्योंकि लोग ही इस चीज को बचा सकते हैं। खाली कानून से या फोर्स से इस पर नियन्त्रण नही पाया जा सकता है। शासन तो मदद कर सकता है और फोर्स सहायता कर सकती है मगर सही मायने में एक राष्ट्रीय स्तर का आन्दोलना होना चाहिए जिस में सभी लोग सम्मिलित हों और हमारे देश के अन्दर जो भयंकर बीमारी है जातिवाद को, धार्मिक कट्टरता को, फिरका-परस्ती की जिस के रहते हुए हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का अस्तित्व खतरे में है, उसका हम मुकाबला कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटे-छोटे दृष्टिकोणों को छोड़ कर केवल एक वर्ग के लोगों को छोडकर विपक्ष के नेता अपने विचारों को सही मायने में राष्ट्र के हित में वहां लिख कर भेज देंगे ताकि नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल की मीटिंग से पूरे राष्ट्र को लाभ हो सके। मैं मानता हूं कि यह इलेक्शन ईअर है और सभी पार्टियों को अभी से इलेक्शन प्रचार मुहिम शुरू करनी होगी। अपने उस प्रचार में जो भी हथियार आये वह चलायें मगर वह हथियार न चलायें जिससे देश का खात्मा हो सके।

श्रीमन, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं देश के विपक्ष के एक नेता की कहना चाहूंगा। वह अपने दल के कॉलिशन की बात कहते-कहते यहां तक कह गये कि यदि बी.जे.पी. शक्ति में आयेगी तो देश का खात्मा हो सकता है औरदेश खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बी.जे.पी. के साथ समझौता किया गया तो पूरा देश खत्म हो सकता है मगर चूंकि इसलिये बी. जे. पी. का साथ हमें करना पड़ेगा कि इस सरकार को खत्म करना है। आप देख लीजिये उनकीक्या प्राथमिकतायें हैं। उनका देश खत्म हो जाये इस बात की परवाह नही है मगर इस सरकार को खत्म करना है।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने बड़े जोर के साथ कहा कि हम कभी सत्ता के लिये राजनीति की बात नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदान का इतिहास है, कुर्बानी का इतिहास है और यह पार्टी हमेशा अपने दल के मुफाद को कुर्बान करती आई है। इसकी एक-एक मिसाल हमारे सामने हैं। इसके नेताओं ने जो कुछ भी सदन के सामने कहा, देशवासियों से कहा उसको कार्यान्वित किया। आप इसकी कोई भी मिसाल देख लीजिये। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का स्वयं का जीवन, उनका एक-एक क्षण इस देश के लिए था। उन्होंने अपन बलिदान इस देश के लिए किया मगर कभी उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता के बारे परवाह नहीं की। जब वह सत्ता में नहीं थीं तो और भी ज्यादा बहादुरी के साथ उन्होंने देश की रक्षा की बात की—चाहे हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ, चाहे वह माइनोरोटीज के साथ ज्यादती हुई, जब श्रीमती गांधी आउट ऑफ पावर थीं तो कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ, कहीं ज्यादा जोर के साथ उन्होंने उस इश्यू को उठाया मगर दुख की बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल केवल अपने दल की सत्ता की बात को आगे रखते हैं, देश की बात को पीछे कर देते हैं। जैसा मैंने उदाहरण दिया, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम जानते हैं कि बी.जे.पी. के आने से देश टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा फिर भी इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार को हटाने के लिए हम समझौता करने के लिये तैयार हैं, यह एक

उदाहरण है। बाकी दूसरे नेताओं का मैं जिक्र नहीं करूंगा (व्यवधान). आप ने नाम ले दिया मेरे से क्यों कहलाते हो, मेरे खिलाफ फिर प्रिवलेज नोटिस आ जायेगा।

यह एक बृत्ति है, यह एक टेण्डेंसी है कि गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए देश के खात्मे की कोई परवाह नहीं है। इस भावना से यदि हम इस प्रश्न को देखेंगे तो यकीन जानिये, कम्नु-लिज्म को रैस्पेक्टेबिलिटी मिलेगी। कम्युनलिज्म कब खतरनाक होता है, जब उसको रैस्पेक्टेबिलिटी मिलती है, चाहे वह रेस्पेक्टेबिलिटी कानून दे, चाहे वह रैस्पेक्टेबिलिटी राजनैतिक दल दें, चाहे वह रैस्पेक्टेबिलिटी समाज दे। जब कम्युनलज्म को रैस्पेक्टेबिलिटी मिलमी खत्म हो जायेगी, अब पंजाब में क्या हो रहा है, हमारे सामने पंजाब का उदाहरण है, 6 साल से देश के टुकड़े करने के लिए हथियार बंद हत्यारे कोशिश कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों पंजाब देशभक्त उसमें मर चुके हैं, उस में शहीद हो चुके हैं मगर वहां एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है इसलिए कि उन हत्यारों को समाज की तरफ से कोई रेस्पेक्टेबिलिटी नहीं दी गई। यदि उनको रैस्पेक्टेबिलिटी दी गई होती तो वह अपने निशाने में कामयाब हो सकते थे, अपने मुद्दे में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से और समूचे समाज से अपील करना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी फिरका-परस्त हो, किसी धर्म का नाम लेकर चलता हो, किसी धर्म का साइनबोर्ड उठाकर चलता हो, यदि हमने उसको रैस्पेक्टेबिलिटी दी तो वह खतरनाक हो जायेगा। यदि हमने उसको आइसोलेट किया, लोगों के सामने नंगा किया तो उसकी प्रहार करने की शक्ति खत्म हो जायेगी। आज यही बात है कि खालिस्तान का नारा पंजाब के लोगों ने पूरी तरह से डिसओन कर दिया है, एक भी आतंकवादी की रैस्पेक्टेबिलिटी नही मिली। जहां भी आतंकवादी मरते हैं, कहीं भी चर्चा नहीं होती है कि यह ऐक एन्काउण्टर में मारे गये क्योंकि उनकी रैस्पेक्टेबिलिटी ब्लैक थण्डर ने खत्म कर दी, उनका धर्म पाखण्ड उघाड़कर रख दिया, एक्सपोज कर दिया इसलिए उन लोगों को आज मुश्किल पड़ रही है। मैं यही कहूंगा कि हमारे देश में समूचे तौर पर पंजाब की तरह यदि हम फिरकापरस्तों को रैस्पेक्टेबिलिटी देना बन्द कर दें, धर्म एक पवित्र चीज है, फिरकापरस्ती एक निहायत नीच मानसिक व्यवस्था की बात है, जब इन्सान फिरकापरस्ती के बारे में सोचता है तो उसके मन में धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म आप उठाकर देख लीजिए। मैं तो एक बात कहूंगा कि धर्म अपने आप में अच्छी चीज है मगर जब धर्म के नाम से प्रेरित होकर फिरकापरस्ती का नारा लेकर लोग मैदान में निकलते हैं तब वह देश के लिए हानिकारक होते है इसलिए फिरकापरस्ती को खत्म करना प्रत्येक देशवासी का, प्रत्येक राजनैतिक दल का कर्तव्य है, इसमें जैसा प्रधान मंत्री ने एक आह्वान किया है, मैं समूचे राष्ट्र से यही नम्र निवेदन करूंगा, इस सदन के माध्यम से, कि आज तमाम फिरकापरस्त शक्तियों को न केवल अलग-अलग करने की जरूरत है, एक्सपोज करने की जरूरत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष के नेता इसमें पूरा-पूरा साथ देंगे।

इन्ही शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं सदन का आभारी हूं जो उन्होंने इतना मौका देकर इतनी गम्भीर समस्या के उपर अपना समय दिया और इससे देशवासियों को फायदा हुआ।

मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब चर्चा हुई थी तो उस दिन श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा, यह बस हुई, इसका बड़ा अच्छा असर होता है क्योंकि पूरा राष्ट्र सदन की ओर देखता है और जो बात इस सदन में कही जाती है, उसका मानव मन के ऊपर असर होता है। क्या यह खुशी की बात नहीं है कि कल की ईद देश भर में शान्ति से हुई और वह भी उस वक्त जब शिव सेना

[सरदार बूटासिंह]

के लोगों छत्रपति शिवाजी की जयन्ती मनाई, जिसमें हमें बहुत तरह तरह के संकेत मिल रहे थे कि यहां दंगा होगा, यह होगा, वह होगा, मैं समझता हूँ कि इस सदन के मार्ग दर्शन, ने विपक्ष के नेताओं के भाषण हुए, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भाषण किया और सदन की एक भावना बाहर गई तो समूचे देश में एक शान्तिपूर्ण वातावरण बना और इससे फिरकापरस्तों को जो रेंस्पेक्टेबिलिटी मिली थी वह खत्म हो गई, फिरकापरस्त आइसोलेट हो गये और देश भर में ईद बड़ी शान्ति के साथ मनाई गई और बड़े इत्तेहाद और बड़े सुख के साथ इतना बड़ा राष्ट्रीय पर्व समाप्त हुआ, मैं इसके लिए देशवासियों को भी मुबारकबाद देता हूं, इस सदन को मुबारकबाद देता हूँ जिसमें पैदा की हुई बात से, जिसमें से निकली हुई भावना से देश में अमन का वातावरण बना, इसी भावना के अन्तर्गत मैं चाहूँगा कि वह प्रस्ताव, जिसके लिए हमने पहले कोशिश की थी, इसी सदन में हम चेयर की तरफ से लायेंगे ताकि इस हाउस के जितने भी नेता हैं, चाहे विपक्ष के हों या सत्ताधारी पक्ष के हों, सभी नेता उसके ऊपर सही मानों में अपना मन लगाकर आशीर्वाद देंगे तो सदन की ओर से दस्तावेज जायेगा, जिससे पूरे राष्ट्र में देशवासियों में देशभक्ति की भावना उभरेगी और फिरकापरस्तों को अलग-थलग करने में मदद मिलेगी।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सैशन समाप्ति के पहले कर लिया जाये।

सरदार बूटा सिंह : पहले करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.20 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.20 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.24 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 2.24 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यय महोदय पीठासीन हुए]

पंजाब में लागू राष्ट्रपति शासन जारी रखे जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सांविधिक संकल्प पर चर्चा आरम्भ कर रहे हैं।

श्री बूटा सिंह।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को 11 मई, 1989 से 6 मास की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसी कि सदन को जानकारी है, पंजाब में तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की सिफारिश के अनुसार 11 मई 1987 को पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उदघोषणा जारी की गई थी। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करने के लिए दिनांक 12.5.1987 को लोकसभा और राज्य सभा की स्वीकृति ले ली गई थी। राज्य की विधान सभा, जिसे आरम्भ में निलम्बित रखा गया था, को राज्यपाल की सिफारिश पर 6 मार्च, 1988 को भंग कर दिया गया था।

राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थति खराब रहने के कारण राष्ट्रपति शासन की अवधि को 11 नवम्बर, 1987 से 6 महीने की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति ली गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 356 (5) के वर्तमान उपलब्ध के अन्तर्गत, यदि उस खंड में उल्लिखित दो शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। इन दोनों शर्तों के पूरा न होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 356 (5) में संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम 1988 के द्वारा संशोधन किया गया ताकि वह अनुच्छेद के खंड 5 को पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा पर लागू न हो। इस संशोधन से पंजाब में, यदि आवश्यक हो तो, राष्ट्रपति शासन की अवधि को अनुच्छेद 356 के खंड (5) में उल्लिखित शर्तों को पूरा किये बिना, राष्ट्रपति शासन कुल तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि हर बार उद्घोषणा को 6 माह की अवधि के लिए जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी ली जाये।

संविधान (59 वें संशोधन) अधिनियम 1988 के पारित होने के बाद 11 मई 1988 से तथा पुनः 11 नवम्बर, 1988 से पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया गया है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 10 मई, 1989 को समाप्त होनी है।

पंजाब के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित 3 मई, 1989 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 11 मई, 1987 से राष्ट्रपति शासन के जारी रहने से आतंकवाद पर काफी हद तक नियंत्रण रहा है। इस वर्ष जनवरी से 2 मई, 1989 तक 217 पुलिस स्टेशनों (11 रेलवे पुलिस स्टेशनों) में से 135 में आतंकवादियों द्वारा कोई हत्या नहीं की गई वास्तव में, 1988 में 143 पुलिस स्टेशनों की तुलना में जनवरी, 1989 के बाद से केवल 82 पुलिस स्टेशनों में ही आतंकवाद के अपराध दर्ज कराए गए हैं।

राज्यपाल ने आगे कहा है कि यह सच है कि हत्याओं की संख्या अभी भी ज्यादा है, लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि आज अधिकतर हत्यायें किसी पृथकतावादी या कट्टरपंथी विचार धारा की प्राप्ति हेतु नहीं हो रही है बल्कि डकैती, अपहरण, भूमि हथियाने, लूटने, जबरन छीनने जैसे समाज विरोधी तथा आपराधिक उद्देश्यों के लिये ऐसा किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, स्थिति का लाभ उठाने के लिये अनेक खतरनाक अपराधी आधुनिक शस्त्रों से लैस होकर इस स्थित का लाभ उठाने में लगे हुए हैं।

राज्यपाल ने समीक्षा करते हुए आगे कहा है कि जिस निर्भयपूर्ण तरीके से पुलिस तथा सुरक्षा बल आतंकवाद से लड़ रहे हैं, वह इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि 12 मई, 1987 से 30

[सरदार बूटासिंह]

अप्रैल, 1989 की अवधि के दौरान 827 आतंकवादी मारे गए और 7,481 गिरफ्तार किये गये। इस अवधि में 2,751 निर्दोष व्यक्ति तथा 214 पुलिसकर्मी मारे गये। ये आंकड़े न सिर्फ अपनी उपलब्धि ही बताते हैं। बल्कि उस स्थिति की गंभीरता भी दर्शाते हैं जिसे राष्ट्रपति शासन के दौरान दृढ़तापूर्वक हल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और पूर्ण दृढ़निश्चय के साथ लड़ी जा रही है।

राज्यपाल ने कुछ कार्यवाहियों का जिक्र किया है जो राष्ट्रपति शासन के दौरान अभी तक हुए सुधार की सूचक है। आजकल खालिस्तानी पोस्टर आमतौर पर दिखलाई नहीं देते और न ही ऐसे नारे सुनाई देते हैं। भिंडरावाला के टेप अब अधिक नजर नहीं आते हैं। खतरनाक खालिस्तानी आतंकवादियों का सम्मान करने के लिए भोग समारोह नहीं हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि लोग खालिस्तान और आतंकवाद, दोनों ही के विरुद्ध हैं।

राज्यपाल ने आगे सूचित किया है कि हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद जोधपुर के बन्दियों का मामला पूर्णतया वापस ले लिया गया है। कुछ प्रसिद्ध लोगों सहित 437 व्यक्तियों के खिलाफ राजद्रोह के मामले वापस लिये जा रहे हैं। पंजाब अब प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है और कोई भी विदेशी किसी प्रतिबंध के बगैर वहां जा सकता है। विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम तथा विशेष शक्तियां (पुलिस) अधिनियम लागू करने वाली अधिसूचनाओं को 12 जिलों में से 9 में हटा लिया गया है।

राज्यपाल ने आगे कहा है कि स्वर्ण मन्दिर के पवित्र परिसरों में खालिस्तानी आतंकवादियों की मोर्चाबन्दी को खत्म कर दिया गया है और हरमन्दिर साहिब से आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है। सभी धर्मों से सम्बन्धित हजारों भक्त लोगों ने स्वर्ण मन्दिर में जाना फिर से शुरू कर दिया है।

राज्यपाल ने आगे कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दो वर्षों के दौरान पंजाब ने आर्थिक क्षेत्र में काफी उन्नति की है; यह इस तथ्य से जाहिर होता है कि 1987 में विकास की दर 1981 में 10 प्रतिशत से कम होकर 3 प्रतिशत हो गई थी। लेकिन इसमें अब तेजी से वृद्धि हो रही है और यह शीघ्र ही 8 प्रतिशत हो जाएगी।

राज्यपाल का मत है कि राष्ट्रविरोधी आतंकवाद, विघटन और फूट फैलाने वाली शक्तियों के विरुद्ध हमें अपने निश्चय में किसी तरह की ढील नहीं देनी चाहिए और यथाशीघ्र स्थिति पर पूर्णतया नियंत्रण करने के अपने निश्चय पर और अधिक दृढ़ रहना चाहिए। इसके लिए मौजूदा परिस्थितियों में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा एक निर्धारित तथा संगठित नियंत्रण के अन्तर्गत पूर्ण समन्वय और सहयोग से एक मजबूत और वचनबद्ध प्रशासन, केवल राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत ही कार्य कर सकता है।

राज्यपाल का कहना है कि मौजूदा अशांत और अनिश्चित स्थिति में विधान सभा के चुनाव करवाने से गड़बड़ी और अव्यवस्था के और अधिक बढ़ने की संभावना है। राज्यपाल का मत है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए यदि विधान सभा चुनाव होते हैं तो कोई भी पार्टी राज्य में एक स्थिर सरकार बनाकर भारत के संविधान के उपबन्धों के मुताबिक प्रशासन नहीं चला सकेगी।

इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने यह सिफारिश की है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 मई, 1987 की उद्घोषणा को 11 मई, 1989 से छः महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए।

राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तथा सभी संबंधित मुद्दों पर विचार के उपरान्त यह प्रस्ताव है कि पंजाब में 11-5-1989 से राष्ट्रपति शासन छः महीने के लिए और जारी रहे।

मैंने जो स्थिति स्पष्ट की है, उसे देखते हुए, मैं प्रारम्भ में रखे गये संकल्प के लिए इस सभा का अनुमोदन चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि यह सभा पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को 11 मई, 1989 से 6 मास की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है"

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, मैंने इस प्रस्ताव पर एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिये सूचना पहले से दे चुका हूं। जैसे ही प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ था, मैंने यह संशोधन दिया था। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे स्वीकार नही किया गया है।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : इसे सिर्फ सभा के अन्दर सदस्यों को दिया गया था। यह मूल कार्य सूची में शामिल नहीं था।

श्री अमलदत्ता : (डायमन्ड हार्बर) : इसे पहले परिचालित नही किया गया। **(व्यवधान)**

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि संशोधन 'संरिक्षत' नहीं है। क्या एक महत्वपूर्ण विषय को परिचालित करने का यही तरीका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : समय के अभाव के कारण यह रद्द नहीं किया गया; बल्कि गुणवगुण के आधार पर रद्द किया गया है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा सामान्य कार्य सूची में नहीं था ? यह तो पूरक कार्यसूची में आया है जैसे कि इस पर बाद में विचार किया गया हो। यह एक गंभीर मामला है। इस पर इस प्रकार हल्के तरीके से व्यवहार क्यों किया गया है ? **(व्यवधान)**

श्री तम्पन थामस : हमें इस तरीके पर अत्यधिक आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अचानक परिचालित नहीं की गई। पूरक कार्य सूची सुबह ही जारी की गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का मामला ऐसा है कि इसे पूरक कार्यसूची के रूप में बाद में परिचालित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा पहले भी किया गया था । ऐसा हुआ था । यह नई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह बहुत गंभीर मामला है [**व्यवधान**]

श्री तम्पन थामस : हमें निरनुमोदन करने वाला संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार है लेकिन इसे भी मना कर दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने संशोधन दिया है । लेकिन इसे गुणावगुण के आधार पर अस्वीकार किया गया है ।

श्री तम्पन थामस : इससे कार्य संचालन के प्रति सरकार के रूखे व्यवहार का पता लगता है । मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति शासन 10 मई, को खत्म होने जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है । आप इस पर वाद-विवाद करके इसे अनुमोदित कर सकते हैं । यदि आप इसमें संतुष्ट नहीं हैं तो अस्वीकार कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : जब आपने पर्याप्त सूचना नहीं दी तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि समय पर्याप्त है ? इसके लिए समय नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आज सुबह भी सभा में आने से पहले हमें कोई अनुमान नहीं था कि यह मुद्दा आज उठाया जायेगा । यह मूल कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है । ऐसे गंभीर मामले पर कार्यवाही करने का क्या यह तरीका है ?

श्री अमल दत्ता : संभव है जो सदस्य इस पर बोलना चाहते थे, आज नहीं आए हों वे । इसमें भाग नहीं ले सकेंगे । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर कार्यवाही कल भी जारी रखेंगे । अभी भी काफी समय है । हम इसे आज भी पूर्ण नहीं करेंगे । हम इस पर चर्चा को कल भी जारी रखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने से वंचित रखा गया है ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : सदस्यों के मौलिक अधिकार को नकारा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पर्याप्त समय दिया है । मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि हम वाद-विवाद के लिए पर्याप्त समय देंगे । हम आज के अलावा कल भी इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मेरे संशोधन के बारे में क्या कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन के सम्बन्ध में, सर्वप्रथम तो यह है कि यह समय पर मिला है। इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन इसे गुणावगुण के आधार पर रद्द किया गया है ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : हमें इस बारे में सूचित तक नहीं किया गया है । वह गुणावगुण क्या हैं, जिनके आधार पर इसे रद्द किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये कारणों को बताना आवश्यक नहीं है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके द्वारा केवल इसकी अवधि ही बढ़ गई है ।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : : यह स्थानापन्न प्रस्ताव है । इसे क्यों अस्वीकृत किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय: सिर्फ छः महीने के लिए अवधि बढ़ायी गयी है । हम जो कर रहे हैं वह कोई नई बात नहीं है । इसलिये संशोधन को रद्द किया गया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं प्रर्याप्त समय दूंगा । प्रत्येक सदस्य भाग ले सकता है । और अपने विचार व्यक्त कर सकता है । अन्त में, यदि आप इसे नहीं मानते हैं तो इसे अस्वीकार कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : संसदीय लोकतंत्र के लिए यह उचित नहीं है । (व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मेरे संशोधन को परिचालित किया जाना चाहिए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामचन्द्रन रेड्डी बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अमलदत्ता : कल बोलने से पहले आपको हमें पर्याप्त समय देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कल भी आपको पर्याप्त समय देंगे ।

श्री अमलदत्ता : "भी" से मतलब है कि कल प्रत्येक व्यक्ति बोलना चाहता है । आप क्या कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो लोग इच्छुक हैं, वे आज बोल सकते हैं । यदि आप कल बोलना चाहेंगे तो कल बोल सकते हैं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : कार्यसूची में अन्य मामले हैं जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई है। एक मामला नियम 193 के अधीन है। दो विधेयक भी हैं। उन पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। आखिरकार, 4.00 म० प० पर दूसरे मामले पर विचार-विमर्श किया जायेगा। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : में नहीं समझता कि इस पर दो या तीन घंटे जितने भी है, चर्चा करने में कोई हिचकिचाहट क्यों होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन घंटों में हम इस पर आज भी चर्चा कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। चूँकि 4.00 म० प० से हम दूसरे मामले पर विचार-विमर्श करेंगे, इसका मतलब है कि डेढ़ घंटे तक इसकी चर्चा आज कर सकते हैं और कल भी इसकी चर्चा डेढ़ घण्टे तक कर सकते है। उस समय कल जो सदस्य भाग लेना चाहें, वे भाग ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्रन रेड्डी (हिन्दुपुर) : मैं इसका आशय नहीं समझ पाया। जब संकल्प प्रस्तुत हुआ है तो सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है। आपको संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस आधार पर इसे अस्वीकृत नहीं किया गया है। इसके द्वारा छः महीने की अवधि बढ़ाने के लिये किया गया हैं। इसलिये गुणों के आधार पर उनका संशोधन स्वीकार नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : यदि कार्यालय से मुझे पहले सूचना मिल जाती तो मैं इसमें संशोधन कर लेता और आपत्ति को दूर कर देता।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने हमारे समक्ष जो कुछ प्रस्तुत किया है, उसे इस आधार पर अस्वीकृत नही किया गया है कि वह समय पर नहीं दिया गया था।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : सदस्य 24 घण्टे के अन्दर संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं (व्यवधान)

श्री के० रामचन्द्रन रेड्डी :मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है या नहीं। क्या आपके लिए यह आवश्यक नहीं है कि संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों को कुछ समय दें ? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह खतरनाक प्रवृत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसके लिये कोई मना नहीं कर रहा है।

श्री के० रामचन्द्रन रेड्डी : मैं आपका विनिर्णय इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या सदस्य संशोधन पेश कर सकते हैं अथवा नही।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य संकल्प के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत कर सकते है।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : नियमानुसार संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों को कितना समय दिया गया है। क्या हमें पर्याप्त समय दिया गया ? जब हम सभा में उपस्थित थे तो इस संकल्प को परिचालित किया गया था। क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि संशोधन प्रस्तुत करने के लिए हमें सभा से बाहर जाना चाहिए था ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपना संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है और आप उसे पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। गुणावगुण के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि यह छः महीने की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में है। यह कोई नयी बात नहीं है। इसलिए संशोधन प्रस्तुत करने की कोई गुन्जाइश नहीं है। यदि सभा अनुभव करती है कि इसे अस्वीकृत किया जाए तो इसे मतदान द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : सदस्यों को अब से पन्द्रह मिनिट के भीतर संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। इस पर आपको क्या आपत्ति है ? ऐसा विगत में किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई नयी बात नहीं हैं यह केवल अवधि बढ़ाये जाने के लिए है।

श्री सी० माधव रेड्डी : जब चर्चा चल रही है तो आप उन्हें अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए आधे घण्टे का समय दे सकते है। ऐसा विगत में भी किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा अनेक बार किया गया है ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि सदस्यों को अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिये समय दिया जाना चाहिए। उसके बिना सम्पूर्ण चर्चा अनियमित और अवैध होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बाधा नहीं डाल रहा हूं। नियमों में व्यवस्था है कि संशोधन के लिए कोई गुंजाइश नहीं हैं क्योंकि जो कुछ पहले हो रहा है, उसकी सिर्फ अवधि बढ़ाई गई है। इसलिए, यदि सभा अनुभव करती है कि इसे अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिएं तो इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है ····(**व्यवधान**) ······मेरा विनिर्णय है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री ई० अय्यूप रेड्डी : यदि मैं कहता हूं कि छः महीने के स्थान पर आप तीन महीने प्रतिस्थापित करें तो आप ऐसे संशोधन को कैसे अस्वीकृत कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न की चर्चा के दौरान उठा सकते हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मुझे अपना संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार हैं कि छः महीने के स्थान पर तीन महीने प्रतिस्थापित किये जाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : आप इसे कैसे अस्वीकृत कर सकते हैं ? कृपया नियम देखिये। ऐसा संशोधन प्रस्तुत करने के लिये आप मुझे कैसे रोक सकते हैं ? किस नियम के अधीन रोक सकते हैं ?

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। आपने अभी कहा है कि संशोधन प्रस्तुत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप किस नियम के अन्तर्गत कहते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है ? इसका कारण यह हैं कि मुझे नियमों का का उल्लेख करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कारण बताना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। मुझे अपने विनिर्णय के कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्षपीठ को अपने विनिर्णय के कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं कारण नहीं पूछ रहा हूं; आप किस नियम के अन्तर्गत यह विनिर्णय दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय के बारे में आप तर्क नहीं कर सकते।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए सभा इसे अन्तिम रूप से अस्वीकार कर सकती है परन्तु जब तक यह अप्रसांगिक, तुच्छ अथवा नियमों के विरुद्ध नहीं है, तब तक कार्यालय इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि......

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ई० अय्यापू रेड्डी : आप मुझे कैसे रोक सकते हैं ? आप किस नियम के अन्तर्गत मेरा संशोधन अस्वीकृत कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे किस नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : सदस्य सभा के समक्ष रखे जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे एक बार अस्वीकृत कर दिया गया है अतः मैं इसकी दुबारा अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सी० माधव रेड्डी : सदस्य सभा के समक्ष रखे जाने वाले किसी भी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री तम्पन थामस : मैं जानना चाहता हूं कि मुझे इस संकल्प का निरनुमोदन करने वाले संकल्प को प्रस्तुत करने का अधिकार है ? क्या मुझे इसके लिये मना किया जा सकता हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपका तर्क यह है कि आपको अपना संशोधन प्रस्तुत्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। आप केवल यही कह रहे हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मेरी बुनियादी आपत्ति यह है कि जब आप किसी ऐसे मामले पर विचार कर रहे है, जो परिचालित कार्य सूची में नहीं है, तो इसे सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए सभा को कार्यसूची में उल्लिखित मामलों के स्थान पर उस मामले पर, जो पहले से कार्यसूची में नहीं है, चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। इस मामले में वैसा भी नहीं किया गया है; और आप हमें अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यपू रेड्डी, आप 4.00 म. प. तक अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं; मैं उस पर ध्यान दूंगा । आप 4.00 म. प. से पहले अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री सी० माधव रेड्डी : हम इसी बात की मांग कर रहे थे ।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यह संकल्प सभा में प्रस्तुत किया गया है, उस पर मैं अपना विरोध व्यक्त करता हूँ । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प है । पंजाब में चौथी या पाँचवी बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जा रही है । मुझे मालूम है कि प्रचण्ड बहुमत द्वारा सरकार यह संकल्प पारित करा लेगी । परन्तु फिर भी मैं अपना विरोध व्यक्त करता हूँ । इन दिनों में सरकार क्या करती रही ? कम से कम इस विषय को कार्यसूची में उल्लेख तो किया ही जा सकता था । सरकार ने आज की कार्यसूची में भी इसका उल्लेख नहीं किया है । अचानक, लगभग बारह-साढ़े बारह बजे दोपहर को हमें एक पत्र मिला जिसमें यह संविधान संकल्प अन्तर्विष्ट था । इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विचार नहीं किया गया और इसे सूची में मद सं० 6 क पर दर्शाया गया है । कार्यसूची में उल्लिखित मद के अलावा किसी अन्य विषय पर चर्चा शुरू करने से पूर्व, मेरे विचार में, सभा की अनुमति अपेक्षित है । सभा की अनुमति भी नहीं ली गई । संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों को कोई सूचना या पर्याप्त समय नहीं मिला है । इसके अतिरिक्त, सदस्यों को इस बारे में अपने विचार बनाने और यह सोचने का समय भी नहीं दिया गया कि इसका विरोध करना है या नहीं, यदि हम विरोध करना चाहते हैं तो किस आधार पर और यदि हम इसका समर्थन करना चाहते हैं तो किस आधार पर । इन बातों के लिए भी समय नहीं दिया गया । इसीलिए, मैं सभी विपक्षी दलों की ओर से अपना पुरजोर विरोध व्यक्त करता हूं ।

सरकार जिस ढंग से कार्य कर रही है वह बहुत गलत है । आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 11 मई को समाप्त हो रही है । यह सत्र शायद 10 मई को समाप्त हो रहा है । मुझे नहीं पता कि क्या सत्र की अवधि बढ़ाई जा रही है या नहीं ।

यदि आप पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाना चाहते थे तो आपने तीन या चार दिन पहले यह संकल्प सभा में क्यों नहीं रखा जिससे सदस्यों को तैयारी करने का और कुछ सामग्री प्राप्त करने का समय मिल पाता ? माननीय गृह मन्त्री मारे गये व्यक्तियों की संख्या, पकड़े गए हथियारों तथा वहां की स्थिति के सम्बन्ध में अनेक तथ्य प्रस्तुत कर चुके हैं । हमारे पास यह जानकारी प्राप्त करने के लिये भी समय नहीं है कि क्या माननीय मन्त्री जी द्वारा उल्लिखित तथ्य सही हैं या नहीं । हम उनका विरोध करने और उन्हें स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं । हमें तथ्यों की जानकारी नहीं है । यदि हमें तीन-चार दिन का समय दिया जाता तो हम यह पता लगाने का प्रयास करते कि क्या मारे गये व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े सही हैं या नहीं; क्या राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए दिए गए कारण वैध है या नहीं । ऐसी कोई बात नहीं है । अचानक ही संकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है और हमें बिना किसी तैयारी के बोलने के लिए कहा जा रहा है । मुझे खेद है कि आपके पीठासीन होते हुए, ऐसी अनुमति दी जा रही है । मुझे इन घटनाओं पर बड़ा दुःख है ।

राष्ट्रपति शासन छह माह और बढ़ाया जा रहा है या बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है । राज्य पाल ने इसके लिए क्या करण बताए हैं ? राज्यपाल ने प्रमुख कारण यह बताया है कि

[श्री के. रामचन्द्र रेड्डी]

विधान सभा चुनाव कराने के लिए राज्य में अनिश्चित स्थिति है। अनिश्चितता क्या है? यह अनिश्चितता कैसे उत्पन्न हुई। राज्यपाल ने यह अनुमान किस आधार पर लगाया? वह ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि विधान सभा चुनाव नहीं कराए जा सकते? वह ऐसा किस आधार पर कहते हैं कि यदि चुनाव हुए तो किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होगा? क्या वह ज्योतिषी हैं। उन्होंने यह अनुमान कैसे लगाया? हम एक बात और सुन रहे हैं कि राज्य में पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे। यदि पंचायतों के चुनाव कराने के लिए अनिश्चितता नहीं है तो विधान सभा चुनाव कराने के लिये अनिश्चिता कैसे हैं। यह बात मैं नहीं समझ पाया हूं। पंचायतों के चुनाव भी एक प्रकार से विधान सभा चुनावों का ही अंग हैं। परन्तु इनमें राजनीति दल भाग लेते हैं। पंचायतों के चुनाव निचले स्तर पर होते हैं। यह चुनाव विधान सभा चुनावों से अधिक उत्साहपूर्ण लड़े जाते हैं क्योंकि विधान सभा का निर्वाचम क्षेत्र बड़ा होता है और पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र बहुत छोटे है। अतः पंचायत चुनाव अधिक जोश से लड़े जाते हैं। जब आप पंचायतों के चुनाव करा सकते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप विधान सभा के चुनाव नहीं करा सकते? सरकार कैसे कहती है कि राज्यसभा में अनिश्चितता व्याप्त है, जिसके कारण विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते? अत यह एक विशिष्ट रिपोर्ट है। हमें यह देखने के लिए रिपोर्ट की प्रति भी नहीं दी गई कि क्या कुछ तथ्यों को उजागर किया गया है। हमें तथ्यों की जानकारी नहीं हैं। हम तथ्यों को याद नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये सच है या नहीं और वास्तव में स्थिति क्या है। यदि सकार इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रयास कर रही है तो मैं कह सकता हूँ कि यह अनावश्यक जल्दबाजी है। यह अनावश्यक है। यदि सरकार पंजाब की समस्या का समाधान इतनी लापरवाही से करना चाहती है तो, मेरे विचार में यह समस्या हल नहीं हो सकती। मुझे संदेह है कि क्या सरकार वास्तव में पंजाब समस्या को हल करना चाहती है या विभिन्न कारणों से इसे लटकाये रखना चाहती है। मैं महसूस करता हूं कि वे पंजाब समस्या को यथावत् बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे संसद की अवधि छह माह या एक वर्ष बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। सरकार के मन में यह उद्देश्य हो सकता है। वे संसद की वर्तमान अवधि को एक वर्ष बढ़ाने के लिए इस स्थिति का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी स्पष्ट आश्वासन दें कि ऐसा नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि राज्य में दो वर्ष से राष्ट्रपति शासन चल रहा है। वहां अब क्या स्थिति है? गत वर्षों में जब श्री बरनाला शासन कर रहे थे; उस समय प्रतिवर्ष लगभग 300 से 400 व्यक्ति मारे जा रहे हैं। आपने उस स्थिति का लाभ उठाया कि हत्याओं की संख्या में कमी नहीं आई है और चूंकि श्री बरनाला भी हत्याएं रोकने में सफल नहीं हुए हैं, इसलिए आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। उस समय हमने सोचा था कि राष्ट्रपति शासन से हो सकता है उस क्षेत्र की जनता को कुछ राहत मिले, शायद हत्यायों और आतंकवादी गतिविधियों में कुछ कमी आए, परन्तु बड़े दुःख की बात है कि मैं जो आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा उसे पता चलता है कि राष्ट्रपति शासन से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मई, 1987, में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तब मई, 1987 से वर्ष 1987 समाप्त होने तक 634 व्यक्ति मारे गए थे और 277 आतंकवादी मारे गए थे। वर्ष 1988 में 1949 व्यक्ति मारे गये हालांकि गैर-सरकारी आंकड़े यह हैं कि 2674 व्यक्ति मारे गए और 373 आतंकवादी मारे गए। पहली अप्रैल, 1989 को,

अर्थात् इस वर्ष 843 लोग मारे गए जबकि मारे गये आतंकवादियों की संख्या 188 है। कुल मिलाकर 250 पुलिस कर्मी और 800 से 900 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इन दो वर्षों में, कितने ही लोग मारे जा चूके हैं। कितनी ही माताओं ने अपने पुत्र खो दिये हैं और कितने ही पुत अपने माता-पिता खो बैठे हैं। कितने ही भाई-बहन खो बैठे हैं। जब आप एक सामान्य दलील देकर बरनाला सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं कि वह आतंकवाद को रोकने में असमर्थ रहे तो राज्य में आतंकवाद को रोकने में बुरी तरह असफल होने पर और भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के मारे जाने पर और 3300 से अधिक व्यक्तियों के मारे जाने पर, आपको राज्य में शासन करने का क्या हक है ? आप राज्यपाल के माध्यम से राज्य में शासन कर रहे हैं। राज्य में केन्द्र का शासन है। इसके लिए गृह मन्त्री जिम्मेदार है। क्या इस सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस सरकार की असफलता के बारे में स्पष्टीकरण दे सके ? इस मामले में, माननीय गृह मन्त्री उसी राज्य से सम्बन्धित हैं। उनके रिश्तेदार भी मारे गये हैं। वह अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा पाए। वह हत्याओं को नही रोक पाए। हत्याओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में, गृह मन्त्री को जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।

जनता के पास शक्ति है। मेरे विचार में, अगले चुनावों में जनता आपको सत्ता से हटा देगी। इन परिस्थितियों में, मैं राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं। इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने इन कारणों का विश्लेषण किया है ? प्रशासन कैसे चलाया जा रहा है ? अनेक समाचार-पत्रों में छपा है कि सिविल और पुलिस, दोनों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। पुलिस प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में धन एकत्र किया जा रहा है। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पुलिस वालों ने कानून को अपने हाथ में ले रखा है और आतंकवाद रोकने की आड़ में, नकली मुठभेड़ों में अनेक बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं।

3.00 म०प०

यदि किसी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह उन्हें रिश्वत नहीं दे सकता तथा उसके प्रभावशाली लोगों से कोई जान पहचान नहीं है तो उसे मार डाला जाता है। यह भी एक कारण है कि आप विगत दो वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाये हैं।

तत्पश्चात पंजाब में बड़ी विचित्र स्थिति है। यदि कोई आतंकवादी आ जाता है और नागरिक के पास उसका हथियार नहीं है तो उसकी हत्या कर दी जाती है और यदि वह हथियार रख लेता है तो अगले दिन पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है तथा उसे आतंकवादीयों को पनाह देने के लिये दोषी ठहराती है। फिर, यह भी होता है कि आतंकवादी रात के सन्नाटे में आकर उनसे खाना पकाने के लिये कहते हैं, वे खाना नहीं पकाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है और यदि वे पकाते हैं तो अगले दिन पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है तथा कहती है कि वे आतंकवादीयों को पनाह दे रहे हैं और उनका उनसे कुछ लेना-देना है।

इस प्रकार राज्य के लोग कठिन परिस्थिति में हैं वे किसी स्थिति में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें केवल आतंकवादियों के आतंकवाद का ही सामना नहीं करना पड़ता है। बल्कि राज्य आतंकवाद का भी सामना करना पड़ता है। पंजाब की जनता केवल आतंकवादियों के आतंक से ही परेशान नहीं है बल्कि राज्य आतंकवाद से, जो राज्य पुलिस ने पैदा किया है, भी परेशान है।

[श्री के. रामचन्द्र रेड्डी]

जैसा कि मैंने बताया कि अनेक नोजवानों को मार डाला गया है और वहां अत्यधिक भ्रष्टाचार है। सरकार इन हत्याओं को नहीं रोक पायी है और वहां व्याप्त भ्रष्टाचार को भी समाप्त नही कर पायी है। जब तक आप पंजाब की जनता में विश्वास पैदा नहीं कर सकते तब तक मैं नहीं सोचता कि आप इस समस्या को हल कर पायेंगे।

गृह मंत्री महोदय कह रहे थे कि 82 थानों में आतंकवादी अपराध दर्ज किये गये हैं जबकि 135 थानों में किसी आतंकवादियों ने कोई हत्या नहीं की है। 12 और थानों में अतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं इस प्रकार लगभग 94 थानों में आतंकवादी गतविधियां बढ़ रही हैं। बहुत बुरी स्थिति है इसलिए लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। उनमें से कुछ पंजाब छोड़कर दिल्ली और अन्य राज्यों में आ गये हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्यपाल आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जब आप सुबह को दैनिक समाचारपत्र खोलते हैं तो आप देखते हैं कि पिछले दिन कितने लोग मारे गये। यह ठीक स्कोर जानने की तरह है जैसा कि हम क्रिकेट या अन्य खेलों में देखते हैं। यदि हम गणना करें तो हजारों आतंकवादी और अन्य लोग मारे गये हैं। मैं नहीं जानता कि वास्तव में कितने आतंकवादी मारे गये हैं कितने आतंकवादी हैं तथा अभी कितने आतंकवादी हैं ? कितने आतंकवादी समाप्त किये जा चुके हैं ? अनेक हथियार, ए.के.-47 और सैकड़ों राइफलें बरामद हुई हैं। उनमें अत्याधुनिक हथियार भी शामिल है। आतंकवादियों के छिपने के अड्डे कहां हैं ? क्या ये अड्डे पाकिस्तान में हैं ? उनके पास कैसे हथियार हैं ? उन्हें ये हथियार कहाँ से मिल रहे हैं ? उन सब तथ्यों का पता लगाने के लिये क्या कोई प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो क्या आप उन स्थानों का पता लगा पाए हैं जहाँ से ये हथियार हमारे देश में आ रहे हैं ? क्या आपने पाकिस्तान के साथ इस मामले पर उचित ढंग से विचार-विमर्श किया है ? आप पाकिस्तान को क्यों नहीं समझा पाये हैं कि उन्हें आतंकवादियों को सहायता नहीं देनी चाहिए ?

आपके द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही से स्पष्ट है कि स्थिति का मुकाबला करने के लिए आप गम्भीर नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि आपने अब तक कितने लोगों का बलिदान कर दिया है ? आतंकवादी और पुलिस समेत तीन या चार हजार लोग मारे गये हैं। मैं नही जानता कि पुलिस-कर्मी मारे गये हैं। मैं नहीं जानता कि यह सरकार कितने लोगों को मरवाना चाहती है। यह समस्या किसी अन्य व्यक्ति ने पैदा नहीं की है बल्कि इस सरकार ने अपने उद्देश्यों के लिये पैदा की है। जब आप पंचायती चुनाव करा रहे हैं तो आप विधान सभा के चुनाव क्यों नहीं करा सकते। जो भी सत्ता में आए उसे आप राज्य का शासन करने दीजिए ताकि वे अतंकवाद को रोकने के लिये कुछ कर सकें। जब तक लोकप्रिय सरकार नहीं बनती तब तक मैं नहीं सोचता कि राज्य में आतंकवाद रोका जा सकता है।

इसलिए मैं इस संकल्प का कड़ा विरोध करता हूँ, यद्यपि यह पारित हो सकता है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृहमन्त्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं। मैंने विगत दो या तीन अवसरों पर भी कहा है कि जब कभी सभा के समक्ष राष्ट्रीय हित का मामला प्रस्तुत किया जाता है और जब कभी सरकार कानूनी या अन्य

उपाय करने का प्रस्ताव करती है तो विपक्षी दलों का कभी सहयोग नहीं मिलता है। उन्होंने यह बार-बार सिद्ध कर दिया है। वे केवल विधेयक के खण्डों के विरोध में नहीं ही बोले हैं बल्कि प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में भी उन्होंने सरकार का विरोध किया है। जहां कहीं भी सरकार का किसी बहाने से विरोध किया जा सकता है तो उन्होंने उस अवसर को छोड़ा नहीं है। इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं और अपने दृष्टिकोण को दोहरा रहा हूं कि विपक्षी दलों ने सरकार को कभी सहायता नहीं दी है।

इसके अतिरिक्त, अभी पन्द्रह मिनट पहले इस सांविधिक विधेयक के सम्बन्ध में हमने विपक्ष की भूमिका देखी थी। निःसन्देह इस मामले को कार्यसूची की मद संख्या 7-क के रूप में सम्मिलित किया गया है परन्तु जैसी कि नियमों में व्यवस्था है ऐसा किया जा सकता है। महोदय, निःसन्देह उनकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं ओर उन्हें अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है परन्तु प्रश्न यह है कि पंजाब की स्थिति का अनुभव करते हुए उन्हें ऐसा बहाना करना चाहिए या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, मेरा पंजाब की जनता के प्रति एक सामान्य वजह से विशेष प्रेम है। मैं रामूवालिया जी की जानकारी के लिए गर्व के साथ कह सकता हूं कि वे पंजाब के लोग ही थे जो गोवा आये और हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में हमारी सहायता की। इसलिए मुझे पंजाब की जनता के प्रति बहुत प्रेम है। एक कांग्रेसी की हैसियत से मैं निश्चित रूप से चाहता हूं, कि पंजाब में लोकतन्त्र फूले-फले और वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुनः जीवित किया जाए। कांग्रेस सरकार पंजाब में इन संस्थाओं को फिर से जीवित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

महोदय, एक कानून अर्थात आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रिया-कलाप निवारक अधिनियम 1987 बनाया गया है जिस पर सम्भवतः कल चर्चा होगी। पंजाब आतंकवाद के अधिकांश मामले इसके द्वारा निपटाये गये हैं। चूंकि यह अस्थायी कानून है इसलिए सरकार इसकी अवधि बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यह कानुन मुख्य रूप से पंजाब प्रशासन के संचालन और आतंकवादियों के कार्यों को रोकने के लिए है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में, जो मुख्य रूप से आतंकवादियों के कार्यों को रोकने के लिए है, आतंकवादियों पर मुकद्दमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय बनाए गए हैं अथवा वह सेशन न्यायालय या जिला न्यायालय जैसे विद्यमान न्यायालय है। यदि इन न्यायालयों को अधिकार प्राप्त हैं तो अपराधों का विचारण तेजी से नहीं होगा और अपराधियों को सजा नहीं मिल पायेगी। सामान्य रूप से यह होता है कि पीठासीन-न्यायाधीश या अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को न्यायालयों अथवा विशेष न्यायालयों को स्थापित करने का अधिकार होता है, और इसलिए ....

श्री तम्पन थामस : महोदय, किस विषय पर चर्चा हो रही है ? मेरे विचार से पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने पर चर्चा हो रही है।

श्री शांताराम नायक : जब हम राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में बोल रहे हैं तो मैं गृहमन्त्री महोदय, से एक बात जानना चाहता हूं। जहां तक आज विद्यमान स्थिति का सम्बन्ध है, हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान में अनेक घटनाएं घटी हैं तथा पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार सत्ता में आयी है। जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का सम्बन्ध है,

[श्री शांताराम नायक]

पाकिस्तान में श्रीमती बेनजीर भुट्टो द्वारा शासन का उत्तरदायित्व संभालने के बाद, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है ? क्या भारत सरकार ने इस दिशा में अपने प्रयासों का नवीकरण किया है क्योंकि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार ने हमारे देश के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने का आश्वासन दिया है ? आज पंजाब समस्या के संदर्भ में यह बहुत प्रासंगिक बात है । इसलिए कृपया इस पहल पर प्रकाश डालें ।

दूसरे, राज्यपाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है जिसमें कोई चुनी हुई सरकार स्थिरता के साथ राज्य का शासन चला सके । यह समस्या की जड़ है हमारे संविधान के अनुसार जब तक कोई सरकार संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्य नहीं कर सकती तब तक हम चुनी हुई सरकार नहीं बना सकते अभी यह प्रश्न पूछा गया कि जब पंचायती चुनाव कराये जा सकते हैं तो विधान सभा के चुनाव क्यों नहीं कराये जा सकते मैं निवेदन करता हूँ कि संचालन का ढांचा, मूलतः संचालन की अग्रणी संस्था विधान सभा है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं । यदि सरकार सभी स्तरों पर चुनावों को टालना चाहती तो वे पंचायत चुनावों को भी टाल देते । परन्तु वास्तविकता यह है कि सरकार चुनाव आयोजित करने के विरुद्ध नहीं है । कल यदि चुनाव परिणाम इस पक्ष में अथवा उस पक्ष में होते हैं और यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं । प्रश्न यह है कि जब हम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस कार्यवाही का स्वागत करना चाहिए । इसके विपरीत जब हम पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप देश भर में बंध आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं । जब प्रधान मंत्री राजीव गान्धी महात्मा गांधी के स्वप्न को सरकार करने और 'ग्राम राज' स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसका विरोध कर रहे हैं । जब हम पंजाब में पंचायत चुनाव आयोजित कराने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसका विरोध कर रहे हैं । जब हम ग्रामीण व्यक्तियों, गांव के सामान्य व्यक्ति को शक्तियां देने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : हम पंचायत चुनाव कराने के विरुद्ध नहीं है । मेरा प्रश्न केवल यह है कि जब स्थिति पंचायत चुनाव के लिए उपयुक्त है तो विधान सभा चुनावों के लिए ऐसा क्यों नहीं हैं ? यह हमारा तर्क है और हम पंजाब में पंचायत चुनाव कराने के विरुद्ध नहीं हैं । आप इस प्रकार की दोहरी बात क्यों करते हैं ?

श्री शांताराम नायक : प्रश्न यह है कि वे मूलतः पंचायतों को कोई शक्ति दिये जाने के विरुद्ध हैं । वे इस उद्देश्य के लिए भारत बन्ध आयोजित करने जा रहे हैं ।

जहां तक पंजाब की स्थिति का सम्बन्ध है, श्री अयप्पू रेड्डी ने इस बारे में एक संशोधन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है......(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसका उल्लेख मत कीजिए । मैं आपको इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री शांताराम नायक : मेरा तर्क यह है कि उनके तर्क के अनुसार भी उद्घोषणा की अवधि को बढ़ाने के लिए एक मामला है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मेरे संशोधन के बारे में मेरी बात को सुनने के बाद आप उत्तर दे सकते हैं गृह मन्त्री श्री बूटा सिंह नहीं।

श्री शान्ताराम नायक : पंजाब मुद्दे के बारे में आरम्भ से ही प्रधान मन्त्री ने सभी विरोधी दलों को एकजुट करके उनसे मंत्रणा करने की कोशिश की थी परन्तु उन्होंने कोई ठोस सुझाव नहीं दिये। आजकल भी कुछ ऐसे व्यक्ति, जो उनके मित्र हैं, जो राजनैतिक उद्देश्यों के लिए उनके साथ काम करते हैं, वे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और खालिस्तान के सिद्धान्त का प्रचार करने वाले वक्तव्य जारी कर रहे हैं, क्योंकि वह व्यक्ति उनका राजनैतिक सहयोगी है और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस व्यक्ति से वे भली भाँति परिचित हैं। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा।

श्री अमल दत्ता : वह क्या कर रहे हैं ? उन्हें बोलने की अनुमति मत दीजिए।

श्री शान्ताराम नायक : वह राष्ट्रीय मोर्चे का अभिन्न अंग हैं। उस व्यक्ति ने अमरीका जाकर एक निजी टी. वी. नेटवर्क को एक साक्षात्कार दिया था और खालिस्तान के सिद्धान्त का प्रचार किया था। आपको यह जानकार हैरानी होगी कि उस व्यक्ति के टी. वी. साक्षात्कार के तुरन्त बाद ही एक ज्योतिषी द्वारा एक अन्य साक्षात्कार लिया गया था जिसमें उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी अब प्रधान मन्त्री के विरुद्ध एक प्रयास सफल होगा।

अतः जिस व्यक्ति का नाम लेने से मैं इन्कार करता हूं, उस व्यक्ति का अन्य लोगों अर्थात ज्योतिषी से सम्बन्ध पूर्णतया प्रमाणित हो चुका है वह उनका सहयोगी है। उन्होंने कहा है कि वे खालिस्तान का समर्थन नहीं करते थे। परन्तु व्यवहारिक रूप में वह उस राजनैतिक दल के सदस्य हैं। वे पंजाब में इस प्रकार की राजनीति में लिप्त हो रहे हैं। वे पंजाब की स्थिति में सुधार का समर्थन नहीं करते हैं। ... **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता : यह सब क्या है ?

क्या विरोधी पक्ष के किसी व्यक्ति ने कहा है कि हम खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं ? मैं यह नहीं जानता कि आप उन्हें इस प्रकार बोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

प्रधान मन्त्री ने भी इस बारे में उल्लेख किया और इसे वापस लेने के लिए उन्हें दो बार सदन में आना पड़ा।

(व्यवधान)

वे उसी बात को दोहरा रहे हैं और आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे रहे है। मैंने आरम्भ में ही उस बात का विरोध किया था कृपया इस सम्पूर्ण बात को कार्यवाही वृतान्त से अभी निकाल दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वे किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : इस बात को रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई विशेष आरोप लगाया गया है तो मैं इस बारे में विचार कर सकता हूं। परन्तु यदि इसमें कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है तो मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से कैसे निकाल सकता हूं ? मैं सदन में किसी सदस्य को यह नहीं बता सकता कि उसे क्या कहना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक, आप अपनी मुद्दे पर आइये।

श्री शान्ताराम नायक : मैं अपने विषय के अन्तर्गत ही बात कह रहा हूं। आप उनके कहने पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं अपने विषय के अन्तर्गत बात नहीं कर रहा हूँ।

मेरा तर्क यह है कि इस सदन के रिकार्ड से इस बात की पुष्टि होती है कि उन्होंने कभी भी अपना सहयोग नहीं दिया है।

* *

श्री अमल दत्ता : वे पुनः सम्पूर्ण बात को दोहरा रहे हैं। किसने क्या किया है ? आप एक उदाहरण दीजिये। हम इस मामले को उठायेंगे। .. (व्यवधान) प्रधान मन्त्री महोदय ने कुछ कहा था और उन्हें अपनी बात को वापस लेना पड़ा था। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक, कृपया किसी विवादास्पद विषय को बीच में मत लाइये। मैं इस बात पर ध्यान दूंगा।

श्री अमल दत्ता : आप इसे कार्यवाही वृतान्त से क्यों नहीं निकाल देते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड की जाँच करूंगा मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि क्या इसमें कोई आपत्तिजनक बात है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : श्री नायक उच्च सदन के एक सदस्य द्वारा दिये गए साक्षात्कार का उल्लेख कर रहे थे।.... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। विरोधी पक्ष के सदस्य इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। अतः कार्यवाही वृतान्त के उस भाग को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री हरीश रावत : श्री नायक ने यह नहीं कहा है कि विरोधी दल खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : खालिस्तान का समर्थन किसने किया था ? हमने कभी भी खालिस्तान का समर्थन नहीं किया था (व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपको यह बता चुका हूँ कि मैं रिकार्ड की जांच करूंगा। यदि उसमें विरोधी पक्ष के विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया है तो उस भाग को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री अमल दत्ता : ऐसा पहले भी हो चुका है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता मैं आपको यह बता चुका हूं कि विरोधी दलों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)

श्री शांताराम नायक : सरकार ने आतंकवादियों की गतिविधियों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से इस सदन में 5-6 से अधिक विधेयक और संशोधन प्रस्तुत किये हैं। कई अवसरों पर अध्यादेश भी जारी किये गये थे। कई बार नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को उठाया गया था और गत चार वर्षों के दौरान सदन ने उन विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की थी। उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड मेरी इस बात की पुष्टि करेगा कि आतंकवाद और खालिस्तान का विरोध करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए इन विधानों, अध्यादेशों और संकल्पों का समर्थन उन्होंने नहीं किया है। (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्ता : यह बात ठीक नहीं है। आप रिकार्ड देखिये। (**व्यवधान**)

श्री शांताराम नायक : उन्होंने सभी मुद्दों पर सरकार का विरोध किया है। आतंकवाद को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा लाये गये सभी अध्यादेशों का उन्होंने विरोध किया है। इससे क्या जाहिर होता है? (**व्यवधान**) किसी भी मामले में उन्हें कोई सरोकार नहीं है...... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री शांताराम नायक : किसी भी स्थिति में वे पंजाब से सम्बन्धित हैं, परन्तु वे प्रशासन से सम्बन्धित नहीं हैं। मैं प्रशासन के बारे में कुछ बातें कह रहा हूं। न्यायालयों में इस बारे में कई मामले दर्ज किये जा रहे हैं। इस विधेयक में कुछ अच्छे उपबन्ध भी हैं यद्यपि यह एक अस्थाई विधान है...(**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : वह अभी भी दूसरे मुद्दे पर बोल रहे हैं। वह एक विधेयक पर बोल रहे हैं।

श्री शांताराम नायक : इस अधिनियम के अन्तर्गत फिलहाल आतंकवादी गतिविधियों पर नियन्त्रण रखा जा रहा है (**व्यवधान**) यदि कुछ निहित उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती। मैं इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ।

अनेक मामलों में, साक्षी अदालतों में आते हैं। क्योंकि वे अपनी सुरक्षा के प्रति डरते हैं इसलिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं माननीय मंत्री से कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। साक्षियों की सुरक्षा प्रदान करने वाली धारा 16 के सम्बन्ध में क्या इस विधेयक के बनने के बाद साक्षी आगे आ रहे हैं? यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है...(**व्यवधान**)

[श्री शांताराम नायक]

यह व्यवधान क्यों हो रहा है ? मैं यह समझ नहीं रहा हूँ। पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस पर उन्हें विश्वास नहीं है। अब जो कुछ संसद में हो रहा है, वे उस पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्हें किसी में भी विश्वास नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : कार्यसूची में संशोधन से कांग्रेस के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। (**व्यवधान**)

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : वे सदस्य की घेराबन्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है वह कुछ अप्रासंगिक कह रहे हैं; लेकिन वे इसका उत्तर बाद में दे सकते हैं। यह संसदीय तरीका नहीं है। वह नये सदस्य हैं और बोलने का प्रयास कर रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है। वे जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये। व्यवस्था बनाए रखिए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अमल दत्ता जी, मैं आपको अनुमति नही दे रहा हूँ। आपका वक्तव्य कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सदस्यों से यह अनुरोध है कि जब एक सदस्य बोल रहा है तो वे व्यवधान न डालें। यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे उसे उठा सकते हैं यह उन पर निर्भर है। लेकिन यदि वे इस दौरान टिप्पणी अथवा आपत्ति करेंगे तो यह उचित नहीं है। यह अन्य सदस्यों पर भी लागू होता है।

आप लगातार बोलते ही मत जाइए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

(**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : महोदय, व्यवस्था के एक प्रश्न पर (**व्यवधान**) मुझे लगता है कि सदस्य को गलतफहमी है।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं यह कह रहा हूँ कि वह अप्रासंगिक बोल सकते हैं; लेकिन वे एक सदस्य की इस तरह से घेराबन्दी नहीं कर सकते। यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। यह अनुचित है। (**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : मुझे लगता है कि वह किसी अन्य विषय पर बोल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह प्रासंगिक नहीं है।

श्री तम्पन थामस : सदस्य ने इसे गलत समझा है; इसका विषय से कोई सरोकार नहीं है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्य मुझे देखना है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि उन्हें नियम का पता न हो तो क्या किया जाए ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रासंगिक है या नहीं, यह मुझे देखना है। कृपया लगातार बोलते ही मत जाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ।

श्री अमल दत्ता : आरोपों के बारे में क्या कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रारम्भ में ही कह चुका हूँ कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं होंगे। मैं आपको यह कह रहा हूँ।

श्री सी० माधव रेड्डी : हम तो अध्यक्ष पीठ की मदद ही कर रहे हैं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हर कोई शोर मचा रहा है। यही तो समस्या है।

श्री तम्पन थामस : जब वह पंजाब में राष्ट्रपति शासन पर चर्चा के दौरान केरल के बारे में बोलते है तो आप कैसे अनुमति दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नायक जी, अब कृपया विषय पर बोलिये।

श्री शांताराम नायक : महोदय, यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाये कि मुझे रोका गया, मुझे विषय पर बोलने नहीं दिया गया। मैं अब बैठ रहा हूँ। उन्होंने व्यवधान डाला है। यह कार्यवाही-वृतान्त में शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय उन्हें क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब जो होगा उसके बारे में आप जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : यह कोई तरीका नहीं है। यह बहुत गलत बात है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : एक वरिष्ठ सदस्य होने की हैसियत से श्री अमल दत्ता का व्यवहार अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अमल दत्ता : इन आरोपों को अनुमति क्यों दी जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आरोप नहीं है।

श्री अमल दत्ता : इसे आप कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आरोप नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो इसके विपक्ष में तर्क है। चौधरी जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री शांताराम नायक : मैं इसे आप पर बाद में लागू करूंगा जैसे कि श्री चटर्जी ने बाद में भाषण जारी रखने के लिये किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : नायक जी, यदि आप भाषण जारी रखना चाहते हैं। तो आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो अपना भाषण जारी रख सकते हैं। मैं आपको बाद में अनुमति नहीं दे सकूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : यह अपना भाषण समाप्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शांताराम नायक, क्या आप भाषण जारी रखना चाहते हैं ?

श्री शांताराम नायक : जी हां, लेकिन वे व्यवधान डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप भाषण जारी रखना चाहते हैं तो अब जारी रखिये। लेकिन यदि आप इसी विषय पर बाद में भी बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। अन्यथा, मैं श्री चौधरी को बुलाता हूं।

श्री शांताराम नायक : उन्होंने व्यवधान डाला है। मैंने आपको कहा कि यह कार्यवाही बृतान्त में सम्मिलित हो।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप भाषण जारी रखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपना भाषण पूरा कर सकते है। लेकिन बाद में यह मत कहना कि मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया जब कि आप बोलना चाहते थे। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री शांताराम नायक : इस प्रकार आप एक बार श्री सोमनाथ चटर्जी को समय दे चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह मुद्दा नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसी समय सभा में कहा था कि आप इसे एक परम्परा के रूप में उद्धत नहीं कर सकते। अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब कृपया शान्ति बनाए रखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनते है।

श्री शांताराम नायक : जहां तक पंजाब का संबंध हैं, सरकार को बार-बार अवधि बढ़ाने के लिए सभा के सम्मुख आना पड़ता है और विपक्षी दल सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक समाधान है जिसे आप स्वीकार करें या न करें, आप सहमत हों या सहमत न हों। क्योंकि यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उचित तरीके से चलने दिया जाता तो अवधि बढ़ाना इत्यादि सब ठीक होता। सभा के सदस्य की हैसियत से मैं सुझाव दे रहा हूँ और यह सरकार पर निर्भर है कि वह इसे माने या न माने, पंजाब को कुछ अवधि के लिये विधान सभा के बगैर संघ-राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया जाये। संविधान के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि इसे विधान सभा सहित एक संघ-राज्य

क्षेत्र या इसके बगैर संघ-राज्य क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसलिए संविधान में संशोधन करके स्थिति के सुधरने तक कुछ अवधि के लिए पंजाब को एक संघ-राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। तब कोई विधान सभा नहीं होगी और किसी अवधि को बढ़ाने, उद्घोषणा करने और कोई अन्य समस्या उस अवधि में नहीं होगी। (**व्यवधान**) इस समस्या का केवल यही समाधान है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान का एक और अतिक्रमण कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उन्हें अभी अनुमति न दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सैफुद्दीन चौधरी बोले।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पंजाब राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव एक बार फिर से हमारे सम्मुख है और हमें इस पर बोलना है। संविधान में राष्ट्रपति शासन की सामान्य व्यवस्था की अवधि समाप्त हो चुकी है और इस समय सरकार को पंजाब में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिये संविधान के 59 वें संशोधन के निहित उपबन्धों का प्रयोग करना पड़ा है।

आप यहां इस सभा से इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति लेने आये हैं। यह पंजाब में सामान्य स्थिति कायम करने के प्रति सरकार की विफलता की सुस्पष्ट स्वीकृति है और इसके लिए आपने ऐसे अनेक विधान बनाए जो कि लोकतन्त्र-विरोधी थे। आपने पंजाब में सामान्य स्वतन्त्रता तथा आजादी पर अंकुश लगाने के लिए अनेक मौजूदा कानूनों को लागू करने का प्रयास किया। हमने उन दिनों इन कानूनों का विरोध किया था। हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति शासन या कठोर वैधानिक उपायों से आप पंजाब जैसी स्थिति से नहीं निपट सकते हैं। यह साबित हो चुका है कि इस प्रकार के कड़े प्रशासनिक उपायों, पुलिस उपायों जैसी स्थिति से नहीं निपट सकते। हमने यह अनेक बार कहा है। मैं नहीं जानता कि जो हम महसूस कर रहे है क्या सरकार भी वही महसूस कर रही है और क्या आप यह वास्तव में समझ गये हैं कि पंजाब समस्या का स्थाई हल निकालने का एकमात्र रास्ता यही है कि पंजाब के लोगों के सक्रिय सहयोग से एक राजनैतिक हल निकाला जाए।

राष्ट्रपति शासन की उपलब्धियों को मापने के लिए आप कोई भी पैमाना ले लीजिए। यदि आप लोगों की हत्याओं को लेते हैं तो राष्ट्रपति शासन के दौरान लोगों की हत्याएं ज्यादा हुई हैं बनिस्पत बरनाला शासन के। मुख्य रूप से इस बहाने से आपने उस सरकार को गिरा दिया। हो सकता है एक विशेष स्थिति पैदा हो जाये जिसमें आपको राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसे कुछ उपाय करने पड़ें। परन्तु पंजाब के मामले में, जब इस मामले को सभी राजनैतिक दलों ने राष्ट्रीय मुद्दा समझा जाता था तो राष्ट्रपति शासन लागू करना ही अमंगलकारी था। आपने लोगों तथा राजनैतिक दलों से परामर्श नहीं किया जो पंजाब में आतंवाद का खात्मा देखने के लिए कृतसंकल्प और जो लोगों को शामिल करने पर बल दे रहे थे।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमने आपसे कई बार परामर्श किया था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पंजाब में सामान्य प्रजातांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के बारे, में हमारे सामने इस बात की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि यह कब बहाल होगी। सरकार में हमारा कोई विश्वास नहीं है और यह भी कि वे पंजाब में क्या करना चाह रहे हैं क्योंकि गत वर्षों में कम से कम दो बार यह समस्या समाधान के बहुत करीब पहुँच गई थी। मैं समझौते से पहले की बात कर रहा हूं। समझौता होते ही तथा उसके बाद बहुत गम्भीर स्थिति में लोग चुनावों में भारी संख्या में आतंकवाद के खिलाफ तथा समझौते के पक्ष में अपना मत देने आये, क्या सरकार अब हमें यह बता सकती है कि वह वास्तविक अवसर क्यों खो दिया था? यहां हमें अपने आप से यह सवाल पूछना होगा और यदि हम उस समय घटनाओं का विश्लेषण करने में असफल रहे, सरकार की हिचकिचाहट, आपने जो अवसरवादी रवैया अपनाया था, तो हम नहीं जानते कि पंजाब समस्या का कोई वास्तविक समाधान हो सकता है या नहीं पंजाब की स्थिति के पीछे हम सभी जानते हैं कि विभिन्न एजेंसिया काम कर रही हैं, साम्राज्यवादी एजेंसियों कैसे काम कर रही हैं सीमा पार से आतंकवादियों को मदद कैसे दी जा रही है उन्हें कैसे उकसाया जा रहा है, सीमा पार से उन्हें कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह हम सब जानते हैं, परन्तु हमें अपनी भूमिका भी अदा करनी है। केन्द्र सरकार को भी अपनी भूमिका अदा करनी है। हमें यह देखना है कि क्या इसमें असफलता वास्तव में स्थिति को बदतर बना रही है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं है। आपरेशन ब्लेक थंडर के बाद दूसरा अवसर मिला था परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया। क्यों? अब आप यह कहते जा रहे है कि सभी राजनैतिक दल अप्रसांगिक बन गये हैं। आपके राज्यपाल यह बात कहते हैं। आपके मन्त्रीगण यह बात कहते हैं। क्या यह विशेष बात अब कहना ठीक है कि कौन अप्रासंगिक हो गया है और कौन नहीं? हो सकता है यह एक दल हो या दूसरा मैं नहीं जानता। परन्तु प्रश्न यह है कि नीति के रूप में क्या यह कहना विवेकपूर्ण है। इससे केवल आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वे यह सोचेंगे कि वे पंजाब में सभी राजनैतिक दलों को अप्रभावी बनाने में कामयाब हो गये हैं। आप यह क्यों नहीं कहते कि कुछ राजनैतिक दल हैं जो अप्रासंगिक बन गये हैं? मैं सभी राजनैतिक दलों के बारे में नहीं कहूंगा परन्तु कुछ राजनैतिक दल हैं जो वास्तव में आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। इन्हीं राजनैतिक दलों ने सैकड़ों बार एक साथ लोगों के पास जाने की पेशकश की है। इस संदर्भ में "विलेज रिजिस्टेंस ऑरगेनाईजेशन्स" स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया और मैं विश्वास करता हूं कि, सरकार ने भी हाल ही में "विलेज रिजिस्टेंस कमेटीज" के लिए स्वीकृति दे दी है और प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में कुछ संकेत भी दिया है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री द्वारा की गई घोषणा से लेकर अब तक इस संबंध में क्या ठोस कार्य हुआ है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण माँग है जो हमने वर्षों पूर्व उठाई थी। इस बात की आवश्यकता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। केवल पुलिस की ही सहायता से ही लोगों के साथ इसके सम्बन्ध को अलग रख कर आप आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। केवल अपने राज्यपाल अथवा उच्चधिकारियों पर अधिक निर्भर रहने से ही आप ऐसा नहीं कर सकते......(**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : पंजायती राज के लिए चुनाव कराये जाने वाले हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि सरकार पंजाब में पंचायती चुनाव कराने वाली है। परन्तु इस सम्बन्ध में भी आपकी क्या कार्ययोजना है? क्या ये केवल घोषणायें ही हैं? फिर प्रधान मन्त्री का कहना है कि कुछ जिले आतंकवाद गतिविधियों से

मुक्त हैं और आप उन जिलों में चुनाव कराने वाले हैं। परन्तु आप ये चुनाव कब कराने जा रहे हैं ? उन जिलों में जहां आतंकवाद नही में। वहां चुनाव पहले क्यों नहीं कराये गये ? सरकार द्वारा यह देखने का प्रयास क्यों नहीं किया गया कि यदि इस निचले स्तर पर चुनाव हो जाते हैं तो क्या होता है ? यह विधान सभा के लिए चुनाव कराने हेतु और उपाय करने के लिए एक साधन हो सकता था। अतः मेरा विश्वास है कि सरकार पूरी तरह चकरा गई है।

एक मन्त्रीमण्डलीय उप समिति स्थापित की गई थी। महीनों तक इसकी बैठक नहीं हुई। अब कुछ दिन पहले इसकी बैठक हुई थी। पंजाब समस्या के समाधान हेतु इस उप समिति के ठोस विचार क्या हैं ? हम किसी प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार हैं। आतंकवाद से लड़ने हेतु लोगों के पास जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये हम तैयार हैं। परन्तु आप क्या करने जा रहे हैं ? यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि राज्यपाल ने यह कहा है कि लोक सभा चुनावों से पहले पंजाब समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसका क्या अभिप्राय है ? इसका अर्थ है बहुत बुरा कभी-कभी ""(व्यवधान) इसलिए, लोक सभा चुनावों तक पंजाब को इसी स्थिति में रहना होगा। इससे किसके स्वार्थ पूरे होंगे ? इसका लाभ उठाने की कोशिश कौन कर रहा है ? मैं नहीं जानता। जब सत्ता पक्ष के लोग इस तरह बोलते हैं तो इस तरह के नाजुक प्रश्न पूछे जा रहे हैं फिर इसमें कुछ निहित स्वार्थ पाये जा सकते हैं। मैं इस विषय में बहुत गहराई तक नहीं जाना चाहता परन्तु इस तरह के कथनों को तत्काल बन्द करना होगा। हो सकता है कि आज, हो सकता है कल या परसों पंजाब सामान्य प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बहाल करने हेतु हम ये उपाय अपना सकते हैं। परन्तु अब हमें यह कहते रहना चाहिए कि हम ठीक वही करने के लिए कदम उठा रहे हैं। यह बात है जो बहुत आवश्यक है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रशासन में, हो सकता है कि सरकार में, लोगों में विश्वास कायम करने में सहायक होगी, निगरानी तन्त्र है जिसका वायदा पुलिस द्वारा लोगों पर की गई ज्यादतियों की जांच करने हेतु किया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बहुत से आरोप लगाये गये हैं कि पुलिस भी पंजाब की अजीब स्थिति का फायदा उठा रही है लोगों को तंग कर रही है, पैसा ऐंठ रही है तथा इन सब बातों से पंजाब के लोगों को विरोधी बना रही है। अब सरकार ने यह समिति बनाने के लिये क्या ठोस कदम उपाय किये हैं और उनके क्या कार्य-कलाप हैं—यह बहुत महत्वपूर्ण है तथा किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा या उनके किसी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी भी गलत काम के लिए उन्हें उचित दण्ड दिया जाना चाहिये। यह बहुत नाजुक और अतिसंवेदनशील स्थिति है। लोगों को तंग किये जाने की बहुत सी घटनायें हैं जहां कार्यरत लोगों को उनकी हक की वस्तुओं से वंचित कर दिया, उनकी मजदूरी इत्यादि देने से मना कर दिया। महोदय अब वे प्रशाशन से कोई सम्पर्क नहीं रख सकते। यह पंजाब में बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं वहां गया था, लोगों ने हमें बताया कि उन्हें यह नही मालूम कि किससे मिला जाये। अधिकारी मिलते नहीं हैं, वे उनसे नहीं मिलते हैं। और पंजाब में प्रजातन्त्र बहाल करने हेतु यह अलगाव सहायक नही होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : यही कारण है कि पंचायती चुनाव लाये जा रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पंचायत के मामले में, मैं उन्हें विधान सभा चुनाव कराने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। परन्तु आपने पंचायत चुनावों का वायदा किया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे चुनाव करा रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप इसके लिये समय सीमा रखिये विधान सभा चुनावों के लिए नहीं। (**व्यवधान**)

महोदय, अब स्थिति को देखते हुये सबसे महत्वपूर्ण इस बात की आवश्यकता है कि हम, सभी राजनैतिक दल, पंजाब को बचाने के बारे में चिंतित हैं। मेरा विश्वास है कि अब हमारे सामने एक अन्य अवसर आ रहा है जिससे हम वास्तव में पंजाब समस्या के समाधान हेतु स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। जैसाकि सही कहा गया है कि आतंकवादी जिन्हें सीमा पर से सक्रिय सहायता मिल रही है—उस स्थिति में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन से थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधार हो और पंजाब में आतंकवादियों की जो गतिविधियों हैं, गृह मन्त्री ने स्वयं कहा है उनमें कमी आ रही हैं और यह बहुत अच्छा संकेत है। अब, इस स्थिति में यदि हम एक होकर, अपने संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थो, चुनाव इत्यादि स्वार्थों को भूल कर, लोगों के पास जायें तो हम वास्तव में स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या आप सोचते हैं कि वे इसे भूल जायेंगे ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं भूल रहा हूं।

दूसरी बात जो कहनी है यह है कि गृह मन्त्री, श्री बूटा सिंह ने साम्प्रदायिक स्थिति पर जबाब देते हुए कहा था कि कुछ राजनैतिक दल एक दृष्टिकोण नहीं अपना रहे हैं क्योंकि पंजाब, हरियाणा तथा चण्डीगढ़ में उनकी इकाइयों के विचार अलग-अलग हैं। मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं करता। यह बहुत नुकसानदेह है। परन्तु आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री सत्यपाल डांग ने एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस (आई) की हरियाणा, पंजाब तथा चण्डीगढ़ इकाइयां मन्त्री मण्डलीय उप समिति से अलग-अलग मिलीं और अलग-अलग तथा विरोधी प्रस्ताव रखे। यह भी खतरनाक है। कुछ विपक्षी दल क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, आप उसकी आलोचना कीजिये, मुझे इस पर पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने दल के संबंध में उसके विरुद्ध आपको कड़े उपाय करने होंगे। आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। कांग्रेस (आई) का क्या संकल्प है ? आप यह देखने का प्रयास करें कि आपकी सभी इकाइयां इसे स्वीकार कर लें। हम भी यह देखेंगे कि सब इसे स्वीकार कर लें। हमने कांग्रेश (आई) या केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार को कमजोर बनाने के लिये पंजात्र की स्थिति का फायदा कभी भी नही उठाना चाहा। हमने कभी भी ऐसा करना नहीं चाहा किन्तु सरकार ने ही स्वयं देश में लोकतन्त्र के रास्ते में बाधा पहुँचाने के लिए पंजाब की स्थिति का फायदा उठाना चाहा था। यदि श्री रामचन्द्र रेड्डी ने यह आशंका व्यक्त की है कि पंजाब की स्थिति को ऐसा ही बनाये रखा जाएगा ताकि इसका फायदा उठाकर चुनावों को टाला जा सके तो मेरी भी यही राय है। सरकार ऐसा कर सकती है; उन्हें हमें इस बारे में बताना चाहिए। मेरा विश्वास है कि पंजाब में नई स्थिति पैदा हो रही है जिसमें जनता सक्रिय हो सकती है, आतंकवाद का सामना किया जा सकता है और कुछ राजनैतिक दल-मुझे आशा है कि सभी राजनैतिक दल— उस प्रक्रिया में सरकार की तथा स्वयं अपनी मदद करेंगे। किन्तु हमें घुट-घुट राजनैतिक उद्देश्यों के लिये इस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैं आखिरी मुद्दा उठाना चाहता हूं। पंजाब समस्या के समाधान के लिए क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी ? जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे, क्या समाधान का मुख्य आधार वही रहेगा ? आपको हमें यह बात स्पष्ट रूप से बतानी होगी। हमें विश्वास है कि अब भी यह समझौता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन सरकार को हमारे देश की राजनैतिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिये कुछ यतार्थ उपाय करने होंगे। उदाहरण के लिये, यदि चण्डीगढ़ पंजाब को मिलता है तो कुछ भूमि हरियाणा को मिलेगी। कितनी भूमि हरियाणा की तरफ जायेगी और कितनी नहीं जायेगी, यह दूसरी बात है। यदि चण्डीगढ़ पंजाब को मिलता है तो हरियाणा की दूसरी राजधानी होना जरूरी है। अतः उसे ध्यान में न रखकर कि क्या यह पहले ही पंजाब को दिया जा चुका है अथवा नहीं, क्या आपने हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

[हिन्दी]

कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन बनाता है और कौन पैसा देता है ?

[अनुवाद]

आप पता क्यों नहीं लगाते ? वे उनसे बातचीत क्यों नहीं करते ? केवल तभी जनता और स्वयं मैं भी यह महसूस करूंगा कि आप चण्डीगढ़ पंजाब को देने के मामले में गम्भीर हैं क्योंकि आप पहले ही हरियाणा के लिये नई राजधानी का निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं। पंजाब की जनता का विश्वास बनाये रखने के लिये आपको ये कदम उठाने होंगे। इस बीच हम इस स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाने के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन अब वास्तव में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जबकि हम आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफल भी हो सकते हैं। हमें वह अवसर खोना नहीं चाहिये नहीं तो यह देश के लिये विनाश का कारण बन जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, यह चौथी बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नही चाहेगा कि कोई भी देश का एरिया राष्ट्रपति शासन या गवर्नर शासन के अन्तर्गत आये, लेकिन पंजाब में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सरकार के सामने इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। केन्द्र की सरकार को किसी राज्य की परिस्थितियों के आकलन में कि वहां गवर्नर शासन लागू किया जाये या आगे के लिये एक्सटेंड किया जाये या नहीं इनमें जो राज्य की कांस्टीट्यूशनल मशीनरी हैं, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में, जो केन्द्र सरकार को भेजी है, उसमें साफ तरीके से यह कहा है कि वर्तनान परिस्थितियों में पंजाब की विधान सभा के चुनाव करवाना सम्भव नहीं है और हम भी इस बात को देख सकते हैं कि इतनी जल्दी में, कम समय के अन्दर चुनाव करवाकर कांस्टीट्यूशनल मशीनरी को, इलेक्टेड मशीनरी को वहां पर स्थापित करना सम्भव भी नहीं है। अपोजीशन के ही लोग नहीं, हमें भी इस बात से बहुत दुख है कि जिस पंजाब के लोगों ने आजादी से पहले हिन्दुस्तान में लोकतंत्र लाने के लिए, देश की स्वतन्त्रता के लिए सबसे आगे बढ़कर कुरबानी की और देश की आजादी के बाद जब भी हमारे लोकतंत्र के ऊपर संकट आया, जब भी सीमाओं पर संकट आया, पंजाब के लोगों ने अपने बलिदान के जरिये देश को और लोकतंत्र को

[श्री हरीश रावत]

बचाया। आज नहीं, पंजाब में वर्षों तक यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सके तो यह चुनौती केवल सरकार के लिए नहीं, यह चुनौती हम सब के लिए है. जो भी व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाले हैं, उनको इस चुनौती का सामना करना होगा और विशेष तौर पर पंजाब में जो राजनैतिक दल हैं, उनके अगुवा हैं, उनके मुखिया हैं उनको इस चुनौती को सामने लेकर आगे आना चाहिए, अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर आगे आना चाहए। मैं यहां पर गवर्नर शासन की तारीफ करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन यह हकीकत है कि 1987 में जब पंजाब असेम्बली भंग करके वहां की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय पंजाब में बिल्कुल असामान्य परिस्थितियां थीं। ग्यारह बार टैरेरिस्ट आर्गेनाइजेशंस, जो खुलेआम देशद्रोह की बात करते थे, बसों में, सार्वजनिक स्थानों में भिण्डरावाले के खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाये जाते थे, टेप सुनाये जाते थे भोग सैरेमनीज के जरिये लोगों की भावनाओं को उभारने की कोशिश की जाती थी, धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग किया जाता था, हत्याएं होती थीं और न केवल एक धर्म विशेष के बल्कि किसी भी धर्म के व्यक्ति के ऊपर, चाहे वह सिख हो बल्कि सबसे ज्यादा अत्याचार उन दिनों सिखों के ऊपर हुए थे, सिख टैरेरिस्टों का सबसे पहला शिकार हुए हैं क्योंकि जो भी रीजनेबल सिख होता था, जो उनकी बात में नहीं आता था, उसकी सबसे पहले हत्या की जाती थी या उसको सबसे पहले दबाया जाता था। ऐसी परिस्थिति में वहां की तत्कालीन सरकार को बर्खासत किया गया और बर्खास्त करने के बाद जो पहला साहसिक कदम उठाया गया वह था आपरेशन ब्लैक थण्डर का, कुछ राजनैतिक दलों के द्वारा इसका विरोध किया गया, पंजाब में, लेकिन अमूमन सारे देश ने एकमत से उसका स्वागत किया और यह सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरुप आज गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के लोगों ने भी कहा है कि आपरेशन ब्लैक थण्डर के बाद वहां भक्त और श्रद्धालू लोग ज्यादा जा रहे हैं, उनकी आफरिंग बढ़ी है, इस स्टैप के बाद। मेजर स्टैप के रूप में आपरेशन ब्लैक थण्डर को उठाया गया और उसके बाद आज यह कहा जा सकता है कि स्थिति सामान्य बनाने की दिशा में राष्ट्रपति शासन के दौरान बहुत सारे कदम उठाये गये, विशेष तौर पर लॉ एण्ड आर्डर के फ्रण्ट पर ऐसे कदम उठाये जिनका प्रभाव दीर्घकालीन रुप में पड़ेगा। आज हम यदि पंजाब के अन्दर विधान सभा के चुनाव की बात कह सकने की स्थिति में भी नहीं हैं तो हम यह कह सकने की स्थिति में तो हैं कि हम वहां पर पंचायत के चुनाव करवायेंगे। 1987 में, 1988 के बाद या 1988 के पूर्वार्द्ध में कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में था, कोई भी राजनैतिक दल इस स्थिति में था कि केन्द्र सरकार से कहे कि कि आप चुनाव करवाइये; आप वहां पर विधान सभा गठित करिये, वहां पर राजनैतिक प्रक्रिया तभी प्रारम्भ हो सकती है जब कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आयेगा और मैं समझता हूं कि यदि गवर्नर शासन के दौरान कोई सबसे अच्छी बात हुई है तो वह यह हुई है कि लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन में सुधार आया है। सामान्य लोग ज्यादा बहादुरी के साथ आज आतंकवादियों को मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। आज गांवों के लोग इन्फार्मेशन देते हैं, टैरेरिस्ट के हाइड-आउट और उनके व्हेयर-एबाउट्स के विषय में और लोग खुल कर के उनके खिलाफ बातें करने लगे हैं। सारी कम्युनिटी के लोग चाहे हिन्दू हों, सिक्ख हों या मुसलमान हों, सब मिलकर उनका सामना करने की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे साथी बलवन्त सिंह रामूवालिया जी ने बहस के दौरान् रखे हैं। जिनमें हिन्दू और सिक्ख दोनों ने मिलकर टैरेरिस्टों का मुकाबला

किया है । सिक्कों ने आगे बढ़कर हिन्दू भाइयों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहूति दी है । यह संभव इसलिए हो पाया है कि लोगों की जो मशीनरी वहां पर स्थापित हुई है, जो परिस्थितियां आज की हैं, उसके ऊपर एक विश्वास पैदा हुआ है, एक यकीन पैदा हुआ है ।

मैं इस मौके पर माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने इस सदन में घोषणा की है कि जोधपुर के सारे बंदियों को रिहा किया जाएगा । 437 ऐसे केसेज देशद्रोही आदि के विभिन्न धाराओं के अन्दर पंजाब के कई नेताओं के ऊपर लगे थे, उन सारे मामलों को वापिस लिया गया । पंजाब में विदेशियों के प्रवेश पर जो रोक लगी थी, उसको समाप्त किया गया । डिस्टर्ब एरिया एक्ट और स्पेशल पावर एक्ट को नौ जिलों में समाप्त कर दिया गया है और तीन ऐसे जिले बाकी रह गए हैं, जिनमें ये धारायें इस समय हैं यही नहीं सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रिवान्सेस और डवेलपमेंट कमेटीज भी फार्म की है इन कमेटीज के हैड के रूप संसद सदस्यों को, जनता के नुमाइन्दों को, राजनीतिक दलों के चुने हुए नुमाइन्दों को रखने की बात कही गई है । मैं समझता हूँ कि इन कमेटीज के जरिए भी बहुत हद तक लोगों में कान्फिडेंस, कन्स्टीचूशनल मशीनरी के ऊपर जो हमारी वहां पर है, पैदा हुआ है । जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके ऊपर लोगों का यकीन पैदा होगा और मिल-जुल कर लोग डवेलपिंग प्रोसेस में शामिल हो सकेंगे । इन दो साल के अन्दर राष्ट्रपति शासन के दौरान जो कदम वहां पर उठाए गए है, मैं समझता हूँ कि विपक्ष के मित्र भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पंजाब की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है । आर्थिक फ्रन्ट पर 1981 में, जहां दो से दस प्रतिशत तक घट कर 1982 से 1987 तक तीन प्रतिशत तक हुई है, वह इन वर्षों के दौरान बढ़ कर आठ परसेंट तक पहुंच गई है । चारों फ्रन्ट्स पर आर्थिक क्षेत्र में तरक्की की है पंजाब ने इस तरक्की का टैम्पो बनाकर रखना है तो हमें दृढ़ता के साथ टैरेरिस्टों को टैक्ल करना पड़ेगा । टैरेरिस्टों के साथ उनका मुकाबला करना पड़ेगा । जो मदद उनको बाहर से मिल रही है, उनका राजनैतिक तौर पर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा । मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो साहिब की सरकार बनने के बाद साफ तौर पर कहा गया है कि वहां टैरेरिस्टों को किसी भी प्रकार की मदद पाकिस्तान सरकार नहीं देगी । लेकिन पाकिस्तान के विषय में सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जो कुछ बेनजीर भुट्टो साहिबा कह रही है, वही सब कुछ नहीं है । वहां पर कुछ और भी प्रभावशाली लोग हैं और हमारा बोर्डर इस प्रकार का बना हुआ है, पाकिस्तान में जिस खुले रूप में हथियार मिलते हैं, वे सब हथियार हमारे देश में आने बन्द हो गए हैं या बन्द हो जायेंगे, यह काम कोई भी सरकार नहीं कर सकती है । बोर्डर की स्थिति को देखते हुए यह बात ऐसी हो गई है कि हमेशा-हमेशा हथियारों के आने पर रोक नहीं लग सकती है । पंजाब में जब तक एक भी उग्रवादी मौजूद रहेगा, वह हथियार लेकर कहीं पर भी खड़ा हो सकता है । यही कारण है कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन में सुधार हुआ है, मगर टोटली हत्याओं के मामले में हत्यायें बढ़ी हैं । उनमें जिस प्रकार से घटोतरी होनी चाहिए, उस प्रकार से घटोतरी नहीं हो पाई है ।

हम सब लोग इस बात को मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि पंजाब की समस्या, जैसे मेरे मित्र चौधरी साहब ने कहा, केवल पुलिस के जरिए से हल नहीं हो सकती है और दीर्घकाल तक पुलिस को व्यापक अधिकार देकर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इतने व्यापक अधिकार देकर पुलिस को मैंटली भी करप्ट कर सकते हैं । पुलिस कहीं पर ज्यादती कर सकती है । इससे

[श्री हरीश रावत]

इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी सरकार वहां पर हो और कोई भी गवर्नर वहां पर हो और कोई भी सरकार केन्द्र में हो, यदि पुलिस को इतने व्यापक अधिकार मिले और यदि वे अधिकार दीर्घकाल तक कायम रहेंगे तो पुलिस की ज्यादतियों की संभावनायें बढ़ती रहेंगी।

4.00 म० प०

हमें अन्ततोगत्व बहां का राजनैतिक सौल्यूशन निकालना पड़ेगा और यही करण है कि यह राजनीतिक साल्यूशन निकालने की दिशा में पहला कदम है ताकि सामान्य व्यक्ति में फिर से विश्वास पैदा हो सके, वह विश्वास पैदा हो सके, जो राजीवलोंगोवाल समझौते हुआ था। राजीवलोंगोवाल समझौते को बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने ढंग से इन्टरप्रेट किया है और बहुत सारे लोगों ने उस एकोर्ड को लागू करवाने की दिशा में नाना प्रकार के रोड़े अटकाए हैं। पंजाब के अन्दर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और खुद अकाली दल में ऐसे लोग मौजूद हैं, जिन्होंने राजीव लौंगोवाल समझौते को विफल करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किये लेकिन यह श्रेय राजीव-लौंगोवाल समझौते को ही जाता है कि उस समझौते के बाद पंजाब में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई और आज पंजाब में अगर राजीतिक प्रक्रिया शुरू करनी है, तो उस के लिए बहुत जरूरी है कि राजीव-लौंगोवाल समझौते के ब्रोडर फैमवर्क के अन्तर्गत हमें काम करना होगा। गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि हम पंजाब के अन्दर पंचायतों के चुनाव करवायेंगे। मैं समझता हूँ कि यह पहला कदम हो सकता है और सभी राजनीतिक दलों के हर व्यक्ति को पंजाब के अन्दर पंचायत चुनाव कराने का स्वागत करना चाहिए और अगर हम अपने राजनीतिक विदेषों को भूल कर पंजाब में वे चुनाव सामान्य तौर पर होने दें, यदि पंजाब के अन्दर पंचायतों के चुनाव सामान्य तौर पर होते हैं और सफलता के साथ होते हैं, तो यकीनन बहुत जल्दी पंजाब के अन्दर सरकार इस स्थिति में होगी कि वह विधान सभा के चुनाव भी करवा दे। हम अपने राजनीतिक मतभेदों के कारण और राजनीतिक स्वार्थों से एक दूसरे को कुछ भी कहें लेकिन क्या वास्तव में सरकार ऐसी स्थिति में है, क्या पंजाब के अन्दर ऐसी परिस्थिति है, क्या ऐसे हालात वहाँ पैदा हो गये हैं कि सरकार पंजाब में विधान सभा के चुनाव करवा सके। यदि सरकार पंजाब में विधान सभा के चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है, परिस्थितियां उसको मजबूर कर रही हैं। वहां पर चुनाव न करवाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के अलावा सरकार के सामने कोई चारा नहीं है और इसीलिये सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन की ओर आगे छः महीने बढ़ाने का यह प्रस्ताव लाई है, या संकल्प लाई है और मैं समझता हूं कि इस संकल्प का, इस प्रस्ताव का हमको अपने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण नहीं करना चाहिए बल्कि पंजाब की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए, इसका विश्लेषण करना चाहिए। अगर हम उस तरीके से विश्लेषण करेंगे तो हर पार्टी का हर व्यक्ति इसका स्वागत करेगा लेकिस अगर हम राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर इसका बिश्लेषण करने की चेष्टा करेंगे, तो मुझे शक है कि इससे पंजाब में वातावरण को सुधारने में कोई मदद मिलेगी। इस सदन में हम एक दूसरे पर जो भी आरोप लगाऐंगे, उसका प्रभाव पंजाब में खराब पड़ेगा। इसलिए इस बात के लिए हमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अभी चौधरी साहब ने कहा कि कांग्रेस एक नहीं है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस एक है. उसका राजनीतिक संकल्प एक है इस मामले में कि पंजाब का राजनीतिक हल निकालना चाहिए और पंजाब स्थिति सामान्य होनी चाहिये और पंजाब में राजनीतिक हल

निकालने के लिये स्थिति सामान्य होनी चाहिए और पंजाब के लोगों को फिर से विधान मण्डल गठित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए लेकिन उसके लिये दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, उन को भी उसी तरह से आगे आना चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने पंजाब में बहुत सक्रिफाइस की हैं जैसे सी० पी० आई० के लोग हैं, सी० पी० एम० के लोग हैं और माननीय प्रधान मन्त्री जी ने भी उसकी तारीफ की है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जैसे सी० पी० आई० और सी० पी० एम० के लोग ईमानदारी के साथ वहां पर राजनीतिक प्रक्रिया बनाने में मदद कर रहे हैं और टेररिस्टों का मुकावला कर रहे हैं, उसी तरह से दूसरे लोग भी कर रहे हों। सारे लोगों के लिए सी. पी आई. और सी. पी. एम. के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं हो सकता कि वे उन सारे लोगों के डीड्स और मिसडीड्स को कवर करने की कोशिश करें।

इन शब्दों के साथ में यह जो राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिये जो संकल्प लाया गया है, उसका स्वागत करता हूँ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर कल चर्चा जारी रखेंगे।

4.04 म० प०

नियम १९३ के अधीन चर्चा

जवाहर रोजगार योजना के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 193 के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना के सम्बन्ध में चर्चा करेगी।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव।

श्री वी. शोभानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रधानमंत्री द्वारा 28 अप्रैल, 1989 को इस सभा में जवाहर रोजगार योजना के बारे में दिये गये वक्तव्य के संबंध में चर्चा की अनुमति दी जाए। जैसा कि माननीय प्रधानमन्त्री जी ने 25 अप्रैल, 1989 को इस सभा में बताया जिस तरीके से जवाहर रोजगार योजना बनाई गई है, सर्वप्रथम तो मैं इस पर अपना विरोध तथा कड़ी आपत्ति प्रकट करता हूँ। उन्होंने यह घोषणा की कि सभी वर्तमान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का, जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया जाए, अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों का जवाहर रोंजगार योजना में विलय किया जा रहा है। मात्र दो माह पूर्व, माननीय वित्त मन्त्री श्री एस.बी. चव्हाण ने 1989-90 का केन्द्रीय बजट पेश करते समय कहा था कि सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को मिलाकर एक कार्यक्रम बनाने का है और यह कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा तथा इसलिए 75 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था केन्द्रींय सरकार करेगी और 25 प्रतिशत राज्य सरकार। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार का विचार जवाहर रोजगार योजना शुरू करने का भी है जिसके तहत ऐसे चुने हुए 120 जिलों की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायीं जायेगी जो पिछड़े हुए हैं तथा वहाँ रोजगार की बहुत कमी है।

4.06 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

उन्होंने यह भी कहा कि इस नयी योजना के लिए 1989-90 में करीब 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। किन्तु दो माह की इस अवधि के दौरान बहुत से परिवर्तन आये हैं। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। मन्त्री महोदय को इसके कारण बताने चाहिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम–जिनका विलय करके एक कार्यक्रम बनाया गया था और जिन्हें कि वित्त मन्त्री के बजट प्रस्तावों के अनुसार जारी रखा जाना चाहिए, उन्हें समाप्त करके उनका जवाहर रोजगार योजना में विलय क्यों किया गया।

एन. आई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. योजनाओं विशेषकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी काम किया गया था जो कि उपेक्षित हैं और सड़कें नहीं हैं। कई लाख गाँव ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं। अभी हजारों समस्याग्रस्त गांव ऐसे हैं जहाँ पेय जल उपलब्ध नहीं है। अभी भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां बिजली की सुविधा नहीं है। इन परिस्थितियों में एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. योजनाओं का विलय कर दिया गया है। इन कार्यक्रमों में कुछ कमियाँ हो सकती हैं। माननीय प्रधान मन्त्री के स्वयं 28 अप्रैल को दिये अपने भाषण में स्वीकार किया है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिये दी गई धनराशि का काफी बड़ा हिस्सा ठेकेदारों और दलालों की जेब में गया है। इनकी कुछ अन्य कमियां भी हैं। इन सबके बावजूद, इन योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार हुआ है। ग्रामीण पंचायत स्तर से लेकर मण्डल प्रजा परिषद अथवा जिला प्रजा परिषद तक सभी स्थानीय निकायों ने विभिन्न गांवों की ग्रामीण जनता की समस्याओं के समाधान तथा गांवों की सड़कों में सुधार के लिये कुछ प्रस्ताव बनाए हैं। कड़ी मेहनत से कई परियोजनाएं तैयार की गयी हैं। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वह पंचायत का सरपंच हो या मण्डल प्रजा परिषद या जिला प्रजा परिषद का अध्यक्ष हो अथवा विधायक, सभी ने मिलकर कुछ प्रस्ताव रखे हैं और उन्हें राज्य के मुख्यालय तथा देश की राजधानी में भेजा है। इन बहुत सी परियोजनाओं का क्या होगा? इतनी कड़ी मेहनत से तैयार की गई इन परियोजनाओं का क्या होगा? मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा कि जवाब देते समय वह उस मुद्दे का भी स्पष्टीकरण करें।

हाल ही में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि केन्द्र सरकार का पंचायती राज संस्था के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने के लिये कुछ संवैधानिक संशोधन करने का विचार है। किन्तु संसद सदस्यों के समक्ष कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा गया है। इस पर अभी तक चर्चा नहीं की गई है और कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को धन न देकर सीधे ग्रामीण विकास एजेंसियों को कैसे आबंटित कर दिया है। आप ऐसा क्यों करते हैं और कैसे कर सकते हैं? मैं यह पूछता हूँ। उदाहरण के लिये, आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिये आपने अपने पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1989 के द्वारा 44 करोड़ रुपए भेजे हैं। प्रत्येक जिले के जिलाधीश को कुल 44,05, 58,000 रुपए सीधे भेजे गये थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वास्तव में, यह कुल धनराशि आन्ध्र प्रदेश राज्य से सम्बन्धित जिलों के लिये है और वे इन धन राशियों को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक जिलाधीश को धनराशि सीधे दी गई थी।

मैं यह पूछता हूँ कि भारत सरकार ने यह किस प्रकार किया है। क्या इससे पूर्व ऐसा कोई उदाहरण है जहां आपने राज्य सरकार की उपेक्षा करके जिलाधीशों को सीधे धनराशि भेजी हो ? तब करोड़ों लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकार की क्या स्थिति होगी ? इस सम्बन्ध में संवैधानिक व्यवस्था क्या है ? क्या संवैधानिक व्यवस्था में इन धनराशियों को सीधे जिला मजिस्ट्रेटों को भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार को अनुमति दी गई है।

मैं माननीय मन्त्री से इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कहता हूँ जहां पर केन्द्रीय सरकार ने उपेक्षा की हो और एकतरफा तौर पर, पक्षपातपूर्ण ढंग से तानाशाही तरीके से कार्यवाही की हो और बड़े भाई की भूमिका निभाई हो। मैं केवल इतना पूछता हूँ कि क्या इससे केन्द्र और राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में किसी प्रकार की कोई सहायता मिलेगी ? बहरहाल संविधान ने केन्द्र को कुछ अधिकार दिये हैं और यह भी चाहता है कि देश राज्यों के एक संघ के रूप में फले-फूले और विकास करे। इन परिस्थितियों में आप इस तरह कैसे कर सकते हैं ? संविधान के अन्तर्गत जब तक कि उसमें संशोधन नहीं हो जाता सम्बन्धित राज्य सरकार स्थानीय स्व-शासन और स्थानीय निकायों का प्रशासन चलाएगी/संविधान में संशोधन लाये बिना, संसद द्वारा इसे पास किये बिना तथा आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त किये बिना राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त किये बिना ऐसा किया जा रहा है, सरकार ने ऐसा कैसे किया है ?

मेरा निवेदन यह है कि क्या इससे राष्ट्रीय एकता में सहायता मिलेगी ? क्या आप इससे राज्यों और संघ के बीच दरार पैदा नहीं कर रहे हैं ? यह एक सकारात्मक और स्वस्थ संकेत नहीं है। मेरा सरकार से यह सुझाव है कि वे कृपया अपने इस कदम को वापस लें बात को इतना न बढ़ाइये और मामले को इतना लम्बा न खींचें। इससे लोगों के विशेषकर ग्रामीण लोगों का विकास करने में सहायता नहीं मिलेगी। जब तक केन्द्र और राज्य इकठ्ठे काम नहीं करते और उनके विषय और कल्याण के लिये मिलकर कार्य करने का प्रयास नहीं करते, ऐसा राज्य सरकार की उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि राज्य के मुख्य मन्त्रियों की बैठक जाये और वह बैठक सम्पन्न हो, आपने उन धनराशि को सीधे ही भेज दिया है।

मैं उद्धृत करता हूँ "यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम पंचायतों को संसाधनों का वितरण इस पत्र को जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के अन्दर किया जाना चाहिए।" क्या यह आपकी ज्यादती नहीं है ? क्या आपने संवैधानिक उपबन्धों और सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं किया है जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को कार्य करना होता है ?

मेरा सरकार से सुझाव है कि कृपया इन प्रश्नों पर विचार करें और उन्हें प्रतिष्ठा का मामला न बनाए कभी न करने से देरी भली। आप कृपया इस पर फिर से विचार करें और अपने कदम वापस खींचें। इस धनराशि को राज्य सरकार को भेजिए। राज्य सरकार किसी अन्य योजना की तरह जोकि पहले कार्यान्वित की गई थी और मार्गनिर्देशों के अनुसार, उस धनराशि को इन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सम्बन्धित जिलों को वितरित कर देगी।

अब मैं योजना हिस्से की ओर आता हूं। हमें यह पुस्तिका दी गई थी और मेरे विचार में आपको भी वह मिली होगी। इस पुस्तिका में दी गई सूचना ठीक प्रतीत नहीं होती। और यही मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर माननीय सदस्यों को यह

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

सूचित किया गया है कि औसतन एक निर्धन परिवार को प्रति क्षमादिवस 20 रुपए मिलेंगे और ऐसे परिवारों के लिये 140 दिन उपलब्ध कराए जायेंगे। यह बिलकुल बेतुका लगता है। यह बिल्कुल सच नहीं है। 28 अप्रैल को माननीय प्रधान मन्त्री ने इस सभा में वक्तव्य देते हुए कहा था कि उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इन 440 लाख परिवारों को जोकि गरीबी की रेखा के नीचे हैं, काम दिलाना है। लेकिन इस पुस्तिका में क्या सूचना दी गई है? मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि 440 लाख परिवारों में से, यह आशा की जा सकती है कि उनमें से केवल 20 प्रतिशत ऐसे परिवार इस योजना का फायदा उठा पायेंगे। यह और कुछ नहीं बल्कि एक कल्पना है कि गणना के अनुसार, 440 लाख परिवारों की सहायता की जाएगी। प्रधान मन्त्री कहते हैं 440 लाख परिवारों को और इस दस्तावेज में कहा गया है उनमें से 20 प्रतिशत को और अन्ततः जब इसे व्यवहार में लाया जाएगा, हम नहीं जानते कि क्या यह इन परिवारों के 4 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत तक को ही सहायता पहुँचेगी। मेरा निवेदन केवल यह है कि इस बारे में जो गणना की गई है वह गलत है। उदाहरण के लिये, यदि हम बाराणसी के जिले को लें तो जो कुल धनराशि दी गई है उसमें से औसतन ग्राम पंचायत के लिये यह धनराशि लगभग 56, 142 रुपए आएगी। इस धनराशि में, सामग्री का भाग है तथा मजदूरी भाग है। इससे पूर्व जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजनाएं थी, औसतन, स्थिति यह है कि 50 प्रतिशत से अधिक सामग्री भाग के लिए और 50 प्रतिशत से कम मजदूरी आज के लिए अर्थात श्रम भाग के लिये है। यदि हम हिसाब लगाए, तो उसमें मजदूरी के लिये 50 प्रतिशत रखें। इस मामले विशेष में 99 ऐसे ग्रामीण निर्धन परिवार हैं जोकि गरीबी की रेखा से नीचे हैं। यदि आप हिसाब लगाए, उसमें 28,071 रुपए मजदूरी भाग लिये हैं। तो, उन्हें 283 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे और वह भी पांच लोगों के परिवार को, उन्हें केवल 283 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। उस परिवार को रोजगार दिलाने अथवा उस परिवार की गरीबी दूर करने में इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? माननीय मन्त्री कृपया इसे स्पष्ट करें। यदि हम इसका प्रति दिन का हिसाब लगाए तो यह प्रति परिवार 70 पैसे प्रति दिन बैठता है। अर्थात 16 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दिन। यह स्थिति है। मेरे विचार में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार अथवा बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने में जवाहर रोजगार योजना से कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ने का रहा है।

मैं माननीय मन्त्री को सुझाव देता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यकम जैसी योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना से अलग रखकर जारी रखे। जैसा कि मैंने पहले बताया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसी योजनाओं में काफी कार्य किया गया है। यदि हम इन योजनाओं को तत्काल समाप्त कर दें तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप इस जवाहर रोजगार योजना को अलग से शुरू कीजिए, हम इसका स्वागत करेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ऐसी किसी भी योजना को शुरू करने में सरकार के साथ हैं जो ग्रामीण लोगों की सहायता कर सकती है अथवा जो गरीबी को दूर करने में सहायता कर सकती हैं अथवा जो बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता कर सकती है। हम इस प्रकार की योजना चाहते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इसे एक अलग योजना के रूप में शुरू करना चाहिए और इस प्रकार की योजना को कार्यान्वित करने में, सेवा क्षेत्र के लिये काफी अवसर

हैं। विशेषकर हाल के वर्षों में, सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार के अवसरों में तेज गति से वृद्धि हुई है। ऐसे बहुत से अवसर हैं जिनके माध्यम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी आप शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। ऐसे लाखों स्नातक लोग हैं जोकि नौकरी न मिलने के कारण दुःखी हैं। रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में हजारों इन्जीनियर ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। टाटा और बिड़ला जैसे बड़े एकाधि पतियों और कई अन्य उद्योगपतियों की प्रतियोगिता से छोटे और कुटीर उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करके और उपयुक्त योजनाओं द्वारा आप बेरोजगार लोगों की सहायता कर सकते हैं। आपको इस तरह से विचार करना चाहिए। एक और बात यह है, हालांकि छोटे और कुटीर उद्योगों के लिये कुछ मदें सुरक्षित हैं लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया जाता है··· **(व्यवधान)** ··· मैं समय कम होने के कारण इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें निर्धन लोगों को स्व-रोजगार प्रदान किया जा सकता है। आप कृपया इस पर विचार करें। उदाहरण के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सहायता के क्षेत्र में, अभी भी न केवल डाक्टरों के लिए बल्कि सहवर्ती कर्मचारियों के लिए भी लाखों लोगों के लिए काफी अवसर हैं। यदि आप इन्हें एक साथ लें तो इसमें काफी अवसर हैं। वन सामग्री के बारे में, साल और कई अन्य पेड़ों के बीजों का काफी नुकसान होता है। यदि आप इन लोगों को रोजगार दें तो इन वनों ओर उचित ध्यान दिया जा सकता है। मैंने केवल ये कुछ सुझाव दिए हैं क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा निवेदन केवल इतना है कि जहाँ तक पंचायती राज संस्थाओं को सुचारू बनाने में आपके प्रमाणों का संबंध है, वे आन्ध्र प्रदेश में तेलगु देशम के शासन, केरल और पश्चिम बंगाल में बामपंथी और तमिलनाडु जैसे विपक्षी शासन वाले राज्यों में बहुत ही प्रभावकारी ढंग से और बहुत ही कुशलता पूर्वक कार्य कर रही हैं। इन राज्यों में पाँच वर्षों के अन्तराल के बाद नियमित रूप से चुनाव होते रहे हैं। केवल ऐसे कुछ राज्य हैं, जहाँ पर कांग्रेस (ई०) का शासन है, और वहाँ चुनाव नहीं हुए हैं। मैं भारत सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश में पहले 330 खण्ड थे और अब उन्हें 1091 व्यवहारिक मण्डलों में उप-विभाजित कर दिया गया है···**(व्यवधान)** मैं यह कहना चाहता हूं कि ये चीजें आपने की हैं। मैं आपके नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि दोष वर्तमान संविधान में नहीं है। चुनाव कराने में केवल इच्छा शक्ति की कमी है जिसमें यह देखा जा सके कि वे संस्थाएं प्रभावकारी ढंग से कार्य करें।

आन्ध्र प्रदेश को ही लें। वहां अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण है, अनुसुचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों के लिए 20 प्रतिशत और मण्डल परिषदों या जिला परिषदों के चेयरमैन के चुनाव के मामले में महिलाओं के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण है। हम यह पहले से ही कर रहे हैं। किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। ग्राम पंचायतों के मामले में भी, प्रत्येक ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में कम-से-कम दो और अधिक से अधिक चार महिलाएं निर्वाचित की जाती हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले आप अपना घर सुधारें; आप यह सुनिश्चित करें कि कांग्रेस (आई) द्वारा शासित राज्यों में चुनाव कराए जाएं, विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के ढांचे को न बिगाड़ें।

इस जवाहर रोजगार योजना के पहले और दूसरे पृष्ठ पर यह बताया गया है कि ग्रामीण बेरोजगारी लम्बे समय तक काम न होने, कम वेतन और कम उत्पादकता के कारण है और दूसरे

[श्री श्रीभाद्रीश्वर राव]

पृष्ठ पर उन्होंने बेरोजगारी को कम करने के लिए व्यापक योजनाएं दर्शाई हैं। आपने यह बात स्वीकार की है कि बिना सिंचाई की एक हेक्टेथर भूमि से 70 कार्य दिनों की तुलना में एक हेक्टेयर सिंचित भूमि से 120 कार्य दिवस प्राप्त होते है। सरकार, सिंचाई क्षेत्र में कई लम्बित योजनाओं को मंजूर करने के संबंध में क्या कर रही है? विशेष कर विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में आपने ऐसी कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आपने उन प्रस्तवों को मंजूरी नहीं दी है। किन्तु आपने कांग्रेस (आई) द्वारा शासित कई राज्यों में नर्मदा सागर, सरदार सरोवर आदि जैसी कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, हालांकि वे उन सभी शर्तों को पूरा नहीं करतीं, जिनकी मांग गैर-कांग्रेस (आई०) शासित राज्यों से की गई है। पुनर्वास आदि के संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने से पहले ही आपने उन योजनाओं को मंजूरी दे दी है, जबकि हमारे राज्य में तेलगु देशम सरकार तथा उसकी पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कई योजनाओं को आज तक मंजूरी नहीं दी गई। इसी कारण से विजाग इस्पात संयंत्र आरम्भ नहीं हो पाया है; येलेरू जलाशय परियोजना को भी मंजूरी नहीं मिल पाई है। पिछले दिनों मंत्री महोदय ने बताया था कि यह नामंजूर कर दी गई है।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री श्री भजनलाल की कृषि में बहुत दिलचस्पी है; उन्हें कृषि की सम्पूर्ण जानकारी है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह सिफारिश की है कि 1985 तक प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र होना चाहिए, किन्तु अभी तक देश में ऐसे केवल 90 केन्द्र है; देश के शेष जिलों में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र आरम्भ करने के बारे में आपका क्या ठोस प्रस्ताव है? क्या आपके समक्ष कोई ठोस सुझाव है?

चीन में प्रति हेक्टेयर 3703 किलोग्राम खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जबकि हमारे देश में 1184 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का ही उत्पादन होता है। उनका उत्पादन हमारे से तीन गुणा है। चीन की ही भान्ति हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है? चीन की जनसंख्या हमारे से बहुत अधिक है और सिंचाई सुविधाएं हमसे कम हैं। आप कुछ राज्य सरकारों को न केवल मदद देने से इन्कार कर रहे हैं बल्कि उनके मार्ग में बाधक भी बन रहे हैं। जब आन्ध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के दिए गए फसल ऋणों पर ब्याज में छूट देनी चाही तो नाबार्ड ने यह कहा कि वह किसानों को दिए गए ऋण पर ब्याज में छूट नहीं दे सकता; यह खराब वित्तीय प्रबन्ध है और यह नहीं होना चाहिए। 'नाबार्ड' जल्दी से पुनः वित्त नहीं दे रहा है जिसके कारण आन्ध्रप्रदेश में किसान नुकसान उठा रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? हमारी राज्य सरकार करोड़ों रुपए का बोझ वहन करेगी। केन्द्रीय सरकार इसे गलत दृष्टिकोण से क्यों देखती है? जब राज्य सरकार द्वारा किसानों की मदद की जाएगी तो क्या अधिक उत्पादकता हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी?

उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए आपको, कृषि क्षेत्र को अधिक आबंटन देना चाहिए। किन्तु यदि आप आबंटनको देखें तो यह प्रथम योजना में 15 प्रतिशत से घट कर अन्तिम योजना में 5.9 प्रतिशत रह गया है। इसी प्रकार प्रथम योजना में सिंपाई के लिए आबंटन 22 प्रतिशत था जो घर २१ 9.4 प्रतिशत रह गया है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि 1988 तक 2.85 करोड़ आवासीय इकाइयों की जरुरत होगी। भवन निर्माण संबंधी कार्यकलाप रोजगार उत्पन्न करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। किन्तु सरकार क्या रही है? इसने रष्ट्रीय आवास बैंक हेतु विधान

प्रस्तुत करने के लिए बहुत अधिक समय लिया है। सरकार ने शहरीकरण संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें अभी तक स्वीकार नहीं की हैं। आप कृपया उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे; उनका अक्षरशः पालन करें।

भारत सरकार का एक अन्य चिंताजनक निर्णय, विशेषकर उद्योग विहीन जिलों में उद्योगों को आर्थिक सहायता बन्द करने से संबंधित है। आप ऐसा क्यों करते हैं ? कुछ स्थानों पर विकास केन्द्र स्थापित कर देने से देश के दूर दराज क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी। उदाहरण के लिए, आपके अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में 4 विकास केन्द्र बनाए जा सकते हैं। किन्तु, क्या इन 4 विकास केन्द्रों से तमाम आन्ध्र प्रदेश के लोगों की बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी ? मेरे विचार से तो यह नहीं होगी। वास्तव में, उद्योग विहीन जिले के स्थान पर उद्योग विहीन तालुक या उद्योग विहीन ब्लाक होना चाहिए। तभी दूर-दराज क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसलिए, महोदय, सरकार को अपने निर्णय पर पुर्नविचार करना चाहिए और आर्थिक सहायता देना जारी रखना चाहिए।

महोदय, हालांकि हम विपक्ष के सदस्य हैं, किन्तु हमारे हृदय में पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे दिवंगत नेताओं के लिए बहुत सम्मान है। हमारे हृदय में भी इन दिवंगत नेताओं के लिए उतना ही सम्मान और प्यार है जितना कि सत्ताधारी पक्ष के नेताओं में है। किन्तु महोदय, किसी राष्ट्रीय योजना या राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम हमारे महान दिवंगत नेताओं के नाम पर रखना अच्छी बात नहीं है। जनता काल में ऐसा नहीं किया गया। तब उनके कार्यक्रम का नाम था 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम। तत्पश्चात इन्दिरा जी के समय में हमारे यहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम था, किन्तु अब जवाहर रोजगार योजना है यह तो मानवीकरण हुआ, विशेषकर तब, जब वर्तमान प्रधानमंत्री उस महान नेता के नाती हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इस पहलू पर विचार करे।

अन्त में मेरा सुझाव यह है कि सरकार को यह आभास नहीं देना चाहिए कि यह योजना चुनावों को मद्दे नजर रखते हुए आरम्भ की गई है। पहले भी जिला कलैक्टरों को सीधे धन वितरित करने में जो जल्दबाजी की गई है, उससे लोगों में यह भावना पुष्ट हुई है कि यह सरकार किसी भी समय चुनाव करा सकती है। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि इस सदन में 'जवाहर रोजगार योजना' पर विचार करने से पहले ही जिला कलैक्टरों को करोड़ों रुपए क्यों भेजे गए। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आपका यह सोचना गलत है कि आप इस प्रकार से लोगों को अपने साथ ले सकते हैं; उनके वोट प्राप्त कर सकते हैं। आप गलती पर हैं। इस देश के लोग बहुत चतुर और जागरूक हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने क्या कहा। मैं उद्धृत करता हूँ;

"उसे यह भी पता चलेगा कि इन योजनाओं में उसके गांव के किन-किन लोगों को रोजगार मिला है। काम पर लगाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह पता चलेगा कि उसे कितनी मजूरी मिलती है तथा दूसरों को कितनी मजूरी मिलती है, उसे कितने दिन काम मिला है तथा दूसरों को कितने दिन मिला है। जिनके साथ धोखा किया जाए, वह न केवल तुरंत सुधार की मांग कर

[श्री शोभाद्रीश्वर राव]

सकते हैं, बल्कि अपने वोट के हथियार से उस पंच या सरपंच को भी हरा सकते हैं, जिसने अपनी शक्तियों और उत्तरदायित्वों का दुरुपयोग किया है।"

महोदय, मैं आपको यह याद दिला दूं कि इस देश के लोग बहुत चालाक हैं, वह जानते हैं कि बोफोर्स सौदे में और पश्चिम जर्मनी की पनडुब्बियों के सौदे में दलाल कौन है, जिन्होंने देश का करोड़ो रुपया खाया है, और उनके विश्वास को धोखा दिया है। वह निश्चित रुप से ऐसी पार्टी को सबक सिखाएंगे।

मैं नेहरू जी द्वारा 1958 में बंगलौर में तालुका बोर्ड अध्यक्षों और सरपंचों की बैठक में दिए गए भाषण को उद्धृत करने की अनुमति चाहता हूं। उन्होंने कहा था ;

आप लोग भारत के प्रधानमंत्री और उससे तमाम सरकारी तंत्र की तुलना में ऐसे लोगों के ज्यादा नजदीक हैं जिनकी खिदमत आप लोगों ने करनी है। आपकी भूमिका, दिल्ली में मेरी भूमिका से अधिक अहम् हो जाती है। मैं वास्तव में इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आप कब अपनी जरूरतों और समस्याओं के लिए दिल्ली में बैठे प्रधान मंत्री को अनावश्यक बना सकते हैं ताकि आप लोग, जो स्थानीय प्रधान मंत्री हैं, स्थानीय कार्यों को अपने हाथ में लेकर दिल्ली में बैठे प्रधान मंत्रीं को देश की अन्य व्यापक जरुरतों के लिए समय उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, देश का प्रधान मंत्री गांव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है; 'स्थानीय प्रधान मंत्री' हैं।

नेहरू जन्म शताब्दी के इस वर्ष में प्रश्न यह है कि "क्या हम नेहरू जी के शब्दों को साकार करेंगे या 'स्थानीय प्रधान मंत्रियों' को दिल्ली में बैठे प्रधान मंत्री जैसा बनाएंगे ?

इन्ही शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धन कलैक्टरों से वापस मंगवाए और इसे राज्य सरकारों के माध्यम से वितरित करवाए।

[हिन्दी]

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : सभापति महोदय, एक मिनट मैं बीच में लेना चाहूंगा। श्री शोभनाद्रीश्वर राव बहुत ही काबिल और अच्छे मेम्बर है, लेकिन एक बात हमें बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि वह अपनी बात तो कह देते हैं लेकिन जब हम जवाब देते हैं तो वह हाउस में नहीं होते हैं। इनसे मेरी प्रार्थना है कि जिस दिन हम इस विषय पर अपना जवाब दें उस दिन वह हाउस में जरूर बैठें। इससे उनको यह पता लग जायेगा कि आंध्र प्रदेश में एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरह से पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इसके लिये जो पैसा गांवों में खर्च होना था.........(**व्यवधान**).........

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : कृपया ठोस उदाहरण उद्दत कीजिये।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : पूरा जवाब देने का अभी समय नहीं है। वह पैसा शहरों में पार्क बनाने में इस्तेमाल किया गया जबकि वह पैसा गरीब लोगों पर खर्च होना चाहिए था।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आप जो कह रहे हैं वह गलत है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस : 'माननीय मन्त्री को अन्त में उत्तर देना चाहिये। अन्यथा उन्हें हर सदस्य के भाषण के बाद उत्तर देना पड़ेगा।'

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : इस बारे में मैं तफसील से बताऊंगा तभी आप महसूस करेंगे यह कितनी सुन्दर योजना है। आपको इस बात की बौखलाहट हो रही है कि······(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस : उन्हें अन्त में उत्तर देना चाहिए। वह प्रक्रिया बदल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : आप मेहरबानी करके हाउस में बैठना।

श्री सी० माधव रेड्डी : हाउस हम बैठेंगे लेकिन आपको सबूत देना पड़ेगा।

श्री भजन लाल : हम बकायदा सबूत देंगे औ बकायदा ऑडिट की रिपोर्ट देंगे। कोई गलत बात नहीं कहेंगे। हाऊस में जो बात भी कही जाती है वह बकायदा सबूत के साथ कही जाती है और बहुत जिम्मेदारी के साथ कही जाती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मन्त्री जी आप उचित समय पर उत्तर दें।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैंने केवल कुमारी ममता बनर्जी को अनुमति दी है, अन्य किसी को नहीं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी को जवाहर रोजगार प्रोग्राम देने के लिये बधाई देना चाहती हूं। मैं तेलगू देशम के साथियों और दूसरे अपोजिशन पार्टीज के मैम्बरों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैं जो बोलूंगी वह उनको ध्यान से सुनें। अभी जब श्री शोभनाद्रीश्वर राव बोल रहे थे तो मैंने उनके भाषण को ध्यान से सुना और इन्टरपट नहीं किया। अतः वे सब भी मेरी बात को ध्यान से सुनें।

जवाहर रोजगार योजना गरीब आदमियों को, गांवों में रहने वाली आम जनता को बसाने के लिए और नीचे से ऊपर उठाने के लिये एक सबसे बड़ा हथियार है। जवाहर रोजगार योजना जो राजीव जी ने 28 अप्रैल को हाउस में स्टेटमैंट दे कर शुरू की है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूं और उनको बधाई देना चाहती हूं। राव जी ने एक पाइंट कहा, मैं उसी से शुरू करना चाहती हूं, उन्होंने कहा कि अभी हाउस में डिस्कशन तक नहीं हुआ लेकिन रुपया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में चला गया तो कैसे चला गया। मैं कहना चाहती हूं और गवर्नमेंट को बधाई देना चाहती हूं कि गवर्नमेंट कितनी एक्टिव है, कैसे प्रोग्राम को इम्पलीमेंट करना चाहती है, इसी से पूर्व हो जायेगा। पहले इन्दिरा जी ने जब 20 पाइन्ट प्रोग्राम एनाउंस किया था और हमारे देश के लिये नारा दिया

[कुमारी ममता बनर्जी]

था "गरीबी हटाओ" तब हमारे देश की अपोजीशन पार्टीज ने इन्दिरा जी के खिलाफ प्रचार किया था कि इन्दिरा जी गरीब आदमी को हटाने के लिये कोशिश कर रही हैं। यह पण्डित जवाहर लाल नेहरू का सैंटीनरी ईयर हैं और जवाहर लाल नेहरू हमारे देश के माडंन आर्कीटैक्ट थे, उन्होंने सोचा था कि जब तक हमारे देश के गरीब आदमियों के लिये हम लोग कुछ भलाई का काम नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज उनके सैंटीनरी ईयर में राजीव जी ने यह प्रोग्राम बनाया है, इसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहती हूं और अपोजीशन मैम्बर्स से भी रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि वे भी पार्टीजन एटीट्यूड छोड़कर इसका स्वागत करें क्योंकि इसमें कोई पोलिटिकल सवाल नहीं है जैसा मेरे अपोजीशन के दोस्तों ने कहा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा और अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा कि यह इलैक्शन स्टण्ट है, यह इलैक्शन की पोलिटिकल बिल है, ऐसा नहीं है। अभी राव जी ने कहा कि राज्य सरकार को पैसा भेजना चाहिए लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर के पास पैसा भेजना ठीक नहीं है। क्यों ? क्या डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर में आपका कान्फीडेंस नहीं है, क्या डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर को आप कन्ट्रोल नहीं करते, डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर का काम क्या है, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ।

जवाहर रोजगार योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट 80 परसेण्ट पैसा दे रही है बाकी 20 परसेण्ट पैसा स्टेट गवर्नमेंट से आयेगा और 2100 करोड़ रुपये से 440 लाख फेमिलीज को हैल्प करने के लिये रुपया सैंक्शन किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि एक-एक पंचायत में 80 हजार से एक लाख रुपये तक देने का वायदा किया है लेकिन अलग-अलग पंचायत में अलग-अलग पोपुलेशन है। एक पंचायत में 8 हजार है तो एक पंचायत में 10 हजार है, एक पंचायत में 5 हजार है तो एक में 15 हजार है इसलिये आप पोपुलेशन को बेस करके सैंक्शन कीजिये और लिमिटेशन करके ऐसा क्राइटीरिया मत रखिये कि इस जगह में भी ऐसा मिलेगा, इस जगह में भी ऐसा मिलेगा बल्कि पोपुलेशन बेस्ड क्राइटीरिया होना चाहिये। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां ज्यादा गरीबी है उसमें ज्यादा पैसा देना चाहिये क्योंकि हमारा टार्गेट हर परिवार के एक आदमी को नौकरी देना है जो अन्डर पावर्टी लाइन है, इस को मीट आउट करने के लिये जितना भी रुपया देना पड़े गवर्नमेंट को देना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक पंचायत में आपने जो रुपया दिया है उसे कोई पोलिटिकल एटीट्यूड के लिये डिस्ट्रिब्यूट गलत कर दे। इसमें एक अच्छी बात है कि आपने रुपया डिस्ट्रीब्यूशन के लिये डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर को दिया है, मैं इसमें एक सुझाव देना चाहती हूँ कि आप डिस्ट्रिक्टवाइज एक मोनेटरिंग सैल बनाइये और उस मोनेटरिंग सेंल में सभी पोलिटिकल पार्टीज को इन्वाल्व करिये तो अच्छा काम हो सकता है। मोनेटरिंग सैल का काम यह होना चाहिये कि जो रुपया आया है उस रुपये का ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता है, इसमें किसी जगह गलती रहेगी तो सभी पार्टी के लोग उनको सैंक्शन दे सकते है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा टार्गेट गरीब आदमी को जिंदा रखने के लिये काम देना है, इनमें कोई पोलिटिकल टार्गेट नहीं है। मेरा एक सुझाव है कि नेहरू रोजगार योजना को सक्सेस करने के लिये हर डिस्ट्रिक्ट पर एक ऑफिस आपको बनाना चाहिये जैसे इन्दिरा आवास बोर्ड का रहता है, ऐसा ही एक आफिस हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए और उसमें एक रैस्पोंसिबल आफिसर को लगाना चाहिये ...(**व्यवधान**) ...मैं यह कहना चाहती हूं कि हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट आफिस होना चाहिये।......(**व्यवधान**)......एक बात मैं यह भी कहना

चाहती हूं कि जो भी रुपया केन्द्रीय सरकार से जाता है, उसकी हर वर्ष ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए कि कौन-कौन आदमी को रुपया मिला है और कौन-कौन आदमी को रुपया मिलता है। इसकी रिपोर्ट सरकार के पास आनी बहुत जरूरी है। बहुत सारी स्टेट्स में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर रुपया दिया जाता है, उसका मिसयूज होता है। पोलिटिकल पर्पजेज के लिये मिसयूज होता है और उसकी आपके पास कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती है इसलिये मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो रुपया आपने दिया है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट की ओर आप ध्यान देंगे, तो अच्छा रहेगा।

गांव-गांव में एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. के कार्यक्रम चलते हैं। अब आप जवाहर रोजगार योजना चलाने जा रहे हैं, इसलिये आपको यह भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि इसमें आप क्या-क्या काम करने जा रहे हैं। इस समय गांव-गांव में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। गांवों में बहुत से रास्ते कच्चे हैं, उनको पक्का करने की भी समस्या है। गांवों में बहुत सारी छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज लग सकती है, गांवों में बहुत से इरिगेशन प्रौजेक्ट्स हैं, इस दिशा में भी काम हो सकता है, हाउसिंग की प्रपोजल हैं, इंदिरा आवास योजना है और ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं, जो हो रहे हैं और आप जवाहर रोजगार योजना को भी सफल कर सकते हैं। मैं जवाहर रोजगार योजना के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत का रिजर्वेशन रखा है। इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहती हूं। खाली जवाहर रोजगार योजना हीं नहीं है, आपने, हमारे नेता राजीव गांधी जी ने महिलाओं के लिये परपैक्टिव प्लान ओर फिर इलैक्ट्रोरल रिफार्स. 18 वर्ष के स्टेडेंट्स को वोट देने का अधिकार दिया है और अब जवाहर रोजगार योजना का कार्यक्रम लिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांव के लोगों को बचाना हमारा धर्म है। हमारे देश के 75 फीसदी आवादी गांवों में रहती है और उसकी देखभाल करना हमारा धर्म है। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग बोफोर्स और ठक्कर कमीशन की ओर ध्यान ज्यादा दिया है। इन लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया है। हमारा इस नेशनल इशू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। अभी राव साहब ने कहा कि इलैक्शन के टाइम में देखा जायेगा कि आदमी किस को वोट देगा। हम भी यही कहना चाहते है कि इलैक्शन के टाइम में आदमी जरूर देखेंगे कि गरीबी हटाने के लिये कार्यक्रम कौन बनाया, इलैक्ट्रोरल रिफार्मस करके वोट देने का अधिकार कौन दिया है, महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत रिजर्वेशन कौन दिया है और बीस सूत्री कार्यक्रम किसका था और 15 सूत्री कार्यक्रम किसका है·······**(व्यवधान)**·······बोफोर्स और ठक्कर कमीशन करने से काम नहीं होता है। आदमी के खाने के लिये, रहने के लिए मकान और पहनने के लिये कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान बहुत जरूरी है। रोटी कपड़ा और मकान जो दे सकता है, वह उसके साथ रहेगा और किसी के साथ नहीं रहेगा। यह आपको सोचना चाहिये।·······**(व्यवधान)**·······राजीव गांधी जी ने डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर को रुपया दिया है। राव साहब आपको मालूम है एन टी रामाराव नोट के उपर स्टैम्प लगाकर छापा था, आपके एन टी रामाराव ने सिनेमा का जो टिकट मिलता था, गस टिकट के ऊपर स्टैम्प लगाकर पब्लिसिटी किया था। और आप लोग·······**(व्यवधान)**·······लगता है दाल में कुछ काला है—···**(व्यवधान)**·······यह कार्यक्रम कोई दिल्ली का कार्यक्रम नहीं है, गांवों का कार्यक्रम है।। इसलिये आपको इसमें मदद देनी चाहिये।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : कपड़ा।

कुमारी ममता बनर्जी : आपको भी एक देगा।......(व्यवधान)......गांव के लिये आपका यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। मैं दो-चार शब्द अरबन यूथ के लिये भी कहना चाहती हूं। रूरल डवेलपमेंट का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हम उस का स्वागत करते हैं। अरबन एरियाज में यूथ पौपुलेशन में अनएम्पलायमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है।

आज हिन्दुस्तान में तीन करोड़ एजूकेटेड अनएम्पालायड हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हिन्दुस्तान में तो 3 करोड़ 70 लाख एजूकेटेड अनएम्पलाइड हैं। ये 70 लाख कहां चले गये।

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे बोलने दीजिये। मैं यह कह रही थी कि हमारे देश में 3 करोड़ से अधिक एजूकेटेड अनएम्पलाइड यूथ्स हैं, जिन्होंने एम्पलाइमेंट एक्सचेन्जेज में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और अनएजूकेटेड अनएम्पलायड कितने हैं, यह मालूम नहीं है। मेरी स्टेट के अन्दर 52 लाख एजूकेटेड अनएम्पलायड यूथ्स हैं, जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया हुआ है लेकिन अनएजूकेटेड अनएम्पलायड कितने हैं, यह किसी को मालूम नहीं है। हर स्टेट में ऐसी ही प्राब्लम है लेकिन मैं जब दिल्ली आती हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यहां पर जो नोटीफाइड वेकेन्सीज हैं, वे फिल अप हो गई हैं जबकि दूसरी स्टेट्स में जो नोटीफाइड वेकेन्सीज हैं, वे आज तक पूरी नहीं हुई हैं और इनको पूरा करना जरूरी है। इस लिये मैं यह कहना चाहती हूं कि अनएम्पलाइड यूथ्स के बारे में अर्बन एरियाज में भी कोई रोजगार योजना बनाना चाहिए और उनको जॉब देने के लिए वहां पर इण्डस्ट्री लानी चाहिए, पावर प्लान्ट बनाने चाहिए और बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट्स बनानी चाहिए ताकि अर्बन एरियाज की अनएम्पलायड यूथ्स की प्राब्लम हल हो सके।......(व्यवधान)......

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें। आप परेशान क्यों करते हैं ? कुमारी ममता बनर्जी अपना भाषण जारी रखिये, इस शोर शराबे की परवाह न कीजिये।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं बेरोजगार युवकों के बारे में कह रही हूं। मैं अपनी बात नहीं कह रही हूं।

[हिन्दी]

मैं यह बोलना चाहती हूं कि आपने जो बैन आन रिक्रूमेंट काफी सालों से लगा रखा है, उसको आप को विदड्रा कर लेना चाहिए और जो नोटीफाईड वेकेन्सीज हैं, उनको इमीजिएटली फिल अप करना चाहिए।

हमारे कास्टीट्यूशन में राइट टू प्रापर्टी है, प्रोपर्टी का अधिकार है लेकिन हमारी जिन्दगी के लिये राइट टू वर्क क्यों नहीं होना चाहिये। मेरा कहना यह है कि हमारे संविधान में राइट टू वर्क भी होना चाहिये क्योंकि अगर वह हो जाता है, तो फिर अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम हमारे देश में नहीं रहेगी। आज तो हमारे देश में एम्पलायमेंट एक्सचेन्जेज में बेरोजगार लड़के-लड़कियां अपने नाम दर्ज कराती हैं लेकिन उसके बाद भी उन को नौकरी नहीं मिलती है। सालों नौकरी न मिलने से वे ओवर-ऐज हो जाते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी

क्योंकि तुम ओवर-ऐज हो गये हो। एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में नाम लिखाना बेरोजगार यूथस का फर्ज है, उनका धर्म है नौकरी पाने के लिये लेकिन जब उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो नेशन को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो कोई एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में नाम लिखाता है, उसको आप कहीं भी नौकरी दीजिये सेल्फ एम्पलायमेंट प्रोजेक्ट्स में नौकरी दीजिये ओर अगर आप नौकरी नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट को इसकी रेस्पोंसीबिलिटी लेनी चाहिए, नहीं तो उनके लिये बहुत बड़ी प्राब्लम हो जायेगी।

एक बात और कहना चाहती हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बेरोजगार यूथ्स को नौकरी नहीं दे सकते और वे ओवर-एज हो जाते हैं, तो जो आप नौकरी के लिए एज-लिमिटेशन रखते हैं, वह आप विदड्रा कर लीजिये। या तो सर्विस दीजिये या एज-लिमिटेशन विदड्रा कीजिये। एज-लिमिटेशन रखना कोई जरूरी चीज नहीं है और इसके लिए आपको सोचना चाहिये। अभी 28 साल सैन्ट्रल गवर्नमेंट में सर्विस की एन्ट्री के लिये एज है। इसको आप 35 साल बढ़ा दीजिये क्योंकि जो आदमी ग्रेजुएशन करता है, उस की उम्र 19, 20 साल तो ग्रेजुएशन कम्पलीट करने में ही हो जाती है।........(व्यवधान)........

[अनुवाद]

मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ। पता नहीं वे मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। मैं युवा हूँ। मैं बेरोजगार युवाओं के बारे में बोल रही हूं। मुझे उनकी समस्याओं की जानकारी है।

[हिन्दी]

सर एक बात मैं पोस्टल आर्डर के बारे में बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने देश की डवलपमेंट के लिये बहुत काम किया है, गरीब आदमी के लिये बहुत काम किया है। गरीब लड़के-लड़कियों को नौकरी के लिये एप्लीकेशन देने के लिये 25-30 रुपये का पोस्टल आर्डर देना पड़ता है। हमारे देश में गरीब लोगों में बहुत से टेलेन्टेड लड़के-लड़कियां हैं जो कि 25-30 रुपये का पोस्टल आर्डर नही दे सकते हैं। ऐसे लोगों के लिये एप्लीकेशन भेजना मुश्किल हो जाता है। आपने शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लिये पोस्टल आर्डर अबोलिश कर दिया है फिर आप गरीब लड़के लड़कियों के लिये यह क्यों नही कर सकते हैं? आप गरीब लोगों को सर्विस नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनकी मदद करने के लिये यह पोस्टल आर्डर तो अबोलिश कर दीजिये। इसके लिये मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।

सर, महिलाओं में अनएम्पलाएमेंट का प्राब्लम बहुत है। उनके लिये एम्पलाएमेंट का अपोरच्युनिश बहुत पुअर है। आप सारे हिन्दुस्तान में एम्पलाएमेंट एक्सचेंज से डेटा कलेक्ट कर के देख लीजिए कि तीन परसेंट महिलाएं भी एम्पलाएड नहीं हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिये। नर्स महिलाएं ही हों, टीचर महिलाएं ही हों। इसके अलावा महिलाओं के लिये एम्पलाएमेंट क्रियेट करने के लिए आपको और भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे देश में प्राईस इन्डेक्स बढ़ रहा है इसलिए महिलाओं को भी नौकरी करने की जरूरत है। उनके लिए नौकरी की अपोरच्युनिटीज बढ़ाने की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके लिए मैं आपकी आभारी होऊंगी।

रूरल डवलपमेंट के लिए जवाहर रोजगार योजना बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपने इसमें पापुलेशन और पावर्टी क्राइटेरिया रखा है। ऐसे ही आप अरबन डवलपमेंट के लिए भी प्रोग्राम बनाइए। वह प्रोग्राम भी एक अच्छा प्रोग्राम हो सकता है।

[कुमारी ममता बनर्जी]

अन्त में मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहती हूं। पर बंकिमचन्द्र चटर्जी हमारे साहित्य सम्राट हैं। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में आवाज दी। वह आवाज थी "वन्दे मातरम्" की। उनके 28 जून को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सन् 1939 में जब उनकी सेटेनरी आयी थी तब देश आजाद नहीं हुआ था। लेकिन इस 28 जून को उनको 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 28 जून को हम उनके नाम से एक योजना बना सकते हैं। जो आदमी हमारे देश के लिए फ्रीडम मूवमेंट के लिए आवाज दिया, "वेदे मातरम" की आवाज दिया जिस पर बहुत सारे लोगों ने आजादी के लिए खून दिया, जान दी, कुर्बानी दीं, उसकी आवाज को जिंदा रखने के लिए हम 150 वर्ष पूरा होने पर कोई मोनुमेंट्स बना सकते हैं। उनके नाम से कोई योजना चला सकते हैं। इससे देश आपका आभारी होगा।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने 26 अप्रैल, 1989 को बड़ी धूमधाम से जवाहर रोजगार योजना की घोषणा की थी। दो माह पूर्व वित्त मन्त्री ने बजट प्रस्तुत करते समय यह कहा था कि यद्यपि रोजगार बढ़ाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में दो कार्यक्रम– एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और दूसरा श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 15 अगस्त, 1983 को घोषित ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना– हैं तथापि जवाहर रोजगार योजना के रूप में एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया जायेगा और इस नये कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे।

5.00 म० प०

इसलिये पिछले दो माह तक स्थिति यह थी कि पहले से चल रहे कार्यक्रम जारी रहेंगे और एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया जायेगा। किन्तु अचानक प्रधान मन्त्री ने यह वक्तव्य दिया कि इन दो कार्यक्रमों को मिलाकर एक कार्यक्रम बना दिया जाएगा और नए कार्यक्रम का नाम जवाहर रोजगार योजना रखा जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने के लिए 2100 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। पहले यह था कि लगभग 150 जिलों का चयन किया जाएगा। अब यह कार्यक्रम सम्पूर्ण देश के लिये होगा। किन्तु ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल 50 से 100 दिन के लिए ही रोजगार दिया जाएगा. (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पचास दिन ही क्यों ? महोदय, क्या चुनावी प्रचार की यही अवधि है ?

सभापति महोदय : उन्हें आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, वह सभापति की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम ग्रामीणों की स्थिति, और उनकी बेरोजगारी की समस्या को जानते हैं। सरकार हमें सदैव केवल उन्ही शिक्षित बेरोजगार लोगों के आंकड़े देती है जिनके

नाम रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में लिखे हुए हैं। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे करोड़ों बेरोजगार लोगों के बारे में क्या है ? लगभग पन्द्रह से बीस करोड बेरोजगार लोग, खेतिहर मजदूर, भूमिहीन किसान हैं, जिन्होंने ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या मैं लोग बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के ये लोग दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। अब भी पचास प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी रेखा से नीचे रह रही है और सरकार की गरीबी रेखा की अपनी ही परिभाषा है। इसलिए, ग्रामीण रोजगार के लिए वास्तविक कार्यक्रम की अति आवश्यकता है। यह नया कार्यक्रम केवल धोखा है क्योंकि धन आबंटन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं की गई है। वर्तमान दोनों कार्यक्रम कम से कम कुछ गैर-कांग्रेस (ई) राज्यों में, जहाँ इन कार्यक्रमों को ठेकेदारों के माध्यम से कार्यान्वित नहीं किया गया है और उन्हें पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है, अत्यधिक सफल है। वहाँ योजना समितियों द्वारा ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं वहां ब्लाक स्तर की योजना समितियाँ और जिला स्तर की योजना समितियां हैं और वे ही प्राथमिकताओं का निर्धारण करती हैं। वे निर्वाचित पंचायतें हैं जहां चुनाव नियमित रूप से होते हैं। पश्चिम बंगाल में हर चार वर्ष में इन तीन-स्तरीय पंचायतों के चुनाव होते हैं। इन तीन-स्तरीय पंचायतों के सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ब्लाक स्तर की योजना समितियों और जिला स्तर की योजना समितियों में पंचायत समितियों के सभापति और जिला परिषदों के कार्याध्यक्ष तथा संबंधित जिलों के विधायक तथा सांसद इनके सदस्य होते हैं। जिला अधिकारी भी इन योजना समितियों के सदस्य होते हैं। वे अपनी प्राथमिकताएं पहले ही निश्चित कर लेते हैं। अब, इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद उन बड़ी योजनाओं का क्या होगा। जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तिम रूप दिया जा चुका है। अब इसका निर्णय कौन लेगा ? केन्द्र सरकार सीधे जिला परिषदों को धन भेज रही है। मैंने कम से कम अपने जिले में तीन या चार दिन पहले एक चैक देखा है, पुरुलिया जिला परिषद के सभापति को 2,55,00,000 रुपये का चैक प्राप्त हुआ है। अब उन कार्यक्रमों का क्या होगा ? अब, इस बात के कड़े निर्देश दिये गए हैं कि वर्तमान योजना मुख्यतः उन परियोजनाओं को जारी रखने के लिए है जो अभी चालू हैं – चाहे सड़कों का निर्माण कार्य हो, पुलो और बांधों का निर्माण कार्य हो। इसलिए इस धन को मुख्यतः उन योजनाओं और परियोजनाओं को पूरा करने पर खर्च किया जाएगा जो अभी चालू हैं। इसलिए योजना समितियों, ब्लाक स्तर की समितियों, जिला स्तर की योजना समितियों द्वारा जिन नई परियोजनाओं को अन्तिम रुप दिया जा चुका है उनका क्या होगा ?

अब प्रधान मन्त्री जी ने क्या कहा है ? उन्होंने कहा है कि "हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के लाभ पहले से कहीं अधिक मात्रा में सीधे जनता तक पहुँचेंगे। जो कुछ वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत खर्च किया जा चुका है यह उससे अधिक या महत्वपूर्ण कैसे होगा ? राज्य सरकारों को धन आबंटित किए जाने में क्या कठिनाई है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक, जिसे राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की लेखा परीक्षा का कार्य [illegible] गया है, से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और क्या नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई ऐसा पैरा है जहाँ इस बात का उल्लेख किया गया हो कि ग्रामीण विकास और

[श्री वसुदेव आचार्य]

विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए आबंटित की गई धनराशि को उस उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किया गया है जिसके लिए उसकी स्वीकृति हुई थी या उसका उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है, क्या नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई ऐसा पैरा है जिससे प्रधान मन्त्री को यह पता लगा हो कि इस धन को उस उद्देश्य के लिये खर्च नहीं किया गया जिसके लिए इसे स्वीकृति दी गई थी या इसका उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है, और राज्य सरकारों के ऊपर से तथा उनकी उपेक्षा करके जिला परिषद के अध्यक्ष या जिला मजिस्ट्रेट को सीधे धन भेजने की यह नई प्रणाली किस प्रकार कार्य करेगी ? मेरी जानकारी के अनुसार उड़ीसा में कोई जिला परिषद नहीं है। श्री सोमनाथ रथ इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। बिहार में जिला परिषदें नहीं हैं। **(व्यवधान)** उड़ीसा में द्वि-स्तरीय पंचायत प्रणाली है—ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। अब उस धन का आबंटन कौन करेगा और यह धन ग्राम पंचायतों में कैसे आबंटित किया जाएगा ? मजिस्ट्रेट निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होता है। त्रिपुरा में भी निर्वाचित पंचायतों का अतिक्रमण किया गया था। प्रधान मन्त्री के मन में अचानक ग्रामीण जनता, महिलाओं और दलितों के प्रति प्रेम उमड़ आया है क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। त्रिपुरा में सेना की सहायता से उनका दल सत्ता में आ गया और उसके तत्काल बाद उनका पहला काम निर्वाचित ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का अतिक्रमण करना था और यहां प्रधान मन्त्री जी जनता के हाथ में सत्ता सौंपने और पंचायत प्रणाली के बारे में मगरमच्छी के आंसू बहा रहे हैं। निचले स्तर पर योजना बनाने के लिए पंचायत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे है और त्रिपुरा में सत्तारुढ़ उनकी पार्टी निर्वाचित स्वायत्त जिला परिषदों का अतिक्रमण करने का षठयन्त्र रच रही है। इसलिए यह वृद्धि अधिक कैसे हो सकती है ? कुल आवंटन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है केवल 2100 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्य के सिवाय इन सभी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। यह एक अलग कार्यक्रम है। यह सच नहीं है कि ग्राम पंचायतों को सीधे धन भेजने से राशि में वृद्धि हो जाएगी, व्यय में वृद्धि हो जाएगी।

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात राज्य सरकारों की उपेक्षा करने की है। यदि आप ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों पर नियन्त्रण रखना चाहते हैं तो आपको संविधान के अनुच्छेद 41 में संशोधन करना होगा। दिल्ली से आप दूरदर्शन की सहायता से उन पंचायतों पर नियन्त्रक रखना चाहते हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात जो कि कांग्रेस (ई) द्वारा शासित राज्य है, में पंचायत प्रणाली ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : यह बिल्कुल अस्वाभाविक है। विगत 20 वर्षों से बिहार में कोई भी चुनाव नहीं हुए है।

श्री वसुदेव आचार्य : बिहार में कोई भी चुनाव नहीं हुए हैं। यद्यपि उड़ीसा में पंचायतें हैं लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वे टूटा जगन्नाथ की तरह हैं। कांग्रेस (ई) [illegible]सित अधिकांश राज्यों में पंचायतें टूटा जगन्नाथ की तरह हैं, जहां उन्हें कोई अधिकार नहीं है [illegible]ग्रेस (ई) शासित अधिकांश राज्यों में यह अपसंरचना होने के कारण कैसे आप आशा करते है कि ये योज-

नायें, ये कार्यक्रम और यह नयी जवाहर रोजगार योजना दक्षता पूर्वक कार्यान्वित की जायेगी ? श्री एच० के० एल० भगत ने इस बात पर तुरन्त प्रतिक्रिया जाहिर की है कि यह कार्यक्रम हमारे देश में एक नया आन्दोलन बन जायेगा। उन्होंने कहा कि भारत के गाँवों में 50 दिनों के लिये रोजगार देना एक आन्दोलन होगा। मैं नहीं जानता कि श्री भगत के अनुसार 50 दिनों के लिए रोजगार देने से क्या आन्दोलन होगा।

महोदय, हमारे देश की वास्तविक समस्याओं पर इस सरकार ने कभी विचार नही किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 42 वर्षों के बाद भी भूमि सुधार कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है। यह सबसे जटिलतम समस्या है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या समाप्त करना चाहते हैं तो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वे रोजगार को समाप्त कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : स्वतन्त्रता प्राप्ति के 42 वर्षों बाद अभी भी उन पाँच प्रतिशत लोगों के पास 40 प्रतिशत जमीन है जो कि किसान नहीं हैं और जमीन जोतते हैं।

[हिन्दी]

आपको तो शास्त्री जी पता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कैसे पता है ?

श्री बसुदेव आचार्य : हँस रहे हैं, ये रियलाइज कर रहे है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जय जवान जय किसान का नारा दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसी लिये पता है।

[अनुवाद]

40 प्रतिशत जमीन उन 5% लोगों के पास है जो कृषक नहीं हैं और जो जमीन नहीं जोतते हैं। क्यों नहीं आप उन लोगों से जमीन ले लेते है और भूमिहीनों के बीच उन जमीनों का वितरण कर देते हैं ? यद्यपि श्री पनिका कांग्रेस (ई) में हैं फिर भी वे मेरा समर्थन अवश्य करेंगे। वे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : हमारा नुकसान क्यों करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अभी भी थोड़े से लोगों के पास 40% जमीन हैं। जब तक आप उन जमीनों को ले नहीं लेते हैं और भूमिहीन लोगों के बीच इसका वितरण नहीं कर देते हैं, आप ग्रामीण लोगों की दशा कैसे सुधारेंगे ? यदि वे उन जमीनों पर खेती करते है तो उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या तथा कुछ हद तक शहरों में भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन सरकार यह मार्ग नहीं अपना रही है।

[श्री वसुदेव आचार्य]

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इसे एक नया नाम प्रदान करना है। यह एक प्रकार से पुराने कार्यक्रम को ही नाम देकर कार्यान्वित करना है। हमारे देश के लोगों की स्थिति में इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। उनकी समस्यायें और कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। चूंकि चुनाव आ रहे हैं, आप चुनाव से पूर्व इस नये नारे की घोषणा कर रहे हैं। 1971 में आपने गरीबी-हटाओ का नारा दिया था; 1980 में आपने एक अन्य नारा दिया. था, जिसे हम अपनी तक नहीं भूले हैं, यह है हमारे देश में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना। यह 1980 के चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी का नारा था। उनके प्रधान मन्त्री बन जाने के बाद नौकरी के लिए भर्ती किए जाने पर रोक लगा दी गयी थी। हमारे युवा प्रधान मन्त्री ने स्वामी विवेकानन्द जन्म दिवस के दिन अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष का उद्‌घाटन किया था। और नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। अर्थात् आप मशीन और कम्प्यूटर की मदद से कार्य करते हैं। यह तो मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण करना है। नौकरियों के भर्ती किए जाने पर अभी भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है। 4 वर्षों से इस समस्या के प्रति सरकार की आंखे बन्द हैं। हमारे देश के गरीब लोगों की हालत पर वे विचार नहीं करते हैं। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, अतः एक नया नारा, एक नया कार्यक्रम 'जवाहर रोजगार योजना' की घोषणा की गयी है। आपने अचानक इस पर विचार किया और एक नये कार्यक्रम की घोषणा की क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। यह लोगों को ठगना है, ग्रामीण लोगों को धोखा दिया जाना है। अतः हमारे देश के ग्रामीण लोगों की दशा सुधारने में यह कार्यक्रम सहायक नहीं होगा। यह एक नया कार्यक्रम नहीं है। इसमें दो कार्यक्रमों को एक साथ मिला दिया गया है। यदि आप मुद्रास्फीति पर विचार करें तो एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गयी है। 10% मुद्रास्फीति बनी हुई है और यदि आप गत वर्ष और इस वर्ष दिये गये अनुदान को देखें तो इस वर्ष अनुदान में कमी की गयी है।

[हिन्दी]

एग्रीकल्चर बजट में रिडक्शन हुआ है मधु जी बता रहे हैं। शास्त्रीजी आपको पता है।

[अनुवाद]

इस वर्ष कृषि बजट में कमी हुई है। अतः इससे लोगों को सहायता नहीं मिलेगी। यह हमारे देश के लोगों को धोखा देना है।

लघु उद्योगों की क्या स्थिति है? गरीब हथकरघा बुनकरों की क्या दशा है? वे भूख से से मर रहे हैं। कुटीर उद्योग बरबाद हो गए हैं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उन्हें कपास की कमी के कारण नुकसान हो रहा है।

श्री वसुदेव आचार्य : अतः ग्रामीण लोग, जो कि ग्रामीण-उद्योगों, बुनकर उजोगों, हथकरघा उद्योगों और कुटीर उद्योगों में कार्यरत है, कैसे अपनी जीविका चला सकते हैं? अब धीरे-धीरे ये कुटीर उद्योग बरबाद हो रहे हैं। ये लोग भूमिहीन बेरोजगार हो गये हैं। हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं। इन कुटीर उद्योगों को फिर से चालू करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गयी है। आपकी नई वस्त्र नीति ने हथकरघा उद्योग को बरबाद कर दिया है। इस सभा में हमने यह आशंका व्यक्त की थी कि नई वस्त्र नीति बड़े कपड़ा मिल मालिकों के संरक्षण के लिए बनाई

गई है और यह नई वस्त्र नीति हथकरघा उद्योग को बरबाद कर देगी। इसने इन्हें वास्तव में बरबाद कर दिया है। प्रो० एन० जी० रंगा इसे समझ रहे हैं। उन्होंने भी एक बार सरकार को चेतावनी दी थी।

राज्य सरकार की भूमिका में कमी कर दी गई है। सरकार के इस रवैये का हम विरोध करते हैं। राज्य सरकार की उपेक्षा क्यों की गयी है ? सीधे जिला और पंचायत में वे पैसे क्यों भेज रहे हैं ? सम्बन्धित राज्य सरकार इन योजनाओं की निगरानी क्यों नहीं करती है जबकि ये पंचायत समितियों और जिला परिषदें राज्य सरकार तथा जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। इसकी निगरानी कौन करेगा ? क्या इन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी दिल्ली से की जायेगी ?

5.20 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वे संविधान में संशोधन क्यों करना चाहते हैं ? ऐसा इसलिए है ताकि दिल्ली से पंचायतों पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सके। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात अब समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं राज्य सरकार की उपेक्षा करने के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरे राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और आर.एल.ई.जी.पी. कार्यक्रम कुछ हद तक सफल रहे हैं। उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जवाहर रोजगार योजना लागू कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य समस्या भूमि-सुधारों से सम्बन्धित है। ग्रामीण कृषि श्रमिकों का शोषण अभी भी हो रहा है। प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में ग्रामीण कृषि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दिये जाने के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। उन्हें 4 रुपये या 5 या 6 रुपये मिल रहे हैं न्यूनतम मजदूरी 11 रुपये मात्र हैं। कुछ राज्यों में यह 20 रुपये से अधिक है। कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। भूमिहीन किसानों को जमीन जोतने योग्य बनाया जाना चाहिए। उनकी क्रयशक्ति में वृद्धि की जानी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। अतः इस कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं हो सकता है। इस सरकार के प्रस्ताव का मैं इस सम्बन्ध में पुनः विरोध करता हूं। चुनाव के कारण यह सरकार अचानक इन सब बातों को ध्यान में ले रही है ....(व्यवधान) चार वर्षों तक इस प्रकार के इन पर ध्यान नहीं दिया। चुनाव के कारण अचानक यह इन सब बातों को ध्यान में ले रही है। यह एक चुनावी हथकन्डा है। अतः इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण लोग भी इस जवाहर रोजगार योजना का स्वागत नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक धोखा है और ग्रामीण लोगों को धोखा दिया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं अपने विपक्ष के दोस्तों की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे हैरानगी हो रही थी कि (**व्यवधान**) मुझे हैरत हो रही थी कि यदि कोई ठीक काम हो तो क्या उसकी आलोचना करना जरूरी ही है ? क्या कोई डाक्टर ने कहा है कि आलोचना करो तभी खाना पचेगा। मैं तो कहता हूं कि इतिहास राजीव जी को और बातों के लिए याद करेगा ही, लेकिन इस जवाहर रोजगार योजना के लिए सबसे ज्यादा याद करेगा और 28 अप्रैल का दिन अपने देश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। यदि आपके हृदय में दर्द हो गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए तब तो इसका मुखौल न उड़ाओ और यदि नहीं दर्द हो तो जरूर मुखौल उड़ाइये।

भाई सहाब, आपने अपने हथियार से वैस्ट बंगाल में सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। हमारे बिहार के लोग वैस्ट बंगाल में जाकर रोजी-रोटी कमाते थे। अब आपने सारे इंडस्ट्रीज बंद करवादी हैं। जो अच्छी चीज होती है उसकी आप सब को प्रशंसा करनी चाहिए न कि मुखौल उड़ाना चाहिए।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : बिहार में किसने उद्योग बंद करवाये।

डा० गौरीशंकर राजहंस : वह भी आप लोगों ने बंद कराये। जो बातें गलत होती हैं मैं उसका पक्ष नही लेता हूं। मैंने हमेशा उसकी समालोचना की है जो गलत है लेकिन जो चीज अच्छी हो रही है उसका तो समर्थन करना चाहिए। आखिर उसमें क्या बुराई है ?

श्री अनिल बसु : थोड़ा एक्सप्लेन कीजिये।

डा० गौरीशंकर राजहंस : मैं वही कर रहा हूं। उस दिन राजीव जी ने कहा कि लोगों को ऐसे लोगों को जो कि बहुत ही गरीब हैं, उनको रोजगार दिया जायेगा। यह रोजगार देने में 80 परसेंट पैसा सैंटर से खर्च होगा और 20 परसेंट राज्य सरकार देगी। मैंने एन आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. प्रोग्रामों के बारे में समालोचना की थी और यह कहा था कि उसमें बहुत लूट होती है। अब सरकार ने उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की है और देश को आगे लेकर चलने की इस प्रोग्राम के द्वारा कोशिश की गई है। 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम में 5 परसेंट भी लोगों पर पैसा खर्च नहीं होता था। मैंने इस हाउस में फाइनांस बिल पर बोलते हुए कहा था कि आप थोड़ा थोड़ा सारे डिस्ट्रिक्ट्स को दीजिए। मेरे द्वारा कही गई इस बात का रिकार्ड आपको लाइब्रेरी में देखने को मिल जायेगा और आप वहां जाकर देख और पढ़ सकते हैं। इस जवाहर रोजगार योजना में यह प्रपोजल है कि एक लिमिटिड डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाएगा और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को बाद में दिया जाएगा। इसमें बहुत ही विकरिंग होगा और यह तय करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स वैकवर्ड है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स वैकवर्ड नहीं है। इसलिए यदि आप उसमें से 2-3 महीने का ही काम दें तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ही ले लीजिए क्योंकि सारा हिन्दुस्तान ही तो वैकवर्ड है और राजीव जी ने हम लोगों की सलाह को माना है तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, इकरार करना चाहिए कि गलत काम हुआ है और स्टेट को इग्नोर करने की बात कहां आती है और यदि फण्ड डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाएगा तो इसमें बुराई क्या है, इसमें कोई बाईपास की बात तो हैं ही नहीं। अब तो जमाना बाइपास सर्जरी का है, लोग ऐसे तो ठीक होते नहीं हैं,

बाइपास सर्जरी से ठीक हो जाते हैं इसलिए यदि राजीव जी ने यह सर्जरी की है तो आपको क्या तकलीफ होती है। मैं कहूंगा कि आप लोगों के इण्टरैस्ट को देखिए, गरीबों के इण्टरैस्ट को उन्होंने देखा है, यदि आपको गरीबों से प्रेम है तो यह काम होने दीजिए और यदि गरीबों से प्रेम नहीं है तो आप चाहे जैसी समालोचना कीजिए। होना तो यह चाहिए कि इस योजना का, इस प्रोग्राम का पूरे हृदय से समर्थन किया जाय और सरकार से यह कहा जाय कि ऐसी दूसरी वैलफेयर स्कीम्स और लाई जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, आप सब लोग देहात से आते है, से हैं, एक बार मधु दण्डवते जी बहुत अच्छा प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाए थे, पुअर एण्ड डैस्टीट्यूट वीमेंस के बारे में कि उनकी भलाई के लिए कुछ किया जाए, में जब-जब देहात में घूमता हूं और साल में 5-6 महीने घूमता ही रहता हूं तो मुझे यह बात बहुत खलती है कि ऐसी औरतें हैं, महिलाएं हैं जो बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं, 70 साल, 80 साल की हो गई हैं और जिनकी आमदनी 20–25 रुपए महीना भी नहीं है और वे घुट-घुट कर मर रही हैं तो जवाहर रोजगार योजना की तरह जवाहरलाल नेहरू की बर्थ सैण्टीनरी में कुछ ऐसा सोचा जाय कि ऐसी औरतों को या मर्दों को एक ओल्ड एज पेंशन केन्द्र सरकार दे और यहां से डायरैक्ट भेजे क्योंकि स्टेट्स में इवन कांग्रेस रन स्टेट में मैं कहता हूँ कि जहां-जहां ओल्ड एज पेंशन है वह ठीक से एडमिनिस्टर नहीं हो रही है। ऐसे वैलफेयर के कोई काम होते हों तो पूरे हृदय से उसका समर्थन करना चाहिए। हमारा ऐसा अनुभव है, सबों को पता है, मैं राज्यों का नाम नहीं दूंगा, समझने वाले स्वयं समझ जायेंगे, दो साल पहले जबकि पूर्वी राज्यों में भयानक बाढ़ आई थी तो राज्य सरकार को पैसा दिया गया कि लोगों को राहत दीजिए तो कुछ राज्य सरकारों ने राहत देने के बदले उसे अपनी पार्टी का कैडर बनाने में खर्च कर दिया, उसे पब्लिसिटी में खर्च कर दिया, इसका पूरा प्रमाण है। यदि इस तरह की बातें हों और केन्द्र सरकार डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट् को पैसा भेजना चाहती है तो क्या एतराज है। सरकार तो कुछ न कुछ गरीबों को दे रही है, राज्य सरकार से तो नहीं ले रही है, बेसिक चीज समझनी चाहिए और जब दे रही है तो उसमें आपको क्या तकलीफ हो सकती है।

मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनियां में समाज तेजी से बदलता जा रहा है और नई-नई विचारधाराओं के लोग आ रहे हैं, नई–नई बातें पूरी दुनियां में हो रही हैं, यदि राजीव जी ने सोचकर, उनकी सरकार ने सोचकर गरीबों की भलाई के लिए एक योजना बनाई है तो यह बहुत ही काबिलेतारीफ बात है। यदि दो महीने, तीन महीने भी नौकरी मिलती है तो लोग बहुत ही संतुष्ट होंगे। मेरी पर्सनल नॉलिज की बात है कि आर० एल० ई० जी० पी० में, एन० आर० ई० पी० में मैंने सदन में भी कहा था, झूठे मास्टर रोल बनते थे और दिखा दिया जाता था कि इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मैंने प्रधान मन्त्री जी को कहा, मैने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा कि इसको बन्द कराइये और इसकी जगह कोई ऐसा फूल पूफ सिस्टम बनाइये जिससे कि गरीबों की भलाई हो सके। इस दिशा में एक प्रयास हुआ है और प्रधान मन्त्री जी सचमुच इसके बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं।

आपने बिहार के गरीबों के बारे में सोचा है, कुछ और भी सोचेंगे, लेकिन एजुकेटेड एन-एम्पलायमेंट देहात में भी बहुत ज्यादा है और शहरों में भी है। आपको कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे उनकी भलाई हो सके। आज में जब बिहार की बात सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ। वहां पर नक्सल एलीमेंट एक्सीमिस्ट्रस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। माता-पिता अपनी सारी जीवन की

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

कमाई लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़-लिखकर बच्चा बी.ए.एम. इंजीनियरिंग और डाक्टरी कर लेता है और उसके बाद घर पर बैठा रहता है। दो साल, चार साल, पांच साल और दस साल तक नौकरी नहीं मिलती तो उसको घर के ताने सुनने को मिलते हैं। समाज से ताने सुनने को मिलते हैं, जब वह परेशान हो जाता है, तो वह एक्स्ट्रीमिस्ट के गिरोह में जा मिलता है और हथियार भी उठा लेता है। हम सी आर पी या बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स से इस आतंकवाद को दबा नहीं सकते हैं। जो बात आज बिहार में हो रही है वह बात धीरे-धीरे दूसरे राज्यों में भी हो जाएगी। इसलिए एजुकेटेड अनएम्पलायमेंट की समस्या भी उतनी ही गम्भीर है, जितनी कि जनरल अनएम्पलायमेंट की समस्या है। इस दिशा में आप कुछ कीजिए जिससे एजुकेटेड अनएम्पलायमेंट की समस्या का समाधान हो सके। मैं भी चाहता हूं कि रिक्रूमेंट पर बैन होना चाहिए। और गेनफुल एम्पलायमेंट होना चाहिए। इस दिशा में यदि आप कुछ मदद कर सकते है तो ऐसा कुछ कीजिए कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या उसके आसपास सैटेलाइट की सुविधा हो। मान लीजिए किसी लड़के का दिल्ली से इन्टरव्यूह कॉल गया और उसको बिहार से यहां आने-जाने में कम से कम तीन-चार सौ रुपए लग जाता है। इस प्रकार वह तीन-चार सौ रुपया कहां से खर्च कर सकता है। न वह इतना रुपया खर्च कर सकेगा और न वह यहां आ कर इन्टरव्यूह देगा। इसलिए सरकार को वहुत ही सहानुभूति पूर्वक इस पर सोचना चाहिये था। यदि कोई इन्टरव्यूह का कैंडिडेट रेलवे स्टेशन पर अपना इन्टरव्यूह लैटर दिखा सकें, तो उसको सैकेंन्ड आर्डिनरी क्लास में साल में छः इन्टरव्यूहज के लिए बड़े शहरों में आने-जाने की छूट होनी चाहिए। यदि आप इसको कर दें, तो यही एक बहुत बड़ा काम होगा। इससे लोगों को तसल्ली होगी और भरोसा होगा कि सरकार अनएम्पलायेड यूथ के बारे में भी सोच रही है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने जवाहर रोजगार योजना के आठवें पेज पर आपने बताया है कि बिहार में रूरल पोपूलेशन 14 प्रतिशत है और उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। मैं कहता हूँ कि इतने भयानक अनएम्पलायड लोग वहां पर पड़े हुए हैं और विलो पावर्टी लाईन हैं, इसलिये उनके लिए अनुदान की रकम को भी बढ़ाया जाना चाहिऐ। राजीव गांधी जी ने अपने भाषण में कहा है कि पोपुलेशिन को भी देखा जाएगा, शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या को भी देखा जाएगा।

[अनुवाद]

भौगौलिक दृष्टि से भिन्न क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों, रेगिस्तानों, द्वीपों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें एक वहुत जरूरी बात नहीं रखी है। उन्होंने इसमें ऐसे केसेज नहीं रखे हैं, जो बिना किसी की गलती से हर साल वहां पर फसल खराब हो जाती है। मैं आपको उत्तर बिहार के बारे में बताना चाहता हूं। वहां लोग तीन वार फसल लगा देते हैं और नेपाल की नदियां आकर फसल को बहाकर ले जाती हैं। ऐसे एरिया में इतनी एक्सूट पावर्टी है, इतनी भयानक गरीबी है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सचमुच मैं कल्पना नहीं कर

सकते और वैसी गरीबी पश्चिम बंगाल में भी नहीं है क्योंकि यदि वैसी गरीबी न होती, तो लोग क्यों पश्चिम बंगाल जाते, क्यों रोजी-रोटी के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, और बल्लभगढ़ आते और यहां आकर कोई मनुष्य की जिन्दगी वे बिताते है, जानवर से भी बदतर जिन्दगी बिताते हैं लेकिन रोटी की खोज में उन्हें यहां पर आना पड़ता है और अपने परिवार का भरण-पोषण करना पड़ता है। इसलिए इसमें ज्योग्रफीकल फैक्टर के साथ-साथ, हिली और डेजर्ट एरिया के साथ साथ, ऐसे एरिया को भी रखिये जहां पर नेचर के कारण फसल बरबाद हो जाती है हर साल। उस क्षेत्र के लोगों को भी आपको ध्यान में रखना होगा जो कि एशिया का सबसे डेंसली पोपुलेटेड ऐरिया है और जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है। यदि आप इस फैक्टर को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो जवाहर रोजगार योजना से उचित पैसा उन्हें नहीं मिल पायेगा।

फिर मैं यह कहूंगा कि नेहरू रोजगार योजना केवल इसलिए न हो कि हमें लोगों को रोजगार देना है, इसलिए हम लोगों को दिखा दें कि यह उनको रोजगार मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि गेनफुल एम्पलायमेंट हो। आदमीं नहरें बनाने के काम में लगें, सड़कें बनाने के काम में लगें, स्कूलों की बिल्डिंग बनाने के काम में लगें और पंचायत भवन के बनाने के काम में लगें। इस तरह से प्रौडक्टिव काम होना चाहिए, जिससे समाज की उन्नति हो। केवल दिखाने के लिए मस्टर रोल में 200 आदमी दिखा दिये और कह दिया कि हमने रोजगार दे दिया, तुम पैसा लो और शाम को चले जाओ, यह बात नहीं होनीं चाहिये। राजीव जी ने एक बात ठीक कही है कि जवाहर रोजगार योजना बिलकुल ही ओपन होगी। मैंने एक साल पहले भी इसी सदन में कहा था कि आप 20 प्वाइंट प्रोग्राम के अन्तर्गत कहीं पर सड़क बनाते हैं, कहीं पर नहरें बनाते हैं और कहीं पर नाले बनाते है और स्कूलों के लिए बिल्डिंग बनाते हैं, तो वहां पर एक बोर्ड लगा दीजिए और उस बोर्ड में यह लिख दीजिए कि इस एरिया में सरकार द्वारा 20 किलोमीटर सड़क बन रही हैं, जिसका खर्च 10 लाख रुपये है या 20 लाख रुपये है। इससे जनता जान जाएगी कि इतना रुपया खर्च हो रहा है। वैसे कान्ट्रेक्टर्स और दूसरे इंटरमीडिएरीज, जिसकी चर्चा इसमें भी है, पैसे लूट लेते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कान्ट्रैक्टर्स और डेमोक्रेट्स जो हैं, उनके द्वारा लूट होती है और इस लूट को रोकने के लिये कोई उपाय किया जाये। आप बड़े-बड़े अक्षरों में यह लिख दीजिए कि जवाहर रोजगार योजना में इस काम पर यह खर्च होगा और येपे काम होंगे, जिससे हर आदमी समझ सकें कि यह काम हो रहा है।

एक और बात कहना चाहता हूं। यदि आप यह मान कर चलते हैं कि मुखिया जी है, वह दूध का धोया हैं, वह सब काम ठीक-ठाक करेगा, तो अपने आप को अन्धकार में रख रहे हैं। मुखिया कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। हम सारे के सारे अधिकार मुखिया को दे दें और कहें कि वह इसको इम्पलीमेंट करा दें, तो वह दूसरा बी. डी.ओ. वहां पर तैयार हो जायेगा और दूसरी तरह से खाने लगेगा। इसलिए मे यह कहता हूँ कि आप पंचायतों का इलेक्शन हर दो साल बाद कराइए और मुखिया के काम को मानीटर करना चाहिये। एक-एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जितने एम. पीज लोक सभा में आते हैं, तो उनको मानीटर का काम दीजिए। वे केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करें कि जवाहर रोजगार योजना ठीक तरह से चल रही है या नहीं चल रही है।

अन्त में मैं एक सुझाव दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि आप श्रम को महत्व दिलाइये। जवाहर रोजगार योजना में यदि किसी पंचायत में दो लाख रुपये का काम हो, तो केन्द्र सरकार

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

उस पंचायत को कहे कि यदि आप अपने यहां से दो लाख रुपये का और श्रमदान कराने को तैयार है, तो हम चार लाख रुपये यहां पर आवंटित करेंगे, जिससे उस जगह का डैवलपमेंट बहुत अच्छा होगा और लोग भी उसमें इनवाल्व होंगे। मैंने भी अपना क्षेत्र देखा है और आपने भी अपने क्षेत्र देखे होंगे। सभी लोग कहते हैं कि सरकार को आप क्यों नहीं कहते हैं कि यहा पर सड़क बनवा दें। हम वहां के ग्रामीण लोगों से कहें, अधिकारियों से कहें कि आपको चलकर के इस सड़क को बनवाना है। इसके लिये दो लाख रुपया आपको सरकार से मिलेगा, दो लाख रुपये का आप श्रमदान करेंगे। देखिये इससे कितना काम गांवों में होता है। बिहार में यह एक्सपेरीमेंट हो चुका है। कोसी प्रोजेक्ट में आधे से ज्यादा काम श्रमदान से हुआ है, लोगों ने किया है।

यह भावना लोगों में फैलायी जानी चाहिये। अगर कहीं सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है तो लोगों को कहा जाय कि आपकी भी इसमें मदद हो, सरकार तो मदद करेगी ही। अब किसी को अपनी मदद को बीमारी में अस्पताल ले जाना है, सड़क नही है। उसको यह बात बतायी जानी चाहिये। इससे वहां सड़क बनाने में बहुत बड़ा योगदान लोगों का मिल सकता है।

अन्त में मैं प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जो को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टेप किया है। इससे बेकारी बहुत हद तक दूर हो जायेगी। इस तरह से सरकार गरीब विधवाओं, गरीब बूढ़ों के लिये भी योजनाएं लाए। इससे सही अर्थों में देश में समाजवाद आयेगा।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का): महोदय, जवाहर रोजगार योजना भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उ॰ की जन्म शती पर सच्ची श्रद्धांजली है। उन्होंने केवल भारत के ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के निर्धनों और दलितों का समर्थन किया। उन्होंने उपनिवेशबाद के विरुद्ध संघर्ष किया तथा उन्होंने केवल भारत की जनता को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व को उपनिवेशवाद के बन्धन से मुक्त कराना चाहा। इसलिए योजना के कार्यान्वयन में पर्याप्त सावधानी और चौकसी बरती जानी चाहिए ताकि उस वर्ग के लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके जिनके लिए, इसे बनाया गया है। यह निश्चित रूप से अच्छी बात हे जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हे तथा सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। इससे कमजोर वर्ग के लोगों, ग्रामीण निर्धनों, बेरोजगारों, अल्प रोजगारों और असंगठित श्रमिकों की दशा सुधारने में काफी मदद मिलेगी। देश के 4.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जिनमें देश की सभी ग्राम पंचायतें शामिल हैं, लाभान्वित करने के लिए व्यापक आयाम का एक कार्यक्रम चलाया गया है। इसके लिए 2100 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इसकी आवश्यकता धनराशि के उचित उपयोग के लिए धनराशि के वितरण की सतत निगरानी के लिए अनुशासित अधिकारी तंत्र, सक्षम और ईमानदार खण्ड विकास अधिकारियों, उत्साही सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और ग्राम पंचायत स्तर पर समर्पित प्रतिनिधियों के लिए हुई। योजना की प्रमुख बात यह है कि ग्राम पंचायतों को योजना को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि दी जायेगी। हमारे 1988-89 के बजट में, देश के 120 पिछड़े जिलों में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई है इसके लिए 500 करोड़ रुपये दिये गये है। विपक्ष ने इस योजना को प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में मत जीतने की पैंतरेबाजी कहा हैं। चूंकि इस योजना को देश की सभी ग्राम पंचायतों में चलाया गया हैं तथा एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० को मिलाकर एकल कार्यक्रम बनाया गया है तथा योजनाओं को कार्या-

न्वित करने के लिए ग्राम पंचायतों को जिम्मेदार बनाया गया है इसलिए विपक्ष के पास इस योजना को चुनावी चाल बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है वे प्रत्येक बात में संदेह करते हैं। वे किसी बात में अच्छाई नहीं देख सकते हैं। वास्तव में यह ऐसी योजना है जिसके द्वारा सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक संकल्प या घोषणापत्र में दिये गये आश्वासन को पूरा करेगी इस योजना से समूचे देश में रोजगार मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भारत के प्रधानमन्त्री का **गरीबी हटाओ** के लिए आह्वान केवल नारा नहीं था। यह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। यह कांग्रेस (ई) की नीति भी है।

इस योजना के बारे में गलतफहमी है कि इससे ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत पहले से चल रहे कार्य का नुकसान हो सकता है। मेरा सुझाव है कि चालू योजनाओं का विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के साथ सम्बन्ध होना चाहिए ताकि चालू योजनायें न रुक सकें।

जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार वर्तमान योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को, जो मैट्रीकुलेट हैं, उन्हें 25000 रुपये और जो स्नातक हैं उन्हें 40000 रुपये दे रही है। परन्तु सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तव में उन्हें यह धनराशि मिल रही है। कुछ बैंक अधिकारी समर्पित हैं परन्तु सभी नहीं है। धनराशि धनी लोगों की जेब में चली जाती है वे इसका व्यापार में उपयोग करते हैं बैंक शिक्षित बेरोजगारों को केवल इस कारण से अग्रिम धनराशि नहीं देते कि उन्हें संदेह है कि ऋण की समय से अदायगी नहीं हो सकती है तथा आर. एल. ई. जी. पी. और एन. आर. ई. पी. के अनेक मामलों में सरकार द्वारा राज सहायता का उपयोग बैंक दूसरों को ऋण देने में करते हैं और अच्छा ब्याज लेते हैं। यदि वे अपने उच्च अधिकारियों को दिखाते हैं कि उन्होंने बैंक के लिए लाभ कमाया है तो उनकी पदोन्नति हो जाती है। इसलिये कुछ योजनायें नहीं चल पाती।

महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान उन आंकड़ों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जो मुझे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिये गये हैं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हो सकता। इनमें गरीबी के आधार पर राज्यवार आबंटनों को बताया गया है। यह बताया गया है कि बिहार में 14.872 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है तथा कुल धनराशि 2100 करोड़ रुपये में से 31231.20 लाख रुपये आवंटित किये गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 9.842 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है और 20688.20 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं तथा महाराष्ट्र में 7.950 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे हैं और 16695.00 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, जहां भयंकर गरीबी है, यह आश्चर्य की बात है और इससे संतुष्ट नहीं हो सकता कि 4.862 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है और 10210.20 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं उत्तर प्रदेश में 19.864 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इसलिए जब उत्तर प्रदेश में यह लगभग 19 है, मध्य प्रदेश में लगभग 9.8 है, महाराष्ट्र में 7.9 है तथा बिहार में 14.8 है तो उड़ीसा में यह 4.8 कैसे हो सकती है स्पष्टतः ये आंकड़े गलत और भ्रामक लगते हैं। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, उड़ीसा की तुलना बिहार से की जा सकती है। गलत आंकड़े प्रस्तुत

[श्री सोमनाथ रथ]

करने से उड़ीसा को योजना से सही धनराशि नहीं मिलेगी । क्या यह कभी कहा जा सकता है कि उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है जबकि बिहार में यह लगभग 4 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में यह लगभग 10 है ? इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसका पुनरीक्षण करें । कहीं कुछ गलती है, इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए । जैसा कि कहा गया है कि उड़ीसा में भयंकर गरीबी है । इसलिए मैं कहता हूं कि पुनरीक्षण करने के पश्चात इस राज्य को पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए ।

महोदय हमारे प्रधान मन्त्री ने जो कुछ कहा था, उसे मैं उद्धत करता हूँ ।

"ऐसे कार्यक्रमों के लिए धनराशि का अधिकांश अनुपात ठेकेदारों और बिचौलियों को चला गया है । दूसरे तरीके से भी इसका दुरुप्रयोग किया गया है ।"

मेरे साथी, श्री राजहंस, ने कहा है कि धनराशि के दुरुपयोग को रोकने और उसका उपयोग करने के लिये हमें कोई एजेंसी बनानी चाहिए । महोदय, सम्भवतः केन्द्र की सलाह से उड़ीसा में आर. एल. ई. जी. पी. और एन. आर. ई. पी. योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों के उपयोग का निरीक्षण करने के लिये प्रत्येक जिले में सतर्कता समिति बनाी गयी और उमका अध्यक्ष उस जिले का संसद सदस्य बनाया गया । उस समिति में एक विधान सभा सदस्य एक पंचायत अध्यक्ष तथा सरकार द्वारा मनोनीति दो अभियन्ता हैं तथा अतिरिक्त परियोजना अधिकारी भी इसके संयोजक हैं मुझे गंजम जिले में ऐसी समिति का अध्यक्ष बनाया ाया । पंचामत अध्यक्ष और कुछ सरपंचों के शिकायत करने पर हम सरोदा ब्लॉक गये । हमने देखा कि गंजम जिले के सरोदा खण्ड विकास अधिकारी ने चावल या गेहूं का बिल्कुल उपयोग नहीं किया है जो लाभार्थियों को, इन्द्रिस आवास के निर्माण हेतु 1.85 पैसे प्रति किलो की दर से चावल और 1.65 प्रति किलो की दर से गेहूं गये थे । इसकी रिपोर्ट की गयी परन्तु कलक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की । यह यह सरकार को भी बताया गया परन्तु सरकार ने भी कार्यवाही नहीं की । वहाँ खंड विकास अधिकारी 6 वर्षों से है । इस प्रकार हेराफेरी और बेईमानी का उसे यह इनाम दिया गया है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केवल सतर्कता समिति या निरीक्षण समिति बनाने से काम नहीं चलेगा । इसे मजबूत बनाया जाना चाहिए । जैसा कि श्री राजहंस ने कहा कि प्रत्येक जिले का अध्यक्ष संसद सदस्य होना चाहिए तथा दिये गये सुझावों पर अधिकारी और सरकार को विचार करना चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया गया और केवल कागजों पर ही समिति बनायी गयी तो कुछ नहीं होगा । आर. एल. ई. जी. पी. और एन. आ. ई. पी. के अन्तर्गत दिए गये खाद्यान्नों का उपयोग नहीं किया जा रहा है इसके लिये भी निर्देश दिये जाने चाहिए । परियोजना कार्यों को ठेकेदारों के जरिये नहीं कराया जाए ।

6.00 म० प०

इसे ग्रामीण नेताओं द्वारा, जिन्हें ग्रामीण स्वयं चुनें, किया जाना चाहिए । मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय की जानकारी के लिया यह बताना चाहता हूँ कि हमने एक ब्लाक में देखा कि पंजीकृत ठेकेदारों को कार्य करने के लिये दिया गया है । जब हमने कार्यकारी अभियन्ता से पूछा, कि पंजीकृत ठेकेदार को कार्य किस प्रकार दिया गया जो केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के

विपरीत है, तो कार्यकारी अभियन्ता ने जबाब दिया कि ठेकेदार भी एक ग्रामीण है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसार इन व्यक्तियों को ऐसे कार्य देना वर्जित है। यदि केन्द्रीय सरकार के निर्देशों की इस तरह व्याख्या की जायेगी और अधिकारी उनकी इस तरह उपेक्षा करेंगे तो योजना का कार्यान्विन किस प्रकार सम्भव है ?

इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि योजना के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए कड़ी निगरानी और निरीक्षण किया जाना चाहिए। सम्बन्धित अधिकारियों, पंचायत अध्यक्षों और अधिक महत्वपूर्ण रूप से ग्राम पंचायत सरपंचों को भी समर्पित होना चाहिए क्योंकि ये ही वे लोग हैं जिन्हें कार्य करना है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 9 मई, 1989/19 वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।